




सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



छत्तीसगढ़ शासन
वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 1

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

छत्तीसगढ़ शासन
वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 1

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका क्र.	पृष्ठ क्र.
प्राक्कथन	..	vii
कार्यकारी सारांश	..	ix
अध्याय I: विहंगावलोकन		
राज्य का पार्श्व दृश्य	1.1	1
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं सकल राज्य मूल्य वर्धित	1.1.1	1
राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण	1.2	3
शासकीय लेखों की संरचना का विहंगावलोकन	1.3	4
बजटीय प्रक्रियायें	1.4	6
वित्त का आशुचित्र	1.4.1	7
शासकीय परिसंपत्तियाँ एवं दायित्वों का आशुचित्र	1.4.2	8
राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण के लक्ष्य एवं उपलब्धि	1.5	8
राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियमों का अनुपालन	1.5.1	9
वर्ष 2022–23 के दौरान सीजीएफआरबीएम अधिनियम के तहत किए गए खुलासे	1.5.2	10
घाटा/आधिक्य	1.5.3	11
घाटा/आधिक्य के प्रवृत्तियाँ	1.5.4	12
राज्य वित्त आयोग	1.6	13
लेखापरीक्षा में जांच के बाद घाटा और कुल ऋण	1.7	15
लेखापरीक्षा के बाद-घाटा/आधिक्य	1.7.1	15
लेखा परीक्षा के बाद-कुल ऋण/दायित्व	1.7.2	16
अध्याय II: राज्य शासन के वित्त		
प्रस्तावना	2.1	19
निधियों के स्रोत और उपयोग	2.2	20
राज्य के संसाधन	2.3	21
राज्य की प्राप्तियाँ	2.3.1	21
राजस्व प्राप्तियाँ	2.3.2	22
राजस्व प्राप्तियाँ के प्रवृत्ति और वृद्धि	2.3.2.1	22
राज्य के स्वयं के संसाधन	2.3.2.2	24
केंद्र से निधियों का हस्तांतरण	2.3.2.3	27
पूँजीगत अनुभाग के तहत प्राप्तियाँ	2.3.3	31
संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन	2.3.4	32
संसाधनों का उपयोग	2.4	32
व्यय की वृद्धि एवं संरचना	2.4.1	32
राजस्व व्यय	2.4.2	36
राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन	2.4.2.1	38
प्रतिबद्ध एवं गैर-प्रतिबद्ध व्यय	2.4.2.2	39
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अन-उन्मोचित दायित्व	2.4.2.3	42
सब्सिडी	2.4.2.4	43
राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता	2.4.2.5	44
पूँजीगत व्यय	2.4.3	45
पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन	2.4.3.1	45

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका क्र.	पृष्ठ क्र.
पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता	2.4.3.2	47
अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	2.4.3.3	49
व्यय प्राथमिकताएं	2.4.4	50
उद्देश्य शीर्ष वार व्यय	2.4.5	51
लोक लेखा	2.5	52
निवल लोक लेखा शेष	2.5.1	52
आरक्षित निधि	2.5.2	53
संचित निक्षेप निधि	2.5.2.1	54
राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि	2.5.2.2	54
प्रत्याभूति मोचन निधि	2.5.2.3	58
राज्य के लोक लेखों से बाहर की निधियाँ	2.5.2.4	58
अन्य समर्पित निधियाँ	2.5.2.5	59
ऋण प्रबंधन	2.6	60
ऋण घटक का रूपरेखा	2.6.1	61
राजकोषीय घाटे के घटक और इसका वित्तपोषण संरचना	2.6.2	64
ऋण रूपरेखा: परिपक्वता और अदायगी	2.6.3	65
ऋण स्थिरता विश्लेषण	2.7	65
आगामी वर्षों में अदायगी के लिए बकाया लोक ऋण की प्रवृत्ति	2.7.1	71
उधार ली गई निधि का उपयोग	2.7.2	72
प्रत्याभूति (गारंटी) – आकस्मिक देयताएँ	2.7.3	73
रोकड़ शेष की प्रबंधन	2.7.4	74
निष्कर्ष	2.8	75
अनुशंसाएं	2.9	76
अध्याय III: बजटीय प्रबंधन		
प्रस्तावना	3.1	77
बजट तैयार करने की प्रक्रिया	3.2	77
वित्तीय जबाबदेही और बजट की समीक्षा	3.3	78
जेण्डर बजट	3.3.1	78
युवा बजट	3.3.2	78
कृषि बजट	3.3.3	79
चाइल्ड बजट	3.3.4	79
बजट लक्ष्य प्राप्ति	3.3.5	79
मुख्य नीतिगत पहल/नई योजनाएं	3.3.6	80
विनियोग लेखा	3.4	81
विनियोग लेखों का सारांश	3.4.1	81
बजटीय निधि का उपयोग	3.4.2	81
बजटीय और लेखा प्रक्रिया की अखंडता पर टिप्पणियाँ	3.5	83
राजस्व व्यय के रूप में पूँजीगत व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण	3.5.1	83
अनावश्यक एवं अत्याधिक अनुपूरक अनुदान	3.5.2	84
अनावश्यक पुनिविर्नियोजन	3.5.3	86
उप-शीर्षों के तहत संपूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया	3.5.4	87
बृहद बचत/समर्पण	3.5.5	87
बजट से भिन्नता के लिए अनुपलब्ध/अपूर्ण स्पष्टीकरण	3.5.6	88

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका क्र.	पृष्ठ क्र.
अतिरिक्त व्यय और इसका नियमितीकरण	3.5.7	89
व्यय की अतिवेग	3.6	91
चयनित अनुदान की समीक्षा	3.7	91
अनुदान सं. 19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3.7.1	91
बजट और व्यय	3.7.1.1	92
योजनाओं के तहत पर्याप्त राशि का उपयोग न करना	3.7.1.2	92
किए गए प्रावधानों पर अधिक व्यय	3.7.1.3	93
निधियों का कम उपयोग	3.7.1.4	93
अनुदान सं. 24- लोक निर्माण- सड़क और पुल	3.7.2	94
बजट और व्यय	3.7.2.1	94
बजट प्रावधान का उपयोग न होना	3.7.2.2	95
अनावश्यक अनुपूरक बजट प्रावधान प्राप्त	3.7.2.3	95
धन का कम उपयोग	3.7.2.4	96
निष्कर्ष	3.8	97
अनुशंसाएं	3.9	97
अध्याय IV: लेखाओं की गुणवत्ता तथा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली		
प्रस्तावना	4.1	99
उपयोगिता प्रमाणपत्रों की देयता	4.2	99
लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक	4.3	100
लेखाओं की समयबद्धता और गुणवत्ता	4.4	102
उच्च एवं ऋण जमा प्रेषण शीर्षों में बकाया शेष	4.5	102
व्यक्तिगत जमा खातों	4.6	103
व्यक्तिगत जमा खातों में रखी गई भूमि अधिग्रहण से संबंधित निधियाँ	4.6.1	104
असंचालित व्यक्तिगत जमा खाते	4.6.2	105
केन्द्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि से संबंधित लेन-देन की लेखाएँ	4.7	105
लघु शीर्ष -800 में समायोजन	4.8	106
लघु शीर्ष - 800 - अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की बुकिंग	4.8.1	107
विभागीय आंकड़ों का मिलान नहीं किया जाना	4.9	109
रोकड़ शेष का मिलान	4.10	110
भारत सरकार के लेखांकन मानकों का अनुपालन	4.11	110
स्वायत्त निकायों के लेखा/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की स्थिति	4.12	111
हानि तथा गबन आदि के मामले	4.13	112
ऑफ बजट उधार	4.14	112
सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित निधियां	4.15	114
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	4.16	115
निष्कर्ष	4.17	115
अनुशंसाएं	4.18	116
अध्याय V: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन		
प्रस्तावना	5.1	117
सरकारी कम्पनियों/निगमों की परिभाषा	5.2	117
लेखापरीक्षा अधिदेश	5.3	117
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उनका योगदान	5.4	118
सरकारी कम्पनियों और निगमों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा	5.5	118

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका क्र.	पृष्ठ क्र.
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश और बजटीय सहायता	5.6	119
इक्विटी होल्डिंग एवं ऋण	5.6.1	119
सम्पत्तियों की पर्याप्तता	5.6.2	120
केंद्र/राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी, अनुदान पर जानकारी	5.6.3	120
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिफल	5.7	121
पीएसयूज द्वारा अर्जित लाभ	5.7.1	121
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भुगतान किया गया लाभांश	5.7.2	121
ब्याज कवरेज अनुपात	5.8	122
सरकारी कम्पनियों की परिचालन क्षमता	5.9	123
अर्जित लाभ (परिचालन गतिविधियों/अन्य आय से प्रतिवेदित लाभ का विश्लेषण)	5.9.1	123
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	5.9.2	123
निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर वास्तविक प्रतिफल की दर	5.9.3	124
निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल	5.9.4	124
हानि वहन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	5.10	126
वहन की गयी हानियाँ	5.10.1	126
हानि वहन कर रही कंपनियों में निवेश	5.10.2	126
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूँजी का क्षरण	5.10.3	127
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका	5.11	129
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा	5.11.1	129
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	5.11.2	129
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण	5.12	130
समय पर प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता	5.12.1	130
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखें तैयार करने की समयबद्धता	5.12.2	130
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निगरानी- लेखों की लेखापरीक्षा एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा	5.13	131
वित्तीय रिपोर्टिंग रुपरेखा	5.13.1	131
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा	5.13.2	131
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका के परिणाम	5.14	132
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की लेखापरीक्षा	5.14.1	132
सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की पूरक के रूप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ	5.14.2	132
लेखामानकों/भारतीय लेखा मानकों के प्रावधानों का अनुपालन न करना	5.15	134
प्रबंधन पत्र	5.16	136
निष्कर्ष	5.17	136
अनुशंसाएं	5.18	137

विषय सूची		
परिशिष्ट का नाम	परिशिष्ट क्र.	पृष्ठ क्र.
राज्य की रूपरेखा	1.1	139
राज्य शासन के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े	2.1	140
वर्ष 2022-23 के दौरान योजनाओं का विवरण जो 100 प्रतिशत महिला केन्द्रित है	3.1	142
वर्ष 2022-23 के दौरान योजनाओं का विवरण जो 100 प्रतिशत युवा केन्द्रित है	3.2	143
मुख्य नीतिगत पहल/नई योजनाओं का विवरण (प्रत्येक मामले में ₹1 करोड़ या अधिक) जहाँ संपूर्ण अनुदान का उपयोग नहीं हुआ	3.3	144
मामलों का विवरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (₹50 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए	3.4	145
उप शीर्ष की सूची जहाँ कुल बजट प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ (₹10 करोड़ और अधिक)	3.5	146
वर्ष के दौरान अनुदानों की सूची जहाँ वृहद बचत हुई (बचत ₹100 करोड़ से अधिक)	3.6	149
वर्ष के दौरान अनुदानों की सूची जहाँ वृहद बचत हुई (बचत ₹500 करोड़ से अधिक)	3.7	150
माह मार्च के अंत में समर्पण की राशि (₹10 करोड़) अधिक का विवरण	3.8	151
उप शीर्ष जहाँ विनियोग लेखों में विचलन के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है	3.9	153
वर्ष 2000-01 से 2021-22 के लिए प्रावधान के ऊपर आधिक्य व्यय	3.10	155
वर्ष 2022-23 में मुख्य शीर्ष का विवरण जहाँ आधिक्य हुआ	3.11	156
अनुदान जहाँ वर्ष 2022-23 में व्यय सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	3.12	157
31 मार्च 2023 तक की लंबित विस्तृत आकस्मिक देयकों का विवरण	4.1	160
जून 2023 तक स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के खातों का बकाया	4.2	161
चोरी, गबन एवं शासकीय संपत्ति/सामग्री की कमी के कारण शासन को हुयी हानियों के प्रकरणों के संदर्भ में विभागवार/श्रेणीवार विवरण	4.3	162
सरकार को हुए नुकसान का वर्षवार विश्लेषण (31 मार्च 2023 के अंत में वित्तीय कार्यवाही हेतु लंबित मामले)	4.4	163
विभिन्न विभागों में वसूली का विवरण	4.5	164
पीएसयूज जिनके लेखों 30 सितम्बर 2023 की स्थिति में तीन अथवा अधिक वर्षों के लिए बकाया थे, की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणामों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	5.1	165
30 सितम्बर 2023 की स्थिति में पीएसयूज के लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया दर्शाने वाला विवरण पत्रक	5.1(ब)	166
31 मार्च 2023 की स्थिति में राज्य के पीएसयूज से संबंधित पूँजी एवं बकाया ऋण की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	5.2	168
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को परिचालन गतिविधियों/अन्य आय से लाभ की जानकारी	5.3	172

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन के अध्याय-I में राज्य वित्त लेखाओं के आधार और दृष्टिकोण, प्रतिवेदन की संरचना, शासकीय लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख राजकोषीय मापदंडों में रूझान जैसे राजस्व अधिशेष/घाटा, राजकोषीय अधिशेष/घाटा इत्यादि और राजकोषीय सुधार पथ शामिल है।

अध्याय-II एवं III में 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य शासन के क्रमशः वित्त तथा विनियोग लेखों की जाँच में उत्पन्न तथ्यों पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल है। जहाँ भी आवश्यक हुआ, छत्तीसगढ़ शासन से जानकारी प्राप्त की गई है।

अध्याय-IV 'लेखाओं की गुणवत्ता तथा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली' में वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के साथ राज्य शासन के अनुपालन का विहंगावलोकन और स्थिति प्रदान करता है।

अध्याय-V छत्तीसगढ़ राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) के वित्तीय प्रदर्शन तथा पीएसयूज के लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन की जाँच के माध्यम से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका के परिणामों की चर्चा करता है। एक सरकारी कम्पनी अथवा निगम के लेखों के संबंध में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 (यथा संशोधित) की धारा 19 (ए) के प्रावधानों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु, सीएजी द्वारा शासन को प्रस्तुत किया जाता है।

निष्पादन लेखा परीक्षा एवं विभिन्न शासकीय विभागों में अनुपालन लेखापरीक्षा तथा सांविधिक निगमों, मण्डलों और शासकीय कंपनियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न आपत्तियों और राजस्व प्राप्तियों पर आपत्तियों के निष्कर्षों को सम्मिलित करते हुए प्रतिवेदनों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा का संचालन किया गया है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

रिपोर्ट के बारे में

भारत के सीएजी की यह रिपोर्ट वर्ष 2022-23 के लिए राज्य वित्त पर है। यह वित्त, बजटीय प्रबंधन और लेखाओं की गुणवत्ता, वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली और राज्य वित्त से संबंधित अन्य मामलों का अवलोकन प्रदान करता है।

यह कार्यकारी सारांश इस प्रतिवेदन की सामग्री पर प्रकाश डालता है और महत्वपूर्ण आंकड़ों और पहलुओं के स्नैपशॉट के माध्यम से, राजकोषीय स्थिरता, बजट प्रयोजन के विरुद्ध प्रदर्शन, राजस्व और व्यय प्रक्षेपण, विविधताओं के कारण और उसका प्रभाव की जानकारी प्रदान करता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (मौजूदा कीमतों पर) 10.28 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से बढ़कर 2018-19 में ₹3,27,107 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹4,57,608 करोड़ हो गया।

वर्ष 2021-22 में जीएसडीपी में 12.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियाँ 17.86 प्रतिशत की दर से बढ़ीं और जीएसडीपी पर राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत 2021-22 में 19.60 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 20.51 प्रतिशत हो गया। इस अवधि के दौरान कर राजस्व में 17.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 22.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई। छत्तीसगढ़ राज्य का कुल व्यय (राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम) 2021-22 में ₹85,838.04 करोड़ से 14.97 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹98,691.19 हो गया। इसमें से राजस्व व्यय में 2021-22 से 13.70 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। राजस्व आधिक्य ₹4,642.02 करोड़ से बढ़कर ₹8,592.11 करोड़ हो गया, जो 2021-22 की तुलना में 85.09 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है, जबकि राजकोषीय घाटा 2021-22 में ₹6,093.10 करोड़ से घटकर 2022-23 में ₹4,691.21 करोड़ हो गया, जो 23.01 प्रतिशत कम हो गया।

प्राप्ति-व्यय असंतुलन

प्राप्तियों और व्यय के बीच निरंतर असंतुलन बढ़ते राजकोषीय तनाव का संकेत देता है। राज्य के पास प्राप्तियों के विभिन्न स्रोत हैं जैसे राज्य का अपना कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, करों में राज्यों के हिस्से का हस्तांतरण, केंद्र सरकार से सहायता और हस्तांतरण में अनुदान और गैर-ऋण पूँजी प्राप्तियाँ। राज्य शासन के व्यय में राजस्व खाते के साथ-साथ पूँजीगत व्यय (संपत्ति निर्माण, ऋण और अग्रिम, निवेश, आदि) पर व्यय शामिल है।

2018-19 से 2022-23 तक, राजस्व प्राप्तियाँ ₹65,094.93 करोड़ से 10.02 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर ₹93,877.14 करोड़ हो गईं। इस अवधि के दौरान पूँजीगत प्राप्तियाँ ₹14,538.24 करोड़ से घटकर ₹10,761.58 करोड़ हो गईं। राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान की हिस्सेदारी 2018-19 में 19.21 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 14.01 प्रतिशत हो गई, जो भारत सरकार के समर्थन पर कम निर्भरता का संकेत है। राज्य शासन को वर्ष में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹8,712.52 करोड़ प्राप्त हुए।

राजस्व व्यय, सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्व के भुगतान के लिए किया जाता है। 2018-19 और 2022-23 के बीच, राजस्व व्यय ₹64,411.17 करोड़ (जीएसडीपी का 19.69 प्रतिशत) से बढ़कर ₹85,285.03 करोड़ (जीएसडीपी का 18.64 प्रतिशत) हो गया। इस अवधि के दौरान इसने लगातार कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (86.41 प्रतिशत से 89.50 प्रतिशत) बनाया, जो 8.95 प्रतिशत की औसत

वार्षिक दर से बढ़ रहा था।

साधन से अधिक व्यय का परिणाम

राज्य का राजस्व आधिक्य वर्ष 2018-19 में ₹683.76 करोड़ (जीएसडीपी का 0.21 प्रतिशत) से बढ़कर चालू वर्ष में ₹8,592.11 (जीएसडीपी का 1.88 प्रतिशत) हो गया।

राज्य शासन ने पूँजीगत खाते पर ₹13,320.30 करोड़ खर्च किए। यह वर्ष 2022-23 में कुल व्यय का 13.50 प्रतिशत था। वर्ष 2022-23 के दौरान, उधार ली गई धनराशि का 89 प्रतिशत (₹21,972.42 करोड़) का उपयोग पहले के उधार (₹19,448.88 करोड़) के पुनर्भुगतान के लिए किया गया था, जिससे विकास गतिविधियों के लिए उधार ली गई धनराशि का केवल 11 प्रतिशत बचा था। वर्ष 2022-23 के दौरान, यदि उधार के पुनर्भुगतान के बाद उपलब्ध शेष राशि (₹2,523.54 करोड़) का उपयोग ₹6,382.08 करोड़ के ब्याज भुगतान करने के लिए किया जा रहा है, तो पूँजीगत व्यय के लिए कोई उधार ली गई निधि उपलब्ध नहीं होगी।

राज्य के कुल व्यय और कुल गैर-ऋण प्राप्ति के बीच के अंतर के परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा होता है। राज्य का राजकोषीय घाटा वर्ष 2018-19 में ₹8,292.23 करोड़ (जीएसडीपी का 2.54 प्रतिशत) से घटकर वर्ष 2022-23 में ₹4,691.21 करोड़ (जीएसडीपी का 1.03 प्रतिशत) हो गया।

राजस्व व्यय के अंतर्गत प्रतिबद्ध व्यय की मात्रा सबसे बड़ा हिस्सा है। प्रतिबद्ध व्यय का संसाधनों पर पहला भार होता है और इसमें ब्याज भुगतान, वेतन और मजदूरी और पेंशन पर व्यय शामिल होता है। वर्ष 2018-19 (42 प्रतिशत) और 2022-23 (47 प्रतिशत) के दौरान ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय का 42-50 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध व्यय औसतन 15.35 प्रतिशत की दर से बढ़ा यानी वर्ष 2018-19 में ₹26,888.65 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹40,314.09 करोड़ हो गया {2021-22 (₹37,634.24 करोड़) की तुलना में 7.12 प्रतिशत की वृद्धि}।

प्रतिबद्ध व्यय के अलावा, अनम्य व्यय वर्ष 2021-22 में ₹5,381.19 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹7,096.68 करोड़ हो गया, जो 31.88 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है।

कुल मिलाकर, वर्ष 2022-23 में प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय ₹47,410.77 करोड़ था; जो राजस्व व्यय का 56 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति सरकार को अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और पूँजी निर्माण के लिए कम लचीलेपन के साथ छोड़ देती है।

गैर-प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत सब्सिडी

गैर-प्रतिबद्ध व्यय के भीतर, सब्सिडी पर व्यय वर्ष 2021-22 में ₹6,565.30 करोड़ (राजस्व व्यय का 8.75 प्रतिशत) से बढ़कर 2022-23 में ₹8,306.28 करोड़ (राजस्व व्यय का 9.74 प्रतिशत) हो गया। वर्ष 2022-23 के दौरान, ऊर्जा (39.44 प्रतिशत) और खाद्य और नागरिक आपूर्ति (52.64 प्रतिशत) ने कुल सब्सिडी का एक बड़ा हिस्सा बनाया।

ऑफ-बजट उधार

राज्य शासन ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और पैरास्टैटल्स के माध्यम से, ऑफ-बजट उधार के रूप में ₹7,161.32 करोड़ (कुल बजट देनदारियों का 7.04 प्रतिशत) जुटाए; जो राज्य की समेकित निधि में प्रवाहित नहीं हुए, लेकिन बजट के माध्यम से चुकाए जाने और सेवा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

गारंटियों के कारण आकस्मिक देनदारियाँ

वर्ष 2022-23 के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि ₹30,022.50 करोड़ थी। जिसमें से 31 मार्च 2023 तक

₹20,957.51 करोड़ बकाया था।

राज्य शासन ने 11 मई 2022 की अधिसूचना के माध्यम से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को वापस लेने की भी अधिसूचना जारी की थी। ओपीएस के कार्यान्वयन के कारण आसन्न वित्तीय बोज़ पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

राजकोषीय स्थिरता

राजकोषीय स्थिरता की जांच घाटे, ऋण और देनदारियों के स्तर, ऑफ-बजट उधार के कारण प्रतिबद्धताओं, गारंटी, सब्सिडी इत्यादि जैसे मैक्रो-राजकोषीय मानकों के संदर्भ में की जाती है। जहां तक राजस्व और व्यय विसंगति का संबंध है, महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय है, जिसमें वेतन और मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज आदि शामिल हैं और अन्य अनम्य व्यय भी शामिल हैं जैसे कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं, आरक्षित निधि में स्थानांतरण, स्थानीय निकायों को स्थानांतरण आदि के लिए प्रतिबद्धता से उत्पन्न होते हैं।

एफआरबीएम आवश्यकताएँ और राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन

एफआरबीएम अधिनियम/नियम/एमटीएफपीएस कुछ सीमाएं निर्धारित करता है जिसके भीतर, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में ऋण होना चाहिए, और इसी तरह पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में गारंटी के लिए भी सीमाएं निर्धारित करता है। वर्ष 2022-23 में राजस्व आधिक्य 1.88 प्रतिशत था; राजकोषीय घाटा 3.33 प्रतिशत की सीमा के मुकाबले 1.03 प्रतिशत था; कुल देनदारी 26.41 प्रतिशत की सीमा के मुकाबले 20.46 प्रतिशत थी।

इसके अलावा, यदि ऑफ-बजट उधार की मात्रा को ऋण के हिस्से के रूप में शामिल किया जाता है, तो सरकार की कुल देनदारी (लोक ऋण और लोक लेखा देनदारियां शामिल) जीएसडीपी का 22.02 प्रतिशत थी।

ऋण स्थिरीकरण विश्लेषण के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन का लोक ऋण 2018-19 से 2022-23 के दौरान बकाया लोक ऋण का औसतन 17.11 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ा है। छत्तीसगढ़ का लोक ऋण-जीएसडीपी अनुपात 2018-19 में 15.97 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 21.15 प्रतिशत हो गया और फिर 2022-23 में घटकर 16.58 प्रतिशत हो गया। महामारी के बाद लोक ऋण-जीएसडीपी अनुपात में सुधार से पता चलता है कि ऋण की स्थिति खराब नहीं हो रही है, लेकिन यह अभी भी एक सीमा तक नहीं पहुंची है।

वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान ऋण स्थिरता (जी-आर > 0) की स्थिति को संतुष्ट करते हुए प्राथमिक अधिशेष में वृद्धि के साथ डोमर गैप सकारात्मक हो गया। कोविड वर्षों (2019-20 और 2020-21) के दौरान डोमर गैप (जी-आर) नकारात्मक था। हालांकि, कोविड के बाद के वर्षों में, जीएसडीपी में उच्च वृद्धि के कारण डोमर गैप सकारात्मक हो गया। कोविड के बाद के वर्षों में उच्च विकास दर के कारण सकारात्मक डोमर गैप को पिछले वर्ष में तुलना के लिए कम आधार के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। राज्य की ऋण स्थिरता/स्थायित्व का आकलन करने में डोमर गैप को लोक लेखे की देनदारियों (₹17,745.64 करोड़), ऑफ-बजट उधार (₹7,161.32 करोड़) जैसे अन्य कारकों के साथ भी देखा जाना चाहिए। इसके अलावा, पिछले दो वर्षों में लोक ऋण पुनर्भुगतान और लोक ऋण प्राप्ति अनुपात में लगातार वृद्धि हुई है, जो बताता है कि आर्थिक विकास ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है।

जैसा कि ऊपर की गई विश्लेषण और परिणामों के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य की वित्तीय स्थिति देनदारियों (ऋण, गारंटी, ऑफ-बजट उधार इत्यादि) की बढ़ती प्रवृत्ति से चिह्नित है, हालांकि, राजकोषीय घाटा, ऋण-जीएसडीपी अनुपात और गारंटी जैसे राजकोषीय पैरामीटर निर्धारित लक्ष्य के भीतर हैं।

बजट प्रदर्शन

कुल व्यय परिणाम

बजटीय मंशा और बजट कार्यान्वयन के संदर्भ में बजट निष्पादन की जांच यह आकलन करने के लिए की जाती है कि कुल व्यय परिणाम किस हद तक आधिक्य और बचत दोनों के संदर्भ में मूल रूप से अनुमोदित राशि को दर्शाता है। राजस्व अनुभाग में, बजट अनुमान (बीई) की तुलना में परिणाम में विचलन (-)3.67 प्रतिशत था। यह 39 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के बीच, 19 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत, छह अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच और एक अनुदान में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के बीच विचलन के कारण था। पूँजीगत अनुभाग में, बजट अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन 5.00 प्रतिशत था। यह 21 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के बीच, 18 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के बीच, 23 अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच और तीन अनुदानों में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के बीच विचलन के कारण था। हालांकि, पूँजीगत अनुभाग के एक अनुदान के संबंध में कोई मूल बजट प्रावधान नहीं किया गया था।

व्यय संरचना परिणाम

बजट निष्पादन इस बात को भी देखता है कि किस हद तक निष्पादन के दौरान पुनः आवंटन मुख्य बजट श्रेणियों कि व्यय संरचना के विचरण में योगदान दिया है। यह माप अंतिम बजट और वास्तविक व्यय के बीच भिन्नता की सीमा को इंगित करता है। राजस्व व्यय खंड में, संशोधित अनुमान की तुलना में विचलन (-)8.79 प्रतिशत था। यह 37 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के बीच, 16 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत, 12 अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था। राजस्व अनुभाग के छह अनुदानों (अनुदान संख्या 42, 57, 68, 75, 76 और एक विनियोग-लोक ऋण) में कोई राजस्व प्रावधान नहीं किया गया था। पूँजीगत व्यय खंड में, संशोधित अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-)11.50 प्रतिशत था। यह 23 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के बीच, 11 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत, 32 अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था। हालांकि, पूँजीगत अनुभाग के पांच अनुदानों (अनुदान संख्या 22, 35, 49, 50 और एक विनियोग-ब्याज भुगतान) के संबंध में कोई पूंजी प्रावधान नहीं किया गया था।

यह देखा गया कि वर्ष 2022-23 के दौरान ₹11,445.78 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ, क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं आया।

समग्र बजट विश्वसनीयता मूल्यांकन इंगित करता है कि हालांकि विचलन वास्तविक व्यय और मूल बजट के साथ-साथ वास्तविक व्यय और अंतिम बजट के बीच दो प्रतिशत से भी कम था, विभिन्न अनुदानों में 25 प्रतिशत और अधिक विचलन था। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि ऐसे अनुपूरक प्रावधान भी थे जहां व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं आया। एक विश्वसनीय बजट प्राणाली को इस तरह के विचलन से निपटने की आवश्यकता होनी चाहिए।

अनुदानों/विनियोगों से अधिकता का नियमितीकरण

राज्य सरकार के लिए संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 (1)(ख) के अनुसार यह अनिवार्य है कि वह अनुदान/विनियोग से अधिक व्यय को विधान सभा में प्रस्तुत करके नियमित करवाए। यह देखा गया कि वर्ष 2022-23 में एक अनुदान और दो विनियोगों के तहत ₹3,630.60 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ था जिसे

नियमित करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा, वर्ष 2000-01 से 2021-22 के प्रावधान से ₹17,436.39 करोड़ के अतिरिक्त संवितरण को अभी तक नियमित नहीं किया गया है।

लेखाओं की गुणवत्ता तथा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली

लेखाओं की गुणवत्ता तथा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली में वित्तीय लेखों, लेन-देन और उन घटनाओं को शामिल किया जाता है जो अनुपालन में कमी, कमजोर विनियमन और वास्तविक व्यय को साबित करने वाले लेखांकन विवरण या समायोजन विवरण के विलम्ब से मिलने से संबंधित समस्याओं को कवर करता है। यह लेखाओं और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित समस्याओं जैसे देयताओं का कम या अधिक भुगतान, लेन-देन का गलत वर्गीकरण एवं सूचनाओं की कमी को भी उजागर करता है।

उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति

मौजूदा प्रावधान के अनुसार सभी बकाया यूसी, मार्च 2023 तक जमा कर दिए गए थे। इसलिए, 31 मार्च 2023 को बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति शून्य है।

लेखा परीक्षण के दौरान पाया गया कि ऊर्जा विभाग ने 2021-22 में छत्तीसगढ़ नवीकरणीय ऊर्जा प्राधिकरण (क्रेडा) को ₹496.73 करोड़ जारी किए तथा ऊर्जा विभाग द्वारा ₹496.73 करोड़ के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र अगस्त 2022 में प्रधान महालेखाकार को प्रस्तुत किए गए। हालांकि, यह पाया गया कि क्रेडा द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रस्तुति के बाद के महीनों में (अक्टूबर 2022 तक) ₹24.37 करोड़ की राशि का उपयोग किया गया।

संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक देयक

अग्रिम राशि निकासी के लिए उपयोग किये गए संक्षिप्त आकस्मिक देयकों (एसी) के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक देयक (डीसी) प्रस्तुत करने की अनिवार्यता होने के बावजूद 31 मार्च 2023 को ₹306.67 करोड़ की राशि के 471 एसी देयक, डीसी देयक प्रस्तुति के लिए लंबित थे, जिसमें से ₹108.71 करोड़ के 202 एसी देयक 2021-22 से पूर्व की अवधि के थे।

मिलान

नियमानुसार, सभी विभागों को चाहिए की वो अपने व्यय और जमा का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखा में दर्ज किये गए व्यय से कर लें। राज्य शासन ने कुल व्यय का 13.30 फीसदी और जमा का 13.86 फीसदी का मिलान नहीं किया।

लघु शीर्ष 800 के तहत वर्गीकरण

यह पाया गया कि ₹7,715.17 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्ति का 8.22 फीसदी) की प्राप्तियों को मुख्य शीर्ष 44 के अंतर्गत लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' में वर्गीकृत किया गया। इसी प्रकार, 2022-23 के दौरान ₹539.21 करोड़ (कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय के 0.55 फीसदी) के व्यय को मुख्य शीर्ष 26 के अंतर्गत लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' में वर्गीकृत किया गया।

भारतीय सरकारी लेखांकन मानकों (आईजीएएस) का अनुपालन

भारतीय सरकारी लेखांकन मानकों (आईजीएएस) की आवश्यकताओं के विपरीत, राज्य सरकार ने आईजीएएस-1: सरकार द्वारा दी गई गारंटी - प्रकटीकरण आवश्यकताएँ, आईजीएएस-2: अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण करना और आईजीएएस-3: सरकार द्वारा किए गए ऋण और अग्रिम, का पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया।

व्यक्तिगत जमा खातों का परिचालन

छत्तीसगढ़ कोषालय सहिता के अनुसार, ऐसे व्यक्तिगत जमा खाते जो लगातार तीन वर्ष से असंचालित हैं, उन्हें व्यक्तिगत जमा खाते के प्रशासक को सूचना देकर कोषालय अधिकारी द्वारा बंद कर दिया जाना चाहिए। अधिकृत अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी एक व्यक्तिगत जमा खाता बंद नहीं हुआ और ₹0.35 करोड़ की शेष राशि को संचित निधि में स्थानांतरित नहीं किया गया। इसके अलावा, 31 मार्च 2023 को, 131 व्यक्तिगत जमा खाते मौजूद थे और इन खातों में शेष राशि ₹1,364.20 करोड़ थी।

एकल नोडल एजेंसी में राशि

भारत सरकार और राज्य सरकार ने प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के कार्यान्वयन और निधि प्रवाह के लिए एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) की प्रणाली शुरू की है। भारत सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा सरकारी खाते के बाहर एसएनए के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाता है। 31 मार्च 2023 तक, राज्य शासन ने ₹7,302.41 करोड़ का केंद्रीय हिस्सा और ₹6,431.54 करोड़ का राज्य हिस्सा एसएनए को हस्तांतरित कर दिया। वित्त खाते के अनुसार, वर्ष के दौरान राज्य शासन को केंद्रांश के रूप में ₹8,709.39 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। 31 मार्च 2023 तक, सरकार ने केंद्रीय हिस्सेदारी का ₹7,820.21 करोड़ और राज्य का हिस्सा ₹6,942.22 करोड़ एसएनए को हस्तांतरित कर दिया। पीएफएमएस पोर्टल की एसएनए रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक एसएनए के बैंक खातों में ₹7,244.42 करोड़ रुपये बिना खर्च किए पड़े थे।

प्रचलित नियमों और सहिता प्रावधानों का अनुपालन लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग में जवाबदेही और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए होता है। गैर-अनुपालन और विचलन लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित करता है। संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक देयक जमा न किया जाना; भारतीय सरकारी लेखांकन मानकों का गैर-अनुपालन; एवं एकल नोडल खातों से व्यय की जानकारी की गैर-आपूर्ति से लेखाओं की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली

31 मार्च 2023 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 28 उपक्रम (पीएसयू) जिनमें एक सांविधिक निगम भी शामिल था, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्तीय विवरण जमा करने के संबंध में निर्धारित समय-सीमा का, 25 पीएसयू जिनके 47 लेखें बकाया थे, द्वारा पालन नहीं किया गया। 10 कार्यरत एसपीएसयू द्वारा अर्जित ₹879.22 करोड़ के कुल लाभ में से 85.47 प्रतिशत का योगदान केवल तीन पीएसयू द्वारा किया गया था। सात कार्यरत एसपीएसयू द्वारा वहन की गयी कुल हानि ₹1,143.10 करोड़ में से, ₹1,132.72 करोड़ की हानि का वहन केवल एक पीएसयू सीएसपीडीसीएल द्वारा किया गया था। अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के दौरान 21 वित्तीय विवरण प्राप्त हुए, जिनमें से 14 की समीक्षा की गई और सभी 14 वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ जारी की गईं।

राज्य शासन एसपीएसयू के प्रबंधन पर अपने वित्तीय विवरण समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए दबाव डाल सकती है। अंतिम लेखों के अभाव में, ऐसे एसपीएसयू में सरकारी निवेश राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहता है। राज्य सरकार हानि में चल रहे एसपीएसयू में, हानि के कारणों का भी विश्लेषण कर सकती है और उनके संचालन को कुशल और लाभदायक बनाने के लिए कदम उठा सकती है।

अध्याय I

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

1.1 राज्य का पार्श्व दृश्य

छत्तीसगढ़ भारत के मध्य भाग में स्थित है और 1,35,192 वर्ग कि.मी (भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 4.11 प्रतिशत) में फैला हुआ है। नवम्बर 2000 में संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य को विभाजित करके राज्य बनाया गया है। राज्य में 33 जिले¹ हैं एवं और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भारत और राज्यों के जनसंख्या अनुमान 2011–2036 के अनुसार यह 3.02 करोड़ आबादी का घर है। राज्य की अनुमानित जनसंख्या वर्ष 2013 में 2.64 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023 में 3.02 करोड़ हो गई, जो 14.51 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर्ज करती है। राज्य से सम्बन्धित सामान्य एवं वित्तीय आंकड़े परिशिष्ट 1.1 में दर्शाया गया है।

1.1.1 राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं सकल राज्य मूल्य वर्धित

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) निश्चित समयावधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का बढ़ना राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि यह निश्चित समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है।

सकल राज्य मूल्य वर्धित (जीएसवीए) आउटपुट का मूल्य घटाकर उसके मध्यस्थ इनपुट का मूल्य है।

छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित मूल्यों) तथा भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति तालिका 1.1 में दर्शायी गई है।

तालिका 1.1: सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति

	(₹ करोड़ में)				
वर्ष	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23
भारत					
सकल घरेलू उत्पाद	1,88,99,668	2,01,03,593	1,98,29,927	2,34,71,012	2,72,40,712
सकल मूल्य वर्धित	1,71,75,128	1,83,81,117	1,81,88,780	2,14,38,883	2,47,42,871
पिछले वर्ष की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.59	6.37	(-)-1.36	18.36	16.06
पिछले वर्ष की तुलना में सकल मूल्य वर्धित की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.77	7.02	1.05	17.87	15.41
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (₹ में)	1,42,424	1,49,915	1,46,301	1,71,498	1,96,983
राज्य					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3,27,107	3,44,648	3,47,752 ^{प्र}	4,06,416 ^{त्}	4,57,608 ^अ
सकल राज्य मूल्य वर्धित	3,01,106	3,24,951	3,31,957 ^{प्र}	3,85,436 ^{त्}	4,34,216 ^अ
पिछले वर्ष की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	15.69	5.36	0.90	16.87	12.60
पिछले वर्ष की तुलना में सकल राज्य मूल्य वर्धित की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	15.93	7.92	2.16	16.11	12.66
प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ में)	1,13,413	1,19,058	1,18,553 ^{प्र}	1,36,873 ^{त्}	1,52,348 ^अ

(स्रोत: एमओएसपीआई प्रेस नोट दिनांक 31 मई 2023 तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़)

अ-अग्रिम अनुमान त्व-त्वरित अनुमान प्रा-प्रावधिक अनुमान

¹ 31 मार्च 2023 तक

प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) ₹4,57,608 करोड़ था और प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद ₹2,72,40,712 करोड़ था। इसके अलावा, वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी ₹1,52,348 थी जबकि देश की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी ₹1,96,983 थी। वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी में वृद्धि (34.33 प्रतिशत) इसी अवधि के दौरान देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि (38.31 प्रतिशत) से कम थी।


सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) का उपयोग भारत सरकार और आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आर्थिक विश्लेषण के लिए किया जा रहा है क्योंकि जीवीए को जीडीपी की तुलना में आर्थिक विकास का बेहतर संकेतक माना जाता है, क्योंकि यह करों और सब्सिडी के प्रभाव को नजरअंदाज करता है। जबकि जीडीपी की गणना निजी उपभोग व्यय, सरकारी उपभोग व्यय और सकल निश्चित पूंजी निर्माण या निवेश व्यय सहित अर्थव्यवस्था में किए गए विभिन्न व्ययों के योग के रूप में की जा सकती है, जो अनिवार्य रूप से अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति को दर्शाती है। दोनों उपायों में शुद्ध करों के उपचार में अंतर है जिसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में करों का समावेश वास्तविक उत्पादन स्थिति से भिन्न हो सकता है। नीति निर्माता के दृष्टिकोण से, बेहतर विश्लेषण और नीतिगत हस्तक्षेप के लिए जीवीए और जीएसवीए डेटा की तुलना करना महत्वपूर्ण है।

जीएसवीए की वृद्धि दर 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान जीवीए की वृद्धि दर से अधिक थी, लेकिन यह 2021-22 से 2022-23 की अवधि के दौरान जीवीए की विकास दर के साथ तालमेल रखने में सक्षम नहीं थी।

वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए जीएसडीपी और जीएसवीए के रुझान नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाए गए हैं:

चार्ट 1.1: जीएसडीपी बनाम जीएसवीए की वृद्धि दर (2018-19 से 2022-23)

(प्रतिशत में)




स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण (2022-23) आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए जीएसडीपी के क्षेत्रीय योगदान में बदलाव भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि को आम तौर पर प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं।

राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में वर्ष दर वर्ष परिवर्तन चार्ट 1.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अंतर्गत क्षेत्रीय विकास



स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

चार्ट 1.2 जीएसडीपी की क्षेत्रीय विकास दर को दर्शाता है जो वर्ष 2018-23 की पांच साल की अवधि में सभी तीन क्षेत्रों की विकास दर में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2022-23 में उद्योग और सेवाओं की विकास दर में कमी आई जबकि कृषि क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में मामूली वृद्धि हुई।

1.2 राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के संदर्भ में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी) का प्रतिवेदन राज्य के लेखाओं से सम्बन्धित होता है, राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, जो उन्हें राज्य के विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ की राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिये भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार की गई है।

प्रतिवर्ष प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कोषालय, राज्य शासन के नियंत्रण में कार्यरत कार्यालय और विभाग जो ऐसे लेखों को रखने के लिये उत्तरदायी है द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाणकों, चालान, एवं प्रारंभिक तथा सहायक लेखों, तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से राज्य के वित्त लेखों तथा विनियोग लेखों तैयार करते हैं। इन लेखों का लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा किया जाता है, तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

वर्ष 2022-23 के लिये राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन का मुख्य आंकड़ा होता है। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल है :

- राज्य का बजट, राजकोषीय मापदंडों एवं आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं की तुलना में अनुमानों का आकलन करने के लिये तथा संबंधित नियमों और निर्धारित नियमों के साथ इसके क्रियान्वयन एवं अनुपालन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन के लिये आंकड़ा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनता है ;
- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़ द्वारा किये गये लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकरणों और कोषालय से अन्य आंकड़ा (लेखाकंन साथ ही एम.आई.एस);
- संचालनालय, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग, छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित आंकड़े; और
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

यह विश्लेषण पंद्रहवें वित्त आयोग, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, राज्य के बजट दस्तावेजों और भारत सरकार के दिशा निर्देशों की अनुशंसा के संदर्भ में किया गया है।

1.3 शासकीय लेखों की संरचना का विहगावलोकन

शासकीय लेखे को तीन भागों में रखा जाता है :

1. राज्य का समेकित निधि {भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(1)}

इस निधि के अन्तर्गत राज्य शासन को प्राप्त समस्त राजस्व, राज्य शासन द्वारा लिए गए समस्त ऋण (बाजार ऋण, बॉन्ड, केन्द्र शासन से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति, इत्यादि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये अर्थोपाय अग्रिम तथा शासन द्वारा दिये गये ऋण के पुनर्भुगतान से प्राप्त समस्त राशि सम्मिलित है। इस निधि से विधि के अनुसार और भारत के संविधान में उपबंधित प्रयोजनों के लिए और प्रदत्त तरीके के अलावा कोई भी धनराशि विनियोजित नहीं की जा सकती है। व्यय की कुछ श्रेणियों (जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण अदायगी आदि), राज्य के समेकित निधि (प्रभारित व्यय) एवं इसके लिए राज्य विधानसभा में मतदान की आवश्यकता नहीं है। अन्य सभी व्ययों (मतदेय व्यय) के लिए मतदान किया जाता है।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि {भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267(2)}

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है, जो कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधि से स्थापित एवं राज्यपाल के नियंत्रण में, विधानसभा के अनुमोदन के लंबित रहते आकस्मिक व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करती है। यह राशि समेकित निधि से संबंधित मुख्य शीर्षों को नामे (डेबिट) कर प्रतिपूर्ति की जाती है।

3. राज्य का लोक लेखा {भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(2)}

उपरोक्त के अतिरिक्त, शासन द्वारा या शासन के पक्ष में प्राप्त लोक धन राशि, जहाँ शासन एक बैंक या न्यासी की भूमिका निभाती है, लोक लेखा में जमा की जाती है। लोक लेखा के अन्तर्गत प्रतिदेय जैसे अल्प बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज सहित तथा ब्याज रहित), अग्रिमों, आरक्षित निधि (ब्याज सहित तथा ब्याज रहित), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (जो कि अंतिम लेखांकन के लंबित रहने तक पारगमन शीर्ष हैं) सम्मिलित है। शासन के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी लोक लेखा के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है। लोक लेखे विधानसभा के मतदान के अधीन नहीं है।

बजट दस्तावेज़

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में शासन की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण राज्य के विधानसभा के सदन या सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना एक भारतीय संवैधानिक आवश्यकता है (अनुच्छेद 202)। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट दस्तावेज का गठन करता है। इसके अलावा, बजट राजस्व लेखे में किये गये व्यय अन्य व्यय से भिन्नता होनी चाहिए।

राजस्व लेखा प्राप्तियों में कर राजस्व (स्वयं के कर राजस्व तथा संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा), करेत्तर राजस्व तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है।

राजस्व लेखा व्यय में वे समस्त व्यय शामिल हैं जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसम्पत्तियों का निर्माण नहीं होता। यह सरकारी विभागों को सामान्य काम-काज और विभिन्न सेवाओं, शासन द्वारा किए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और विभिन्न संस्थानों को दिए अनुदान (यद्यपि कुछ अनुदान सम्पत्ति के निर्माण से संबन्धित हो सकते हैं) आदि व्ययों से संबन्धित है।

पूँजीगत लेखा प्राप्तियों में शामिल हैं:

ऋण प्राप्तियाँ : बाजार ऋणों, बॉन्ड, वित्तीय संस्थाओं से ऋणों, निवल आर्थोपॉय अग्रिमों, केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों, इत्यादि:

गैर ऋण प्राप्तियाँ : विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ

पूँजीगत व्यय में भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरणों, शेयरों में निवेश और शासन द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संस्थाओं को दिये गये ऋण एवं अग्रिमों शामिल है ।


शासकीय लेखों के वर्गीकरण प्रणाली कार्यात्मक और आर्थिक भी है ।

	कार्यक्रम विवरण	वर्गीकरण
महालेखा नियंत्रक द्वारा लेखों के मुख्य एवं लघु शीर्ष के सूची में दर्शाये गये अनुसार	कार्य-शिक्षा, स्वास्थ्य आदि / विभाग	अनुदानों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (चार अंक)
	उप-कार्य	उप-मुख्य शीर्ष (दो अंक)
	कार्यक्रम	लघु-शीर्ष (तीन अंक)
राज्यों के लिये	योजना	उप- शीर्ष (दो अंक)
	उप-योजना	विस्तृत शीर्ष (दो अंक)
	आर्थिक प्रकृति / गतिविधियाँ	उद्देश्य शीर्ष – वेतन, लघु निर्माण, आदि (दो अंक)

कार्यात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत प्राप्तियाँ तथा व्यय की आर्थिक श्रेणियों के अनुसार व्यवस्थापन करना, शासकीय लेनदेन को राजस्व एवं पूँजीगत (लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिमों सहित) अनुभागों में अंतर करना, अन्य राजस्व एवं सहायता अनुदान से कर राजस्व जैसे क्षेत्र, आय एवं व्यय पर कर, राजकोषीय सेवाओं आदि उप-क्षेत्र शामिल है। व्यय के पक्ष में लेन-देन भी क्षेत्र अनुसार वर्गीकृत किया गया है जैसे सामान्य सेवायें, आर्थिक सेवायें, सामाजिक सेवायें तथा सहायता अनुदानों तथा योगदानों एवं इन क्षेत्रों के नीचे मुख्य शीर्षों में उप-वर्गीकृत किया गया। समेकित निधि के अंतर्गत विहित लेखों का मुख्य शीर्षों साधारणतः शासन के कार्यों को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि 'शिक्षा', जबकि मुख्य शीर्षों के अधीनस्थ लघु शीर्षों द्वारा प्रस्तुत कार्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए 'कार्यक्रम' की पहचान करते हैं। एक कार्यक्रम के अंतर्गत कई योजनाओं या गतिविधियों शामिल हो सकती है और यह आमतौर पर लघु शीर्षों के नीचे उप शीर्ष के अनुरूप होते हैं। उप-शीर्ष के नीचे 'विस्तृत शीर्ष' मुख्य रूप से व्यय पर मदवार नियंत्रण के लिये अभिप्रेत है और वेतन, कार्यालय व्यय, अनुदान आदि के संदर्भ में किसी योजना या गतिविधि पर व्यय की वस्तु या प्रकृति को इंगित करता है ।

शासकीय लेखों की संरचना का सचित्र चित्रण चार्ट 1.4 में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 1.4: शासकीय लेखों की संरचना का सचित्र चित्रण



स्रोत : वित्त लेखे

लोक ऋण और लोक लेखा दायित्व: इस रिपोर्ट में, 'लोक ऋण' में बाजार उधार, संस्थागत ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष(एनएसएसएफ) को जारी विशेष प्रतिभूतियां, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण आदि को शामिल किया गया है। इस उद्देश्य के लिए, प्रमुख शीर्ष 6003 और 6004 – लोक ऋण को ध्यान में रखा गया है।

इसके अलावा, लोक लेखा के तहत 'लघु बचत, भविष्य निधि, आदि', 'आरक्षित निधि' और 'जमा और अग्रिम' से संबंधित लेनदेन ऐसे होते हैं कि सरकार प्राप्त धन को चुकाने के लिए बाध्य होती है या भुगतान की गई राशि की वसूली का दावा करती है। भुगतान की गई राशि सार्वजनिक खाते के अंतर्गत 'प्रेषण' और 'सस्पेंस' से संबंधित लेन-देन में कोषागारों और मुद्रा चेस्टों के बीच नकदी के प्रेषण और विभिन्न लेखांकन सर्किलों के बीच हस्तांतरण जैसे लेनदेन जैसे समायोजन प्रमुख शामिल हैं।

इस रिपोर्ट में, 'लोक लेखा दायित्व' को 'लघु बचत, भविष्य निधि, आदि', 'आरक्षित निधि' और 'जमा' के तहत लेनदेन के साथ-साथ प्रमुख शीर्ष 6003 और 6004 के तहत लेनदेन को शामिल करने के लिए लिया गया है।

1.4 बजटीय प्रक्रियायें

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिये राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक कथन **वार्षिक वित्तीय विवरण** के रूप में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 203 के अनुसार, उपरोक्त को अनुदान/विनियोजन के लिये 71 मांग अनुदानों/विनियोजन के रूप में राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत किया गया था और

इनकी स्वीकृति के बाद आवश्यक धन समेकित निधि से विनियोग को प्रदान करने के लिये अनुच्छेद 204 के तहत विनियोग विधेयक को पारित किया गया था। राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने के लिये वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे का कोर डाटा शामिल किया गया। यह लेखे वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय पर आधारित है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निष्पादित विभिन्न अंतर्शासकीय और अन्य समायोजन शामिल हैं।

मध्य प्रदेश बजट नियमावली (जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपनाया गया है) सुत्रीकरण प्रक्रिया का विवरण देता है और राज्य शासन को अपने बजटीय अनुमानों को तैयार करने और इसकी व्यय गतिविधियों की निगरानी करने के लिये मार्गदर्शन करता है।

1.4.1 वित्त का आशुचित्र

निम्नलिखित तालिका वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों के सापेक्ष में वास्तविक वित्तीय परिणामों और वर्ष 2021-22 के वास्तविक परिणामों का विवरण प्रदान करती है:

तालिका 1.2: वित्त का आशुचित्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	वर्ष 2021-22 (वास्तविक)	वर्ष 2022-23 (बजट अनुमान)	वर्ष 2022-23 (वास्तविक)	वास्तविक आंकड़े बजट अनुमान का प्रतिशत	वास्तविक आंकड़े स. रा.घ.उ का प्रतिशत
1	कर राजस्व	55,654.52	56,823.25	65,480.57	115.24	14.31
(i)	स्वयं के कर राजस्व	27,083.73	29,000.00	33,122.31	114.21	7.24
(ii)	संघीय करों/शुल्कों के अंश	28,570.79	27,823.25	32,358.26	116.30	7.07
2	करेत्तर राजस्व	13,851.21	15,500.00	15,248.24	98.38	3.33
3	सहायता अनुदान एवं अंशदान	10,146.30	16,750.00	13,148.33	78.50	2.87
4	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	79,652.03	89,073.25	93,877.14	105.39	20.51
5	अंतर्राज्यीय परिशोधन सहित ऋण एवं अग्रिमों की वापसी	88.02	327.00	117.24	35.85	0.03
6	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	4.89	0.00	5.60	0.00	0.00
7	लोक ऋण प्राप्तियाँ	15,098.28	16,511.90	10,638.74	64.43	2.32
8	पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)	15,191.19	16,838.90	10,761.58	63.91	2.35
9	कुल प्राप्तियाँ (4+8)	94,843.22	1,05,912.15	1,04,638.72	98.80	22.87
10	राजस्व व्यय	75,010.01	88,371.61	85,285.03	98.51	18.64
11	ब्याज भुगतान	6,144.24	7,222.05	6,382.08	88.37	1.39
12	पूँजीगत व्यय	10,504.22	15,240.69	13,320.30	87.40	2.91
13	अंतर्राज्यीय परिशोधन सहित ऋण एवं अग्रिमों	328.81	387.73	85.86	22.14	0.02
14	कुल व्यय (10+12+13)	85,838.04	1,04,000.03	98,691.19	94.40	21.57
15	राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-) (4-10)	(+)4,642.02	(+)7,01.64	(+)8,592.11	1224.58	1.88
16	राजकोषीय घाटा {(4+5+6)-14}	(-)6,093.10	(-)14,599.78	(-)4,691.21	32.13	1.03
17	प्राथमिक आधिक्य (+)/घाटा (-) (16-11)	(+)51.14	(-)7,377.73	(+)1,690.87	22.92	0.37

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट बुक 2022-23

अधिक कर राजस्व प्राप्तियाँ जुटाने और बजट की तुलना में कम राजस्व व्यय के कारण राजस्व आधिक्य अनुमान से अधिक रहा। बजट में अनुमान से अधिक राजस्व आधिक्य और कम पूँजीगत व्यय के कारण राजकोषीय घाटा अनुमान से कम रहा।

1.4.2 शासकीय परिसंपत्तियाँ एवं दायित्वों का आशुचित्र

शासकीय लेखे शासन की वित्तीय दायित्वों और किये गये व्यय से सृजित परिसंपत्तियाँ को समाहित करते हैं। दायित्वों में मुख्य रूप से आंतरिक ऋण और भारत सरकार से अग्रिम, लोक लेखों से प्राप्तियाँ और संपत्ति में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय और राज्य शासन द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिम एवं रोकड़ शेष शामिल हैं।

तालिका 1.3: दायित्वों और परिसंपत्तियों की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	दायित्वों	परिसंपत्तियाँ						
		2021-22	2022-23	वृद्धि(+)/कमी (-) की प्रतिशतता	2021-22	2022-23	वृद्धि/कमी (-) की प्रतिशतता	
1	आंतरिक ऋण	71,186.62	68,754.82	(-)3.42	कुल पूँजीगत परिव्यय	1,12,412.50	1,25,727.20	(+)11.84
2	केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिमों	11,726.15	15,195.95 ²	(+)29.59	ऋण और अग्रिमों	1,409.86	1,378.31	(-)2.24
3	आकस्मिकता निधि (कोपर्स)	100.00	100.00	0.00	आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूरित)	0.00	0.00	0.00
4	अल्प बचत, भविष्य निधियाँ इत्यादि	8,020.50	9,326.98	(+)16.29	अग्रिम	7.34	7.00	(-)4.63
5	जमा	5,786.49	6,146.92	(+)6.23	प्रेषण	336.22	298.66	(-)11.17
6	आरक्षित निधि	9,627.40	9,606.04	(-)0.22	उच्चत तथा विविध शेष	0.00	0.00	0.00
7	उच्चत तथा विविध शेष	142.70	238.80	(+)67.34	रोकड़ शेष ³	9,921.62	8,047.97	(-)18.88
8	प्रेषण	0.00	0.00	0.00	कुल (1 से 7)	1,24,087.54	1,35,459.14	(+)9.16
					शासकीय लेखों पर घाटा	17,497.68	26,089.61	(+)49.10
कुल (1 से 8)		1,00,072.48	1,06,589.86	(+)2.61	कुल (8 से 9)	1,00,072.48	1,09,369.53	(+)2.61

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट बुक

1.5 राजकोषीय संतुलन: घाटे एवं कुल ऋण के लक्ष्य एवं उपलब्धि

घाटा, शासन के विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधक का एक संकेतक है। इसके अतिरिक्त, जिन तरीकों से घाटे को कम किया जाता है और उठाए गए संसाधनों को लागू किया जाता है, वे इसके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण संकेत हैं। यह खंड वित्त वर्ष 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005/नियमों/राजकोषीय नीति वक्तव्य के तहत निर्धारित राजस्व और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों के आकलन के साथ-साथ प्रवृत्तियों, प्रकृति, परिमाण इन घाटे के वित्तपोषण के तरीके और वित्तीय स्तरों के मूल्यांकन को भी प्रस्तुत करता है।

² इसमें जीएसटी मुआवजे की कमी के एवज में ₹8,074.15 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण शामिल है। इस ऋण की ऋण पुनर्भगतान जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में उपकर के संग्रह से की जाएगी।

³ निर्धारित निधि में निवेश सहित

1.5.1 राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम का अनुपालन

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 (सितंबर 2011, 2016 और मार्च 2021 में संशोधित) राजस्व घाटे के प्रगतिशील उन्मूलन, राजकोषीय प्रचालनों में अधिक पारदर्शिता एवं मध्यावधि राजकोषीय ढांचे में राजकोषीय नीति के संचालन के माध्यम से राजकोषीय प्रबंधन तथा राजकोषीय स्थिरता में दक्षता सुनिश्चित करने हेतु लागू किया गया।

सीजीएफआरबीएम अधिनियम 2005 के अनुसार, राज्य शासन को 31 मार्च 2009 के अंत तक राजस्व घाटे को समाप्त करना और राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक लाना था। बजट 2022-23 के साथ प्रस्तुत मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति वक्तव्य के अनुसार राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 2022-23 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.33 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। 2022-23 के दौरान जीएसडीपी का 1.03 प्रतिशत राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम/ एमटीएफपीएस में निर्धारित लक्ष्य के भीतर था।

सीजीएफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित प्रमुख राजकोषीय समेकन, राजकोषीय नीति वक्तव्यों में अधिनियम के तहत किए गए खुलासे और 2018-23 के दौरान उनकी उपलब्धि तालिका 1.4 में दी गई है।

तालिका 1.4: मुख्य राजकोषीय अवयव 2018-23⁴

क्र. सं.	राजकोषीय मापदंडों	अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धियाँ (₹ करोड़ में)				
			2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-)	राजस्व आधिक्य	(+)683.76	(-)9,608.61	(-)6,856.66	(+)4,642.02	(+)8,592.11
			हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ
2	राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य(+) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत)	2018-19 के लिये स.रा.घ. उ. का 3.50 प्रतिशत,	(-)8,292.23 (2.54 प्रतिशत)	(-)17,969.55 (5.21 प्रतिशत)	(-)15,822.38 (4.55 प्रतिशत)	(-)6,093.10 (1.50 प्रतिशत)	(-)4,691.21 (1.03 प्रतिशत)
		2019-21 के लिये स.रा.घ. उ. का 5 प्रतिशत एवं 2021-22 के लिये स.रा.घ. उ. का 4.56 प्रतिशत एवं 2022-23 के लिये स.रा.घ. उ. का 3.33 प्रतिशत	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के रूप में कुल बकाया देयताए का अनुपात (प्रतिशत में)	2018-19 के लिये 18.06%	20.41 प्रतिशत	22.84 प्रतिशत	25.75 ⁵ प्रतिशत	22.42 ⁶ प्रतिशत	20.46 ⁷ प्रतिशत
		2019-20 के लिये 21.23% 2020-21 के लिये 21.59% 2021-22 के लिये 28.34% 2022-23 के लिये 26.41%	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ

स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे

राज्य वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व आधिक्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य का राजस्व आधिक्य ₹8,592.11 करोड़ था, जबकि वर्ष 2021-22 में ₹4,642.02 करोड़ था। राजस्व आधिक्य में वृद्धि मुख्य रूप से राजस्व व्यय में ₹10,275.02 करोड़ (13.70 प्रतिशत) की वृद्धि के बावजूद 2021-22 की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में ₹14,225.11 करोड़ (17.86 प्रतिशत) की वृद्धि के

⁴ जीएसडीपी के संबंध में पूर्व की रिपोर्टों में दर्शाए गए प्रतिशत को जीएसडीपी के संशोधित आंकड़ों के कारण संशोधित किया गया है।

⁵ जीएसटी मुआवजे की कमी के एवज में बैंक टू बैंक ₹3,109 करोड़ के ऋण की राशि को छोड़कर ऋण जीएसडीपी प्रतिशत की गणना कुल ऋण ₹89,556.90 करोड़ पर की गई है।

⁶ जीएसटी मुआवजे की कमी के एवज में बैंक टू बैंक ₹8,074.15 करोड़ के ऋण की राशि को छोड़कर ऋण जीएसडीपी प्रतिशत की गणना कुल ऋण ₹91,098.74 करोड़ पर की गई है।

⁷ जीएसटी मुआवजे की कमी के एवज में बैंक टू बैंक ₹8,074.15 करोड़ के ऋण की राशि को छोड़कर ऋण जीएसडीपी प्रतिशत की गणना कुल ऋण ₹93,622.28 करोड़ पर की गई है।

कारण हुई। भारत सरकार से जीआईए के तहत प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 29.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

राज्य का राजकोषीय घाटा 2021-22 में ₹6,093.10 करोड़ से 2022-23 (₹4,691.21 करोड़) के दौरान ₹1,401.89 करोड़ कम हो गया, क्योंकि राज्य का राजस्व आधिक्य 2021-22 में ₹4,642.02 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹8,592.11 करोड़ हो गया। हालाँकि, जैसा कि पैरा 1.7 में बताया गया है, आरक्षित निधि में गैर-योगदान/गलत वर्गीकरण आदि के समायोजन के बाद वास्तविक राजस्व आधिक्य ₹4,773.30 करोड़ और वास्तविक राजकोषीय घाटा ₹5,615.80 करोड़ होता। केवल वर्ष 2019-20 को छोड़कर, राजकोषीय घाटे का जीएसडीपी से अनुपात वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान एफ.आर.बी. एम./एम.टी.एफ.पी.एस. के तहत निर्धारित लक्ष्य के भीतर था। जीएसडीपी के 5.21 प्रतिशत पर राजकोषीय घाटा वर्ष 2019-20 के दौरान एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य से अधिक था।

वर्ष 2022-23 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद को कुल बकाया ऋण का प्रतिशत (20.46 प्रतिशत) राज्य शासन द्वारा एमटीएफपीएस (26.41 प्रतिशत) में निर्धारित लक्ष्य एवं पन्द्रहवे वित्त आयोग (30.2 प्रतिशत) द्वारा अनुशंसित लक्ष्य के भीतर था। जीएसडीपी को देनदारियों का प्रतिशत की गणना, कुल बकाया ऋण की राशि से जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले राज्य शासन द्वारा प्राप्त ₹8,074.15 करोड़ (2021-22 में ₹4,965.15 करोड़ और 2020-21 में ₹3,109 करोड़) के बैंक टू बैंक ऋण को छोड़कर की गई है।

छत्तीसगढ़ एफआरबीएम अधिनियम, 2005 की धारा 5(3) के तहत, जब भी राज्य सरकार बिना शर्त और पर्याप्त रूप से मूल राशि चुकाने और/या किसी अलग कानूनी इकाई के ब्याज का भुगतान करने का वचन देती है, तो उसे इस तरह की देनदारी को राज्य के उधार लेने के रूप में प्रतिबिंबित करना होगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ एफआरबीएम नियम निर्धारित करते हैं कि राज्य सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने और अनुदान की मांग के समय सीजीएफआरबीएम अधिनियम की धारा 5 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण करेगी। हालाँकि, राज्य सरकार ने बजट दस्तावेज के साथ आवश्यक फॉर्म डी-2 "राज्य सरकार की कुल बकाया देनदारियों" में इस तरह के ऑफ-बजट उधार (₹7,161.32 करोड़) का खुलासा नहीं किया। जैसा कि पैरा 1.7 में बताया गया है, बकाया देनदारियों में ऑफ-बजट उधार को शामिल करने के बाद जीएसडीपी अनुपात में देनदारियां 22.02 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं।

1.5.2 वर्ष 2022-23 के दौरान सीजीएफआरबीएम अधिनियम के तहत किए गए खुलासे

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार राज्य शासन प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य विधानमंडल के समक्ष राजकोषीय नीति विवरण जैसे *मैक्रोइकॉनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट* (एमएफएस), मध्यवधिक राजकोषीय नीति विवरण (एमटीएफपीएस) और राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य, वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ रखेगी।

विवरण में राज्य की अर्थव्यवस्था का एक विहंगावलोकन, जीएसडीपी के विकास और क्षेत्रीय संरचना का विश्लेषण, राज्य शासन के वित्त और भविष्य की संभावनाओं से संबंधित मूल्यांकन, निर्धारित वित्तीय संकेतकों के लिए तीन साल के रोलिंग लक्ष्य आदि शामिल होंगे।

तलिका 1.5 में वर्ष 2022-23 में राज्य विधानसभा को प्रस्तुत किये गये एम.एफ.एस./एम.टी.एफ.पी.एस. में किये गये अनुमान तथा वास्तविक की भिन्नता का विवरण दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिये एम.एफ.एस./एम.टी.एफ.पी.एस. में किये गये अनुमान तथा वास्तविक आंकड़े

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजकोषीय संकेतक	एफआरबीएम अधिनियम के तहत प्रकटीकरण के अनुसार अनुमान	वास्तविक (₹ करोड़ में)	प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
1	स्वयं के कर राजस्व	29,000.00	33,122.31	(+)14.21
2	करेत्तर राजस्व	15,500.00	15,248.24	(-)1.62
3	केन्द्रीय करों का हिस्सा	27,823.25	32,358.26	(+)16.30
4	भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	16,750.00	13,148.33	(-)21.50
5	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	89,073.25	93,877.14	(+)5.39
6	राजस्व व्यय	88,371.61	85,285.03	(-)3.49
7	राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)(5-6)	(+)701.64	(+)8,592.11	(+)1,124.58
8	राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-)14,599.78	(-)4,691.21	(+)67.87
9	राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के रूप में कुल बकाया ऋण का अनुपात	26.41	20.46 ⁸	(+)22.53
10	प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	9.60	12.60	(+)31.25

स्रोत : वित्त लेखे तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन के प्रकटीकरण वर्ष 2022-23

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि गैर-कर राजस्व और भारत सरकार से सहायता अनुदान को छोड़कर एमएफएस/एमटीएफपीएस में किए गए अनुमान वर्ष 2022-23 के दौरान पूरे हुए। करेत्तर राजस्व में ₹251.76 करोड़ की कमी मुख्य रूप से बजट में किए गए अनुमानों की तुलना में प्रमुख सिंचाई के तहत ₹275.20 करोड़ और ब्याज प्राप्तियों के तहत ₹61.91 करोड़ की कम प्राप्तियों के कारण हुई।

1.5.3 घाटा/आधिक्य

जब कोई शासन राजस्व के माध्यम से जितना संग्रहित होता है उससे अधिक व्यय करता है तो यह घाटा निर्मित करता है। ऐसे कई कदम हैं जो शासकीय घाटे को अधिकृत करते हैं।

राजस्व घाटा / आधिक्य (राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियाँ)	<p><i>राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों के अंतर के संदर्भ में</i></p> <ul style="list-style-type: none"> जब शासन का राजस्व घाटा होता है, इसका अर्थ यह है कि शासन निर्बचत कर रही है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बचत का उपयोग अपने उपभोग व्यय का एक हिस्सा वित्तपोषित करने के लिए कर रही है। राजस्व घाटे का अस्तित्व चिंता का कारण है क्योंकि राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय को पूरा करने में सक्षम नहीं थी। इसके अतिरिक्त पूँजीगत प्राप्तियों के हिस्से का उपयोग राजस्व व्यय को पूरा करने के लिये उपयोग किया गया था, जिससे पूँजीगत संपत्ति के सृजन के लिए पूँजीगत संसाधनों की उपलब्धता कम हो जाती है। इस स्थिति का मतलब है कि, शासन को न केवल अपने निवेश को वित्तपोषित करने के लिये उधार लेना होगा बल्कि, इसके उपभोग की आवश्यकतायें के लिये भी उधार लेना होगा। यह ऋण और ब्याज देनदारियों के भंडार का निर्माण करता है और शासन को अंततः व्यय में कटौती करने के लिये विवश करता है। यदि राजस्व व्यय का अधिकांश अंश प्रतिबद्ध व्यय (ब्याज देनदारियों, वेतन, पेंशनों) हो तो, शासन द्वारा उत्पादक व्यय या कल्याणकारी व्यय को कम किया जाता है। इसका अर्थ कम विकास और प्रतिकूल कल्याणकारी निहितार्थ।
--	---


⁸ जीएसटी मुआवजे की कमी के एवज में बैंक टू बैंक ₹8,074.15 करोड़ के ऋण की राशि को छोड़कर ऋण जीएसडीपी प्रतिशत की गणना कुल ऋण ₹93,622.28 करोड़ पर की गई है।

<p>राजकोषीय घाटा / आधिक्य</p> <p>{कुल व्यय – (राजस्व प्राप्तियाँ + गैर ऋण प्राप्तियाँ जो पूँजीगत प्राप्तियाँ को निर्मित करती है)}</p>	<p>यह राजस्व प्राप्तियों और गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियों का योग और कुल व्यय के मध्य का अंतर है। राजकोषीय घाटा शासन की कुल उधार की आवश्यकताओं के लिये को दर्शाता है।</p> <ul style="list-style-type: none"> राजकोषीय घाटा शासन के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियाँ के मध्य का अंतर है जो उधार को छोड़कर है। गैर ऋण उत्पन्न करने वाली पूँजीगत प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ हैं जो उधार नहीं हैं और इसलिये ऋण को बढ़ाने नहीं देते हैं। ऋण की वसूली तथा सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री से प्राप्त आय इसका उदाहरण है। राजकोषीय घाटे को उधार के माध्यम से वित्तपोषित करना होगा। इस प्रकार यह समस्त स्रोतों से शासन की कुल उधार आवश्यकताओं को इंगित करता है। <p>सरकारें आमतौर पर राजकोषीय घाटे को चलाती हैं और पूँजी/परिसंपत्तियों के निर्माण के लिये या आर्थिक और सामाजिक अधोसंरचना के निर्माण के लिये उधार लेती हैं ताकि, उधार के माध्यम से निर्मित संपत्ति से आय के स्रोत उत्पन्न करके अपने लिये भुगतान कर सकें। इस प्रकार पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण और मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिये प्राप्तियों का उपयोग करना पूरी तरह से उधार लेने के लिये वांछनीय है।</p>
---	--

1.5.4 घाटा/आधिक्य के प्रवृत्तियाँ

वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा ₹4,691.21 करोड़ था, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹4,57,608 करोड़) का 1.03 प्रतिशत तथा कुल व्यय (₹98,691.19 करोड़) का 4.75 प्रतिशत गठित करता है। प्राथमिक आधिक्य वर्ष 2021–22 के दौरान ₹51.14 करोड़ से बढ़कर चालू वर्ष के दौरान ₹1,690.87 करोड़ हो गया। राजस्व आधिक्य वर्ष 2021–22 के दौरान ₹4,642.02 करोड़ से बढ़कर चालू वर्ष के दौरान ₹8,592.11 करोड़ हो गया। वर्ष 2018–19 से 2022–23 तक की पाँच वर्ष की अवधि में आधिक्य और घाटे की प्रवृत्ति को चार्ट 1.4 में तथा राज्य सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष आधिक्य या घाटे की प्रवृत्ति चार्ट 1.5 में दर्शाया गया है।


चार्ट 1.4: घाटा/आधिक्य के प्रवृत्तियाँ



स्रोत : संबंधित वर्ष के वित्त लेखे

चार्ट 1.5: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष आधिक्य/घाटा के प्रवृत्तियाँ

(प्रतिशत में)



स्रोत : संबंधित वर्ष के वित्त लेखे

1.6 राज्य वित्त आयोग

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(इ) और 243(य) के अनुसार, राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) को हर पांच साल के बाद नियुक्त किया जाता है, जो राज्य शासन से स्थानीय निकायों को धन के हस्तांतरण की अनुशंसा करता है, और स्वयं के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए उपाय भी सुझाता है।

छत्तीसगढ़ शासन ने 2000 में राज्य गठन के बाद से चार राज्य वित्त आयोगों का गठन किया है। राज्य वित्त आयोगों का विवरण नीचे तालिका 1.6 में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 1.6: राज्य वित्त आयोग का गठन

क्र. सं.	राज्य वित्त आयोग	संविधान के अनुसार गठित किया जाना है	वास्तव में गठित	अनुशंसा प्रस्तुत करने की तिथि	सरकार द्वारा स्वीकृति	पूर्ण अवधि
1	प्रथम	2001-02	22.08.2003 / 14.07.2004	30.05.2007	जुलाई 2009	2007-12
2	द्वितीय	2006-07	23.07.2011	31.03.2013	जुलाई 2013	2012-20
3	तृतीय	2011-12	20.01.2016	30.09.2018	अक्टूबर 2019	2020-25
4	चतुर्थ	2016-17	29.07.2021	-	-	2025-30

स्रोत : वित्त आयोग की रिपोर्ट और स्वीकृति की अधिसूचना

छत्तीसगढ़ का प्रथम राज्य वित्त आयोग ने कुल 81 अनुशंसा की हैं, जिनमें से राज्य शासन ने 36 को स्वीकार कर लिया है जबकि 5 अन्य को संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया गया है।

छत्तीसगढ़ के द्वितीय राज्य वित्त आयोग का गठन 23 जुलाई 2011 को वर्ष 2011-16 की अवधि के लिए सिफारिशें देने के लिए किया गया था। तथापि, राज्य शासन ने प्रथम राज्य वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि को मार्च 2012 तक बढ़ा दिया था तथा द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि को वर्ष 2012 से बदलकर 2017 कर दिया था। तथापि, द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुति को वर्ष 2017-20 की अवधि के लिए भी लागू किया गया था। दूसरे एसएफसी ने कुल 133 अनुशंसा की हैं, जिनमें से राज्य शासन ने 103 को स्वीकार कर लिया है।

तीसरे राज्य वित्त आयोग का गठन 20 जनवरी 2016 को पांच साल की अवधि यानी 2017-22 को कवर करने के लिए किया गया था। राज्य शासन ने भारत के पंद्रहवें वित्त आयोग की समयावधि के साथ संयोजन के रूप में 2017-22 के स्थान पर 2020-25 की अवधि के लिए तीसरे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा को स्वीकार कर लिया था।

चौथा राज्य वित्त आयोग 29 जुलाई 2021 को गठित किया गया था और चौथे एसएफसी की अनुशंसा को पांच साल की अवधि यानी 2025-30 को कवर करना था। आयोग अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई 2023 को या उससे पहले उपलब्ध कराएगा।

राज्य वित्त आयोगों के गठन और राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के कार्यान्वयन में देरी हुई जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय निकायों को धन के हस्तांतरण में और देरी हुई।

एसएफसी द्वारा अनुशंसित राज्य के अपने कर संसाधनों (एसओटीआर) का हस्तांतरण और राज्य शासन द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों को तालिका 1.7 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.7: राज्य वित्त आयोगों की अनुशंसा के अनुसार राज्य शासन द्वारा स्वीकृत एसओटीआर का हस्तांतरण

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	राज्य वित्त आयोग	अवधि	एसएफसी द्वारा हस्तांतरण की अनुशंसा			राज्य शासन द्वारा स्वीकृत हस्तांतरण		
			पीआरआइ	यूएलबी	कुल	पीआरआइ	यूएलबी	कुल
1	प्रथम	2007-12	6.62	1.66	8.28	4.79	1.21	6.00
2	द्वितीय	2012-20	6.15	1.85	8.00	6.15	1.85	8.00
3	तृतीय	2020-25	6.91	2.09	9.00	6.91	2.09	9.00
4	चतुर्थ	2025-30	—	—	—	—	—	—

स्रोत : वित्त आयोग की रिपोर्ट

प्रथम एसएफसी के दौरान स्थानीय निकायों को हस्तांतरित एसओटीआर का प्रतिशत (6.00 प्रतिशत) अनुशंसित प्रतिशत (8.28 प्रतिशत) से कम था।

वर्ष 2018-19 और 2022-23 के दौरान राज्य वित्त आयोग द्वारा सिफारिश, स्वीकार किए गए हस्तांतरण और राज्य शासन द्वारा आवंटित और जारी किए गए वास्तविक बजट के संबंध में निधि प्रवाह का विवरण नीचे तालिका 1.8 में दिखाया गया है:

तालिका 1.8: 2017-22 के दौरान राज्य शासन द्वारा स्वीकार किए गए हस्तांतरण और वास्तविक बजट/व्यय की तुलना में एसएफसी अनुमान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अवधि	एसएफसी द्वारा अनुशंसित राज्य शासन द्वारा स्वीकृत प्रतिशत हस्तांतरण			राज्य शासन द्वारा आवंटित बजट			राज्य शासन द्वारा वास्तविक रिलीज		
		पीआरआइ	यूएलबी	योग	पीआरआइ	यूएलबी	योग	पीआरआइ	यूएलबी	योग
1	2018-19	(6.15)	(1.85)	(8.00)	800	300	1100	839	300	1139
2	2019-20	(6.15)	(1.85)	(8.00)	756	321	1077	750	321	1071
3	2020-21	(6.91)	(2.09)	(9.00)	865	444	1309	606	442	1048
4	2021-22	(6.91)	(2.09)	(9.00)	858	451	1309	651	451	1102
5	2022-23	(6.91)	(2.09)	(9.00)	1644	423	2067	1209	423	1632

(# पंचायतों/स्थानीय निकायों/नगर पालिकाओं को सहायता - एमएच 2217, 2515, 4217 और 4515 से नीचे एसएफसी की सिफारिश)

यूएलबी को जारी वास्तविक निधि वर्ष 2020–21 को छोड़कर वर्ष 2018–23 के दौरान बजट आवंटन के अनुसार था, जहां मामूली गिरावट देखी गई थी। लेकिन, वर्ष 2018–19 को छोड़कर पिछले पांच वर्षों के दौरान आवंटित बजट से पीआरआई को जारी वास्तविक निधि कम थी। वर्ष 2022–23 के दौरान पीआरआई और यूएलबी को 2,067 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के मुकाबले, राज्य शासन ने केवल 1,632 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

1.7 लेखापरीक्षा में जांच के बाद घाटा और कुल ऋण

राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करने में घाटा और ऋण की स्थिति दो महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतक हैं। राज्य के वित्त की एक सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए, लेखापरीक्षा के ध्यान में आने वाले विभिन्न मुद्दे जिनका राज्य शासन के राजकोषीय घाटे और ऋण की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, का विवरण नीचे दिया गया है।

1.7.1 लेखापरीक्षा के बाद—घाटा/आधिक्य

एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार, राज्य शासन को राजकोषीय संकेतकों जैसे घाटे, ऋण की सीमा और गारंटी आदि के लिए निर्धारित लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। राज्य के लिए राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा की गणना विभिन्न परिस्थितियों जैसे कि राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण और ऑफ-बजट राजकोषीय संचालन के कारण प्रभावित होता है। इसके अलावा, कुछ मुद्दे जैसे अनुदान के केंद्रीय हिस्से का हस्तांतरण, ब्याज सहित आरक्षित निधि पर ब्याज देनदारियां और उपकरण आदि भी संबंधित निधि में स्थानांतरित नहीं होने से भी राजस्व और राजकोषीय घाटे के आंकड़ों पर असर पड़ता है। वास्तविक घाटे के आंकड़ों पर पहुंचने के लिए, राजस्व व्यय/पूंजी परिव्यय के गलत वर्गीकरण और/या ऐसे किसी भी गलत वर्गीकरण के प्रभाव को शामिल करने की आवश्यकता है।

ऊपर बताए गए मुद्दों के प्रभाव के परिणामस्वरूप वर्ष 2022–23 के लिए राजस्व व्यय को ₹3,796.01 करोड़ से कम और राजस्व प्राप्ति को ₹22.80 करोड़ से अधिक बताया गया, जिसे तालिका 1.9 में परिकल्पित किया गया है। और उपरोक्त लेखापरीक्षा प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे का आकलन तालिका 1.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: लेखापरीक्षा द्वारा जांच के बाद राजस्व प्राप्ति और व्यय पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद	अनुच्छेद संदर्भ	राजस्व प्राप्ति की अत्योक्ति	राजस्व व्यय की न्यूनोक्ति
1	राजस्व और पूंजी के बीच गलत वर्गीकरण	3.5.1 एवं 4.11	---	2,894.22
2	राष्ट्रीय पेंशन योजना पर ब्याज देनदारियां	2.4.2.3	---	0.65
3	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि पर ब्याज देनदारियाँ	2.5.2.2 (ब)	---	8.18
4	एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) की निधि के अव्ययित शेष के केंद्रीय हिस्से पर अर्जित ब्याज	2.3.2.3 (ब)	22.80	0.00
5	सहायता अनुदान के केंद्रीय हिस्से को राज्य आपदा राहत निधि में स्थानांतरित न करना	2.5.2.2 (अ)	---	181.60
6	राज्य आपदा राहत निधि में सहायता अनुदान के राज्य हिस्से का स्थानांतरण न होना	2.5.2.2 (अ)	---	60.53
7	खनिज विकास निधि में लघु स्थानांतरण	2.5.2.5 (स)	---	184.92
8	संचित निक्षेप निधि का संक्षिप्त योगदान	2.5.2.1	---	37.23
9	केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि के सहायता अनुदान का हस्तांतरण न होना	4.7	---	86.92

10	अधोसंरचना विकास और पर्यावरण उपकरण को नामित आरक्षित निधि में हस्तांतरित न करना	2.5.2.5 (अ) और 2.5.2.5 (ब)	---	341.76
योग			22.80	3,796.01

स्रोत : वित्त लेखे 2022-23

तालिका 1.10: लेखापरीक्षा द्वारा परिकल्पित प्रभाव का परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विशेष	वित्त लेखा के अनुसार	अत्योक्ति (+) / न्यूनोक्ति (-) द्वारा	वास्तविक/पोस्ट ऑडिट परीक्षा
1	राजस्व आधिक्य	8,592.11	(+)3,818.81	4,773.30
2	राजकोषीय घाटा	4,691.21	(-)924.59	5,615.80

स्रोत : वित्त लेखे 2022-23

1.7.2 लेखा परीक्षा के बाद—कुल ऋण/दायित्व

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत परिभाषित कुल देनदारियों का अर्थ है राज्य के समेकित निधि और सार्वजनिक खाते के तहत शामिल देनदारियां और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा उधार और गारंटी सहित अन्य समकक्ष उपकरण शामिल हैं जहां मूलधन और ब्याज को राज्य के बजट से सेवित किया जाना है।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 2017-23 की अवधि के दौरान, राज्य शासन ने पांच पीएसयू के माध्यम से ₹8,084.24 करोड़ के ऑफ-बजट उधार का सहारा लिया है, जिसमें से सरकार ने इन ऑफ-बजट उधार पर ब्याज की सर्विसिंग के अलावा ₹922.92 करोड़ के मूलधन का पुनर्भुगतान राज्य के बजट के माध्यम से किया। इस मुद्दे पर रिपोर्ट के पैरा 4.14 में विस्तार से चर्चा की गई है। लेखापरीक्षा के बाद की देनदारियों की गणना के लिए, ऑफ-बजट उधार को कुल देनदारियों में जोड़ा गया है।

भारत सरकार ने राज्य को वर्ष 2020-21 में ₹3,109 करोड़ और वर्ष 2021-22 में ₹4,965.15 करोड़ (कुल ₹8,074.15 करोड़) का बैंक टू बैंक ऋण जारी किया। इस बैंक टू बैंक ऋण को वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर निर्धारित राज्य की वार्षिक निवल उधार सीमा के अतिरिक्त माना गया है। इसके अलावा, इस ऋण की ऋण पुनर्भुगतान जीएसटी मुआवजा कोष में उपकरण के संग्रह से की जानी है, और इसलिए राज्य के अन्य संसाधनों से चुकौती दायित्व को पूरा नहीं किया जाएगा। लेखा परीक्षा के बाद देनदारियों की गणना के लिए जीएसटी मुआवजे की कमी के बदले प्राप्त बैंक टू बैंक ऋण को भी बाहर रखा गया है।

ऑफ-बजट उधार और बैंक टू बैंक ऋण के कारण, कुल ऋण/देयता जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में बढ़ी/घटी है जैसा कि तालिका 1.11 में दिया गया है।

तालिका 1.11: कुल देयताएं, लेखापरीक्षा में जांच के बाद

क्र.सं.	विशेष	राशि (₹ करोड़ में)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत
1.	31.03.2023 को लेखों के अनुसार कुल देयताएं/समग्र ऋण (अ)	1,01,696.43	22.22
2.	जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के एवज में बैंक टू बैंक ऋण (ब)	8,074.15	1.76
3.	बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर कुल देनदारियां (स) = (अ) - (ब)	93,622.28	20.46
4.	31.03.2023 को निवल ऑफ-बजट देनदारियां (₹8,084.24 - ₹922.92) (द)	7,161.32	1.56
कुल देयताएं (स)+(द)		1,00,783.60	22.02

स्रोत : वित्त लेखे 2022-23

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि बैंक टू बैंक ऋण और ऑफ-बजट देनदारियों को समायोजित करने के बाद ऋण-जीएसडीपी अनुपात 22.22 प्रतिशत से घटकर 22.02 प्रतिशत हो गया।

अध्याय II

राज्य शासन के वित्त

राज्य शासन के वित्त

2.1 प्रस्तावना

यह अध्याय राज्य के वित्त लेखों के आधार पर पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय संकेतकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन का विश्लेषण करता है, वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान समस्त प्रवृत्ति, राज्य के ऋण स्थिरता और प्रमुख लोक लेखे लेन-देनों का राज्य वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।

वर्ष 2021-22 के सापेक्ष में वर्ष 2022-23 के दौरान मुख्य राजकोषीय संकेतकों में प्रमुख परिवर्तन

तालिका 2.1 पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के मुख्य राजकोषीय संकेतकों में प्रमुख परिवर्तन का एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.1: वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में मुख्य राजकोषीय संकेतकों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियाँ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ राज्य के राजस्व प्राप्तियों में 17.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई ➤ राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 22.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई ➤ करेत्तर राजस्व में 10.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई ➤ राज्य के संघीय करों एवं शुल्कों में 13.26 प्रतिशत की वृद्धि हुई ➤ भारत सरकार से सहायता अनुदान में 29.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ➤ राजस्व व्यय में 13.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई ➤ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 6.78 प्रतिशत की वृद्धि हुई ➤ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 13.78 प्रतिशत की वृद्धि हुई ➤ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 20.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई ➤ सहायता अनुदान और योगदान पर व्यय में 2.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई
पूँजीगत प्राप्तियाँ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ऋण पूँजीगत प्राप्तियों में 29.54 प्रतिशत की कमी हुई ➤ गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों में 32.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई ➤ पूँजीगत प्राप्तियों में 14.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई
पूँजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पूँजीगत व्यय में 26.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई ➤ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 114.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई ➤ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 54.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई ➤ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 9.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई
ऋणों तथा अग्रिमों	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ऋण तथा अग्रिमों के संवितरणों में 73.47 प्रतिशत की कमी हुई ➤ ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियों में 33.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none"> ➤ लोक ऋण प्राप्तियों में 29.54 प्रतिशत की कमी हुई ➤ लोक ऋण अदायगी में 8.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none"> ➤ लोक लेखा प्राप्तियों में 13.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई ➤ लोक लेखा संवितरणों में 11.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई
रोकड़ शेष	<ul style="list-style-type: none"> ➤ रोकड़ शेष और रोकड़ शेष के निवेश में 18.88 प्रतिशत की कमी हुई

उपरोक्त प्रत्येक संकेतक का विश्लेषण अनुवर्ती कड़िकाओं में किया गया है।

2.2 निधियों के स्रोत और उपयोग


तालिका 2.2 में वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य की निधि के स्रोतों और उपयोग की तुलना वर्ष 2021-22 के साथ की गई जबकि चार्ट 2.1 और 2.2 वर्ष 2022-23 के दौरान समेकित निधि से प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रतिशत रूप में देते हैं।

तालिका 2.2: वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान निधियों के स्रोतों और उपयोग का विवरण
(₹ करोड़ में)


	विवरण	2021-22	2022-23	वृद्धि (+)/कमी (-)
स्रोत	प्रारंभिक रोकड़ शेष ¹	9,461.37	9,921.62	460.25
	राजस्व प्राप्तियाँ	79,652.03	93,877.14	14,225.11
	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	4.89	5.60	0.71
	ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	88.06	117.52	29.46
	अंतर्राज्यीय परिशोधन	(-)0.04	(-)0.28	(-)0.24
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	6,252.98	1,038.02	(-)5,214.96
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	300.37	1,779.54	1,479.17
	योग	95,759.66	106,739.16	10,979.50
उपयोग	राजस्व व्यय	75,010.01	85,285.03	10,275.02
	पूँजीगत व्यय	10,504.22	13,320.30	2,816.08
	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	324.06	85.96	(-)238.10
	अंतर्राज्यीय परिशोधन	(-)0.25	(-)0.10	0.15
	अंतिम रोकड़ शेष	9,921.62	8,047.97	(-)1,873.65
	योग	95,759.66	106,739.16	10,979.50

स्रोत : वित्त लेखे 2021-22 एवं 2022-23

चार्ट 2.1: संसाधनों का स्रोत (प्रतिशत)



चार्ट 2.2: संसाधनों का उपयोग (प्रतिशत)



स्रोत : वित्त लेखे 2022-23

नोट: ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, पूँजीगत प्राप्तियाँ, अंतर्राज्यीय परिशोधन एवं निवल रोकड़ शेष अन्य में शामिल हैं।

¹ प्रारंभिक/अंतिम रोकड़ शेष में रोकड़ शेष, रोकड़ शेष और निर्धारित फंड का निवेश शामिल हैं।

2.3 राज्य के संसाधन

1. राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व और संघों के करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा एवं भारत सरकार से सहायता अनुदान सम्मिलित है।


2. पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम। राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियाँ दोनों राज्य की समेकित निधि का हिस्सा है।

3. निवल लोक लेखे प्राप्तियों: कुछ प्राप्तियाँ और संवितरण संबंधित लेने-देने होते हैं, जैसे छोटी बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण इत्यादि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होती। यह संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत स्थापित लोक लेखे में रखी जाती है और राज्य विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं होता है। यहां शासन बैंकर के समान कार्य करती है। संवितरण के बाद निधि की शेष राशि शासन के उपयोग हेतु उपलब्ध होती है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियाँ

चार्ट 2.3 समग्र प्राप्तियों की संरचना को प्रस्तुत करता है। राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियों के अलावा, लोक लेखे में उपलब्ध धन (इससे किये गये संवितरण का निवल) भी शासन द्वारा वित्त घाटे को पूरा करने के लिए का उपयोग किया जाता है।

चार्ट 2.3: वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के संसाधनों की संरचना



स्रोत: वित्त लेखे 2022-23

2.3.2 राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर और करेत्तर राजस्व, केन्द्रीय कर हस्तांतरण और भारत सरकार से सहायता अनुदान शामिल है।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियाँ के प्रवृत्ति और वृद्धि

तालिका 2.3 पाँच वर्ष की अवधि वर्ष 2018–23 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के विरुद्ध राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं वृद्धि के साथ-साथ राजस्व उत्प्लावकता को तालिका 2.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

		(₹ करोड़ में)				
क्र. सं.	विवरण	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23
1	राजस्व प्राप्तियाँ	65,094.93	63,868.70	63,176.18	79,652.03	93,877.14
2	राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.13	(-1.88)	(-1.08)	26.08	17.86
3	कर राजस्व	44,885.95	42,323.69	43,226.74	55,654.52	65,480.57
4	स्वयं के कर राजस्व	21,427.26	22,117.85	22,889.20	27,083.73	27,083.73
5	केन्द्रीय कर एवं शुल्क में राज्यांश	23,458.69	20,205.84	20,337.54	28,570.79	32,358.26
6	करेत्तर राजस्व	7,703.02	7,933.77	7,136.95	13,851.21	13,851.21
7	भारत सरकार से अनुदान सहायता	12,505.95	13,611.24	12,812.49	10,146.30	13,148.33
8	भारत सरकार से अनुदान सहायता की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-1.19)	8.84	(-5.87)	(-20.81)	29.59
9	स्वयं के राजस्व (स्वयं के कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व) (4) + (6)	29,130.28	30,051.62	30,026.15	40,934.94	48,370.55
10	स्वयं के राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.04	3.16	(-0.08)	36.33	18.16
11	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3,27,107	3,44,648	3,47,752 ^म	4,06,416 ^न	4,57,608 ^ख
12	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.69	5.36	0.90	16.87	12.60
13	राजस्व प्राप्तियाँ / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	19.90	18.53	18.17	19.60	20.51
उत्प्लावकता अनुपात²						
14	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.57	-*	-*	1.55	1.42
15	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के स्वयं के राजस्व उत्प्लावकता	0.69	0.59	-*	2.15	1.44

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य अ-अग्रिम अनुमान त्व-त्वरित अनुमान प्रा-प्रावधिक अनुमान

*नकारात्मक वृद्धि दर के कारण उत्प्लावन अनुपात की गणना नहीं की जा सकती।

तालिका 2.3 से देखा जा सकता है कि राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2018–19 में ₹65,094.93 करोड़ से ₹28,782.21 करोड़ बढ़कर वर्ष 2022–23 के दौरान ₹93,877.14 करोड़ हो गईं। वर्ष 2022–23 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में ₹14,225.11 करोड़ (17.86 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण कर राजस्व की प्राप्तियों में ₹9,826.05 करोड़ (17.66 प्रतिशत), भारत सरकार से सहायता अनुदान में ₹3,002.03 करोड़ (29.59 प्रतिशत) और करेत्तर राजस्व में ₹1,397.03 करोड़ (10.09 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण हुई।

² उत्प्लावकता अनुपात किसी राजकोषीय चर के मूल चर में दिये गये परिवर्तन के सापेक्ष प्रतिक्रियात्मकता के लोच अथवा कोटि को दर्शाता है।


वर्ष 2018-19 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों का लगभग 45 प्रतिशत राज्य के अपने संसाधनों से आया, जबकि केंद्रीय कर हस्तांतरण और सहायता अनुदान ने मिलकर 55 प्रतिशत का योगदान दिया। वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का लगभग 52 प्रतिशत राज्य के अपने संसाधनों से प्राप्त हुआ, जबकि 48 प्रतिशत केन्द्रीय कर हस्तांतरण और सहायता अनुदान का सम्मिलित योगदान रहा।

वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान भारत सरकार से सहायता अनुदान में 19 प्रतिशत की कमी आई। हालाँकि, वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में इसमें ₹3,002.03 करोड़ (29.59 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

राजस्व उत्प्लावकता, राजस्व प्राप्तियों में प्रतिशत परिवर्तन को जीएसडीपी में प्रतिशत परिवर्तन को मापता है। जैसा कि तालिका 2.3 से देखा जा सकता है, जीएसडीपी के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता 2018-19 में 0.57 से बढ़कर 2022-23 में 1.42 हो गया। जीएसडीपी के संदर्भ में राज्य की अपनी राजस्व उत्प्लावकता भी 2018-19 के 0.69 से बढ़कर 2022-23 में 1.44 हो गई।


जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों के प्रवृत्ति और राजस्व प्राप्तियों की संरचना क्रमशः चार्ट 2.4 और 2.5 में दी गई है।

चार्ट 2.4: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.5: राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.3.2.2 राज्य के स्वयं के संसाधन

केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाती है। सहायता अनुदान का निर्धारण केन्द्रीय कर प्राप्तियों के संग्रह तथा योजनाओं के लिए आशातीत केन्द्रीय सहायता के मात्रा पर निर्धारित होता है। अतिरिक्त संसाधनों के संग्रहण में राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन राज्य के अपने संसाधनों, जिसमें स्वयं के कर तथा करेत्तर स्रोत अनुसार किया जाना चाहिए।

वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के वास्तविक स्वयं के कर और करेत्तर राजस्व प्राप्तियाँ तालिका 2.4 में दर्शायी गई है।

तालिका 2.4: वर्ष 2018-23 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व/करेत्तर राजस्व का विकास

क्र. सं.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	स्वयं के कर राजस्व (₹करोड़ में)	21,427.26	22,117.85	22,889.20	27,083.73	33,122.31
2	वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.70	3.22	3.49	18.33	22.30
3	करेत्तर राजस्व (₹करोड़ में)	7,703.02	7,933.77	7,136.95	13,851.21	15,248.24
4	वृद्धि दर (प्रतिशत)	21.49	3.00	(-10.04)	94.08	10.09


स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि दर में 2019-23 के दौरान 3.22 प्रतिशत से लेकर 22.30 प्रतिशत तक की वृद्धि देखी गई और 2021-22 में ₹27,083.73 करोड़ से ₹6,038.58 करोड़ (22.30 प्रतिशत) की उल्लेखनीय वृद्धि हुई और 2022-23 में ₹33,122.31 करोड़ हो गई।
- 2018-23 के दौरान करेत्तर राजस्व की वृद्धि दर में (-)10.04 प्रतिशत से लेकर 94.08 प्रतिशत के मध्य अस्थिर प्रवृत्ति का रुझान दिखा। 2018-19 से 2022-23 तक करेत्तर राजस्व में 98 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, हालांकि, यह 2021-22 में ₹13,851.21 करोड़ से ₹1,397.03 करोड़ (10.09 प्रतिशत) बढ़कर 2022-23 में ₹15,248.24 करोड़ हो गया।

(अ) स्वयं के कर राजस्व

राज्य के स्वयं के कर राजस्व में राज्य जीएसटी, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क, भू-राजस्व, माल और यात्रियों पर कर आदि शामिल हैं। वर्ष 2018-23 में पाँच वर्षों के दौरान राज्य की स्वयं के कर राजस्व का विवरण चार्ट 2.6 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.6: वर्ष 2018-23 के दौरान स्वयं के कर राजस्व का वृद्धि दर



स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2018-23 तक पाँच वर्षों के दौरान स्वयं के कर राजस्व प्राप्तियों का घटक-वार विवरण तालिका 2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: वर्ष 2018-23 के दौरान घटक-वार स्वयं के कर राजस्व

क. सं.	शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2021-22 की तुलना में 2022-23 में % वृद्धि (+) / कमी (-)
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	4,087.72	3,931.37	4,236.04	5,341.10	6,450.03	20.76
2	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	8,203.41	7,894.82	7,925.01	9,483.48	11,298.14	19.13
3	राज्य उत्पाद शुल्क	4,489.03	4,952.36	4,635.80	5,106.61	6,782.70	32.82
4	वाहनों पर कर	1,204.85	1,274.85	1,148.07	1,372.51	1,756.62	27.99
5	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	1,108.46	1,634.63	1,584.94	1,945.36	2,228.64	14.56
6	भू-राजस्व	487.57	551.50	937.71	949.94	868.56	(-)8.57
7	माल एवं यात्रियों पर कर	54.51	40.51	79.83	47.90	59.60	24.43
8	विद्युत कर तथा शुल्क	1,790.27	1,837.00	2,341.41	2,836.05	3,676.97	29.65
9	अन्य कर ³	1.44	0.81	0.39	0.78	1.05	33.33
योग		21,427.26	22,117.85	22,889.20	27,083.73	33,122.31	22.30

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- राज्य का स्वयं के कर राजस्व वर्ष 2018-19 में ₹21,427.26 करोड़ से ₹11,695.05 करोड़ (54.58 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹33,122.31 करोड़ हो गया। चालू वर्ष के दौरान, स्वयं के कर राजस्व में ₹6,038.58 करोड़ (22.30 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्य रूप से राज्य वस्तु एवं सेवा कर (₹1,814.66 करोड़), राज्य उत्पाद शुल्क (₹1,676.09 करोड़) तथा बिक्री, व्यापार आदि पर कर

³ अन्य करों में होटल प्राप्ति कर और आय और व्यय पर अन्य कर शामिल हैं।

(₹1,108.93 करोड़) की प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई।

- राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) में वृद्धि मुख्य रूप से एसजीएसटी और आईजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रॉस उपयोग (₹829.45 करोड़) और आईजीएसटी का विभाजन-कर घटक का एसजीएसटी में स्थानांतरण (₹553.29 करोड़) के तहत प्राप्ति में वृद्धि के कारण हुई। इसके अलावा, राज्य उत्पाद शुल्क में वृद्धि आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब की बिक्री पर नियंत्रण और छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड द्वारा शराब दुकानों के कुशल प्रबंधन के कारण हुई। बिक्री, व्यापार आदि पर करों में वृद्धि का कारण अधिक पेट्रोलियम उत्पादों की खपत थी।
- वर्ष 2022-23 में ₹33,122.30 करोड़ के कुल स्वयं के कर राजस्व में से, राज्य वस्तु एवं सेवा करों द्वारा 34 प्रतिशत, राज्य उत्पाद शुल्क द्वारा 20 प्रतिशत तथा बिक्री, व्यापार आदि पर करों के द्वारा 19 प्रतिशत का योगदान दिया। वर्ष 2022-23 के दौरान, अनुमानित एसजीएसटी ₹11,064.45 करोड़ था जिसके मुकाबले वास्तविक संग्रह ₹11,298.14 करोड़ था जो अनुमान से 1.98 प्रतिशत अधिक था।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर

आरबीआई की पुस्तकों के अनुसार, एसजीएसटी की राशि ₹7,488.99 करोड़ थी और वित्त लेखे 2022-23 के अनुसार एसजीएसटी (एमएच-0006) की राशि ₹11,298.14 करोड़ थी। ₹3,809.15 करोड़ का अंतर भारत सरकार से सीधे प्राप्त मंजूरी के आधार पर वित्त खातों में दर्ज लघु शीर्ष 105,106,107 और 110 (₹3,928.65 करोड़) के आंकड़ों, भारत सरकार से प्राप्त (-)₹119.23 करोड़ की एसजीएसटी रिफंड मंजूरी और वर्ष 2022-23 में बुक की गई पिछले वर्ष 2021-22 से संबंधित राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) के (-)₹0.28 करोड़ के लिए समायोजन प्रविष्टियाँ के कारण है।

(ब) करेत्तर राजस्व

करेत्तर राजस्व में ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश और लाभ, खनन प्राप्तियाँ, विभागीय प्राप्तियाँ आदि शामिल हैं। वर्ष 2018-23 के दौरान घटक वार करेत्तर राजस्व प्राप्तियों का विवरण निम्नानुसार था।

तालिका 2.6: वर्ष 2018-23 के दौरान घटक वार करेत्तर राजस्व

							(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में % वृद्धि (+) / कमी (-)
1	ब्याज प्राप्तियाँ	189.55	232.41	89.77	137.96	200.75	45.51
2	लाभांश और लाभ	1.49	2.39	2.29	3.64	6.20	71.43
3	अन्य करेत्तर प्राप्तियाँ	7,511.98	7,698.97	7,044.89	13,709.61	15,041.29	9.71
i	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	6,110.24	6,195.73	5,538.49	12,305.39	12,941.33	5.17
ii	वानिकी तथा वन्य जीव	236.73	249.37	277.09	346.90	856.04	146.77
iii	वृहद् सिंचाई	521.81	437.04	445.91	418.17	412.88	(-)1.27
iv	लघु सिंचाई	164.06	287.54	232.72	140.60	311.86	121.81
v	अन्य	479.14	529.29	550.68	495.55	519.18	4.13
योग		7,703.02	7,933.77	7,136.95	13,851.21	15,248.24	10.09

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे


- कुल करेत्तर राजस्व प्राप्तियां ₹7,545.22 करोड़ (97.95 प्रतिशत) बढ़कर 2018–19 में ₹7,703.02 करोड़ से बढ़कर 2022–23 में ₹15,248.24 करोड़ हो गईं। पिछले वर्ष की तुलना में 2022–23 के दौरान करेत्तर राजस्व में ₹1,397.03 करोड़ (10.09 प्रतिशत) की वृद्धि का मुख्य कारण अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों के तहत प्राप्तियों में ₹635.94 करोड़ और वानिकी और वन्यजीव के तहत ₹509.14 करोड़ की वृद्धि है।
- अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों में वृद्धि कोयला और लौह अयस्क खनिजों के उत्पादन में वृद्धि और लौह अयस्क से 150 प्रतिशत अतिरिक्त रॉयल्टी की प्राप्ति और रेत के उत्पादन में वृद्धि के कारण हुई। इसके अलावा, वानिकी और वन्य जीवन में वृद्धि वन क्षेत्रों में लौह अयस्क और खनिजों के परिवहन शुल्क को ₹15 से ₹57 तक बदलने और लंबित परिवहन परमिट की वसूली के कारण हुई।

2.3.2.3 केंद्र से निधियों का हस्तांतरण

केंद्र सरकार से निधि का हस्तांतरण वित्त आयोग की सिफारिशों पर निर्भर है। राज्य को वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित केंद्रीय करों और सहायता अनुदान (जीआईए) में अपने हिस्से के अलावा, केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस)/अन्य अनुदानों के तहत जीआईए प्राप्त होता है। दस वर्ष की अवधि 2013–23 के दौरान इस संबंध में प्रवृत्ति चार्ट 2.7 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.7: केंद्र से हस्तांतरण की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2015–16 के बाद से केंद्र से धन के हस्तांतरण में वृद्धि हुई है, क्योंकि केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा चौदहवें वित्त आयोग के अनुसार 32 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, भारत सरकार ने वर्ष 2020–21 से करों के विभाज्य पूल में राज्यों के हिस्से को 42 प्रतिशत से घटाकर 41 प्रतिशत करने की पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया।

केंद्र से हस्तांतरण वर्ष 2013-14 में ₹12,606 करोड़ से ₹32,900 करोड़ बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹45,506 करोड़ हो गया। चालू वर्ष के दौरान, केंद्र से हस्तांतरण वर्ष 2021-22 में ₹38,717 करोड़ से ₹6,789 करोड़ बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹45,506 करोड़ हो गया।

(अ) केन्द्रीय कर हस्तान्तरण

वर्ष 2018-23 के दौरान केन्द्रीय करों और शुल्कों में छत्तीसगढ़ राज्य के हिस्से का विवरण तालिका 2.7 में दिया गया है।

तालिका 2.7: केन्द्रीय कर हस्तान्तरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	5,789.33	5,733.71	6,068.90	8,628.50	9,142.17
2	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	निगम कर	8,157.09	6,889.42	6,117.65	7,699.82	10,851.70
4	निगम कर से भिन्न आय पर कर	6,007.35	5,398.34	6,269.51	8,887.95	10,589.64
5	सीमा शुल्क	1,662.66	1,280.78	1,097.20	2,017.68	1,271.87
6	संघ उत्पाद शुल्क	1,104.93	890.49	686.04	1,009.06	399.02
7	सेवा कर	217.76	0.00	84.52	296.68	50.61
8	अन्य कर	57.57	13.10	13.72	31.10	53.25
9	केन्द्रीय कर हस्तान्तरण	23,458.69	20,205.84	20,337.54	28,570.79	32,358.26
10	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	13.03	(-13.87)	0.65	40.48	13.26
11	राजस्व प्राप्तियों में केन्द्रीय कर हस्तान्तरण का प्रतिशत	36.04	31.64	32.19	35.87	34.47

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

विगत पाँच वर्ष की अवधि वर्ष 2018-23 में, केन्द्रीय कर हस्तान्तरण वर्ष 2018-19 में ₹23,458.69 करोड़ से ₹8,899.67 करोड़ (37.94 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹32,358.26 करोड़ हो गया। वर्ष 2018-23 के दौरान केन्द्रीय कर हस्तान्तरण की वृद्धि दर में (-)13.87 प्रतिशत से लेकर 40.48 प्रतिशत तक उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखा। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में केन्द्रीय कर हस्तान्तरण में ₹3,787.47 करोड़ (13.26 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्य रूप से निगम कर (₹3,151.88 करोड़) तथा निगम कर से भिन्न आय पर कर (₹1,701.69 करोड़) के तहत राज्य को सौंपी गई शुद्ध आय में वृद्धि के कारण हुई।

(ब) भारत सरकार से सहायता अनुदान

राज्य शासन वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर सहायता अनुदान और केन्द्रीय करों और शुल्कों का हिस्सा प्राप्त करती है। वर्ष 2018-23 के दौरान राज्य शासन द्वारा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण तालिका 2.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.8: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	केन्द्र प्रवर्तित योजना के लिये अनुदान	8,214.77	7,808.24	6,975.55	6,170.60	8,712.52
2	वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान	1,679.48	2,044.75	2,289.50	2,379.80	1,772.80
3	अन्य हस्तान्तरण/राज्यों को अनुदान	2,611.70	3,758.25	3,547.44	1,595.90	2,663.01
	योग	12,505.95	13,611.24	12,812.49	10,146.30	13,148.33

क्र. सं.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
4	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	(-1.19)	8.84	(-5.87)	(-20.81)	29.59
5	राजस्व प्राप्तियाँ	65,094.93	63,868.70	63,176.18	79,652.03	93,877.14
6	राज्य के राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल सहायता अनुदान	19.21	21.31	20.28	12.74	14.01

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2022-23 के दौरान, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण राजस्व प्राप्तियों का 14 प्रतिशत रहा। इसके अलावा, राजस्व प्राप्तियों में जीआईए का योगदान 2018-19 में 19 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 14 प्रतिशत हो गया। वर्ष के दौरान राज्य को केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिये अनुदान (₹8,712.52 करोड़) कुल अनुदान का 66 प्रतिशत रहा। राज्य को वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान (₹1,772.80 करोड़) स्थानीय निकायों और राज्य आपदा राहत निधि के लिये प्रदान किया गया जो कि वर्ष के दौरान कुल अनुदान का 13 प्रतिशत रहा। भारत सरकार से राज्य को अन्य अनुदान (₹2,663.01 करोड़) में ₹2,438.72 करोड़ का जीएसटी क्षतिपूर्ति शामिल है जो अन्य हस्तांतरण/अनुदान का 92 प्रतिशत था।

वर्ष 2022-23 के दौरान भारत सरकार से मिलने वाले सहायता अनुदान में पिछले वर्ष की तुलना में ₹3,002.03 करोड़ (29.59 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्य रूप से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान की प्राप्ति में ₹2,541.92 करोड़ और राज्य को अन्य हस्तांतरण/अनुदान के तहत जीएसटी मुआवजा में ₹1,221.86 करोड़ की कमी के कारण हुई।

एकल नोडल एजेंसी:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या I(13) पीएफएमएस/एफसीडी/2020 दिनांक 23-03-2021 के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना के तहत निधि जारी करने और एसएनए के माध्यम से जारी निधि के उपयोग की निगरानी के लिए प्रक्रिया को अधिसूचित किया था। प्रत्येक सीएसएस के लिए, एसएनए को राज्य सरकार द्वारा सरकारी व्यवसाय संचालित करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में बैंक खाते के साथ स्थापित किया जाना था। प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकार को अपने खातों में प्राप्त केंद्रीय हिस्से को संबंधित राज्य के हिस्से के साथ संबंधित एसएनए के खाते में स्थानांतरित करना था।

राज्य शासन को वर्ष 2022-23 के दौरान अपने ट्रेजरी खातों में केंद्रांश के रूप में ₹8,243.27 करोड़ प्राप्त हुए। आनुपातिक राज्य का हिस्सा ₹6,842.27 करोड़ था। 31 मार्च 2023 तक, राज्य शासन ने केंद्र का हिस्सा ₹7,302.41 करोड़ और राज्य का हिस्सा ₹6,431.54 करोड़ एसएनए को हस्तांतरित कर दिया। पीएफएमएस पोर्टल की एसएनए रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक एसएनए के बैंक खातों में ₹7,244.42 करोड़ बिना खर्च किए पड़े थे।

वित्त खाते के अनुसार, वर्ष के दौरान राज्य शासन को केंद्रांश के रूप में ₹8,709.39 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। 31 मार्च 2023 तक, सरकार ने केंद्रीय हिस्से का ₹7,820.21 करोड़ और राज्य का हिस्सा ₹6,942.22 करोड़ एसएनए को हस्तांतरित कर दिया। ₹14,762.43 करोड़ के कुल हस्तांतरण में से, ₹2.93 करोड़ एसी बिलों के माध्यम से, ₹9,239.73 करोड़ जीआईए बिलों के माध्यम से, ₹3,363.57 करोड़ पूरी तरह से प्रमाणित आकस्मिक बिलों के माध्यम से और ₹2,156.20 करोड़ अन्य के माध्यम से हस्तांतरित किए गए। वित्त खाते और पीएफएमएस के आंकड़ों में अंतर का मिलान किया जा रहा है।

ओएम दिनांक 30.06.2021 के अनुसार, केंद्र प्रायोजित योजना में केंद्र के हिस्से की अव्ययित राशि पर अर्जित ब्याज भारत के समेकित निधि में जमा किया जाना चाहिए। वर्ष 2022-23 के दौरान, केंद्र प्रायोजित

योजना में केंद्र के हिस्से की अव्ययित शेष राशि पर अर्जित ब्याज की ₹22.80 करोड़ की राशि को भारत सरकार के समेकित निधि में जमा करने के बजाय राज्य के समेकित निधि में जमा किया गया था। इस प्रकार राज्य की समेकित निधि में ₹22.80 करोड़ जमा करने के परिणामस्वरूप राजस्व प्राप्ति को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया।

(क) पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान

भारत सरकार ने राज्यों को स्थानीय निकायों और राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ) के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत अनुदान प्रदान किया। वर्ष 2022-23 के दौरान इस संबंध में भारत सरकार से राज्य शासन को प्रदत्त अनुदान का विवरण तालिका 2.9 में दिया गया है।

तालिका 2.9: पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार भारत सरकार द्वारा 2022-23 के दौरान जारी सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)			
क्र. सं.	हस्तांतरण	पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा	भारत सरकार द्वारा 2022-23 में जारी अनुदान
स्थानीय निकाय			
1	पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान	1,114.00	1,114.00
(अ)	मूल/संयुक्त अनुदान	445.60	445.60
(ब)	निष्पादन/बंधित अनुदान	668.40	668.40
2	शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	549.00	477.20
(अ)	मिलियन प्लस शहरों के लिये अनुदान	169.00	179.70 [#]
(ब)	नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिये अनुदान	380.00	297.50*
3	स्थानीय निकायों को स्वास्थ्य अनुदान	339.00	0.00
4	स्थानीय निकायों का योग	2,002.00	1,591.20
5	राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ)	454.00	181.60
(अ)	एसडीआरएमएफ	363.20	181.60
(ब)	एसडीएमएफ	90.80	0.00
6	कुल योग	2,456.00	1,772.80

स्रोत: वित्त लेखे 2022-23 तथा पंद्रहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन

[#]वर्ष 2021-22 से संबंधित ₹109 करोड़ जो भारत सरकार द्वारा 2022-23 में जारी किए गए और ₹14.70 करोड़ 2022-23 में प्रोत्साहन के रूप में प्राप्त हुए शामिल हैं।

* 2022-23 में भारत सरकार द्वारा जारी वर्ष 2021-22 से संबंधित ₹183.50 करोड़ शामिल हैं।

- मार्च 2023 तक, राज्य शासन को 2022-23 के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के सापेक्ष में पंचायती राज संस्थाओं को संपूर्ण अनुदान (मूल अनुदान ₹445.60 करोड़ और बंधित अनुदान ₹668.40 करोड़) प्राप्त हुआ।
- राज्य शासन को वर्ष 2022-23 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की ₹549.00 करोड़ की सिफारिश के सापेक्ष में शहरी स्थानीय निकायों के लिए ₹170.00 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष 2021-22 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के सापेक्ष में शहरी स्थानीय निकायों के लिए ₹292.50 करोड़ का अनुदान वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त हुआ था। राज्य शासन को वर्ष 2022-23 में भारत सरकार से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों/यूए के लिए प्रोत्साहन के रूप में ₹14.70 करोड़ का अनुदान भी प्राप्त हुआ।

वर्ष 2022-23 के दौरान ₹339 करोड़ के स्वास्थ्य अनुदान के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई।

- राज्य शासन को 2022-23 के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग की एसडीआरएमएफ सिफारिश (₹454.00 करोड़) के मुकाबले राज्य आपदा राहत निधि के केंद्र के हिस्से के रूप में ₹181.60 करोड़ प्राप्त हुए।

2.3.3 पूँजीगत अनुभाग के तहत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजी प्राप्तियाँ शामिल हैं जैसे विनिवेश से आय, ऋण और अग्रिम की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और ऋण और अग्रिम के रूप में भारत सरकार से प्राप्तियाँ।

निम्न तालिका वर्ष 2018-19 से 2022-23 के लिए पूँजीगत अनुभाग में प्राप्तियों की वृद्धि और संरचना के प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 2.10: पूँजीगत अनुभाग के तहत प्राप्तियों की संरचना एवं वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पूँजीगत अनुभाग के तहत राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	5.26	4.70	4.85	4.89	5.60
2	ऋण तथा अग्रिमों की वसूली	162.32	256.78	104.80	88.06	117.52
3	अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.56	0.13	(-)0.67	(-)0.04	(-)0.28
4	गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (अ)	168.14	261.61	108.98	92.91	122.84
5	आंतरिक ऋण	13,816.66	19,308.36	17,961.37	9,321.77	6,938.61
6	वृद्धि दर (प्रतिशत)	50.38	39.75	(-)6.98	(-)48.10	(-)25.57
7	केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	553.44	279.17	3,620.31	5,776.51	3,700.13
8	वृद्धि दर (प्रतिशत)	19.13	(-)49.56	1,196.81	59.56	(-)35.95
9	लोक ऋण प्राप्तियाँ (ब)	14,370.10	19,587.53	21,581.68	15,098.28	10,638.74
10	पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ (अ+ब)	14,538.24	19,849.14	21,690.66	15,191.19	10,761.58
11	गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	17.46	55.59	(-)58.34	(-)14.75	32.21
12	पूँजीगत प्राप्तियों अनुभाग के अंतर्गत लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	48.88	36.31	10.18	(-)30.04	(-)29.54
13	वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.69	5.36	0.90	16.87	12.60
14	पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	48.42	36.53	9.28	(-)29.96	(-)29.16

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य की पूँजीगत अनुभाग के तहत प्राप्तियाँ वर्ष 2018-19 में ₹14,538.24 करोड़ से ₹3,776.66 करोड़ (25.98 प्रतिशत) घटकर 2022-23 में ₹10,761.58 करोड़ हो गया। वर्ष 2022-23 के दौरान, पूँजीगत अनुभाग प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में ₹4,429.61 करोड़ (29.16 प्रतिशत) की कमी मुख्य रूप से लोक ऋण प्राप्तियों यानी आंतरिक ऋण में ₹2,383.16 करोड़ (25.57 प्रतिशत) और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम में ₹2,076.38 करोड़ (35.95 प्रतिशत) की कमी के कारण आई।

गैर-ऋण पूँजी प्राप्तियाँ, मुख्य रूप से ऋणों और अग्रिमों की वसूली के रूप में, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में ₹29.46 करोड़ (33.45 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

2.3.4 संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

संसाधनों के जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आंकलन उसके स्वयं के संसाधनों जिसमें स्वयं के कर और करेत्तर राजस्व स्रोत शामिल हैं। पंद्रहवें वित्त आयोग के आंकलन एवं बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के वास्तविक स्वयं का कर राजस्व और करेत्तर राजस्व का विवरण तालिका 2.11 में दिए गए है।

तालिका 2.11: कर और करेत्तर प्राप्तियों के सापेक्ष अनुमान

(₹ करोड़ में)

क. सं.	विवरण	पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान	बजट अनुमान	वास्तविक	वास्तविक के सापेक्ष प्रतिशत परिवर्तन	
					पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान	बजट अनुमान
1	स्वयं के कर राजस्व	26,410.00	29,000.00	33,122.31	25.42	14.21
2	करेत्तर राजस्व	9,629.00	15,500.00	15,248.24	58.36	(-)-1.62
योग		36,039.00	44,500.00	48,370.55	34.22	8.70

स्रोत: वित्त लेखे, बजट बुक तथा वित्त आयोग प्रतिवेदन

राज्य शासन ने स्वयं के कर राजस्व जुटाने में पंद्रहवें वित्त आयोग और बजट अनुमानों में निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध अपेक्षाओं को पूरा करने में क्रमशः 25.42 प्रतिशत और 14.21 प्रतिशत जुटाने में सफल रहा। हालाँकि, यह अपने ही बजट अनुमान में निर्धारित करेत्तर राजस्व लक्ष्य को पूरा नहीं कर सका और 1.62 प्रतिशत कम रहा। स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि (₹4,122.31 करोड़) मुख्य रूप से बजट में किए गए अनुमानों की तुलना में बिक्री, व्यापार आदि पर करों में ₹1,520.71 करोड़ और बिजली पर कर और शुल्क ₹826.97 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई। इसी प्रकार, करेत्तर राजस्व में ₹251.76 करोड़ की कमी मुख्य रूप से बजट में किए गए अनुमानों की तुलना में वृहद् सिंचाई के तहत ₹275.20 करोड़ और ब्याज प्राप्तियों के तहत ₹61.91 करोड़ की कम प्राप्तियों के कारण हुई।

2.4 संसाधनों का उपयोग

राज्य शासन को राजकोषीय जिम्मेदारी विधायी के ढांचे के भीतर व्यय का उत्तरदायित्व निहित है, जबकि साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य में चालू राजकोषीय सुधार और सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया पूँजीगत अधोसंरचना और सामाजिक क्षेत्र के विकास की दिशा में व्यय की लागत पर न हो।

2.4.1 व्यय की वृद्धि एवं संरचना

वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कुल व्यय, इसकी संरचना और सापेक्ष हिस्सेदारी तालिका 2.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.12: कुल व्यय और इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

क. सं.	मापदंड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (वास्तविक)
1	कुल व्यय	73,555.31	82,099.86	79,107.54	85,838.04	1,04,000.03	98,691.19
2	राजस्व व्यय	64,411.17	73,477.31	70,032.84	75,010.01	88,371.61	85,285.03
3	पूँजीगत व्यय	8,903.45	8,566.39	9,024.19	10,504.22	15,240.69	13,320.30
4	ऋण एवं अग्रिम ⁴	240.69	56.16	50.51	323.81	387.73	85.86
5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्य पर	3,27,107	3,44,648	3,47,752	4,06,416	4,38,478	4,57,608
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में						
7	कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	22.49	23.82	22.75	21.12	23.72	21.57
8	राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	19.69	21.32	20.14	18.46	20.15	18.64
9	पूँजीगत व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2.72	2.49	2.60	2.58	3.48	2.91
10	ऋण एवं अग्रिम/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.07	0.02	0.01	0.08	0.09	0.02

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.12 से पता चलता है कि राज्य का कुल व्यय 2018-19 में ₹73,555.31 करोड़ से ₹25,135.88 करोड़ (34.17 प्रतिशत) बढ़कर 2022-23 में ₹98,691.19 करोड़ हो गया। वर्ष 2020-21 को छोड़कर, 2018-23 के दौरान कुल व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई। हालाँकि, इसी अवधि के दौरान जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय 22.49 प्रतिशत से घटकर 21.57 प्रतिशत हो गया। चालू वर्ष के दौरान, कुल व्यय में ₹12,853.15 करोड़ (14.97 प्रतिशत) की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में ₹10,275.02 करोड़ (13.70 प्रतिशत) और पूँजीगत व्यय में ₹2,816.08 करोड़ (26.81 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण हुई।

वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व, पूँजीगत और ऋण एवं अग्रिम पर वास्तविक व्यय बजटीय अनुमान से कम था। बजट अनुमानों से विचलन सरकार के नियंत्रण के भीतर और बाहर, विभिन्न कारणों से वांछित वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति न होने का संकेत है।


इसके अलावा, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय 18.46 प्रतिशत से बढ़कर 18.64 प्रतिशत हो गया है। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय में 2018-19 (2.72 प्रतिशत) से 2021-22 (2.58 प्रतिशत) तक गिरावट देखी गई, हालाँकि 2022-23 में यह बढ़कर 2.91 प्रतिशत हो गया।

चार्ट 2.8 कुल व्यय में घटकों के हिस्से की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

⁴ अंतर्राज्यीय परिशोधन सहित ऋण और अग्रिम

चार्ट 2.8: कुल व्यय: इसके घटकों के हिस्से में प्रवृत्ति

(प्रतिशत में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.8 से पता चलता है कि 2018-23 के दौरान कुल व्यय में राजस्व व्यय का प्रमुख अनुपात (86.41 प्रतिशत से 89.50 प्रतिशत) था। दूसरी ओर, पूँजीगत व्यय कुल व्यय का 10.43 प्रतिशत से 13.50 प्रतिशत के बीच था।

गतिविधियों के संदर्भ में, कुल व्यय (परिशिष्ट 2.1) में ब्याज भुगतान सहित सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और अन्य पर व्यय शामिल है। इन घटकों पर सापेक्ष व्यय तालिका 2.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.13: व्यय के विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा

(₹ करोड़ में)


क्र. सं.	मापदंड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	सामान्य सेवायें	15,535.80	19,289.82	20,095.21	21,727.03	23,579.86
2	सामाजिक सेवायें	25,319.17	28,610.12	28,001.32	31,382.55	36,842.83
3	आर्थिक सेवायें	31,804.93	33,079.55	29,885.69	31,615.95	37,126.03
4	अन्य (स्थानीय निकायों को अनुदान और अंतर्राज्यीय परिशोधन)	895.41	1,120.37	1,125.32	1,112.51	1,142.47
कुल व्यय		73,555.31	82,099.86	79,107.54	85,838.04	98,691.19

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- सामान्य सेवाओं पर व्यय 2021-22 में ₹21,727.03 करोड़ से ₹1,852.83 करोड़ (8.53 प्रतिशत) बढ़कर 2022-23 में ₹23,579.86 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण पुलिस पर ₹406.69 करोड़ और सार्वजनिक कार्यों पर ₹262.43 करोड़ की वृद्धि है।
- चालू वर्ष के दौरान, सामाजिक सेवाओं में व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹5,460.28 करोड़ (17.40 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण सामान्य शिक्षा में ₹2,133.79 करोड़, जल आपूर्ति और स्वच्छता में ₹1,164.56 करोड़ और आवास में ₹1,064.19 करोड़ की वृद्धि है।
- पिछले वर्ष की तुलना में आर्थिक सेवाओं में व्यय में ₹5,510.08 करोड़ (17.43 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण फसल पालन पर ₹1,643.76 करोड़, खाद्य भंडारण और वेयरहाउसिंग पर ₹1,615.68 करोड़ और बिजली पर ₹1,265.04 करोड़ की वृद्धि है।

चार्ट 2.9: गतिविधियों द्वारा कुल व्यय

(प्रतिशत में)




स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि चार्ट 2.9 से देखा जा सकता है, कुल व्यय में सामाजिक सेवा व्यय की हिस्सेदारी में वृद्धि देखी गई है जो 2018-19 में 34.42 प्रतिशत से 2022-23 में 37.33 प्रतिशत हो गई है। कुल व्यय में सामान्य सेवाओं की हिस्सेदारी 2018-19 में 21.12 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 23.89 प्रतिशत हो गई, जबकि आर्थिक सेवाएँ इसी अवधि के दौरान 43.24 प्रतिशत से घटकर 37.62 प्रतिशत हो गईं। 2022-23 के दौरान कुल व्यय में सामाजिक और आर्थिक सेवाओं का हिस्सा 74.95 प्रतिशत था। चार्ट 2.10, 2022-23 के दौरान व्यय की संरचना को दर्शाता है।

चार्ट 2.10: 2022-23 के दौरान कुल व्यय की संरचना

(प्रतिशत में)



स्रोत: वित्त लेखे 2022-23

चार्ट 2.10 से देखा जा सकता है कि वर्ष 2022-23 के दौरान, सामाजिक सेवाओं के तहत राजस्व व्यय कुल व्यय का 32.24 प्रतिशत सबसे अधिक था, इसके बाद आर्थिक सेवाओं में 29.89 प्रतिशत और सामान्य

सेवाओं में 23.13 प्रतिशत था। पूँजीगत व्यय, सामान्य सेवाओं पर 0.76 प्रतिशत, सामाजिक सेवाओं पर 5.05 प्रतिशत, आर्थिक सेवाओं पर 7.68 प्रतिशत और वितरित ऋण और अग्रिम कुल व्यय का 0.09 प्रतिशत था।

2.4.2 राजस्व व्यय

पूर्व के दायित्वों के भुगतान एवं सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखने के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार यह राज्य के बुनियादी ढाँचों और सेवा तंत्र की किसी भी तरह से वृद्धि नहीं करता है। कुल राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, कुल व्यय और इसकी कुल व्यय का अनुपात एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष उत्प्लावकता का उल्लेख तालिका 2.14 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.14: राजस्व व्यय—मूल मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मापदंड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	कुल व्यय	73,555.31	82,099.86	79,107.54	85,838.04	98,691.19
2	राजस्व व्यय	64,411.17	73,477.31	70,032.84	75,010.01	85,285.03
3	राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	14.55	14.08	(-4.69)	7.11	13.70
4	राजस्व व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत	87.57	89.50	88.53	87.39	86.42
5	राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	19.69	21.32	20.14	18.46	18.64
6	राजस्व प्राप्तियाँ	65,094.93	63,868.70	63,176.18	79,652.03	93,877.14
7	राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.13	(-1.88)	(-1.08)	26.08	17.86
8	राजस्व व्यय की राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	98.95	115.04	110.85	94.17	90.85
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.69	5.36	0.90	16.87	12.60
राजस्व व्यय का उत्प्लावकता अनुपात						
10	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से	0.92	2.63	-*	0.42	1.09

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* 2020-21 में राजस्व व्यय वृद्धि नकारात्मक होने के कारण उत्प्लावकता अनुपात की गणना नहीं की जा सकती


राजस्व व्यय 2018-19 में ₹64,411.17 करोड़ से ₹20,873.86 करोड़ (32.41 प्रतिशत) बढ़कर 2022-23 में ₹85,285.03 करोड़ हो गया। हालाँकि, पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में इसमें ₹10,275.02 करोड़ (13.70 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण सामान्य शिक्षा (₹2,037.23 करोड़), खाद्य भंडारण और भाण्डागार (₹1,704.48 करोड़) और फसल पालन (₹1,623.46 करोड़) के तहत व्यय में वृद्धि है। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय 2018-19 में 19.69 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 18.64 प्रतिशत हो गया।

जीएसडीपी के संदर्भ में राजस्व व्यय उत्प्लावकता, जो वर्ष 2021-22 में 0.42 था, वर्ष 2022-23 में बढ़कर 1.09 हो गया है।

राजस्व व्यय ने 2020-21 को छोड़कर, जिसमें इसने (-)4.69 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की है, पिछले दस वर्षों में बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाया है। वर्ष 2013-14 से 2022-23 तक पिछले दस साल की अवधि के दौरान राजस्व व्यय का सीएजीआर 10.01 प्रतिशत था।

राजस्व व्यय की प्रवृत्ति, बजट अनुमान और जीएसडीपी के संबंध में चार्ट 2.11 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.11: बजट अनुमान और जीएसडीपी के संबंध में राजस्व व्यय




स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है, पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2018-19 से 2022-23 में राजस्व व्यय बजटीय अनुमानों के भीतर था। वर्ष 2018-19 से 2019-20 के दौरान जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय में वृद्धि हुई। हालाँकि, 2020-22 के दौरान इसमें गिरावट का रुझान दिखा और 2019-20 में 21.32 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 18.64 प्रतिशत हो गया।

राजस्व व्यय का क्षेत्रीय वितरण चार्ट 2.12 में दिया गया है।

चार्ट 2.12: वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण



स्रोत: वर्ष 2022-23 के वित्त लेखे

2.4.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन

राजस्व व्यय 2021-22 में ₹75,010.01 करोड़ से ₹10,275.02 करोड़ (13.70 प्रतिशत) बढ़कर 2022-23 में ₹85,285.03 करोड़ हो गया। तालिका 2.15 में पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में विभिन्न लेखा शीर्षकों के तहत महत्वपूर्ण विविधता का विवरण दिया गया है।

तालिका 2.15: राजस्व व्यय में महत्वपूर्ण विविधता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखे के मुख्य शीर्ष	2021-22	2022-23	वृद्धि (+)/कमी (-)
1	2202-सामान्य शिक्षा	15,332.29	17,369.52	2,037.23
2	2408-खाद्य भंडारण एवं भाण्डागार	4,207.10	5,911.58	1,704.48
3	2401-फसल कृषि कर्म	7,361.58	8,985.04	1,623.46
4	2801-विद्युत	3,800.00	5,262.19	1,462.19
5	2216-आवास	230.50	1,246.65	1,016.15
6	2217-शहरी विकास	1,649.46	2,639.98	990.52
7	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	5,956.21	5,624.24	(-)331.97
8	2505-ग्रामीण रोजगार	1,601.31	1,332.20	(-)269.11
9	2501-ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	519.20	259.66	(-)259.54
10	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2,201.18	2,024.64	(-)176.54

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- मुख्य शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा के तहत ₹2,037.23 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से केंद्र और राज्य की योजनाओं से संबंधित जैसे समग्र शिक्षा (₹447.65) करोड़, न्यूनतम सेवाओं के लिए सरकारी प्राथमिक विद्यालय (₹234.86 करोड़), न्यूनतम सेवाओं के लिए माध्यमिक विद्यालय (₹161.92 करोड़), गैर-सरकारी स्कूलों को न्यूनतम सेवाओं के लिए अनुदान (₹135.46 करोड़), आश्रम और स्कूलों (₹20.66 करोड़) और छात्रावासों (₹44.34 करोड़) के व्यय में वृद्धि के कारण हुई।
- 2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागार के तहत व्यय में ₹1,704.48 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना के तहत दी गई सब्सिडी ₹1,017 करोड़ की वृद्धि और राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न की खरीद में नुकसान की भरपाई योजना के तहत ₹700.01 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।
- 2401-फसल कृषि कर्म के तहत व्यय में ₹1,623.46 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से राजीव गांधी किसान न्याय योजना में ₹1,476.01 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ₹95.38 करोड़ और कृषि इंजीनियरिंग मिशन के तहत कृषि उपकरणों पर सब्सिडी में ₹33.51 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।
- 2801-विद्युत के तहत ₹1,462.19 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से पांच हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली की आपूर्ति के लिए ₹753.42 करोड़ रुपये, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में ₹215.48 करोड़ की राहत और एकल बत्ती कनेक्शन ₹134.63 करोड़ के तहत दी गई सब्सिडी में वृद्धि के कारण हुई।
- 2216-आवास के तहत व्यय में ₹1,016.15 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण में ₹1,007.10 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।

- 2217—शहरी विकास के तहत व्यय में ₹990.52 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से नई योजनाओं जैसे रायपुर स्मार्ट सिटी पर ₹196 करोड़, बिलासपुर स्मार्ट सिटी पर ₹194 करोड़, और नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी मिशन ₹205 करोड़ पर व्यय में वृद्धि के कारण हुई।
- 2210—चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के तहत व्यय में ₹331.97 करोड़ की कमी मुख्य रूप से राष्ट्रीय आयुष मिशन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (बुनियादी सेवाएं), कोविड-19 मामलों में कमी, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आदि के तहत व्यय में कमी के कारण हुई।
- 2505—ग्रामीण रोजगार के तहत व्यय में ₹269.11 करोड़ की कमी मुख्य रूप से जिला पंचायत को सहायता पर व्यय में ₹127.87 करोड़ की कमी के कारण हुई।
- 2501—ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम के तहत व्यय में ₹259.55 करोड़ की कमी मुख्य रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर व्यय में ₹146.06 करोड़ की कमी के कारण हुई।
- 2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के तहत व्यय में ₹176.54 करोड़ की कमी मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत ₹91.45 करोड़ और अन्य योजनाओं (राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, "छत्तीसगढ़ निशक्तजन वित्त एवं विकास निगम", एकीकृत सेवा योजना", राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन प्राधिकरण के अन्तर्गत राज्य महिला केन्द्र की स्थापना आदि) के तहत व्यय में कमी के कारण हुई।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध एवं गैर-प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते पर राज्य शासन के व्यय को प्रतिबद्ध और गैर-प्रतिबद्ध व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। राजस्व खाते पर शासन के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्य रूप से वेतन और मजदूरी, ब्याज भुगतान, और पेंशन पर व्यय शामिल है। प्रतिबद्ध व्यय के अलावा अन्य व्यय को गैर-प्रतिबद्ध व्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है।

उपरोक्त के अलावा, अनम्य व्यय की कुछ मदें हैं जिन्हें आम तौर पर बदला या परिवर्तित नहीं जा सकता है या पूंजीगत व्यय आदि जैसे परिवर्तनीय लेनदेन के विपरीत, वार्षिक आधार पर वैधानिक रूप से आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित मदों को अनम्य व्यय के रूप में माना जा सकता है :

- (i) स्थानीय निकायों को हस्तांतरण – वेतन और भत्ते के लिए स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण (पूंजीगत व्यय के लिए हस्तांतरण/स्थानांतरण)।
- (ii) आरक्षित निधि में योगदान की वैधानिक आवश्यकताएं – समेकित सिंकिंग फंड (सीएसएफ), गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ), राज्य आपदा न्यूनीकरण/प्रतिक्रिया निधि (एसडीएमएफ/एसडीआरएफ), आदि में योगदान।
- (iii) आकस्मिकता निधि की वसूली – वर्ष के भीतर वसूल की गई राशि।
- (iv) उपकर को आरक्षित निधि/अन्य निकाय में स्थानांतरित करना, जो वैधानिक रूप से आवश्यक है।
- (v) प्राप्त केंद्रीय निधि के विरुद्ध सीएसएस का शेयर योगदान – राज्य के हिस्से की राशि एसएनए को हस्तांतरित की जाएगी।

प्रतिबद्ध व्यय में ऊपर की ओर की प्रवृत्ति शासन को विकास क्षेत्र के लिए कम लचीलेपन के साथ छोड़ देती है। प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय और उसके घटकों की प्रवृत्ति का विश्लेषण तालिका 2.16 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.16: प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	प्रतिबद्ध व्यय के घटक					
i	वेतन एवं मजदूरी	17,807.60	21,763.92	22,002.14	24,017.18	26,270.55
ii	पेंशन पर व्यय	5,428.50	6,637.98	7,136.00	7,472.22	7,661.46
iii	ब्याज भुगतान	3,652.55	4,970.36	5,633.11	6,144.24	6,382.08
	योग	26,888.65	33,372.26	34,771.25	37,634.24	40,314.09
2	अनम्य व्यय के घटक					
i	स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण	895.16	1,120.32	1,125.31	1,112.76	1,142.57
ii	आरक्षित निधि में योगदान	571.49	6,447.59	748.32	1,326.36	1,110.81
iii	आकस्मिकता निधि की वसूली	9.80	13.87	13.39	2.00	106.06
iv	आरक्षित निधि/अन्य निकाय को उपकर का स्थानांतरण	243.23	405.56	308.80	345.70	370.80
v	प्राप्त केंद्रीय निधि के विरुद्ध सीएसएस का अंशदान	4,611.05	4,120.77	3,761.37	2,594.37	4,366.44
	योग	6,330.73	12,108.11	5,957.19	5,381.19	7,096.68
3	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय					
i	वेतन एवं मजदूरी	27.36	34.08	34.83	30.15	27.98
ii	पेंशन पर व्यय	8.34	10.39	11.30	9.38	8.16
iii	ब्याज भुगतान	5.61	7.78	8.92	7.71	6.80
	योग	41.31	52.25	55.05	47.24	42.94
4	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में अनम्य व्यय					
	योग	9.73	18.96	9.43	6.76	7.56
5	राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय					
i	वेतन एवं मजदूरी	27.65	29.62	31.42	32.02	30.80
ii	पेंशन पर व्यय	8.43	9.03	10.19	9.96	8.99
iii	ब्याज भुगतान	5.67	6.76	8.04	8.19	7.48
	योग	41.75	45.41	49.65	50.17	47.27
6	राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में अनम्य व्यय					
	योग	9.83	16.48	8.51	7.17	8.32
7	गैर-प्रतिबद्ध व्यय	37,522.52	40,105.05	35,261.59	37,375.77	44,970.94
8	राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में	58.25	38.96	50.35	49.83	52.73
9	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में	51.01	48.85	44.57	43.54	45.57

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

प्रतिबद्ध व्यय राज्य के व्यय को प्राथमिकता देने और सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए पूंजी निवेश को पूरा करने में प्रभावित करता है। राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का उच्च अनुपात इंगित करता है कि नई योजनाओं के लिए अपने संसाधनों के आवंटन में राज्य के पास सीमित लचीलापन है।

तालिका 2.16 से पता चलता है कि, प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति है और वर्ष 2018-19 में ₹26,888.65 करोड़ (राजस्व व्यय का 41.75 प्रतिशत) से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹40,314.09 करोड़ (राजस्व व्यय का 47.27 प्रतिशत) हो गया है। चालू वर्ष के दौरान, मुख्य रूप से वेतन और मजदूरी के व्यय में वृद्धि के कारण प्रतिबद्ध व्यय में ₹2,679.85 करोड़ की वृद्धि हुई।

(अ) वेतन और मजदूरी

वर्ष 2022-23 के दौरान वेतन और मजदूरी पर व्यय पिछले वर्ष (₹24,017.78 करोड़) की तुलना में 9.38 प्रतिशत (₹26,270.55 करोड़) बढ़ गया और राजस्व व्यय का 30.80 प्रतिशत बन गया।

(ब) ब्याज भुगतान

वर्ष 2018-23 के दौरान सार्वजनिक ऋण में लगातार वृद्धि के कारण वर्ष 2022-23 (₹6,382.08 करोड़) में ब्याज भुगतान वर्ष 2018-19 (₹3,652.55 करोड़) की तुलना में 74.73 प्रतिशत बढ़ गया। बाजार ऋण पर ब्याज भुगतान और कुल ब्याज भुगतान का अनुपात 2018-19 में 61.56 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 72.96 प्रतिशत हो गया। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में, ब्याज भुगतान पर व्यय वर्ष 2018-19 में 5.61 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 6.80 प्रतिशत हो गया।

(स) पेंशन पर व्यय


वर्ष 2022-23 में पेंशन पर व्यय (₹7,661.46 करोड़) पिछले वर्ष (₹7,472.22 करोड़) की तुलना में 2.53 प्रतिशत मुख्य रूप से पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी के साथ-साथ सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के कारण बढ़ गया। 2022-23 में पेंशन पर व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों का 8.16 प्रतिशत और राज्य के राजस्व व्यय का 8.99 प्रतिशत था।

(द) अनम्य व्यय

अनम्य व्यय के घटकों में स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण और आरक्षित निधि में योगदान शामिल है, जिसमें वर्ष 2018-19 की तुलना में 2019-20 में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, फिर 2020-22 की अवधि के दौरान कमी आई और 2022-23 में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में, अनम्य व्यय वर्ष 2018-19 में 9.83 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2022-23 में 8.32 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, पिछले वर्ष (₹5,381.19 करोड़) की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान अनम्य व्यय (₹7,096.68 करोड़) में 31.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2018-23 के दौरान राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध और गैर-प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत **चार्ट 2.13** में दिया गया है:

चार्ट 2.13: राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध और गैर-प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि ऊपर चार्ट 2.13 से देखा जा सकता है, कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा वर्ष 2018-19 में 41.75 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 47.27 प्रतिशत हो गया और गैर-प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा वर्ष 2018-19 में 58.25 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2022-23 में 52.73 प्रतिशत हो गया। राजस्व प्राप्तियों के लिए प्रतिबद्ध व्यय का अनुपात वर्ष 2018-19 में 41.31 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 42.94 प्रतिशत हो गया।

2.4.2.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अन-उन्मोचित दायित्व

वर्ष 2022-23 के दौरान, पेंशन भुगतान पर व्यय ₹7,661.46 करोड़ था, जिसमें से 1 जनवरी 2005 को या उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) पर ₹144.83 करोड़ रुपये व्यय किए गए। छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने पत्र संख्या 282 दिनांक 11.05.2022 के माध्यम से 01.11.2004 से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में वापसी के लिए अधिसूचना जारी की है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

शासकीय कर्मचारी जो 1 नवम्बर 2004 को या इसके पश्चात नियुक्त हुए हैं उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया गया जो कि एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के अनुसार कर्मचारी अपना मूलवेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत का अंशदान करता है, राज्य शासन (01.04.2022 से) मूल वेतन और मंहगाई भत्ते का 14 प्रतिशत योगदान करती है, तथा संपूर्ण राशि निश्चित निधि प्रबंधक के माध्यम से नेशनल सिक््योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) / न्यासी बैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

1 अप्रैल 2022 को लोक लेखों – मुख्य शीर्ष 8342 अन्य जमा – (117) परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के तहत प्रारंभिक शेष राशि ₹37.79 करोड़ थी। इस मद के तहत 2022-23 के दौरान प्राप्तियां ₹129.00 करोड़ थीं और ₹146.24 करोड़ लोक लेखों से एनएसडीएल को हस्तांतरित किए गए थे। 31 मार्च 2023 तक, लोक लेखों में ₹20.55 करोड़ की शेष राशि एनएसडीएल/ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित होने के लिए लंबित थी। एनएसडीएल को शेष निधि के लंबित हस्तांतरण के परिणामस्वरूप राज्य सरकार पर

₹0.65 करोड़ की ब्याज देनदारी हुई और उस सीमा तक कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ के संबंध में अनिश्चितता पैदा हुई। इसके अलावा, ₹0.65 करोड़⁵ की ब्याज देनदारी का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय कम बताया गया है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, एनपीएस में कुल योगदान, जो एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है, ₹273.83 करोड़ था (कर्मचारी का योगदान ₹124.59 करोड़, सरकार का योगदान ₹144.83 करोड़, कर्मचारी और नियोक्ता का प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों का योगदान ₹4.41 करोड़ और ब्याज एनपीएस के मासिक योगदान में कटौती में देरी के कारण डीडीओ द्वारा जमा किया गया ₹0.001 करोड़)। सरकार ने मुख्य शीर्ष 8342-117 परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के तहत लोक लेखा में ₹129.00 करोड़ हस्तांतरित किए। ₹144.83 करोड़ का सरकारी योगदान सीधे मुख्य शीर्ष 2071 से एनएसडीएल को हस्तांतरित कर दिया गया।

चूंकि नई अंशदायी पेंशन योजना में योगदान 01.04.2022 से समाप्त कर दिया गया था, एनपीएस में कुल योगदान जो एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है, 2021-22 में ₹2,579.36 करोड़ (कर्मचारी का योगदान ₹1,296.61 करोड़ + राज्य सरकार का योगदान ₹1,282.75 करोड़) से ₹2,305.53 करोड़ कम होकर 2022-23 में ₹273.83 करोड़ (कर्मचारी का योगदान ₹129.00 करोड़ + राज्य सरकार का योगदान ₹144.83 करोड़) हो गया।

2.4.2.4 सब्सिडी

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य शासन ने सब्सिडी के रूप में ₹8,306.28 करोड़ का भुगतान किया। वर्ष 2018-23 के दौरान राज्य शासन द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी का विवरण तालिका 2.17 में दिखाया गया है।

तालिका 2.17: वर्ष 2018-23 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	8,323.01	11,483.23	7,307.94	6,565.30	8,306.28
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	12.79	17.98	11.57	8.24	8.85
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	12.92	15.63	10.44	8.75	9.74

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

सब्सिडी पर व्यय 2021-22 में ₹6,565.30 करोड़ से ₹1,740.98 करोड़ (26.52 प्रतिशत) बढ़कर 2022-23 में ₹8,306.28 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना (₹1,017 करोड़) और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल में (₹215.48 करोड़) राहत के तहत सब्सिडी में वृद्धि है।

वर्ष 2022-23 के दौरान सब्सिडी का बड़ा हिस्सा वाले विभाग तालिका 2.18 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.18: वर्ष 2022-23 के दौरान सब्सिडी के बड़े हिस्से वाले विभाग

क्र. सं.	प्राप्तकर्ता विभाग का नाम	सब्सिडी (₹ करोड़ में)	कुल सब्सिडी का प्रतिशत	मुख्य उद्देश्य
1	ऊर्जा	3,275.71	39.44	पांच हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए अनुदान (₹1,715.44 करोड़) और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत (₹1,115.48 करोड़) शामिल है।

⁵ ब्याज की गणना सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर 7.1% की दर से सामान्य भविष्य निधि को देय के अनुसार, 1 अप्रैल 2022 को ₹37.79 करोड़ की शेष राशि पर की गयी है

2	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	4,372.68	52.64	खाद्य खरीद पर घाटे को पूरा करने के लिए राज्य सहकारी विपणन संघ को अनुदान के कारण (₹750 करोड़) और मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना (₹3,399.99 करोड़)
---	-------------------------	----------	-------	--

स्रोत: वित्त लेखे 2022-23

2.4.2.5 राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को पिछले पाँच वर्षों के दौरान अनुदान एवं ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता की मात्रा तालिका 2.19 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 2.19: स्थानीय निकायों आदि के लिए वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्थानों को वित्तीय सहायता	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	(अ) स्थानीय निकाय					
2	नगर निगम एवं नगरपालिका	2,778.73	3,138.94	3,554.17	3,904.13	4,296.67
3	पंचायती राज संस्थान	6,905.17	6,006.83	4,421.79	4,345.60	5,903.98
4	योग (अ)	9,683.90	9,145.77	7,975.96	8,249.73	10,200.65
5	(ब) अन्य					
6	शैक्षणिक संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि)	170.44	273.67	204.97	254.57	262.59
7	विकास प्राधिकरण	271.41	235.06	229.93	393.08	661.14
8	सहकारी एवं अन्य संस्थान एवं गैर सरकारी संगठन	13,255.70	10,499.70	12,555.37	13,241.09	15,994.08
9	योग (ब)	13,697.55	11,008.43	12,990.27	13,888.74	16,917.81
10	योग (अ+ब)	23,381.45	20,154.20	20,966.23	22,138.47	27,118.46
11	वेतन के लिए जीआईए	1,592.75	673.48	140.35	192.34	253.37
12	पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए जीआईए	1,987.03	1,960.40	1,821.78	1,940.38	2,632.10
13	अन्य के लिए जीआईए	19,801.67	17,520.32	19,004.10	20,005.75	24,232.99
14	राजस्व व्यय	64,411.17	73,477.31	70,032.84	75,010.01	85,285.03
15	राजस्व व्यय के प्रतिशत रूप में सहायता	36.30	27.43	29.94	29.51	31.80

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता 2018-19 में ₹23,381.45 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹27,118.46 करोड़ हो गई है। 2022-23 के दौरान, स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता में पिछले वर्ष की तुलना में ₹1,950.92 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण पंचायती राज संस्थानों (जिला पंचायत - ₹882.44 करोड़ और ग्राम पंचायत - ₹623.49 करोड़) को प्रदान की गई सहायता में ₹1,558.38 करोड़ की वृद्धि है। राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वित्तीय सहायता 2018-19 में 36.30 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 31.80 प्रतिशत हो गयी है।


वर्ष 2022-23 के दौरान वेतन, पूँजीगत संपत्ति के निर्माण और अन्य उद्देश्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ गई है। आगे यह नोट किया गया कि वेतन घटक पर सहायता में 2018-21 तक लगातार घटती प्रवृत्ति देखी गई और फिर 2021-23 के दौरान मामूली वृद्धि हुई। इसके अलावा, वेतन, पूँजीगत संपत्ति के निर्माण और अन्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता

का हिस्सा पिछले पाँच वर्षों में क्रमशः 2.53 प्रतिशत, 9.08 प्रतिशत और 88.40 प्रतिशत की औसत दर से दिया गया था।

2.4.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय में मुख्य रूप से स्थायी अधोसंरचना जैसे भवन, सड़क, सेतु, आदि के निर्माण पर व्यय शामिल है। पाँच वर्ष की अवधि 2018-23 के दौरान बजट अनुमानों के विरुद्ध पूँजीगत व्यय का विवरण चार्ट 2.14 में दिया गया है।

चार्ट 2.14: राज्य में पूँजीगत व्यय



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पूँजीगत व्यय पिछले पांच वर्षों के दौरान 2018-19 में ₹8,903.45 करोड़ से ₹4,416.85 करोड़ (49.61 प्रतिशत) बढ़कर 2022-23 में ₹13,320.30 करोड़ हो गया। इसके अलावा, राज्य 2018-19 से 2022-23 तक परिसंपत्तियों के निर्माण पर बजट अनुमान को पूरा नहीं कर सका। 2018-22 के दौरान पूँजीगत व्यय के लिए बजट का उपयोग 62 प्रतिशत से 76 प्रतिशत के बीच था, हालांकि वर्ष 2022-23 में यह बढ़कर 87 प्रतिशत हो गया।

कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का प्रतिशत हिस्सा 2021-22 में 12.24 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 13.50 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2022-23 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में पूँजीगत व्यय में 26.81 प्रतिशत (₹2,816.08 करोड़) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण जल आपूर्ति और स्वच्छता (₹1,096.76 करोड़) और ग्रामीण विकास (₹690.49 करोड़) के व्यय में वृद्धि थी।

वर्ष 2022-23 के दौरान, कुल पूँजीगत व्यय (₹13,320.30 करोड़) का 32 प्रतिशत सड़कों और पुलों (₹4,299.30 करोड़) पर खर्च किया गया, इसके बाद जल आपूर्ति और स्वच्छता पर 19 प्रतिशत (₹2,521.23 करोड़) खर्च किया गया।

2.4.3.1 पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

तालिका 2.20 पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में पूँजीगत व्यय के विभिन्न लेखा शीर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि या कमी के मामले पर प्रकाश डालती है।

तालिका 2.20: वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

क. सं.	लेखे के मुख्य शीर्ष	2021-22	2022-23	वृद्धि (+)/कमी(-)
1	4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,424.47	2,521.23	1,096.76
2	4515-अन्य ग्रामीण विकास	271.28	961.77	690.49
3	4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	324.70	719.83	395.13
4	4059-लोक निर्माण	247.43	528.71	281.28
5	4225-एससी, एसटी और ओबीसी का कल्याण	381.40	491.78	110.38
6	4810-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर पूँजीगत परिव्यय	497.23	604.89	107.66
7	4801-विद्युत	327.95	130.80	(-)197.15
8	5054-सड़क एवं पुल	4,415.62	4,299.30	(-)116.32

स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2021-22 एवं 2022-23

- 4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से जल जीवन मिशन में व्यय में ₹1,120.64 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।
- 4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से ग्रामीण औद्योगिक पार्कों के तहत ₹296.94 करोड़, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के तहत ₹191.26 करोड़ और विधान निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के तहत ₹176.07 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।
- 4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर व्यय में वृद्धि मुख्यतः चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालयों के कार्यों की प्रगति, कैंसर संस्थान, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, फिजियोथेरेपी महाविद्यालय पर व्यय में वृद्धि के कारण हुई।
- 4059- लोक निर्माण पर व्यय में वृद्धि मुख्यतः नये कार्यों हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के कारण हुई।
- 4225-एससी, एसटी और ओबीसी के कल्याण पर व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से विशेष केंद्रीय सहायता आदि से स्थानीय विकास कार्यक्रम के तहत व्यय में वृद्धि, जनजातीय क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार और "अल्पसंख्यक बहु क्षेत्रीय विकास योजना" के तहत स्वीकृत कार्यों में वृद्धि के कारण हुई।
- 4810-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से सौर पंपों की स्थापना (₹124.42 करोड़), इंदिरा गांव गंगा योजना (₹9.00 करोड़) आदि के तहत व्यय में वृद्धि के कारण थी।
- 4801- विद्युत पर व्यय में कमी मुख्य रूप से बिजली कंपनियों की शेयर पूंजी में कम निवेश और कृषि पंपों के ऊर्जाकरण (₹21.14 करोड़), मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास (₹25 करोड़), मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना (₹64.20 करोड़), मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना (₹57.95 करोड़) जैसी योजनाओं के तहत कम व्यय के कारण हुई।
- 5054-सड़कों और पुलों पर व्यय में कमी मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास परियोजना (चरण II) से संबंधित कार्यों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने में देरी, छत्तीसगढ़ सड़क और औद्योगिक विकास निगम के निर्माण कार्यों के तहत कम व्यय, भूमि अधिग्रहण के मामले में देरी के कारण हुई।

2.4.3.2 पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता

यह अनुभाग 31 मार्च 2023 तक शासन द्वारा किए गए निवेशों और अन्य पूँजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

कंपनियों, निगमों एवं अन्य निकायों, जो घाटे में चल रहे हैं या जिनकी निवल संपत्ति पूरी तरह से खत्म हो गयी हो उसका वहन नहीं किया जा सकता।

कंपनियों, निगमों और सहकारी समितियों को दिए गए निवेश और ऋण, जो घाटे में चल रहे हैं और जिनकी निवल संपत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई है वह पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश की गई शेयर पूँजी का निवेश का प्रतिफल विभिन्न निकायों को दिये गए ऋणों के पुनर्भुगतान का इतिहास पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं।

निवेश और प्रतिफल

वित्त लेखा वर्ष 2022-23 के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन ने 10 सांविधिक निगमों, 28 सरकारी कंपनियों, 21 संयुक्त स्टॉक कंपनियों, दो ग्रामीण बैंकों और 1,460 सहकारी संस्थाओं में 31 मार्च 2023 तक ₹7,447.77 करोड़ का निवेश किया था। राज्य शासन ने वर्ष 2022-23 के दौरान इन निवेशों पर ₹6.20 करोड़ की लाभांश अर्जित की। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 की अवधि में निवेश का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:

तालिका 2.21: निवेशों का विवरण तथा निवेशों पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निवेश/प्रतिफल/उधार की लागत	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	सांविधिक निगम (ईकाइयों की संख्या)	86.92 (10)	87.88 (10)	88.34 (10)	89.69 (10)	89.89 (10)
2	सरकारी कंपनियों (ईकाइयों की संख्या)	6,683.34 (28)	6,683.34 (28)	6,683.34 (28)	6,733.34 (28)	6,733.34 (28)
3	संयुक्त स्टॉक कंपनियों (ईकाइयों की संख्या)	145.21 (22)	145.21 (22)	145.21 (22)	156.93 (22)	278.72 (21 ⁶)
4	ग्रामीण बैंक (ईकाइयों की संख्या)	25.15(02)	25.15(02)	25.15(02)	25.15(02)	25.15(02)
5	सहकारी संस्थाएं (ईकाइयों की संख्या)	327.42 (1,523)	324.21 (1,460)	319.26 (1,460)	315.08 (1,460)	320.67 (1,460)
6	कुल निवेश	7,268.05	7,265.79	7,261.30	7,320.19	7,447.77
7	वर्ष के अन्त में निवेश	7,268.05	7,265.79	7,261.30	7,320.19	7,447.77
8	निवेश पर प्रतिफल	1.49	2.39	2.29	3.64	6.20
9	निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत में)	0.02	0.03	0.03	0.05	0.08
10	शासकीय उधार पर औसत ब्याज दर ⁷ (प्रतिशत में)	6.11	6.83	6.70	6.80	6.91
11	निवेश पर प्रतिफल एवं ब्याज दर के बीच अंतर (प्रतिशत में)	(-)6.09	(-)6.80	(-)6.66	(-)6.75	(-)6.83

⁶ छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा 2016-17 (₹55.00 करोड़) और 2017-18 (₹87.20 करोड़) के दौरान दी गई राशि ₹142.20 करोड़ को तीन संयुक्त उद्यम कंपनियों की शेयर पूँजी में निवेश किया गया है। अतः संयुक्त उद्यम कंपनियों की कुल संख्या 21 दर्शायी गई है।

⁷ ब्याज की औसत दर की गणना कुल शासकीय उधारी से बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर की गई है।

12	सरकारी उधार की लागत/औसत ब्याज दर और उसके निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर	442.62	494.07	483.60	494.11	508.68
कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संस्थाओं की संख्या दर्शाते हैं						

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2022-23 के दौरान निवेश पर प्रतिफल ₹6.20 करोड़ (0.08 प्रतिशत) था। जबकि राज्य शासन ने इसी अवधि के दौरान अपने उधार पर 6.91 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया। निवेश के लिए उधार ली गई धनराशि का निरंतर उपयोग जिसमें पर्याप्त वित्तीय प्रतिफल नहीं है, एक अस्थिर वित्तीय स्थिति का कारण बनेगा।

राज्य शासन द्वारा ऋण और अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कंपनियों में निवेश के अलावा राज्य शासन ने कई संस्थानों/संगठनों को ऋण और अग्रिम भी प्रदान किए हैं। तालिका 2.22 31 मार्च 2023 के स्थिति में विगत पाँच वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान बकाया ऋणों और अग्रिमों के साथ-साथ ब्याज प्राप्तियों के विरुद्ध ब्याज भुगतान को प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.22: वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान ऋणों का वितरण एवं वसूली की मात्रा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वितरित एवं वसूली ऋणों की प्रमात्रा	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	बकाया ऋणों का प्रारंभिक शेष	1,519.63	1,597.75	1,397.08	1,173.86 ⁸	1,409.86
2	वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम	240.44	56.11	50.50	324.06	85.96
3	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान राशि	162.32	256.78	104.80	88.06	117.51
4	बकाया ऋणों का अंतिम शेष	1,597.75	1,397.08	1,342.78	1,409.86	1,378.31
5	निवल वृद्धि	78.12	(-)200.67	(-)54.30	236.00	(-)31.55
6	ब्याज प्राप्तियाँ	28.32	1.67	6.88	3.27	37.04
7	शासन द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर वापसी की दर (प्रतिशत में)	2.04	0.11	0.50	0.24	2.66
8	शासन के बकाया उधार पर भुगतान किये गये ब्याज का दर (प्रतिशत में)	6.11	6.83	6.70	6.80	6.91
9	ब्याज प्राप्तियाँ एवं ब्याज भुगतान के दरों में अंतर (प्रतिशत में)	(-)4.07	(-)6.72	(-)6.19	(-)6.56	(-)4.25

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पिछले वर्ष के दौरान ₹324.06 करोड़ के मुकाबले 2022-23 के दौरान ₹85.96 करोड़ की राशि ऋण के रूप में दी गई थी। दिये गये ऋण के विरुद्ध राज्य शासन को प्राप्त ब्याज ₹37.04 करोड़ था। मार्च 2023 के अंत में, सरकार पर ₹1,378.31 करोड़ का बकाया ऋण और अग्रिम था, जिसमें से ₹343.44 करोड़ शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित था, ₹163.01 करोड़ सरकारी कंपनियों से संबंधित था और ₹414.66 करोड़ सहकारी समितियों/निकायों से संबंधित था।

राज्य शासन द्वारा दिया गया कुल बकाया ऋण वर्ष 2021-22 में ₹1,409.86 करोड़ से घटकर वर्ष 2022-23 में ₹1,378.31 करोड़ हो गया। 2021-22 की तुलना में 2022-23 में ऋणों की वसूली में ₹29.45 करोड़

⁸ पावर कंपनी के वित्त खाते और खाते के आंकड़ों के बीच ऋण शेष के मिलान के कारण राज्य सरकार के पत्र संख्या 523/आर-110/2020/13/2 दिनांक 23-02-2022 द्वारा ₹168.92 करोड़ कम किया गया। ₹168.92 करोड़ में वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार की शेयर पूंजी के रूप में समायोजित ऋण का ₹136.78 करोड़ तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा 2004-05 एवं 2005-06 के दौरान ब्याज के अतिरिक्त भुगतान का ₹32.14 करोड़ ऋण की अदायगी के रूप में समायोजित शामिल है।

(33.44 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और ब्याज प्राप्तियों में ₹33.77 करोड़ (1,033 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2022-23 के दौरान प्राप्त ब्याज बकाया ऋण और अग्रिम का केवल 2.66 प्रतिशत था।

इसके अलावा, राज्य शासन ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित चीनी मिलों को नया ऋण और अग्रिम का भुगतान किया, जिनके विरुद्ध पूर्व से ही ऋणों की अदायगी बकाया है।

तालिका 2.23: वर्ष 2022-23 के दौरान चीनी मिलों को दिए गए ऋण और अग्रिम का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	नाम	पिछले बकाया ऋणों का वर्ष	1 अप्रैल 2022 तक बकाया मूलधन की राशि	इस वर्ष के दौरान ऋण की राशि	इस वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	31 मार्च 2023 तक कुल बकाया राशि	31 मार्च 2023 तक बकाया ब्याज
1	लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल चीनी मिल लिमिटेड	2016-17	106.00	13.00	4.00	115.00	38.06
2	भोरमदेव सहकारी चीनी मिल लिमिटेड	2012-13	88.00	13.00	25.00	76.00	30.52
3	महामाया सहकारी चीनी मिल लिमिटेड	2008-09	110.67	17.00	32.00	95.67	73.14
4	दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी मिल, लिमिटेड	2005-06	81.58	7.00	0.85	87.73	57.08

स्रोत: वित्त लेखे 2022-23

2.4.3.3 अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी

अपूर्ण पूँजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूँजी के प्रवृत्ति का आंकलन भी पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता को इंगित करता है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों को अवरोधन नकारात्मक रूप से व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित करता है और राज्य को लंबे समय तक वांछित लाभों से वंचित करता है। इसके अलावा, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उधार जो धन लिया, वह ऋण और ब्याज देनदारियों की अदायगी के मामले में अतिरिक्त बोझ की ओर ले जाती है।

निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत ₹10 करोड़ और उससे अधिक लागत के 372 कार्यों में से 148 कार्य 31 मार्च 2023 को या उससे पहले पूरे किए जाने थे। अपूर्ण कार्यों का विभागवार विवरण तालिका 2.24 में दिखाया गया है।

तालिका 2.24: विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	48 अपूर्ण परियोजनाएं जिनकी लागत पुनरीक्षित की गई				31 मार्च 2023 को 148 अपूर्ण परियोजनाओं का संचयी व्यय
				48 परियोजनाओं की प्रारंभिक अनुमानित लागत		48 परियोजनाओं की संशोधित लागत	48 परियोजनाओं की अतिरिक्त लागत	
				क्र.	राशि			
1	लोक निर्माण	9	402.02	2	151.61	551.20	399.59	517.40
2	जल संसाधन	139	4,208.13	46	1,753.33	4,188.42	2,435.09	5,017.28
योग		148	4,610.15	48	1,904.94	4,739.62	2,834.68	5,534.68

स्रोत: वित्त लेखे 2022-23

₹4,610.15 करोड़ की अनुमानित लागत वाले 148 अधूरे कार्यों (₹10 करोड़ से अधिक लागत) में से, राज्य शासन ने ₹2,834.68 करोड़ की लागत वृद्धि वाली 48 अपूर्ण परियोजनाओं की लागत में संशोधन किया है। चूंकि राज्य शासन ने शेष अधूरे कार्यों की लागत का मूल्यांकन नहीं किया था, इसलिए इन परियोजनाओं की वास्तविक लागत का आकलन नहीं किया जा सका।

2.4.4 व्यय प्राथमिकताएं

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर अपना व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। कम राजकोषीय प्राथमिकता (किसी एक श्रेणी में कुल व्यय का सकल व्यय का अनुपात) एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी है, यदि आबंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से नीचे है। इन घटकों का कुल व्यय से जितना अधिक अनुपात होगा उतना ही व्यय की गुणवत्ता को बेहतर मानी जाती है।

तालिका 2.25 में वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक सेवाओं के व्यय और पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य शासन की राजकोषीय प्राथमिकताओं को दर्शाया गया है।

तालिका 2.25: राज्य के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पूंजीगत व्यय की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

क्र. सं.		टीई /स.रा.घ.उ.	एसएसई /टीई	ईएसई /टीई	डीई /टीई	सीई /टीई	शिक्षा /टीई	स्वास्थ्य /टीई
1	औसत (अनुपात) 2018-19							
2	सामान्य श्रेणी राज्य [#]	16.38	36.60	30.65	67.24	14.04	14.76	5.07
3	छत्तीसगढ़	22.49	34.42	43.24	77.66	12.10	17.49	5.11
4	औसत (अनुपात) 2022-23							
5	सामान्य श्रेणी राज्य [#]	15.79	38.11	29.17	67.28	13.48	14.85	5.68
6	छत्तीसगढ़	21.57	37.33	37.62	74.95	13.50	18.29	6.70

टीई: कुल व्यय, एसएसई: सामाजिक क्षेत्र पर व्यय, डीई-विकास व्यय, सीई: पूंजीगत व्यय, ईएसई: आर्थिक क्षेत्र व्यय, विकास व्यय के अंतर्गत विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूंजीगत व्यय एवं वितरित विकासात्मक ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।
[#] पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य

स्रोत : आर्थिक सलाहकार से प्राप्त आंकड़े


- जीएसडीपी के अनुपात के रूप में राज्य शासन का कुल व्यय 2018-19 में 22.49 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 21.57 प्रतिशत हो गया।
- छत्तीसगढ़ के कुल व्यय में विकास, विशेषकर स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय का अनुपात अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक रहा है। हालाँकि, यह 2018-19 में 77.66 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 74.95 प्रतिशत हो गया है।
- राज्य शासन द्वारा सामाजिक क्षेत्र के व्यय को दी गई आवंटन प्राथमिकता 2018-19 में 34.42 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 37.33 प्रतिशत हो गई। हालाँकि, यह इसी अवधि के दौरान सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम था।
- पूंजीगत व्यय परिसंपत्ति निर्माण की सुविधा प्रदान करता है जो उच्च विकास के अवसर पैदा करता है। कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अनुपात 2018-19 में 12.10 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 13.50 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि में सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए यह अनुपात 14.04 प्रतिशत से घटकर 13.48 प्रतिशत हो गया।

2.4.5 उद्देश्य शीर्ष-वार व्यय

वित्त लेखा केवल लघु शीर्ष स्तर तक के लेनदेन दर्शाते हैं। उद्देश्य शीर्ष वार व्यय, व्यय के उद्देश्य के बारे में जानकारी देता है। वर्ष 2022-23 के लिए कुल व्यय के संबंध में प्रतिशत वार उद्देश्य शीर्ष व्यय नीचे दिए गए चार्ट 2.15 में दिखाया गया है:

चार्ट 2.15: उद्देश्य शीर्ष वार व्यय

(प्रतिशत में)



स्रोत: वित्त लेखे 2022-23

जैसा कि उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है, उद्देश्य शीर्ष वेतन और भत्ते, सहायता अनुदान और पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ के तहत व्यय राज्य के कुल व्यय ₹98,605.33 करोड़⁹ का 61 प्रतिशत था। इसके अलावा, वित्तीय सहायता, ब्याज/ऋण भुगतान और प्रमुख निर्माण कार्य व्यय का क्रमशः आठ प्रतिशत, सात प्रतिशत और पांच प्रतिशत थे।

उद्देश्य शीर्ष स्तर पर वास्तविक मदों पर किए गए बजटीय आवंटन और व्यय की सीमा (₹1,000 करोड़ से ऊपर) की एक ड्रिल डाउन व्यू नीचे तालिका 2.26 में दी गई है।

तालिका 2.26: बजट आवंटन के विरुद्ध उद्देश्य शीर्ष वार व्यय (जहाँ व्यय ₹1000 करोड़ और उससे अधिक है) (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	मूल बजट अनुमान	व्यय	प्रतिशत उपयोग
1	14-सहायता अनुदान	26,781.67	26,947.30	100.62
2	01-वेतन एवं भत्ते	26,769.33	24,678.61	92.19
3	13-वित्तीय सहायता	7,761.87	8,306.28	107.01
4	12-पेंशन एवं सेवा निवृत्ति से लाभ	7,573.10	7,643.77	100.93
5	35-ब्याज/ऋण का पुनर्भुगतान	7,222.05	6,808.44	94.27
6	26-वृहद निर्माण कार्य	4,814.75	4,863.53	101.01
7	97-निर्माण कार्य	6,188.85	4,481.17	72.41
8	25-सामग्री और पूर्तियाँ	3,446.57	3,501.54	101.59
9	45-पूँजीगत परि-संपत्तियों का निर्माण	3,109.41	2,840.61	91.36

⁹ कुल व्यय (₹98,691.19 करोड़) - अन्तर्राज्यीय परिशोधन सहित ऋण और अग्रिम (₹86.06 करोड़)

10	37-अंतः लेखा अन्तरण	2,244.58	1,635.19	72.85
11	02-मजदूरी	1,072.38	1,185.59	110.56
12	27-लघु निर्माण कार्य	1,386.09	1,076.39	77.66
13	30-अंशदान	364.53	1,058.08	290.26
योग		98,735.18	95,026.50	96.24

स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2022-23

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 13 उद्देश्य शीर्षों के तहत ₹98,735.18 करोड़ के कुल बजटीय आवंटन में से, वर्ष 2022-23 के दौरान वास्तविक व्यय केवल ₹95,026.50 करोड़ (96.24 प्रतिशत) था।

2.5 लोक लेखा

लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि जैसे कुछ लेन-देन के संबंध में प्राप्तियाँ और संवितरण, जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं बनते हैं उन्हें, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत लोक लेखे में रखे जाते हैं और राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। शासन इनके संबंध में बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के बाद शेष राशि विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग के लिए शासन के पास उपलब्ध रहती है।

2.5.1 निवल लोक लेखा शेष

लोक लेखे के तहत प्राप्तियों और संवितरण की स्थिति वित्त लेखों के विवरण 21 में प्रदर्शित की जाती है। संबंधित वर्षों के 31 मार्च तक राज्य के लोक लेखा में घटक-वार शुद्ध शेष नीचे तालिका 2.27 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.27: वर्ष के 31 मार्च तक लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	ज्ञ-अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि	राष्ट्रीय लघु बचत निधि, राज्य भविष्य निधि एवं अन्य लेखे	(-)6,832.41	(-)7,617.67	(-)8,021.40	(-)8,020.50	(-)9,326.98
2	त्र-आरक्षित निधियाँ	(क) ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ	(-)400.70	(-)1,101.77	(-)614.84	(-)769.36	(-)265.27
		(ख) ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ	(-)1,254.83	(-)1,363.00	(-)1,384.75	(-)1,683.77	(-)2,006.47
3	ट-जमा तथा अग्रिम	(क) ब्याज सहित जमा	(-)42.90	(-)37.29	(-)33.16	(-)28.27	(-)8.30
		(ख) ब्याज रहित जमा	(-)5,964.44	(-)5,446.01	(-)5,951.96	(-)5,758.23	(-)6,138.62
		(ग) अग्रिमों	(+)1.75	(+)1.84	(+)1.84	(+)7.35	(+)7.00
4	ठ-उचंत तथा विविध	(क) उचंत	(-)35.96	(-)29.66	(-)20.08	(-)84.64	(-)180.88
		(ख) अन्य लेखे	(+)9,711.03	(+)5,199.46	(+)3,344.86	(+)3,299.78	(+)440.13
		(ग) विदेशी सरकार के साथ लेखे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(घ) विविध	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ड-प्रेषण	(क) धनादेश तथा अन्य प्रेषण	(+)297.90	(+)204.48	(+)240.97	(+)245.09	(+)197.03
		(ख) अंतः-सरकार समायोजन लेखे	(-)61.19	(+)73.82	(+)88.41	(+)91.13	(+)101.63
योग			(-)4,581.75	(-)10,115.80	(-)12,350.11	(-)12,701.42	(-)17,180.73

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे


नोट: (-) क्रेडिट बैलेंस को दर्शाता है; (+) डेबिट बैलेंस को दर्शाता है

पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में लोक लेखे में शुद्ध शेष ₹4,479.31 करोड़ बढ़ गया, जिसका मुख्य कारण उचंत और विविध – अन्य खातों के डेबिट शेष में ₹2,859.65 करोड़ की कमी और राष्ट्रीय लघु बचत निधि, राज्य भविष्य निधि और अन्य लेखे में ₹1,306.48 करोड़ में वृद्धि है, जो ब्याज सहित आरक्षित निधियों की राशि में ₹504.09 करोड़ की कमी से संतुलित हुई।

पिछले पांच साल की अवधि 2018-23 में लोक लेखे में शेष राशि की संरचना में वार्षिक परिवर्तन चार्ट 2.16 में दिए गए हैं:

चार्ट 2.16: लोक लेखा राशि की संरचना में वार्षिक परिवर्तन

(प्रतिशत में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

ऊपर दिए गए चार्ट में दर्शाए गए वार्षिक परिवर्तनों में प्रमुख शीर्ष-8671 विभागीय शेष, 8673- नकद शेष निवेश खाता और आरक्षित निधि निवेश खाते में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान लघु बचत, भविष्य निधि आदि (₹1,306.48 करोड़) और जमा तथा अग्रिम (₹360.77 करोड़) में प्रमुख वार्षिक परिवर्तन देखा गया।

2019-20 के दौरान, आरक्षित निधि में उच्च परिवर्तन भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण जमा से हस्तांतरित प्रतिपूरक वनीकरण निधि (कैम्पा) के तहत ₹5,791.70 करोड़ की प्राप्ति और कैम्पा निधियों के निवेश पर ₹81.25 करोड़ के ब्याज के कारण था।

2.5.2 आरक्षित निधियाँ

आरक्षित निधि राज्य शासन के लोक लेखा के तहत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए बनाई जाती है। इन निधियों की पूर्ति राज्य के समेकित निधि से योगदान या अनुदान से की जाती है।

18 आरक्षित निधियाँ हैं (राज्य के गठन के बाद से 2000-2001 से राज्य में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए 17 आरक्षित निधियाँ निर्धारित की गई हैं और एक आरक्षित निधि यानी गारंटी मोचन निधि 2022-23 के दौरान बनाई गई थी)। 31 मार्च 2023 की स्थिति में 18 में से, 15 निधियाँ संचालित थे, और तीन निधियाँ

असंचालित थे। 31 मार्च 2023 के अंत में इन निधियों में सकल शेष ₹9,606.04 करोड़ था, जिसमें से ₹7,334.30 करोड़ (76.35 प्रतिशत) भारत सरकार की प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों (₹7,058.58 करोड़) और संयुक्त उद्यम कंपनियों की शेयर पूंजी (₹275.71 करोड़) में निवेश किया गया था।

2.5.2.1 संचित निक्षेप निधि

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद, राज्य ने बैंकों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि के कारण देनदारियों आदि सहित सभी ऋणों के परिशोधन के लिए एक संचित निक्षेप निधि (सीएसएफ) का गठन किया। इसके अलावा, राज्य शासन (वित्त विभाग) द्वारा जारी दिशानिर्देश (जून 2006) के अनुसार, वर्ष की शुरुआत में बकाया देनदारियों (आंतरिक ऋण और लोक लेखा देनदारियों) का 0.50 प्रतिशत का न्यूनतम वार्षिक योगदान निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।

वर्ष 2022-23 के दौरान, छत्तीसगढ़ शासन ने 31 मार्च 2022 तक ₹87,446.74 करोड़ की बकाया देनदारियों (आंतरिक ऋण और लोक लेखा देनदारियों) का 0.5 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हुए ₹437.23 करोड़ की न्यूनतम आवश्यकता के मुकाबले ₹400.00 करोड़ को संचित निक्षेप निधि में स्थानांतरित किया। संचित निक्षेप निधि में ₹37.23 करोड़ के कम योगदान के परिणामस्वरूप राजस्व आधिक्य को अधिक बताया गया और उस सीमा तक राजकोषीय घाटे को कम बताया गया। 31 मार्च 2023 तक, निधि में ₹3,286.94 करोड़ की राशि पड़ी थी, और पूरी राशि भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश की गई थी।

2.5.2.2 राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि

पंद्रहवें वित्त आयोग ने आपदा प्रतिक्रिया के साथ-साथ आपदा न्यूनीकरण के लिए एक निधि के निर्माण की सिफारिश की है, जिसे संयुक्त रूप से राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ) कहा जाएगा। एसडीआरएमएफ के लिए अनुशंसित कुल राशि में से एसडीआरएमएफ का हिस्सा 80 प्रतिशत और एसडीएमएफ का हिस्सा 20 प्रतिशत होगा।

एसडीआरएमएफ पर लगाए गए व्यय का विवरण नीचे तालिका 2.28 में दिया गया है:

तालिका 2.28: राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि पर प्रभारित किये गये व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	लेखों के लघु शीर्ष	वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय
1	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत		
2	01- सूखा		
3	101	अनुग्रहिक राहत	0.18
4	282	लोक स्वास्थ्य	0.00
5	02- बाढ़ चक्रवात आदि		
6	101	अनुग्रहिक राहत	4.06
7	110	क्षतिग्रस्त जल प्रदाय एवं निकास व्यवस्था के मरम्मत एवं पुर्नस्थापना हेतु सहायता	0.04
8	111	शोकाकुल परिवार को अनुग्रह भुगतान	13.47
9	112	जनसंख्या का निष्क्रमण	6.45
10	113	मकानों के मरम्मत एवं निर्माण हेतु सहायता	13.81
11	114	कृषि सामग्री क्रय हेतु किसानों को सहायता	5.94
12	116	कृषकों को क्षतिग्रस्त ट्यूब वेल एवं पम्पसेट की मरम्मत हेतु सहायता	0.00
13	117	पशुधन के क्रय के लिए किसानों को सहायता	6.88

14	122	क्षतिग्रस्त सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण कार्यों की मरम्मत एवं पुनरुद्धार	36.31
15	80-सामान्य		
16	101	विनाश का सामना करने के प्रशिक्षण केन्द्र	0.04
17	102	विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंधन	97.41
18	800	अन्य व्यय	162.27
19	कुल राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि के अंतर्गत व्यय		347.40
20	05- राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि		
21	901	घटाएँ- राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि से प्रतिपूर्ति राशि	(-) 282.08

स्रोत: वित्त लेखे 2022-23

(अ) राज्य आपदा राहत निधि

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से पूर्ववर्ती आपदा राहत निधि को राज्य आपदा राहत निधि (एसडीआरएफ) से बदल दिया। एसडीआरएफ दिशानिर्देश, 2022 के अनुसार, केंद्र और राज्यों को क्रमशः 75:25 के अनुपात में निधि में योगदान करना आवश्यक है। योगदान को मुख्य शीर्ष 2245 के तहत बजट प्रावधान करके लोक लेखा में मुख्य शीर्ष-8121 में स्थानांतरित किया जाना है। एसडीआरएफ को दिए जाने वाले राहत कार्यों पर किए गए व्यय को मुख्य शीर्ष-2245 के तहत कटौती प्रविष्टि के रूप में दिखाया जाएगा।

वित्त लेखा 2022-23 के अनुसार, 01 अप्रैल 2022 तक एसडीआरएफ का प्रारंभिक शेष ₹205.52 करोड़ था। वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य शासन को केंद्र सरकार के हिस्से की पहली किस्त के रूप में 31 मार्च 2023 को ₹181.60 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान राज्य शासन का हिस्सा ₹60.53 करोड़ था। हालाँकि, राज्य शासन ने वर्ष 2021-22 के लिए ₹230.40 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा ₹172.80 करोड़ और राज्य का हिस्सा ₹57.60 करोड़) की राशि 2022-23 में निधि में स्थानांतरित कर दी। 31 मार्च 2023 तक, एसडीआरएफ में अंतिम शेष ₹208.34 करोड़ था।

राज्य शासन ने वर्ष 2022-23 के दौरान भारत सरकार और राज्य शासन के योगदान के हस्तांतरण में देरी के लिए ₹11.13 करोड़ का ब्याज और ₹7.07 करोड़ के ट्रेजरी जमा भी हस्तांतरित किया। 2022-23 के दौरान एसडीआरएफ से ₹245.77 करोड़ का व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा ने एसडीआरएफ से किए गए व्यय के संबंध में 11 जिलों में रिकॉर्ड की जांच की और निम्नलिखित पाया:

(अ) पांच जिलों¹⁰ में यह देखा गया कि तहसील कार्यालय ने न तो राज्य शासन द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप (आरबीसी 6-4 के फॉर्म 2/3) में लाभार्थी रिकॉर्ड बनाए रखा और न ही राष्ट्र आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एनडीएमआईएस) पर डेटा अपलोड किया।

(ब) पांच जिलों¹¹ की 14 तहसीलों में, डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देशों (अप्रैल 2017) का उल्लंघन करते हुए वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 के दौरान 1,035 चेक जारी करके 1,526 लाभार्थियों को ₹20.84 करोड़ की मुआवजा राशि का भुगतान किया गया।

(स) छह जिलों¹² की 10 तहसीलों में, 156 पीड़ितों/लाभार्थियों को एक महीने की निर्धारित अवधि से, 28 दिन से लेकर 563 दिन तक की देरी से मुआवजा प्रदान किया गया।

¹⁰ जशपुर, रायगढ़, कोरबा, महासमुंदा, राजनांदगांव

¹¹ दंतेवाड़ा (गीदम, फंतेवाड़ा), जशपुर (दुलदुला, मनोरा, फरसाबहार, जशपुर, कुनकुरी), कोरबा (पाली, करतला), नारायणपुर, रायगढ़ (तमनार, घरघोड़ा, रायगढ़, धर्मजयगढ़)

¹² रायगढ़ (खरसिया, घरघोड़ा, तमनार), जशपुर (बगीचा, फरसाबहार, कुनकुरी), सरगुजा (बतौली), राजनांदगांव (डोंगरगढ़), महासमुंदा, दुर्ग

(द) तीन जिलों¹³ की चार तहसीलों में, एसडीआरएफ निधि से ₹161.02 लाख की राशि निकाली गई, लेकिन लाभार्थियों को वितरित नहीं की गई और डीडीओ के चालू बैंक खाते में रखी गई। रायगढ़ और दंतेवाड़ा में निधि क्रमशः 2020 और 2015 से तहसीलदार के बैंक खाते में अप्रयुक्त पड़ी थी।

एसडीआरएफ योगदान में विलंब

एसडीआरएफ पर गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश (2015 और 2022) के अनुसार, भारत सरकार का हिस्सा प्राप्त होने के तुरंत बाद, राज्य शासन अपने मिलान वाले हिस्से के साथ राशि, यदि पहले से ही हस्तांतरित नहीं हुई है, को इसकी प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर लोक लेखा शीर्ष में स्थानांतरित कर देगी। किसी भी देरी के लिए राज्य शासन को देरी के दिनों की संख्या के लिए आरबीआई की बैंक दर पर ब्याज के साथ राशि जारी करने की आवश्यकता होगी। भारत सरकार से प्राप्त धनराशि और राज्य के मिलान हिस्से के साथ 2020-23 से एसडीआरएफ को हस्तांतरण का विवरण नीचे तालिका 2.29 में दिया गया है।

तालिका 2.29: एसडीआरएफ निधि में योगदान का विवरण

वर्ष	किस्त	केंद्रीय हिस्सा		राज्य का हिस्सा		एसडीआरएफ खाते में केंद्र और राज्य का हिस्सा स्थानांतरित करने में लगने वाले दिनों की संख्या	अनुग्रह दिन	स्थानांतरण में देरी (दिन)	देरी के लिए भुगतान किया जाने वाला ब्याज (करोड़ में)
		राशि (करोड़ में)	भारत सरकार से रिलीज की तारीख	राशि (करोड़ में)	राज्य वित्त विभाग से केंद्र और राज्य के हिस्से की रिलीज की तारीख				
2020-21	पहली किस्त	172.80	03.04.2020	57.60	18.05.2020	45	15	30	0.88
	दूसरी किस्त	172.80	25.02.2021	57.60	29.03.2022	397	15	382	10.25
2021-22	पहली किस्त	172.80	29.04.2021	57.60	29.03.2022	334	15	319	8.56
	दूसरी किस्त	172.80	12.10.2021	57.60	07.09.2022	330	15	315	9.17
2022-23	पहली किस्त	181.60	31.03.2023	60.40	25.04.2023	25	15	10	0.45
	दूसरी किस्त*								

स्रोत: छत्तीसगढ़ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त डेटा

* वर्ष 2022-23 की दूसरी किस्त भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 2020-23 से राज्य शासन द्वारा केंद्रीय हिस्से के साथ-साथ उनके मिलान हिस्से के हस्तांतरण में 10 दिनों से लेकर 382 दिनों तक की देरी हुई थी। राज्य शासन ने वर्ष 2020-21 से संबंधित निधि हस्तांतरण में देरी के लिए वर्ष 2022-23 में ₹11.13 करोड़ का ब्याज भुगतान किया है। हालाँकि, वर्ष 2021-22 और 2022-23 से संबंधित निधि के विलंब हस्तांतरण के लिए राज्य शासन द्वारा ₹18.18 करोड़ का ब्याज भी देय था।

(ब) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि

पंद्रहवें वित्त आयोग ने स्थानीय स्तर और समुदाय-आधारित हस्तक्षेपों के लिए राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ) बनाने की सिफारिश की, जो जोखिमों को कम करता है और पर्यावरण के अनुकूल बस्तियों और आजीविका प्रथाओं को बढ़ावा देता है। भारत सरकार और राज्य सरकार को क्रमशः 75:25 के अनुपात में निधि में योगदान करना आवश्यक है।

¹³ रायगढ़ (घरघोड़ा ₹25.61 लाख), जशपुर (फरसाबहार ₹38.93 लाख, दुलदुला ₹14.87 लाख), दंतेवाड़ा (दंतेवाड़ा ₹81.61 लाख)

भारत सरकार से प्राप्त धनराशि और राज्य के मिलान हिस्से के साथ 2020–23 से एसडीएमएफ¹⁴ को हस्तांतरण का विवरण नीचे तालिका 2.30 में दिया गया है।

तालिका 2.30: एसडीएमएफ निधि में योगदान का विवरण

वर्ष	किस्त	केंद्रीय हिस्सा		राज्य का हिस्सा		एसडीएमएफ खाते में केंद्र और राज्य का हिस्सा स्थानांतरित करने में लगने वाले दिनों की संख्या	अनुग्रह दिन	स्थानांतरण में देरी (दिन)	देरी के लिए भुगतान किया जाने वाला ब्याज (करोड़ में)
		राशि (करोड़ में)	भारत सरकार से रिलीज की तारीख	राशि (करोड़ में)	राज्य वित्त विभाग से केंद्र और राज्य के हिस्से की रिलीज की तारीख				
2020–21	पहली किस्त	43.20	03.04.2020	14.40	29.03.2022	725	15	710	4.78
	दूसरी किस्त	43.20	25.02.2021	14.40	24.03.2021	27	15	12	0.08
2021–22	पहली किस्त	43.20	29.03.2022	14.40	19.05.2023	416	15	401	3.74
	दूसरी किस्त	43.20	29.03.2022	14.40	19.05.2023	416	15	401	3.74
2022–23*	—	—							

स्रोत: छत्तीसगढ़ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त डेटा

* भारत सरकार से वर्ष 2022–23 के लिए एसडीएमएफ से संबंधित कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई।

1 अप्रैल 2022 तक एसडीएमएफ के पास ₹115.66 करोड़ का प्रारंभिक शेष था। वर्ष 2022–23 के दौरान, केंद्र सरकार से एसडीएमएफ के लिए कोई राशि प्राप्त नहीं हुई थी। उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि निधि में राज्य के हिस्से के साथ-साथ केंद्रीय हिस्से के हस्तांतरण में 12 दिनों से लेकर 710 दिनों तक की देरी हुई। एसडीएमएफ दिशानिर्देशों (2022) के अनुसार, राज्य शासन को अपनी प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर योगदान जारी करना आवश्यक था और देरी के मामले में राज्य सरकार द्वारा आरबीआई की बैंक दर पर ब्याज देय होगा। राज्य शासन ने वर्ष 2020–21 से संबंधित निधि हस्तांतरण में देरी के लिए वर्ष 2022–23 में ₹4.86 करोड़ (मार्च 2023) का ब्याज भुगतान किया है। हालाँकि, वर्ष 2021–22 से संबंधित निधि के हस्तांतरण में देरी के लिए राज्य शासन द्वारा ₹7.48 करोड़ का ब्याज भी देय था। 2022–23 के दौरान एसडीएमएफ से ₹36.31 करोड़ का व्यय किया गया। 31 मार्च 2023 को एसडीएमएफ का अंतिम शेष ₹84.21 करोड़ था।

एसडीएमएफ से गैर-निवेश

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (2022) के अनुसार, राज्य सरकार एसडीएमएफ निधि को केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों एक या अधिक उपकरणों जैसे नीलाम किए गए ट्रेजरी बिल; अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास ब्याज अर्जित करने वाली जमाराशियाँ और जमाराशियों के प्रमाण पत्र में निवेश करेगी। राज्य सरकार एसडीएमएफ से निवेश न की गई राशि के लिए आरबीआई के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशानिर्देशों के तहत ओवरड्राफ्ट पर लागू दर पर एसडीएमएफ में ब्याज का भुगतान करेगी। ब्याज अर्ध-वार्षिक आधार पर जमा किया जाएगा।

हालाँकि, वर्ष 2022–23 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन ने न तो दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट किसी भी उपकरण में एसडीएमएफ में शेष राशि का निवेश किया था, और एसडीएमएफ दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए

¹⁴ पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुसार, एसडीएमएफ फंड 2020–21 में बनाया गया था। हालाँकि, 2020–21 की अवधि के लिए नए एसडीएमएफ दिशानिर्देश को अंतिम रूप दिए जाने तक, भारत सरकार (एमओएच) (अप्रैल 2020) ने 30 जुलाई 2015 के एसडीएमएफ के मौजूदा दिशानिर्देश की वैधता को एक वर्ष की अवधि के लिए या नए दिशानिर्देश/मानदंड तैयार होने तक बढ़ाने का निर्णय लिया।

फंड में पड़ी शेष राशि पर न ही अर्ध-वार्षिक ब्याज का भुगतान किया था। 31 मार्च 2023 तक ₹84.21 करोड़ की संपूर्ण शेष राशि एसडीएमएफ में बिना निवेश के पड़ी थी। अवैतनिक ब्याज (₹8.18 करोड़¹⁵) के कारण 2022-23 के दौरान उस सीमा तक राजस्व आधिक्य और भविष्य के लिए संचित देनदारियों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया।

2.5.2.3 प्रत्याभूति मोचन निधि

बारहवें वित्त आयोग ने सरकार द्वारा दी गई गारंटी से उत्पन्न होने वाली आकस्मिक देनदारियों को पूरा करने के लिए प्रत्याभूति मोचन निधि (जीआरएफ) की स्थापना की सिफारिश की। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य सरकार के उपक्रमों अथवा अन्य निकायों द्वारा राज्य शासन की प्रत्याभूति पर लिए गए ऋणों, जारी किए गए बांड एवं अन्य उधारियों को भुगतान न करने के कारण हितग्राहियों द्वारा मांग करने पर उत्पन्न दायित्वों को पूरा करने के उद्देश्य से दिनांक 05 जुलाई 2022 की अधिसूचना के माध्यम से प्रत्याभूति मोचन निधि का गठन किया है।

अधिसूचना के पैरा 5 के अनुसार, निधि की स्थापना ₹5.00 करोड़ के प्रारंभिक योगदान के साथ की जाएगी। इस निधि पर सालाना अथवा न्यूनतम अंतराल पर अंशदान द्वारा वृद्धि होती जाएगी ताकि इस निधि का राज्य शासन पर पर्याप्त प्रत्याभूतियों की मांग के कारण आने वाले संभावित व्यय भार के भुगतान को पूरा किए जाने में पर्याप्त हो सके।

तदनुसार, 2022-23 के दौरान, छत्तीसगढ़ शासन ने शीर्ष 8235-117 के तहत प्रत्याभूति मोचन निधि में ₹5.00 करोड़ हस्तांतरित किए।

2.5.2.4 राज्य के लोक लेखों से बाहर की निधियाँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) में अनुच्छेद 267 के अधीन प्रावधान है कि किसी राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, उस सरकार द्वारा ट्रेजरी बिल के माध्यम से उठाए गए सभी ऋण, ऋण या अर्थोपाय अग्रिम, और ऋणों के पुनर्भुगतान में उस सरकार द्वारा प्राप्त सभी धनराशि से एक समेकित निधि बनेगी जो "राज्य की समेकित निधि" की हकदार होगी। अनुच्छेद 266(2) में प्रावधान है कि किसी राज्य की सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन, जैसा भी मामला हो, राज्य के लोक लेखों में जमा किया जाएगा।

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का सितम्बर 2008 में गठन किया गया। मण्डल नियोक्ताओं से निर्माण की लागत के एक प्रतिशत की दर से उपकर एकत्र करता है और भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अनुसार अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए इसका उपयोग करता है।

श्रम उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं उपयोग

वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के लिए उपकर की प्राप्ति और व्यय की वर्षवार स्थिति तालिका 2.31 में दर्शाई गई है।

¹⁵ ओवरड्राफ्ट 7.49% पर लागू दर पर 1 अप्रैल 2022 (₹115.66 करोड़) पर शेष राशि पर ब्याज की गणना की गई।

तालिका 2.31: श्रम उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्ति			कुल उपलब्ध राशि	व्यय (स्थापना व्यय सम्मिलित)	अंतिम शेष
			पंजियन शुल्क एवं अन्य प्राप्तियाँ	मण्डल के खाते में प्राप्त श्रम उपकर	जमा पर ब्याज			
1	2020-21	380.80	0.73	172.34	31.39	585.26	108.10	477.16
2	2021-22	477.16	0.13	191.07	17.20	685.56	92.24	593.32
3	2022-23	593.32	0.24	223.36	23.62	840.54	204.06	636.48

स्रोत: छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा सूचना से संकलित

वर्ष 2022-23 के दौरान ₹204.06 करोड़ के कुल व्यय में से, बोर्ड ने कल्याणकारी योजनाओं और अन्य कार्यक्रमों पर ₹200.33 करोड़ (98.17 प्रतिशत) और स्थापना शुल्क पर ₹3.73 करोड़ (1.83 प्रतिशत) का व्यय किया। बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार की संस्थाओं (₹114.08 करोड़) और निजी संस्थाओं (₹109.28 करोड़) से श्रम उपकर के रूप में ₹223.36 करोड़ प्राप्त हुए। बोर्ड द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, धनराशि अन्य संस्थाओं द्वारा सीधे बोर्ड को हस्तांतरित की गई थी और लोक लेखों के माध्यम से नहीं भेजी गई थी। और केवल चार¹⁶ विभागों के संबंध में, धनराशि लोक लेखों के माध्यम से भेजी जा रही थी।

वित्त लेखे 2022-23 के अनुसार मुख्य शीर्ष 8443-111/108 अन्य विभागीय/लोक निर्माण जमा के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के दौरान श्रम उपकर के 39.81 करोड़ रुपये जमा किये गये। जिसमें से राज्य शासन ने बोर्ड को ₹45.53 करोड़ (₹39.81 करोड़ + पिछले वर्ष का ₹5.72 करोड़ का गैर-हस्तांतरित शेष) के मुकाबले केवल ₹42.60 करोड़ हस्तांतरित किया। ₹2.93 करोड़ की शेष राशि हस्तांतरित नहीं की गई है और इसे लोक लेखा मुख्य शीर्ष 8443 के अंतर्गत रखा गया है।

2.5.2.5 अन्य समर्पित निधियाँ

(अ) अधोसंरचना विकास निधि

छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकार अधिनियम 2005 के अनुसार, बुनियादी ढांचे के विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए धन जुटाने के लिए भूमि पर उपकर लगाया जाएगा। अधिनियम के अनुसार, अधोसंरचना विकास उपकर उन सभी जमीनों पर लगाया और एकत्र किया जाएगा, जिन पर भू-राजस्व या किराया लगाया जाता है। इस प्रकार एकत्र की गई अधोसंरचना विकास उपकर को अधोसंरचना विकास निधि में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जिससे बुनियादी ढांचे के विकास परियोजनाओं पर व्यय किया जाता है। अधोसंरचना विकास निधि लोक लेखे (8229-200-0026) में रखी जाती है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि राज्य शासन ने वर्ष 2021-22 में ₹170.88 करोड़ का अधोसंरचना विकास उपकर एकत्र किया और वर्ष 2022-23 के दौरान इतनी ही राशि अधोसंरचना विकास निधि को हस्तांतरित नहीं की गई। ₹170.88 करोड़ की अहस्तांतरित शेष राशि राज्य शासन के अनुमोचित दायित्व में योगदान करती है। इसके अलावा, विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अधोसंरचना विकास निधि में उपकर का अंतरण न किए जाने से निधि के सृजन का उद्देश्य भी विफल हो गया। 31 मार्च 2023

¹⁶ लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

को अधोसंरचना विकास निधि में अंतिम शेष ₹47.79 करोड़ था।

(ब) पर्यावरण निधि

छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005 के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन में एक पर्यावरण निधि स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार एकत्रित पर्यावरण उपकर को राज्य में पर्यावरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण कोष में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। पर्यावरण निधि लोक लेखे (8229-200-0021) में रखी जाती है।

सम्बंधित अभिलेखों की जाँच से पता चला कि वर्ष 2021-22 में पर्यावरण उपकर के रूप में ₹170.88 करोड़ एकत्र किए गए थे और उस राशि को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान पर्यावरण कोष में स्थानांतरित नहीं की गई थी। एकत्रित उपकर को पर्यावरण निधि में अंतरित न करने के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष बढ़ा कर और राजकोषीय घाटे को कम करके दिखाया गया। इसके अलावा, पर्यावरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण निधि में उपकर का अंतरण न किए जाने से भी निधि के सृजन का उद्देश्य विफल हो गया। 31 मार्च 2023 को पर्यावरण निधि में अंतिम शेष ₹223.73 करोड़ था।

(स) खनिज विकास निधि

छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि अधिनियम, 2003 की धारा 3(2) के अनुसार, प्रत्येक वर्ष पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एकत्रित खनिज राजस्व के पांच प्रतिशत के बराबर राशि निर्धारित की जाएगी और खनिज विकास निधि में योगदान किया जाएगा। खनिज विकास निधि लोक लेखा (8229-200-0089) में रखी जाती है।


वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य शासन को छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निधि में ₹615.27 करोड़ (2021-22 के दौरान एकत्रित खनिज राजस्व ₹12,305.39 करोड़ का पांच प्रतिशत) हस्तांतरित करने की आवश्यकता थी, जिसके विरुद्ध राज्य शासन ने ₹430.35 करोड़ ही हस्तांतरित किए। ₹184.92 करोड़ के कम योगदान के परिणामस्वरूप राजस्व आधिक्य को अधिक बताया गया और उस सीमा तक राजकोषीय घाटे को कम बताया गया। 31 मार्च 2023 को खनिज विकास निधि में अंतिम शेष ₹883.19 करोड़ था।

2.6 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन, शासन द्वारा आवश्यक धन जुटाने के लिए लिया गया ऋण, उसके जोखिम एवं लागत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और किसी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक रणनीति स्थापित करने और निष्पादित करने की प्रक्रिया है, जिसे शासन ने अधिनियम के माध्यम या किसी वार्षिक बजट घोषणाओं से निर्धारित किया है।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 के लिए जीएसडीपी के प्रतिशत के साथ राज्य की बकाया समग्र ऋण नीचे चार्ट 2.17 में दर्शायी गई है:

चार्ट 2.17: बकाया समग्र ऋण और जीएसडीपी में इसका प्रतिशत



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* बकाया समग्र ऋण में ₹8,074.15 करोड़ का बैंक-टू-बैंक ऋण (2020-21 के दौरान ₹3,109.00 करोड़ और 2021-22 में ₹4,965.15 करोड़) शामिल है, जो राज्य सरकार को ऋण प्राप्ति के रूप में जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले बिना किसी पुनर्भुगतान दायित्व के प्रदान किया गया है।

वर्ष 2020-23 के लिए बकाया समग्र ऋण-जीएसडीपी अनुपात की गणना बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर की गई है।

2.6.1 ऋण घटक का रूपरेखा

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार, लोक ऋण में राज्य शासन का आंतरिक ऋण और केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम शामिल हैं। आंतरिक ऋण में बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम क्षतिपूर्ति और अन्य बॉन्ड, वित्तीय संस्थानों से ऋण और केंद्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी किए गए विशेष प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।

पाँच साल की अवधि 2018-23 के दौरान राज्य की घटक-वार देनदारी की प्रवृत्ति तालिका 2.32 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.32: ऋण की घटकवार प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	बकाया समग्र ऋण	66,749.51	78,712.46	92,665.90	99,172.89	1,01,696.43
2	लोक ऋण	52,254.22	63,146.72	76,659.79	82,912.77	83,950.79
अ	आंतरिक ऋण	49,553.83	60,382.67	70,490.49	71,186.62	68,754.84
ब	भारत सरकार से ऋण	2,700.39	2,764.05	6,169.30	11,726.15	15,195.95
3	लोक लेखे की देयतायें	14,495.29	15,565.74	16,006.11	16,260.12	17,745.64
4	समग्र बकाया ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	26.16	17.92	17.73	7.02	2.54
5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3,27,107	3,44,648	3,47,752	4,06,416	4,57,608
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.69	5.36	0.90	16.87	12.60

7	ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद ¹⁷ (प्रतिशत)	20.41	22.84	25.75	22.42	20.46
उधार और अन्य देनदारियाँ (वित्त खातों के विवरण 6 के अनुसार)						
8	वर्ष के दौरान कुल प्राप्त ऋण	20,736.52	31,921.72	33,423.87	28,164.36	21,972.42
9	वर्ष के दौरान कुल ऋण का पुनर्भुगतान	6,923.87	19,958.77	19,470.43	21,657.37	19,448.88
10	वर्ष के दौरान कुल उपलब्ध ऋण	13,812.65	11,962.95	13,953.44	6,506.99	2,523.54
11	पुनर्भुगतान/प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	33.39	62.52	58.25	76.90	88.51

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

ऊपर दिखाए गए बकाया समग्र ऋण की राशि में राज्य के लिए कोई पुनर्भुगतान देयता के बिना राज्य शासन को जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले ऋण प्राप्ति के रूप में प्रदान किया गया ₹8,074.15 करोड़ (2020-21 के दौरान ₹3,109.00 करोड़ और 2021-22 में ₹4,965.15 करोड़) का बैंक टू बैंक ऋण शामिल है।

मार्च 2023 तक बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर प्रभावी बकाया समग्र ऋण ₹93,622.28 करोड़ होगी। बकाया समग्र ऋण की वृद्धि दर 2018-19 में 26.16 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 2.54 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2022-23 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में कुल ऋण प्राप्तियों में ₹6,191.94 करोड़ (21.99 प्रतिशत) की कमी आई और कुल ऋण पुनर्भुगतान में भी ₹2,208.49 करोड़ (10.20 प्रतिशत) की कमी आई। वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान बकाया समग्र ऋण की वृद्धि दर जीएसडीपी की वृद्धि दर से अधिक थी, जबकि जीएसडीपी की वृद्धि दर 2021-22 और 2022-23 के लिए बकाया समग्र देनदारी की वृद्धि दर से अधिक थी।

2018-23 की अवधि के दौरान लोक ऋण में ₹31,696.57 करोड़ (60.66 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसमें आंतरिक ऋण में ₹19,201.01 करोड़ (38.75 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और भारत सरकार से ऋण में ₹12,495.56 करोड़ (462.73 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2018-23 की अवधि के दौरान लोक लेखा देनदारियों में ₹3,250.35 करोड़ (22.42 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।


राज्य शासन के पास 31 मार्च 2023 तक ₹101,696.43 करोड़ की बजटीय देनदारियों के अलावा विभिन्न वित्तीय संस्थानों के लिए ₹7,161.32 करोड़ की शुद्ध आफ बजट देनदारियां/उधार हैं। राज्य शासन ने बजट दस्तावेज के साथ एफआरबीएम प्रकटीकरण के तहत आवश्यक इन उधारों का खुलासा नहीं किया है।

समग्र देनदारियों का घटक-वार विवरण नीचे चार्ट 2.18 में दिखाया गया है:

¹⁷ वर्ष 2020-23 के लिए ऋण-जीएसडीपी अनुपात की गणना बैंक-टू-बैंक ऋण ₹8,074.15 करोड़ (2020-21 के दौरान ₹3,109.00 करोड़ और 2021-22 में ₹4,965.15 करोड़), जो राज्य सरकार को जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले ऋण प्राप्ति के रूप में बिना किसी पुनर्भुगतान दायित्व के प्रदान किया गया है, की राशि को छोड़कर बकाया समग्र ऋण पर की गई है।

चार्ट 2.18: वर्ष 2022-23 के अंत में बकाया समग्र ऋण का विवरण

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2022-23


नोट: बकाया समग्र ऋण में 2020-22 के दौरान जीएसटी मुआवजे के बदले भारत सरकार से प्राप्त ऋण ₹8,074.15 करोड़ का बैंक-टू-बैंक ऋण शामिल है, जिसमें राज्य के लिए कोई पुनर्भुगतान देनदारी नहीं है।

आंतरिक ऋण (₹68,754.84 करोड़), जो कि मुख्यतः राज्य विकास ऋण (एसडीएल) को जारी कर बाजार ऋण होता है, वह कुल बकाया ऋण का 68 प्रतिशत था।

चार्ट 2.19 राज्य शासन द्वारा लिया गया आंतरिक ऋण और उसी अवधि के लिए पुनर्भुगतान को चित्रित करता है।

चार्ट 2.19: लिये गये आंतरिक ऋण की तुलना में पुनर्भुगतान

(₹ करोड़ में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2018-23 के दौरान, राज्य शासन के समग्र ऋण के तहत आंतरिक ऋण प्राप्तियाँ 2018-19 में ₹13,816.66 करोड़ से ₹6,878.05 करोड़ (49.78 प्रतिशत) घटकर 2022-23 में ₹6,938.61 करोड़ हो गईं। साथ ही, पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में इसमें ₹2,383.16 करोड़ की कमी आई है। वर्ष 2022-23

के दौरान आंतरिक ऋण के तहत पुनर्भुगतान (₹9,370.39 करोड़) आंतरिक ऋण प्राप्तियों (₹6,938.61 करोड़) का 135 प्रतिशत था।

2.6.2 राजकोषीय घाटे के घटक और इसका वित्तपोषण संरचना

राजकोषीय घाटा राजस्व और पूंजीगत व्यय (ऋण और अग्रिम सम्मिलित कर) का राजस्व और गैर-ऋण प्राप्तियों पर से अधिकता की पूर्ति के लिए राज्य को कुल वित्तीय पोषण की आवश्यकता (आधिकांशतः भारतीय रिजर्व बैंक से अपने रोकड़ एवं निवेश शेष से आहरण कर और ऋण लेकर) को प्रतिनिधित्व करता है। राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण की संरचना तालिका 2.33 में प्रतिबिंबित है।

तालिका 2.33: राजकोषीय घाटे के घटक और उसके वित्तपोषण की संरचना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजकोषीय घाटे की संरचना						
1	राजस्व घाटा (-)/आधिक्य(+)	(+)683.76	(-)9,608.61	(-)6,856.66	(+)4,642.02	(+)8,592.11
2	शुद्ध पूंजीगत व्यय	(-)8,898.19	(-)8,561.69	(-)9,019.34	(-)10,499.33	(-)13,314.70
3	शुद्ध ऋण तथा अग्रिम ¹⁸	(-)77.80	200.75	53.62	(-)235.79	31.38
	योग	(-)8,292.23	(-)17,969.55	(-)15,822.38	(-)6,093.10	(-)4,691.21
राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप (निवल)						
1	बजार से लिए गए उधार	12,899.99	10,980.00	10,500.00	999.99	(-)2,200.00
2	मुआवजा और अन्य बांड	0.00	0.00	0.00	(-)87.01	(-)87.01
3	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	407.14	304.72	112.02	239.03	311.11
4	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूति	(-)443.74	(-)455.88	(-)455.88	(-)455.88	(-)455.88
5	भारत सरकार से ऋण	360.82	63.66	3,405.25	5,556.85	3,469.80
6	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	754.51	785.26	403.73	(-)0.90	1,306.48
7	आरक्षित निधियाँ	60.40	814.16	(-)465.18	453.53	(-)181.39
8	जमा तथा अग्रिम	(-)231.39	(-)524.14	501.82	(-)204.13	360.77
9	उचत तथा विविध	(-)5,709.95	4,505.27	1,845.02	109.64	2,955.88
10	प्रेषण	(-)122.43	80.79	(-)51.08	(-)6.83	37.56
11	कुल घाटा	7,975.35	16,553.84	15,795.70	6,604.29	5,517.32
12	रोकड़ शेष में (-)वृद्धि/(+)कमी	(+)316.88	(+)1,415.71	(+)26.68	(-)511.19	(-)826.11
13	सकल राजकोषीय घाटा	8,292.23	17,969.55	15,822.38	6,093.10	4,691.21

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2022-23 के दौरान, केंद्र सरकार से राज्य शासन द्वारा जुटाए गए ऋण और अग्रिम (₹3,469.70 करोड़) ने राजकोषीय घाटे के एक बड़े हिस्से को वित्तपोषित करने में योगदान दिया और राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में इसकी हिस्सेदारी 74 प्रतिशत थी।

राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण वाले विभिन्न घटकों के तहत प्राप्तियाँ और संवितरण तालिका 2.34 में दिखाया गया है।

¹⁸ अंतर्राज्यीय परिशोधन सहित निवल ऋण और अग्रिम

तालिका 2.34: राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण वाले घटकों के तहत प्राप्तियाँ और संवितरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल
1	बाजार से लिए गए उधार	2,000.00	4,200.00	(-)2,200.00
2	मुआवजा और अन्य बांड	0	87.01	(-)87.01
3	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	1,210.50	899.39	311.11
4	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूति	0	455.88	(-)455.88
5	भारत सरकार से ऋण	3,700.13	230.33	3,469.80
6	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	2,965.00	1,658.52	1,306.48
7	जमा तथा अग्रिम	3,200.16	2,839.40	360.77
8	उचंचत तथा विविध	1,87,127.10	1,84,171.22	2,955.88
9	प्रेषण	8,834.59	8,797.03	37.56
10	आरक्षित निधियाँ	5,781.68	5,963.07	(-)181.39
11	आकस्मिकता निधि	0	0	0
12	कुल घाटा	2,14,819.16	2,09,301.85	5,517.32
13	रोकड़ शेष में वृद्धि/कमी	0	826.11	(-)826.11
14	सकल राजकोषीय घाटा	2,14,819.16	2,10,127.96	4,691.21

स्रोत: वित्त लेखे 2022-23

2.6.3 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता और अदायगी

ऋण परिपक्वता और अदायगी रूपरेखा, ऋण अदायगी या ऋण सर्विसिंग के लिए शासन की प्रतिबद्धता को इंगित करता है। नीचे दी गई तालिका 2.35 राज्य की ऋण परिपक्वता रूपरेखा को दर्शाती है।

तालिका 2.35: राज्य ऋण के अदायगी के परिपक्वता की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)	आंतरिक ऋण	केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	योग	प्रतिशत (लोक ऋण के सापेक्ष में)
1	0 से 1	7,204.78	418.64	7,623.42	9.08
2	1 से 3	20,088.52	469.09	20,557.61	24.49
3	3 से 5	22,534.84	473.15	23,007.99	27.41
4	5 से 7	16,021.39	445.85	16,467.24	19.61
5	7 और उससे अधिक	2,739.04	5,313.64	8,052.68	9.59
6	अन्य ¹⁹	166.27	8,075.58	8,241.85	9.82
	योग	68,754.84	15,195.95	83,950.79	100.00

स्रोत: वित्त लेखे 2022-23

31 मार्च 2023 को राज्य ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा इंगित करती है कि राज्य को अगले सात वर्षों के भीतर ऋण का 80.59 प्रतिशत भुगतान करना है।

2.7 ऋण स्थिरता विश्लेषण

ऋण स्थिरता विश्लेषण राजकोषीय और ऋण मापदंडों, डोमर दृष्टिकोण और संबंधित एफआरबीएम लक्ष्यों के लिए मैक्रो-राजकोषीय मापदंडों के अनुपालन के आधार पर किया गया है। विश्लेषण के परिणाम निम्नलिखित पैराग्राफ में दिए गए हैं:

¹⁹ परिपक्वता वर्ष का विवरण उपलब्ध नहीं है

(अ) ऋण स्थिरता को राज्य की वर्तमान और भविष्य में अपने ऋण का भुगतान करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। सरकार के ऋण के परिमाण के अलावा, उन विभिन्न मापदंडों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण स्थिरता को निर्धारित करते हैं और राज्य की अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को इंगित करते हैं। यह खंड सरकार के ऋण की स्थिरता का आकलन बकाया ऋण की वृद्धि दर; ब्याज भुगतान और राजस्व प्राप्तियों का अनुपात, ऋण पुनर्भुगतान और ऋण प्राप्तियों का अनुपात; राज्य को शुद्ध ऋण उपलब्ध के संदर्भ में करता है।

तालिका 2.36 इन संकेतकों के अनुसार 2018–19 से 2022–23 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए राज्य की ऋण स्थिरता का विश्लेषण करती है।

तालिका 2.36: ऋण स्थिरता संकेतकों में प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क. सं.	विवरण	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23
1	बकाया लोक ऋण*	52,254.22	63,146.72	76,659.79	82,912.77	83,950.79
2	लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	33.88	20.85	21.40	8.16	1.25
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3,27,107	3,44,648	3,47,752	4,06,416	4,57,608
4	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.69	5.36	0.90	16.87	12.60
5	ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	15.97	18.32	21.15	18.41	16.58
6	बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)**	6.79	7.42	7.19	7.35	7.08
7	दर प्रसार (4)–(6)	8.90	(-)2.06	(-)6.29	9.52	5.52
8	लोक ऋण पर ब्याज भुगतान	3,098.02	4,282.24	4,915.43	5,453.80	5,336.45
9	लोक ऋण पर ब्याज भुगतान के बिना राजस्व घाटा/अधिशेष	3,781.77	(-)5,326.37	(-)1,941.23	10,095.82	13,928.56
10	राजस्व प्राप्ति के लिए ब्याज भुगतान का प्रतिशत	4.76	6.70	7.78	6.85	5.68
11	लोक ऋण पुनर्भुगतान का लोक ऋण प्राप्ति से प्रतिशत	7.97	44.39	37.39	58.58	90.24
12	राज्य के लिए उपलब्ध शुद्ध ऋण #	10,126.19	6,610.26	8,597.64	799.18	निरंक
13	ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में शुद्ध ऋण उपलब्ध	70.47	33.75	39.84	5.29	निरंक
14	प्राथमिक घाटा (-)/प्राथमिक अधिशेष (+)	(-)4,639.69	(-)12,999.19	(-)10,189.27	(+)51.14	(+)1,690.87
15	क्वांटम स्प्रेड@ ((1)*(7)/100)	4,650.63	(-)1,300.82	(-)4,626.34	7,124.64	4,188.39
16	ऋण स्थिरीकरण (14)+(15)	10.94	(-)14,300.01	(-)14,815.61	7,175.78	5,879.26

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* बकाया लोक ऋण, शीर्ष 6003-आंतरिक ऋण और 6004- केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम के तहत बकाया शेष राशि का योग है। इसमें राज्य सरकार को ऋण प्राप्ति के रूप में जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले प्रदान किया गया ₹8,074.15 करोड़ (2020–21 के दौरान ₹3,109.00 करोड़ और 2021–22 में ₹4,965.15 करोड़) का बैंक-टू-बैंक ऋण शामिल है, जिसमें कोई पुनर्भुगतान देनदारी नहीं है।

& वर्ष 2020–23 के लिए लोक ऋण और जीएसटीपी अनुपात की गणना बकाया लोक ऋण पर ₹8,074.15 करोड़ (2020–21 के दौरान ₹3,109.00 करोड़ और 2021 में ₹4,965.15 करोड़) के बैंक-टू-बैंक ऋण की राशि को छोड़कर की गई है।

** औसत ब्याज दर = चुकाया गया ब्याज / ((लोक ऋण का प्रारंभिक शेष + लोक ऋण का अंतिम शेष) / 2), जहां 2020–23 के लिए बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर लोक ऋण लिया गया।

राज्य सरकार को उपलब्ध शुद्ध ऋण की गणना लोक ऋण चुकौती और लोक ऋण पर ब्याज भुगतान पर लोक ऋण प्राप्तियों की अधिकता के रूप में की जाती है।

@ क्वांटम स्प्रेड = (लोक ऋण * दर प्रसार) जहां दर प्रसार = (जीएसडीपी विकास दर - औसत ब्याज दर)। क्वांटम प्रसार की गणना के लिए, 2020-23 के लिए बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर लोक ऋण लिया गया है।

ऋण स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर लोक उधार की ब्याज दर या लागत से अधिक हो जाती है, तो ऋण जीएसडीपी अनुपात स्थिर होने की संभावना है, बशर्तें प्राथमिक शेष या तो शून्य या सकारात्मक हों या मामूली नकारात्मक हों।


लोक ऋण का दर प्रसार (जीएसडीपी विकास दर - औसत ब्याज दर) और क्वांटम स्प्रेड (लोक ऋण * दर प्रसार) को देखते हुए, ऋण स्थिरता की स्थिति बताती है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ-साथ क्वांटम स्प्रेड शून्य है, तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात स्थिर रहेगा या ऋण अंततः स्थिर होगा। दूसरी ओर, यदि क्वांटम स्प्रेड के साथ प्राथमिक घाटा नकारात्मक हो जाता है, तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात बढ़ जाएगा और यदि यह सकारात्मक है, तो ऋण जीएसडीपी अनुपात अंततः गिर जाएगा।

- लोक ऋण का दर प्रसार, जो 2019-20 में नकारात्मक क्षेत्र में प्रवेश कर गया, ने क्वांटम प्रसार को ऋण स्थिरीकरण के लिए प्रतिकूल बना दिया। प्राथमिक संतुलन में भी उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। परिणामस्वरूप, लोक ऋण और जीएसडीपी का अनुपात 2018-19 में 15.97 प्रतिशत से 2 प्रतिशत अंक से अधिक बढ़कर 2019-20 में 18.32 प्रतिशत हो गया।
- महामारी से प्रभावित वर्ष 2020-21 में, हालांकि प्राथमिक संतुलन में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन दर प्रसार में काफी गिरावट आई। इस प्रकार, प्राथमिक संतुलन में किए गए सुधार की भरपाई दर प्रसार में वृद्धि से हुई, जिसके कारण लोक ऋण और जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि हुई।
- पिछले दो वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के विपरीत, लोक ऋण जीएसडीपी अनुपात में लगातार दो वर्षों से गिरावट देखी गई है और यह 2021-22 में 18.41 प्रतिशत और 2022-23 में 16.58 प्रतिशत तक पहुंच गया है। दर प्रसार में सुधार और सकारात्मक प्राथमिक संतुलन के परिणामस्वरूप 2021-22 में लोक ऋण और जीएसडीपी अनुपात में गिरावट आई। दर प्रसार में देखी गई मंदी के विपरीत, जिसके कारण क्वांटम प्रसार में कमी आई, एक महत्वपूर्ण प्राथमिक अधिशेष ने 2022-23 में लोक ऋण और जीएसडीपी अनुपात के सुधार में योगदान दिया।
- ऋण स्थिरीकरण संकेतक, 2019-21 के दौरान गिरावट दिखाने के बाद 2021-22 में सकारात्मक हो गया और दर प्रसार में मंदी के बावजूद 2022-23 में सकारात्मक बना रहा।
- ब्याज भुगतान का उच्च प्रतिशत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए कम धन छोड़ता है। राजस्व प्राप्ति के लिए ब्याज भुगतान का प्रतिशत एक निश्चित अवधि के दौरान अपने ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए सरकार की सुरक्षा के मार्जिन को मापता है। वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक लोक ऋण पर ब्याज भुगतान और राजस्व प्राप्ति का अनुपात के प्रतिशत (4.76 प्रतिशत से 7.78 प्रतिशत) में वृद्धि की प्रवृत्ति थी। हालांकि, 2021-22 और 2022-23 के दौरान लोक ऋण पर ब्याज भुगतान और राजस्व प्राप्ति का अनुपात घटकर क्रमशः 6.85 प्रतिशत और 5.68 प्रतिशत हो गया।
- उधार और ब्याज की अदायगी के बाद राज्य को उपलब्ध शुद्ध लोक ऋण पिछले वर्ष के पांच प्रतिशत की तुलना में 2022-23 में शून्य था, जो ऋण की अदायगी के बढ़ते बोझ की ओर संकेत करता है और राज्य को विकास गतिविधियों के लिए सीमित धन उपलब्धता के साथ छोड़ती है।

- इसके अलावा, ऋण परिपक्वता रूपरेखा (पैरा 2.6.3 में दिया गया है) के अनुसार, राज्य को लोक ऋण का 61 प्रतिशत पांच वर्षों के भीतर और लोक ऋण का 81 प्रतिशत अगले सात वर्षों के भीतर चुकाना होगा। यह भविष्य में राज्य के संसाधनों पर उच्च ऋण मोचन दबाव को इंगित करता है जो राज्य के ऋण स्थिरीकरण को प्रभावित कर सकता है, यदि प्राप्तियों की वृद्धि दर समान गति नहीं रखती है।
- 2018-23 की अवधि के दौरान ऋण भुगतान पर औसत व्यय (लोक ऋण भुगतान और लोक ऋण पर ब्याज भुगतान) ₹11,888.30 करोड़ था, जो इसी अवधि के दौरान औसत लोक ऋण प्राप्तियों (₹16,255.27 करोड़) का 73 प्रतिशत था। इसका तात्पर्य यह है कि ऋण का एक बड़ा प्रतिशत उत्पादकता के बजाय ऋण चुकाने के लिए उपयोग किया जा रहा था।

नीचे चार्ट 2.20 ऋण/जीएसडीपी अनुपात के संदर्भ में राज्य शासन के ऋण की स्थिरता को दर्शाता है।

चार्ट 2.20: ऋण स्थिरता संकेतकों के प्रवृत्ति



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

नोट: वर्ष 2020-23 के लिए लोक ऋण और जीएसडीपी अनुपात की गणना बकाया लोक ऋण पर ₹8,074.15 करोड़ (2020-21 के दौरान ₹3,109.00 करोड़ और 2021 में ₹4,965.15 करोड़) के बैंक-टू-बैंक ऋण की राशि को छोड़कर की गई है।

(ब) ई.डी. डोमर²⁰ (डोमर, 1944) के एक अध्ययन के आधार पर ऋण स्थिरता पर एक विश्लेषण किया गया था। डोमर मॉडल बताता है कि सार्वजनिक ऋणग्रस्तता की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आधार यह है कि सरकारी ऋण की ब्याज दरें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ब्याज दर, जीएसडीपी की वृद्धि दर और प्राथमिक बजट शेष के आधार पर सार्वजनिक ऋण की गतिशीलता इस प्रकार है:

²⁰ डोमर मॉडल ऋण स्टॉक की परिपक्वता प्रोफाइल, संरचना, लागत और जोखिम विशेषताओं को ध्यान में नहीं रखता है।

जी-आर (जी=वास्तविक आर्थिक विकास दर; आर=वास्तविक ब्याज वृद्धि दर)	एस < 0 (प्राथमिक घाटा)	एस > 0 (प्राथमिक आधिक्य)
जी-आर > 0 (मजबूत आर्थिक विकास)	जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को शून्य से अधिक स्थिर स्तर पर लाना चाहिए	जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को शून्य से कम स्थिर स्तर पर लाना चाहिए जिससे सार्वजनिक बचत हो सके
जी-आर < 0 (धीमी आर्थिक वृद्धि)	जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को स्थिर स्तर पर परिवर्तित किए बिना, अनिश्चित काल तक बढ़ना चाहिए	अपरिभाषित स्थिति

छत्तीसगढ़ के मामले में उपरोक्त मापदंडों को लागू करने के परिणाम तालिका 2.37 में दिखाए गए हैं।

तालिका 2.37: डोमर मॉडल पर आधारित ऋण स्थिरता विश्लेषण

वर्ष	वास्तविक विकास (जी)	वास्तविक ब्याज (आर)	जी-आर (डोमर गैप)	प्राथमिक घाटा (-) / अधिशेष (+) (करोड़ में)	टिप्पणियाँ
2018-19	11.10	4.39	6.71	(-)4,639.69	जी-आर > 0 और एस < 0; जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को शून्य से अधिक स्थिर स्तर पर लाना चाहिए
2019-20	2.76	4.94	(-)2.18	(-)12,999.19	जी-आर < 0 और एस < 0; जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को स्थिर स्तर पर परिवर्तित किए बिना, अनिश्चित काल तक बढ़ना चाहिए
2020-21	(-)1.80	(-)0.24*	(-)1.56	(-)10,189.27	जी-आर < 0 और एस < 0; जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को स्थिर स्तर पर परिवर्तित किए बिना, अनिश्चित काल तक बढ़ना चाहिए
2021-22	8.46	2.52*	5.94	(+)51.14	जी-आर > 0 और एस > 0; जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को शून्य से कम स्थिर स्तर पर लाना चाहिए जिससे सार्वजनिक बचत हो सके
2022-23	8.00	2.39	5.61	(+)1,690.87	जी-आर > 0 और एस > 0; जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को शून्य से कम स्थिर स्तर पर लाना चाहिए जिससे सार्वजनिक बचत हो सके

स्रोत: जीएसडीपी- छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय; मुद्रास्फीति- सीएसओ, एमओएसपीआई

नोट: जीएसडीपी के लिए वास्तविक विकास दर की गणना स्थिर कीमतों पर की गई है; वास्तविक ब्याज दर की गणना कुल सार्वजनिक ऋण पर औसत ब्याज दर में से मुद्रास्फीति घटाकर की गई है। *अप्रैल और मई 2020 के महीनों के लिए सीपीआई डेटा की अनुपलब्धता के कारण दस महीनों के लिए औसत सीपीआई सूचकांक लिया गया है।

- डोमर गैप (जी-आर), 2019-21 के दौरान गिरावट दिखाने के बाद 2021-22 में सकारात्मक हो गया और वास्तविक विकास में मंदी के बावजूद 2022-23 में सकारात्मक बना रहा। कोविड वर्षों (2019-20 और 2020-21) के दौरान डोमर गैप (जी-आर) नकारात्मक था। हालाँकि, कोविड के बाद के वर्षों में, जीएसडीपी में उच्च वृद्धि के कारण डोमर गैप सकारात्मक हो गया। कोविड के बाद के वर्षों में उच्च विकास दर के कारण सकारात्मक डोमर गैप को पिछले वर्ष में तुलना के लिए कम आधार के संदर्भ में भी देखा जा सकता है।
- डोमर मॉडल विश्लेषण के अनुसार ब्याज दर की वृद्धि महामारी के बाद (2021-22) जीएसडीपी की वृद्धि दर से कम है। फिर भी, डोमर गैप की जांच करने पर, वास्तविक ब्याज दर 2019-20 और 2020-21 में वास्तविक आर्थिक विकास दर से आगे निकल गई है। हालाँकि, 2021-22 और 2022-23 के दौरान ऋण स्थिरता (जी-आर > 0) की स्थिति को संतुष्ट करते हुए प्राथमिक अधिशेष में वृद्धि के साथ डोमर गैप फिर से सकारात्मक हो गया। राज्य की ऋण स्थिरता/स्थायित्व का आकलन करने में डोमर गैप को लोक लेखे की देनदारियों (₹17,745.64 करोड़), ऑफ-बजट उधार (₹7,161.32 करोड़) जैसे अन्य कारकों के साथ भी देखा जाना चाहिए। इसलिए, केवल 2021-22 और 2022-23 में डोमर गैप को देखकर मजबूत आर्थिक विकास के प्रवृत्ति (जी-आर > 0 के रूप में व्यक्त) को सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है।

(स) राजकोषीय समेकन रोडमैप (एफसीआर) में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों का विवरण नीचे दिखाया गया है:

तालिका 2.38: एफआरबीएम/एमटीएफपीएस में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि

राजकोषीय पैरामीटर		एफसीआर में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि				
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+) जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में	लक्ष्य	1.32	0.32	0.67	(-)0.96	0.16
	उपलब्धि	0.21	(-)2.79	(-)1.97	1.14	1.88
राजकोषीय घाटा (-)/ आधिक्य (+) जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में	लक्ष्य	(-)3.50	(-)5.00	(-)5.00	(-)4.56	(-)3.33
	उपलब्धि	(-)2.54	(-)5.21	(-)4.55	(-)1.50	(-)1.03
जीएसडीपी से कुल बकाया देनदारी का अनुपात (प्रतिशत)	लक्ष्य	18.06	21.23	21.59	28.34	26.41
	उपलब्धि	20.41	22.84	25.75	22.42	20.46

स्रोत: वित्त लेखे, एफआरबीएम और मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति वक्तव्य

- राजस्व आधिक्य-जीएसडीपी का अनुपात 0.21 से बढ़कर 1.88 हो गया, राजकोषीय घाटा-जीएसडीपी (-)2.54 से घटकर (-)1.03 हो गया और बकाया समग्र देयता-जीएसडीपी 20.41 से बढ़कर 20.46 हो गया। राज्य शासन 2018-19 से 2020-21 तक एमटीएफपीएस में निर्धारित राजस्व आधिक्य/घाटा-जीएसडीपी और बकाया समग्र देयता-जीएसडीपी के लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ रही, जबकि 2021-22 और 2022-23 में यह लक्ष्य के भीतर थी। राजकोषीय घाटा-जीएसडीपी अनुपात वर्ष 2019-20 को छोड़कर जहां यह निर्धारित सीमा से अधिक था, वर्ष 2018-23 में लक्ष्य के भीतर रहा।

इसके अलावा, राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय में 2018-19 में 41.31 प्रतिशत से 2022-23 में 42.94 प्रतिशत तक लगातार वृद्धि हुई है। हालाँकि, राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में औसत प्रतिबद्ध व्यय पिछले पाँच वर्षों में लगभग 48 प्रतिशत रहा है, जिससे ऋण भुगतान सहित अन्य उद्देश्यों के लिए राजस्व संसाधनों की सीमित उपलब्धता दिखाई देती है।

राजकोषीय स्थिरता जोखिम:

- (क) **तालिका 2.36** से यह देखा जा सकता है कि ऋण स्थिरीकरण संकेतक वर्तमान में निर्णायक रूप से बढ़ने के बजाय स्थिर है। ऋण स्थिरीकरण संकेतक, जिसमें क्वांटम प्रसार और प्राथमिक घाटा शामिल है, की अवधि (2019-21) में गिरावट आई और तब से महामारी के बाद के वर्ष में धीरे-धीरे वृद्धि देखी गई है। हालाँकि, यह अभी तक ऋण स्थिरीकरण की स्थिर स्थिति में नहीं पहुँच पाया है। इसके अलावा, महामारी के बाद लोक ऋण और जीएसडीपी का अनुपात में सुधार से पता चलता है कि ऋण की स्थिति खराब नहीं हो रही है, लेकिन यह अभी तक एक सीमा तक नहीं पहुंची है।
- (ख) डोमर मॉडल विश्लेषण के अनुसार, वास्तविक ब्याज दर की वृद्धि आम तौर पर जीएसडीपी की वृद्धि दर से कम है। यह इंगित करता है कि जीएसडीपी दर और ब्याज दर अल्प से मध्यम अवधि में एक समान नहीं होंगी।
- (ग) वृहद राजकोषीय मापदंडों के अनुसार, राज्य सरकार 2022-23 में राजस्व घाटा/आधिक्य -जीएसडीपी, राजकोषीय घाटा-जीएसडीपी और बकाया देयता-जीएसडीपी के लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम थी।

उपरोक्त के आधार पर, यह अनुमान लगाया गया है कि पिछले पांच वर्षों में लोक ऋण/जीएसडीपी अनुपात में उतार-चढ़ाव रहा है और इस प्रकार यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि ऋण स्थिरीकरण के पथ पर है।

2.7.1 आगामी वर्षों में अदायगी के लिए बकाया लोक ऋण की प्रवृत्ति

राज्य शासन के उधार भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 द्वारा शासित होते हैं। राज्य शासन विभिन्न राज्य योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और राजकोषीय देनदारियों की पूर्ति के लिए बाजार से ऋण/उधार लेती है।

वित्त खातों के अनुसार, वर्तमान ऋण देनदारियों पर अगले 10 वर्षों में पुनर्भुगतान के लिए बकाया ऋण स्टॉक का मूलधन नीचे तालिका 2.39 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.39: अगले 10 वर्षों में पुनर्भुगतान के लिए बकाया लोक ऋण (मूलधन)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	पुनर्भुगतान के लिए बकाया लोक ऋण (मूलधन)		
		राज्य शासन के आंतरिक ऋण	केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम	योग
1	2022-23	9,370.39	230.33	9,600.72
2	2023-24	7,204.78	418.64	7,623.42
3	2024-25	9,045.96	229.60	9,275.56
4	2025-26	11,042.56	239.49	11,282.05
5	2026-27	10,422.30	235.39	10,657.69
6	2027-28	12,112.54	237.76	12,350.30
7	2028-29	7,798.03	231.36	8,029.39
8	2029-30	8,223.36	214.49	8,437.85
9	2030-31	2,256.48	194.27	2,450.75
10	2031-32	120.44	184.79	305.23
11	2032-33	82.18	183.92	266.10
योग		77,679.02	2,600.04	80,279.06

स्रोत: वित्त लेखे 2022-23

वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य शासन ने आंतरिक ऋण के विरुद्ध ₹9,370.39 करोड़ और केंद्र सरकार के ऋण और अग्रिमों के विरुद्ध ₹230.33 करोड़ का मूलधन पुनर्भुगतान किया। इसके अलावा, राज्य शासन को 2023-24 से 2032-33 तक आंतरिक ऋण के विरुद्ध ₹68,308.63 करोड़ और केंद्र सरकार से लिए गए ऋणों और अग्रिमों के विरुद्ध ₹2,369.71 करोड़ की मूलधन अदायगी करनी होगी। पुनर्भुगतान के लिए बाजार ऋणों का बकाया मूलधन और ब्याज नीचे तालिका 2.40 में दिखाया गया है।

तालिका 2.40: पुनर्भुगतान के लिए बाजार ऋणों का बकाया मूलधन और संभावित ब्याज

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	31 मार्च 2023 तक पुनर्भुगतान के लिए बकाया बाजार ऋण		
		मूलधन	संभावित ब्याज	योग
1	2022-23	4,200.00	4,656.50	8,856.50
2	2023-24	5,700.00	4,380.46	10,080.46
3	2024-25	7,500.00	4,082.17	11,582.17


4	2025-26	9,550.00	3,657.59	13,207.59
5	2026-27	9,200.00	2,866.14	12,066.14
6	2027-28	11,100.00	2,467.15	13,567.15
7	2028-29	7,000.00	1582.09	8,582.09
8	2029-30	7,680.00	901.48	8,581.48
9	2030-31	2,000.00	690.68	2,690.68
योग		63,930.00	25,284.26	89,214.26

स्रोत: वित्त लेखे 2022-23

राज्य शासन ने वर्ष 2022-23 के दौरान बाजार ऋणों के विरुद्ध ₹4,200.00 करोड़ की मूलधन अदायगी और ₹4,656.50 करोड़ की ब्याज अदायगी की। इसके अलावा, राज्य शासन को 2023-24 से 2030-31 तक बाजार ऋणों के खिलाफ ₹59,730.00 करोड़ का मूलधन पुनर्भुगतान और ₹20,627.76 करोड़ का संभावित ब्याज पुनर्भुगतान करनी होगी। ₹59,730.00 करोड़ का बाजार ऋण कुल लोक ऋण-मूल घटक ₹70,678.34 करोड़ का एक बड़ा हिस्सा (85 प्रतिशत) है। बकाया बाजार ऋणों की पुनर्भुगतान की प्रवृत्ति नीचे चार्ट 2.21 में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.21: पुनर्भुगतान के लिए बकाया बाजार ऋणों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेखे 2022-23

जैसा कि उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है, वर्ष 2027-28 तक पुनर्भुगतान के लिए वर्षवार बकाया बाजार ऋण में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है और वर्ष 2027-28 के दौरान चरम पर पहुंच जाएगी, राज्य शासन को आने वाले वर्षों में बढ़ते ऋण पुनर्भुगतान बोझ को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों को बढ़ाने की आवश्यकता है।

2.7.2 उधार ली गई निधि का उपयोग

उधार ली गई निधि का उपयोग आदर्श रूप से पूँजी निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। मौजूदा खपत को पूरा करने और बकाया ऋण पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार ली गई निधि का उपयोग करना धारणीय/स्थिर नहीं है। वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान उधार ली गई राशि के उपयोग का विवरण और प्रवृत्ति तालिका 2.41 में दिया गया है।

तालिका 2.41: उधार ली गई निधियों के उपयोग

(₹ करोड़ में)

क.सं.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	कुल उधारियों ²¹	20,736.52	31,921.72	33,423.87	28,164.36	21,972.42
2	पूर्व उधारियों का पुनर्भुगतान (मूलधन)	6,923.87	19,958.77	19,470.43	21,657.37	19,448.88
3	उधारियों के पुनर्भुगतान के बाद उपलब्ध शेष	13,812.65	11,962.95	13,953.44	6,506.99	2,523.54
4	निवल पूँजीगत व्यय	(-)8,898.19	(-)8,561.69	(-)9,019.34	(-)10,499.33	(-)13,314.70
5	निवल ऋण एवं अग्रिम	(-)77.80	200.75	53.62	(-)235.79	31.38
6=1-2-3-4	राजस्व व्यय का हिस्सा जो निवल उपलब्ध उधारियों से हुआ	निरंक	3,602.01	4,987.72	निरंक	निरंक
7	रोकड़ शेष में अधिशेष उधार	4,836.66	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2022-23 के दौरान, उधार ली गई धनराशि का 89 प्रतिशत (₹21,972.42 करोड़) का उपयोग पहले के उधार (₹19,448.88 करोड़) के पुनर्भुगतान के लिए किया गया था, जिससे विकास गतिविधियों के लिए उधार ली गई धनराशि का केवल 11 प्रतिशत बचा था। वर्ष 2022-23 के दौरान, यदि उधार के पुनर्भुगतान के बाद उपलब्ध शेष राशि (₹2,523.54 करोड़) का उपयोग ₹6,382.08 करोड़ के ब्याज भुगतान करने के लिए किया जा रहा है, तो पूँजीगत व्यय के लिए कोई उधार ली गई निधि उपलब्ध नहीं होगी। इसके अलावा, ऋण के पुनर्भुगतान के लिए उधार ली गई धनराशि का उपयोग वर्ष 2018-19 में 33 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 89 प्रतिशत हो गया, जो इंगित करता है कि उधार ली गई धनराशि मुख्य रूप से पूँजीगत संपत्ति निर्माण के बजाय ऋण सेवा दायित्वों का निर्वहन करने के लिए किया जा रहा है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, कुल उधारी 2021-22 में ₹28,164.36 करोड़ से ₹6,191.94 करोड़ (21.99 प्रतिशत) घटकर 2022-23 में ₹21,972.42 करोड़ हो गई। इसी तरह, पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में पहले के उधारों का पुनर्भुगतान ₹2,208.49 करोड़ (10.20 प्रतिशत) कम हो गया।

2.7.3 प्रत्याभूति (गारंटी) – आकस्मिक देयताएं

गारंटियां उधारकर्ता द्वारा चूक की स्थिति में राज्य की समेकित निधि पर देय आकस्मिक देनदारियां हैं जिनके लिए गारंटी को बढ़ाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार गारंटी नियम, 2020 (संशोधित) के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में दी गई कुल सरकारी गारंटी पिछले वर्ष में राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियों के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। वर्ष 2018-19 से 2022-23 के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में अधिकतम सीमा राशि, बकाया गारंटी और गारंटी के लिए दी गई अधिकतम राशि का विवरण तालिका 2.42 में दिया गया है।

तालिका 2.42: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)

क.सं.	गारंटी	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	गारंटियों की बकाया राशि पर लागू अधिकतम सीमा*	18,364.57	20,391.20	30,051.62	30,026.15	40,934.94
2	गारंटी की बकाया राशि	10,769.42	18,459.36	19,836.13	19,499.89	20,957.51
3	गारंटी के लिए दी गई अधिकतम राशि	19,573.79	27,994.79	26,694.79	29,947.50	30,022.50

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* छत्तीसगढ़ राज्य शासन गारंटियां नियमावली, 2003 के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में गारंटियों की कुल बकाया राशि गत वर्ष

²¹ लोक ऋण और अन्य लोक खाता देनदारियों सहित कुल उधारी

में राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियों के सत्तर प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, छत्तीसगढ़ राज्य शासन गारंटी नियम, 2020 (संशोधित) के माध्यम से इस सीमा को बढ़ाकर (जुलाई 2020) शत प्रतिशत कर दिया गया।

वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी गई गारंटी के लिए दी गई अधिकतम राशि लागू सीमा के भीतर थी, हालांकि 2018-19 से 2019-20 के दौरान यह सीमा से अधिक हो गई। वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्य गारंटी शुल्क ₹75.96 करोड़ के विरुद्ध ₹76.99 करोड़ की गारंटी शुल्क प्राप्त हुआ।

2.7.4 रोकड़ शेष का प्रबंधन

राज्य शासन अपने अधिशेष नकद शेष को छोटी और लंबी अवधि के भारत सरकार प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों में निवेश करती है। इस तरह के निवेश से प्राप्त लाभ को शीर्ष 0049-ब्याज प्राप्तियों के तहत प्राप्तियों के रूप में क्रेडिट कर दिया जाता है।

यह वांछनीय नहीं है कि राज्य शासन बड़े पैमाने पर रोकड़ शेष होने के बावजूद बाजार ऋण के लिए सहारा लेती है और इसे उत्पादक उपयोग में लाए बिना रोकड़ शेष के आगे बढ़ने की संभावना है। **तालिका 2.43** वर्ष के दौरान राज्य शासन द्वारा रोकड़ शेष और इनमें से किए गए निवेश को दर्शाती है।

तालिका 2.43: रोकड़ शेष की स्थिति

		(₹ करोड़ में)	
क्र. सं.	विवरण	01 अप्रैल 2022 की स्थिति में प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2023 की स्थिति में अंतिम शेष
1	(अ) सामान्य रोकड़ शेष		
2	कोषालय में रोकड़	0.00	0.00
3	रिजर्व बैंक में जमा	(-)610.48	215.63
4	"रोकड़ शेष निवेश लेखा" में किया गया निवेश	3,345.39	485.61
5	योग (अ)	2,734.91	701.24
6	(ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश		
7	विभागीय अधिकारियों जैसे वन तथा लोक निर्माण विभाग, राज्यपाल के सैनिक सचिव के पास रोकड़	12.10	12.09
8	विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी पेशगी राशियों	0.34	0.34
9	विशिष्ट उद्देश्य हेतु निधियों का निवेश	7,174.27	7,334.30
10	योग (ब)	7,186.71	7,346.73
11	योग (अ) तथा (ब)	9,921.62	8,047.97
12	अर्जित ब्याज	28.23	41.70

स्रोत : वित्त लेखे 2022-23

चालू वर्ष के अंत में राज्य शासन का सामान्य रोकड़ शेष वर्ष 2021-22 में ₹2,734.91 करोड़ से ₹2,033.67 करोड़ घटकर वर्ष 2022-23 में ₹701.24 करोड़ हो गया।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ एक समझौते के तहत छत्तीसगढ़ शासन को भारतीय रिजर्व बैंक के पास ₹0.72 करोड़ की आवश्यक न्यूनतम रोकड़ शेष राशि बनाए रखनी है। यदि किसी दिन शेष न्यूनतम समझौता राशि से कम हो जाता है, तो कमी को साधारण और विशेष अर्थोपाय अग्रिम या साधारण अर्थोपाय अग्रिम की सहायता से अच्छा बनाया जाता है। राज्य शासन 350 दिनों के लिए ₹0.72 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष बनाए रखने में सक्षम थी जबकि 15 दिनों के लिए विशेष आहरण सुविधा लेकर न्यूनतम शेष बनाया गया था। राज्य शासन को वर्ष 2022-23 के दौरान एसडीएफ पर ब्याज के रूप में ₹0.11 करोड़ का भुगतान करना पड़ा।

वर्ष 2018–19 से वर्ष 2022–23 की पाँच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य का रोकड़ शेष निवेश नीचे तालिका 2.44 में दिया गया है।

तालिका 2.44: रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	रोकड़ शेष निवेश			
		प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि/कमी	अर्जित ब्याज
1	2018–19	4,070.85	9,759.02	5,688.17	144.33
2	2019–20	9,759.02	5,246.81	(-)4,512.21	196.10
3	2020–21	5,246.81	3,389.68	(-)1,857.13	29.66
4	2021–22	3,389.68	3,345.39	(-)44.29	28.23
5	2022–23	3,345.39	485.61	(-)2,859.78	41.70

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य शासन के रोकड़ शेष निवेश के अन्तिम शेष की स्थिति वर्ष 2018–19 में ₹9,759.02 करोड़ से घटकर वर्ष 2022–23 में ₹485.61 करोड़ हो गई।

2.8 निष्कर्ष

राज्य शासन ने पिछले वर्ष की तुलना में 2022–23 के दौरान अपनी राजस्व प्राप्तियों में 17.86 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। कर राजस्व में 17.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई और करेत्तर राजस्व में 10.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

राज्य शासन ने 2022–23 के दौरान राजस्व आधिक्य (₹8,592.11 करोड़) का लक्ष्य हासिल कर लिया और राजकोषीय घाटे और जीएसडीपी का अनुपात (1.03 प्रतिशत) एमटीएफपीएस के तहत निर्धारित 3.33 प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर था।

राजस्व व्यय, जो कुल व्यय का 86.41 प्रतिशत है, पिछले वर्ष की तुलना में 2022–23 के दौरान 13.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालाँकि पिछले वर्ष की तुलना में पूँजीगत व्यय में 26.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन कुल व्यय में इसकी हिस्सेदारी केवल 13.50 प्रतिशत थी। जबकि 2022–23 में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय 18.64 प्रतिशत था, पूँजीगत व्यय जीएसडीपी का 2.91 प्रतिशत था।

राजस्व व्यय के प्रति प्रतिबद्ध व्यय वर्ष 2018–19 में 41.75 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022–23 में 47.27 प्रतिशत हो गया।

राज्य शासन ने 31 मार्च 2023 तक वैधानिक निगमों, सरकारी कंपनियों और सहकारी समितियों में अपने कुल निवेश (₹7,447.77 करोड़) पर केवल 0.08 प्रतिशत का प्रतिफल अर्जित किया।

वर्ष 2022–23 के दौरान, राज्य शासन ने संचित निक्षेप निधि में कम योगदान हस्तांतरित किया, जो कि बकाया देनदारियों (आंतरिक ऋण और लोक लेखा देनदारियों) का 0.46 प्रतिशत था, जबकि इसके न्यूनतम आवश्यक योगदान कम से कम 0.50 प्रतिशत था।

राज्य का समग्र बकाया ऋण-जीएसडीपी अनुपात²² वर्ष 2021-22 में 22.42 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2022-23 में 20.46 प्रतिशत हो गया, जो एमटीएफपीएस के तहत 26.41 प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर था। लोक ऋण पर ब्याज भुगतान और राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत वर्ष 2021-22 में 6.85 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2022-23 में 5.68 प्रतिशत हो गया। लोक ऋण पुनर्भुगतान से प्राप्ति का अनुपात 2018-19 में 7.97 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 90.24 प्रतिशत हो गई। राज्य की शुद्ध लोक ऋण उपलब्धता में गिरावट ऋण चुकाने के बढ़ते बोझ की ओर संकेत करती है और राज्य के पास विकास गतिविधियों के लिए सीमित धनराशि उपलब्धता के साथ छोड़ती है।

ऋण स्थिरीकरण संकेतक वर्तमान में निर्णायक रूप से बढ़ने के बजाय स्थिर है। ऋण स्थिरीकरण संकेतक, जिसमें क्वांटम प्रसार और प्राथमिक घाटा शामिल है, की अवधि (2019-21) में गिरावट आई और तब से महामारी के बाद के वर्ष में धीरे-धीरे वृद्धि देखी गई है। हालाँकि, यह अभी तक ऋण स्थिरीकरण की स्थिर स्थिति में नहीं पहुँच पाया है। इसके अलावा, महामारी के बाद लोक ऋण और जीएसडीपी का अनुपात में सुधार से पता चलता है कि ऋण की स्थिति खराब नहीं हो रही है, लेकिन यह अभी तक एक सीमा तक नहीं पहुँची है।

पुनर्भुगतान के लिए वर्षवार बकाया बाजार ऋण में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है और 2027-28 के दौरान यह चरम पर होगा।

2.9 अनुशंसाएं

- i. राज्य शासन बजट अनुमान की तुलना में पूँजीगत व्यय में कमी के कारणों की समीक्षा कर सकती है, ताकि आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अधिक धन उपलब्ध कराया जा सके।
- ii. राज्य शासन को वैधानिक निगमों, सरकारी कंपनियों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी संस्थानों से निवेश पर अपर्याप्त प्रतिफल के कारणों का आकलन करना चाहिए और उपचारात्मक उपायों की तलाश करनी चाहिए।
- iii. सरकार को पूँजी परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के कारणों की समीक्षा और विश्लेषण करना चाहिए और इस संबंध में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए संबंधित विभागों को सक्षम करने के लिए शीघ्र उपाय शुरू करने चाहिए।

²² समग्र बकाया ऋण-जीएसडीपी अनुपात की गणना भारत सरकार से प्राप्त बैक-टू-बैक ऋण ₹8,074.15 करोड़, जो राज्य शासन को जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले ऋण प्राप्ति के रूप में 2020-22 के दौरान बिना किसी पुनर्भुगतान दायित्व के प्रदान किया गया है, की राशि को छोड़कर बकाया समग्र ऋण पर की गई है।

अध्याय III

बजटीय प्रबंधन

बजटीय प्रबंधन

3.1 प्रस्तावना

यह अध्याय अनुपूरक अनुदानों सहित बजटीय प्रक्रिया और आवंटन प्राथमिकताओं की अखंडता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता और सहवर्ती वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा करता है और यह आकलन करता है कि क्या नीतिगत स्तर पर लिए गए निर्णयों को निधियों के विपथन के बिना प्रशासनिक स्तर पर लागू किया जाता है।

3.2 बजट तैयार करने की प्रक्रिया

बजट बनाने की वार्षिक कवायद सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए दिशानिर्देश का विवरण देने का एक साधन है। छत्तीसगढ़ शासन बजट के लिए एक शीर्ष-पाद दृष्टिकोण का अनुसरण करती है। बजट तैयार करने में राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया मुख्यतः निम्नानुसार है—

➤ वित्तीय वर्ष की शुरुआत में वित्त विभाग केन्द्र और राज्य शासन द्वारा नीतिगत घोषणाओं पर उचित विचार करते हुए पिछले प्रवृत्तियों के आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य को उपलब्ध होने वाले वित्तीय संसाधनों का प्रारंभिक आकलन करता है और जो किसी भी हाल के घटनाक्रम संसाधन उपलब्धता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता हो।

➤ अनुमानित संसाधनों की मात्रा के आधार पर वित्त विभाग वित्तीय वर्ष के लिए शासकीय व्यय का वहनीय स्तर निर्धारित करता है।


➤ बजट परिपत्र में विभागों द्वारा तैयार किए जाने वाले अनुमानों को प्रस्तुत करने और समीक्षा के लिए तारीखों का कैलेंडर शामिल होता है। इसके साथ जेण्डर, चाइल्ड, कृषि और परिणामी बजट की तैयारी के लिए प्रक्रियात्मक विवरण शामिल किये गये हैं।

➤ इसके बाद वित्त विभाग भारत के नीति आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर राज्य के वित्तीय संसाधनों का विस्तृत आकलन करता है। इन अनुमानों में राजस्व अर्जित करने वाले विभागों के विभिन्न अदानों को भी शामिल किया गया है। स्थानीय निकायों और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के संसाधनों का एक अनुमान भी तैयार किया जाता है। विभागों से व्यय के बजट अनुमान प्राप्त करने के बाद वित्त विभाग इन अनुमानों की छानबीन करता है और उन्हें अंतिम रूप प्रदान करता है जिसके लिए यह विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करता है।

इस प्रकार, वित्त विभाग द्वारा अनुमानों को निर्धारित प्रारूपों में संकलित किया जाता है, जिनमें उन्हें विधानसभा में मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है और राज्य के संचित निधि से व्यय के लिए अनुमोदन के लिए अपना वार्षिक बजट और अनुदान/विनियोजन की मांगों को भी प्रस्तुत किया जाता है। मूल बजट राशि से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान/विनियोजन प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, राज्य शासन विनियोजन की विभिन्न इकाईयों से निधियों का पुनर्विनियोजन/पुनः आवंटन भी करती है, जहाँ बचत प्रत्याशित है, उन इकाईयों को जहाँ वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय की परिकल्पना (अनुदान/विनियोग के अंदर) की जाती है।

वर्ष 2022-23 के दौरान मूल और अनुपूरक बजट, व्यय और बचत सहित राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित कुल राशि को नीचे दिए गये चार्ट 3.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ के बजट एवं व्यय का सारांश



3.3 वित्तीय जबाबदेही और बजट की समीक्षा

3.3.1 जेण्डर बजट

जेण्डर बजट कुल बजट का हिस्सा है और इसे महिलाओं के विकास में सहायता के लिए बनाया गया है, महिलाओं से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है— (1) महिला-विशिष्ट योजनाएं जिनमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित और (2) महिला समर्थक योजनाएं जिनमें बजट प्रावधान का कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं से संबंधित है।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य शासन ने 26 योजनाओं के लिए ₹1,870.85 करोड़ (मूल बजट ₹1,755.86 करोड़ और अनुपूरक बजट ₹114.99 करोड़) प्रावधानित किया जो 100 प्रतिशत महिला केन्द्रित योजनाओं के लिए है। कुल बजट ₹1,870.85 करोड़ में से, केवल ₹1,298.44 करोड़ (69.40 प्रतिशत) का व्यय किया गया और शेष ₹572.41 करोड़ (30.60 प्रतिशत) का व्यय नहीं किया गया। विवरण परिशिष्ट 3.1 में दिखाया गया है जिनमें से दो मामलों में कोई व्यय नहीं हुआ तथा एक मामले में व्यय बजटीय आवंटन से अधिक था।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य शासन ने 105 योजनाओं के लिए ₹12,377.73 करोड़ का बजट प्रावधान किया, जिसमें बजट का एक हिस्सा (न्यूनतम 30 प्रतिशत) महिला केन्द्रित कार्यों पर व्यय किया जाना था जिसका विशिष्ट उप-शीर्षो या उद्देश्य शीर्षो का विवरण प्रदान नहीं किया गया। जिस कारण महिला केन्द्रित योजनाओं पर व्यय की गई वास्तविक राशि को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

3.3.2 युवा बजट

युवा बजट समग्र बजट का हिस्सा है और युवाओं से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है—(1) युवा-विशिष्ट योजनाएं जिनमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान युवाओं से संबंधित है, और (2) युवा समर्थक योजनाएं जिनमें कम से कम 50 प्रतिशत बजट प्रावधान युवाओं से संबंधित है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य शासन ने 51 योजनाओं के लिए ₹2,313.73 करोड़ (मूल बजट ₹1,818.42 करोड़ और अनुपूरक बजट ₹495.31 करोड़) प्रावधान किया, जो 100 प्रतिशत युवा केन्द्रित है। ₹2,313.73 करोड़ के कुल बजट में से केवल ₹1,568.91 करोड़ (67.79 प्रतिशत) का व्यय किया गया और

₹745.35 करोड़ (32.21 प्रतिशत) का व्यय नहीं किया गया। विवरण परिशिष्ट 3.2 में दिखाया गया है इनमें से पांच मामलों में कोई व्यय नहीं हुआ और दो मामलों में व्यय बजटीय आबंटन से अधिक था।

कुल 50 योजनाओं के लिए ₹1,200.79 करोड़ का बजट प्रावधान जिसमें बजट का एक हिस्सा (न्यूनतम 50 प्रतिशत) युवा केन्द्रित कार्यों पर वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय किया जाना था, जिसके लिये विशिष्ट उप-शीर्ष या उद्देश्य शीर्ष निर्दिष्ट नहीं किया गया जिस कारण युवा-केन्द्रित योजनाओं पर व्यय की गई वास्तविक राशि को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सकता है।

3.3.3 कृषि बजट

इस बजट में कृषि क्षेत्र का विकास और किसानों की गतिविधियों के हितों के साथ-साथ इन गतिविधियों पर होने वाले व्यय की जानकारी भी शामिल है।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य शासन ने 12 विभागों¹ के अंतरगत 244 कृषि योजनाओं के लिए ₹23,131.75 करोड़ (मूल बजट ₹20,404.57 करोड़ और अनुपूरक बजट ₹2,727.18 करोड़) का बजट प्रावधान किया। इस कुल बजट में से ₹19,281.13 करोड़ (83.35 प्रतिशत) का व्यय और शेष ₹3,902.52 करोड़ (16.65 प्रतिशत) व्यय नहीं किया गया।

3.3.4 चाइल्ड बजट

इस बजट का उद्देश्य 0-18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का सामाजिक विकास, संरक्षण, ज्ञान प्रबंधन, स्वास्थ्य और पोषण और उनके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखना है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार ने छह विभागों² के तहत 62 योजनाओं के लिए बजट में ₹10,087.32 करोड़ रुपये प्रदान किया। इसमें से ₹5,972.19 करोड़ रुपये का बजट 49 योजनाओं के लिए आवंटित किया गया था जो 100 प्रतिशत बाल-केन्द्रित हैं। ₹4,687.44 करोड़ (78.49 प्रतिशत) का व्यय किया गया था और शेष ₹1,284.74 करोड़ (21.51 प्रतिशत) व्यय नहीं किया गया।

3.3.5 बजट लक्ष्य प्राप्ति

कुल बजट परिणाम

सकल बजट परिव्यय उस सीमा को मापता है जिस तक कुल बजट व्यय परिणाम वास्तविक व्यय मूल रूप से अनुमोदित राशि को दर्शाता है, अनुमोदित से कम और अनुमोदित से अधिक के संदर्भ में।

तालिका 3.1: समग्र बजट परिणाम

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल बजट ³	वास्तविक व्यय ⁴	मूल बजट और वास्तविक व्यय के बीच अंतर
राजस्व व्यय	90,188.75	86,876.55	3,312.20
पूँजीगत व्यय	22,414.65	23,536.46	(-)1,121.81
कुल	1,12,603.40	1,10,413.01	2,190.39

स्रोत : विनियोग लेखे वर्ष 2022-23

¹ कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मछली पालन विभाग, सहकारिता विभाग, जल संसाधन विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत और ग्रामीण विभाग, वन विभाग, उर्जा विभाग, वित्त विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, ग्रामीण उद्योग विभाग

² श्रम विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, और महिला एवं बाल विकास विभाग

³ इसमें व्यय में कमी के समायोजन की वसूली शामिल नहीं है।

⁴ इसमें व्यय में कमी के समायोजन की वसूली शामिल नहीं है।

राजस्व व्यय खंड में, मूल बजट की तुलना में परिणाम में विचलन (-)3.67 प्रतिशत था। यह 39 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के बीच, 19 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत, छह अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच और एक अनुदान में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के बीच विचलन के कारण था।

पूँजीगत व्यय खंड में, मूल बजट की तुलना में परिणाम में विचलन 5.00 प्रतिशत था। यह 21 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के बीच, 18 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के बीच, 23 अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच और तीन अनुदानों में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के बीच विचलन के कारण था। हालांकि, पूँजीगत खंड के एक अनुदान के संबंध में कोई मूल बजट प्रावधान नहीं किया गया था।

व्यय संरचना परिणाम

व्यय संरचना परिणाम इस बात को मापता है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच पुर्न आवंटन ने व्यय संरचना में भिन्नता में योगदान दिया है।

तालिका 3.2: व्यय संरचना परिणाम

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल अनुमोदित	संशोधित अनुमान (पुनः)	वास्तविक व्यय	अंतर मूल अनुमोदित और संशोधित अनुमान के बीच	अंतर वास्तविक व्यय और संशोधित अनुमान के बीच
राजस्व व्यय	90,188.75	95,247.10	86,876.55	5,058.35	(-) 8,370.55
पूँजीगत व्यय	22,414.65	26,594.97	23,536.46	4,180.32	(-) 3,058.51
कुल	1,12,603.40	1,21,842.07	1,10,413.01	9,238.67	(-) 11,429.06

स्रोत : विनियोग खाता 2022-23 और बजट पुस्तकें 2023-24

राजस्व व्यय खंड में, संशोधित अनुमान की तुलना में विचलन (-)8.79 प्रतिशत था। यह 37 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के बीच, 16 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत, 12 अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था। राजस्व अनुभाग के छह अनुदानों (अनुदान संख्या 42, 57, 68, 75, 76 और एक विनियोग- लोक ऋण) में कोई राजस्व प्रावधान नहीं किया गया था।

पूँजीगत व्यय खंड में, संशोधित अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-)11.50 प्रतिशत था। यह 23 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के बीच, 11 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत, 32 अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था। हालांकि, पूँजी अनुभाग के पांच अनुदानों (अनुदान संख्या 22, 35, 49, 50 और एक विनियोग-ब्याज भुगतान) के संबंध में कोई पूँजीगत प्रावधान नहीं किया गया था।

3.3.6 मुख्य नीतिगत पहल/नई योजनाएं

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अपना बजट प्रस्तुत करते समय राज्य सरकार ने ₹1,294.52 करोड़ के आवंटन के साथ कुल 42 प्रमुख नीतिगत पहलों/नई योजनाओं की घोषणा की, हालांकि, सात योजनाओं में न तो बजट प्रावधान किया गया और न ही व्यय किया गया। कुल 42 प्रमुख नीतिगत पहलों/नई योजनाओं में से, इसने विभिन्न विभागों को शामिल करते हुए छह प्रमुख नीतिगत पहलों/नई योजनाओं (एक करोड़ और अधिक) के तहत कुल ₹42.93 करोड़ का बजट प्रदान किया, जिसमें वर्ष के दौरान कोई

व्यय नहीं किया गया था, जिसका विवरण परिशिष्ट 3.3 में दिखाया गया है।

3.4 विनियोग लेखा

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा से यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि क्या व्यय विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत वास्तविक रूप से किया है जो विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए प्राधिकार के अनुरूप है और जो व्यय संविधान के प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के तहत भारित किये जाने के लिए आवश्यक हो वह व्यय भारित किया गया है। लेखापरीक्षा यह भी सुनिश्चित करती है कि व्यय जिस प्रकार किया गया है वह व्यय विधि संबंधित नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है या नहीं।

3.4.1 विनियोग लेखों का सारांश

वर्ष 2022-23 के दौरान 71 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध अनुपूरक बजट सहित मूल बजट, वास्तविक व्यय और आधिक्य/बचत के सारांश की स्थिति तालिका 3.3 दर्शायी गई है।

तालिका 3.3: बजट प्रावधानों की तुलना में व्यय की स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल बजट	व्यय	बचत (-)	आधिक्य (+)	माह मार्च में किये गये समर्पण की राशि
दत्तमत	राजस्व	82,656.54	8,723.70	91,380.24	79,993.17	-11,428.84 (12.51)	41.77 (0.05)	12,950.96 (113.32)
	पूँजीगत	15,888.95	2,647.56	18,536.50	13,749.42	-4,787.08 (25.83)	0.00	4,775.16 (99.85)
	ऋण तथा अग्रिमों	500.43	0.26	500.69	171.53	-329.16 (65.74)	0.00	323.78 (98.37)
	कुल दत्तमत	99,045.91	11,371.52	1,10,417.43	93,914.12	-16,545.08 (14.98)	41.77 (0.05)	18,049.90 (109.10)
भारित	राजस्व	7,532.21	67.86	7,600.07	6,883.38	-716.71 (9.43)	0.01	709.73 (99.03)
	पूँजीगत	13.38	6.40	19.78	14.79	-4.99 (25.21)	0.00	4.97 (99.68)
	लोक ऋण	6,011.90	0.00	6,011.90	9,600.72	0.00	3,588.82 (59.70)	116.91
	कुल भारित	13,557.49	74.26	13,631.75	16,498.89	-721.70 (5.29)	3,588.83 (26.33)	831.61 (115.23)
कुल योग	1,12,603.40	11,445.78	1,24,049.18	1,10,413.01	-17,226.78 (13.92)	3,630.60 (2.93)	18,881.51 (109.35)	

स्रोत : विनियोग लेखे वर्ष 2022-23


कुल बचत ₹17,266.78 करोड़ (कुल अनुदान/विनियोग का 13.92 प्रतिशत) थी, और ₹18,959.11 करोड़ समर्पित किया गया था। कुल समर्पित राशि ₹18,959.11 करोड़ में से ₹18,881.51 करोड़ (99.59 प्रतिशत) की राशि को मार्च के महीने में समर्पित किया गया, जिससे अन्य विकास उद्देश्यों के लिए इन निधियों के उपयोग की कोई संभावना नहीं रह गयी। चूंकि शासन मूल प्रावधान का उपयोग नहीं कर सकी, इसलिए ₹11,445.78 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ।

3.4.2 बजटीय निधि का उपयोग

राज्य द्वारा बजटीय निधि का उपयोग पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उप-युक्ततम रहा है, वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की पाँच वर्ष की अवधि के दौरान बजट के उपयोग की सीमा नीचे दर्शायी

गई है।

चार्ट 3.2: वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान बजट का उपयोग



स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

बजट के उपयोग का प्रतिशत वर्ष 2018-19 में 72.01 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 के दौरान 89.01 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, धन का उपयोग वर्ष 2021-22 में 87.37 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 में कुल बजटीय प्रावधान का 89.01 प्रतिशत हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष राजस्व व्यय में मुख्य रूप से वेतन, सब्सिडी और अनुदान सहायता घटकों में वृद्धि हुई थी।

तालिका 3.4: 2018-23 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय


(₹ करोड़ में)

व्योरा	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
मूल बजट	87,463.61	95,899.45	1,02,907.42	1,05,212.73	1,12,603.40
अनुपूरक बजट	17,706.90	11,013.99	7,042.84	5,086.56	11,445.78
कुल बजट (क)	1,05,170.51	1,06,913.44	1,09,950.26	1,10,299.29	1,24,049.19
संशोधित अनुमान (ख)	97,063.96	1,02,579.99	98,842.36	1,07,239.96	1,21,842.07
वास्तविक व्यय (ग)	75,733.43	92,261.33	89,299.70	96,368.41	1,10,413.01
निवल बचत (क-ग)	29,437.08	14,652.11	20,650.56	13,930.88	13,636.18
मूल प्रावधान के अनुपूरक का प्रतिशत	20.24	11.48	6.84	4.83	10.16
समग्र प्रावधान में समग्र बचत/अधिकता का प्रतिशत	27.99	13.70	18.78	12.63	10.99
क-ख	8,106.55	4,333.45	11,107.90	3,059.33	2,207.12
ख-ग	21,330.53	10,318.66	9,542.66	10,871.55	11,429.06
(क-ख) कुल बजट के % के रूप में	7.71	4.05	10.10	2.77	1.78
(ख-ग) संशोधित अनुमान के % के रूप में	21.98	10.06	9.65	10.14	9.38

स्रोत विनियोग खाता 2022-23 और बजट पुस्तकें 2019-24

पिछली तालिका से पता चलता है कि 2022-23 के दौरान ₹11,445.78 करोड़ का पूरक प्रावधान पिछले वर्ष के 4.83 प्रतिशत के मुकाबले मूल प्रावधान का 10.16 प्रतिशत था। साथ ही, वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल बजट प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं आया।

चार्ट 3.3: 2018-19 से 2022-23 के दौरान कुल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय दिखाने की प्रवृत्ति



उपरोक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक के वर्षों में, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय हमेशा राज्य के कुल बजट से कम था तथा संशोधित अनुमान और कुल बजट के बीच अनुमान त्रुटि को दर्शाते हुए ₹5,762.87 करोड़ रुपये का औसत अंतर था।

प्रतिशत के संदर्भ में, संशोधित अनुमान वर्ष 2018-19 में कुल बजट की तुलना में 7.71 प्रतिशत कम था जो 2022-23 में घटकर 1.78 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, पांच साल की अवधि के दौरान वास्तविक व्यय भी संशोधित अनुमान से कम था और संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय के बीच अंतर प्रतिशत 9.38 प्रतिशत और 21.98 प्रतिशत के बीच रहा।

यह दर्शाता है कि बजटीय आवंटन अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित थे क्योंकि राज्य के बजट अनुमान हमेशा बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए जाते थे और वास्तविक व्यय बजटीय प्रावधानों से कम था।

3.5 बजटीय और लेखा प्रक्रिया की अखंडता पर टिप्पणियां

3.5.1 राजस्व व्यय के रूप में पूँजीगत व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

सहायता अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण के संबंध में भारत सरकार लेखा मानक (आई.जी.ए.एस.)-2 यह निर्धारित करता है कि अनुदानकर्ता द्वारा वितरित सहायता अनुदान और अनुदानकर्ता के वित्तीय विवरणों में राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत और लेखांकन किया जायेगा, भले ही जिन उद्देश्यों के लिये धन का वितरण किया गया हो। केवल भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अधिकृत प्रकरणों में इन पर शासन के वित्तीय विवरणों में पूँजीगत शीर्ष लेखे में डेबिट किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, शासकीय लेखे नियम 1990 के नियम 30 और मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता खंड-एक (जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसरण किया गया है) की कंडिका 324 में यह निर्धारित करने के लिए मापदंड है कि व्यय को समेकित निधि के पूँजीगत अनुभाग या राजस्व अनुभाग के शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए या नहीं।

पूँजीगत खंड में वर्गीकृत की जाने वाली पूँजी प्रकृति के व्यय को मोटे तौर पर एक भौतिक और स्थायी

चरित्र की ठोस परिसंपत्तियों को बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया जाएगा। अस्थायी संपत्ति पर व्यय या स्थानीय निकायों या संस्थानों को संपत्ति बनाने के उद्देश्य से सहायता अनुदान पर व्यय, जो इन स्थानीय निकायों या संस्थानों से संबंधित होगा, को आमतौर पर पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, सिवाय उन मामलों के जिन्हें नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अधिकृत किया जाता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, छत्तीसगढ़ शासन ने पूंजीगत खंड के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए प्रदान किए गए ₹2,840.61 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान किए और सहायता अनुदान को गलत तरीके से वर्गीकृत किया। इसके अलावा, वस्तु शीर्ष 45, कार्यालय व्यय (₹6.87 करोड़), पेशेवर सेवाओं के लिए भुगतान (₹3.59 करोड़) और अन्य जीआईए (₹43.15 करोड़) के तहत दर्ज सहायता अनुदान के गलत वर्गीकरण को भी पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया गया था। वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान पूंजीगत व्यय के रूप में सहायता अनुदान का व्यय तालिका 3.5 में दर्शाया गया है।


तालिका 3.5: पूंजीगत व्यय के रूप में सहायता अनुदान के वर्गीकरण का विस्तार

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया गया सहायता अनुदान	1,998.74	1,939.61	1,865.85	2,227.04	2,883.76
2	कुल पूंजीगत व्यय	8,903.45	8,566.39	9,024.19	10,504.22	13,320.30
3	पूंजीगत व्यय में सहायता अनुदान के अंश (%)	22.45	22.64	20.68	21.20	21.65

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 3.4: पूंजीगत व्यय के रूप में सहायता अनुदान का गलत वर्गीकरण



स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

औसतन, सरकार ने पूंजीगत व्यय के तहत अनुदान सहायता को गलत तरीके से वर्गीकृत किया है, जो पिछले पांच वर्षों में कुल पूंजीगत व्यय का 21.72 प्रतिशत है।

3.5.2 अनावश्यक एवं अत्याधिक अनुपूरक अनुदान

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य विधान मण्डल द्वारा ₹11,445.78 करोड़ के तीन अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गयी। इन अनुपूरक आबंटन के उपयोग के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला है कि 25 अनुदान/विनियोग से संबंधित 31 प्रकरणों में, वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए प्रत्येक मामले में ₹50 लाख या उससे अधिक के पूरक प्रावधान ₹1,853.65 करोड़ प्राप्त हुए जो पूरी तरह से अनावश्यक साबित हुए क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था। विवरण परिशिष्ट 3.4 में दर्शाया गया है।

कुल 13 अनुदानों/विनियोगों में मूल बजट प्रावधान में से ₹100 करोड़ और उससे अधिक की महत्वपूर्ण

बचत थी, फिर भी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया गया था। विवरण नीचे तालिका 3.6 में दिया गया है।

तालिका 3.6: ऐसे प्रकरण जहाँ मूल बजट प्रावधान से ₹100 करोड़ और अधिक बचत थी फिर भी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किये गये

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	
						राशि	प्रतिशत
राजस्व (दत्तमत)							
1	03	पुलिस	5,430.57	2.56	4,703.43	-727.14	13.39
2	08	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	1,269.02	137.92	1,051.51	-217.50	17.14
3	14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	464.02	0.10	359.65	-104.37	22.49
4	19	लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2,776.67	339.93	2,638.62	-138.05	4.97
5	24	लोक निर्माण-सड़कें और पुल	938.26	260.27	660.96	-277.29	29.55
6	27	स्कूल शिक्षा	5,598.17	2.70	5,167.71	-430.46	7.69
7	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	2875.80	539.81	2521.37	-354.43	12.32
8	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति योजना विभाग	363.78	14.00	249.29	-114.49	31.47
9	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	1,121.18	24.35	756.13	-365.05	32.56
10	66	पिछड़े वर्गों का कल्याण	235.55	151.04	50.83	-184.73	78.42
11	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	1,018.65	36.00	820.77	-197.88	19.43
12	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	1,869.47	3.00	1,764.03	-105.44	5.64
कुल राजस्व दत्तमत			23,961.14	1,511.68	20,744.29	-3,216.84	13.43
पूँजीगत (दत्तमत)							
13	24	लोक निर्माण-सड़कें और पुल	1,667.51	100.00	1,379.43	-288.08	17.28
14	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	800.32	3.96	454.27	-346.05	43.24
कुल पूँजीगत दत्तमत			2,467.83	103.96	1,833.70	-634.13	25.69
कुल योग			26,428.97	1,615.64	22,577.99	-3,850.97	14.57

स्रोत : विनियोग लेखे 2022-23

लेखापरीक्षा विश्लेषण से यह भी पता चला है कि 71 अनुदानों में से 27 अनुदानों में अंतिम व्यय मूल प्रावधानों से कम था। अतः लिया गया अनुपूरक प्रावधान खराब बजटीय प्रबंधन को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, 18 उप-शीर्षों के अंतर्गत, प्रत्येक मामले में ₹171.40 करोड़ की राशि के एक करोड़ या अधिक के संपूर्ण अनुपूरक प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था जैसा कि तालिका 3.7 में दर्शाया गया है। यह इंगित करता है कि अनुपूरक प्रावधान आवश्यकता के वास्तविक अनुमान के बिना किए गए थे और यह गुणहीन बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

तालिका 3.7: विवरण जहाँ संपूर्ण अनुपूरक प्रावधान (₹एक करोड़ और अधिक) अनुपयोगी रहा

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान
1	36-2041-0-101-0-4280- संग्रह शुल्क	0.01	1.00	1.01
2	71-5275-0-101-101-7892- भारत नेट परियोजना के लिए कार्यान्वयन	0.00	65.00	65.00
3	66-2202-2-109-704-8050- छात्रवृत्ति	0.00	60.00	60.00
4	71-5275-0-101-101-6681- छत्तीसगढ़ राज्य-जी.आई.एस. परियोजना	0.00	16.90	16.90
5	55-2235-2-103-701-6641- वन स्टॉप सेंटर (सखी)	0.00	4.80	4.80
6	41-2235-2-103-702-6641- वन स्टॉप सेंटर (सखी)	0.00	3.70	3.70
7	64-4700-10-800-703-5516-वृहद सिंचाई परियोजना- निर्माण कार्य	0.00	2.50	2.50

8	64-4700-10-800-706-5516-वृहद सिंचाई परियोजना- निर्माण कार्य	0.00	2.50	2.50
9	64-4700-11-800-703-5516- वृहद सिंचाई परियोजना- निर्माण कार्य	0.00	2.50	2.50
10	64-4700-11-800-706-5516- वृहद सिंचाई परियोजना- निर्माण कार्य	0.00	2.50	2.50
11	55-2235-2-103-101-6686-एकीकृत डिजिटल अनुप्रयोग योजना (उदय एस.डी. जी.)	0.00	1.90	1.90
12	55-2235-2-103-701-6642- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	0.00	1.60	1.60
13	41-2235-2-103-702-6642- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	0.00	1.40	1.40
14	64-2235-2-103-703-6641-वन स्टॉप सेंटर (सखी)	0.00	1.10	1.10
15	64-4225-1-102-103-5616-गिरौदपुरी और भंडारपुरी का एकीकृत विकास	4.00	1.00	5.00
16	41-4235-2-103-702-6641-वन स्टॉप सेंटर (सखी)	0.00	1.00	1.00
17	55-4235-2-103-701-6641-वन स्टॉप सेंटर (सखी)	0.00	1.00	1.00
18	64-4235-2-103-703-6641-वन स्टॉप सेंटर (सखी)	0.00	1.00	1.00
कुल		4.01	171.40	175.41

स्रोत : विनियोग लेखे 2022-23

3.5.3 अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन में, एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा, अनुदान में एक इकाई (राजस्व-दत्त, राजस्व-भारित, पूँजी-दत्त, पूँजी-भारित) जहाँ बचत की प्रत्याशा होती है, दूसरी इकाई को जहाँ अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है वहाँ धन का हस्तांतरण होता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, 8 अनुदानों से संबंधित 14 प्रकरणों में, पुनर्विनियोजन के बाद अतिरिक्त/बचत थी, जैसा कि तालिका 3.8 में विस्तृत है, यह दर्शाता है कि प्रशासन द्वारा पुनर्विनियोजन पर्याप्त आंकलन के बिना किए गए थे और यह खराब वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है।

तालिका 3.8: अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

अनुदान क्रमांक	मूल	अनुपूरक	पुन- विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	समापक अधिक्य (+) /कमी (-)
08-2053-0-93-1510- जिला स्थापना	334.36	0.00	6.88	341.24	323.41	-17.84
23-4700-11-800-704-5516- वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	-7.00
67-2059-80-1-101-3566- मुख्यालय स्थापना	31.22	0.00	0.23	31.45	28.57	-2.88
19-2210-1-200-101-8631- कॉर्पस वेसल स्कीम	11.00	0.00	0.59	11.59	10.93	-0.67
67-2059-1-53-2449- न्याय प्रशासन (न्यायालय भवनों का रखरखाव)	13.00	0.00	0.62	13.62	12.97	-0.65
67-2059-60-53-7425- नए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का रखरखाव	1.50	0.00	0.46	1.96	1.46	-0.50
55-2235-2-103-704-6647- शक्ति सदन	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	-0.48
01-2013-0-101-3282- मंत्रियों का वेतन	1.40	0.00	0.26	1.66	1.20	-0.46
55-2235-2-103-701-6647- शक्ति सदन	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	-0.24
08-2029-0-103-3150- भूमि सर्वेक्षण	2.85	0.00	0.21	3.06	2.82	-0.24
55-2235-2-103-704-6649- सखी निवास	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	-0.12
64-5054-3-101-103-7976- जवाहर सेतु योजना	4.40	0.00	3.22	7.62	7.52	-0.10
64-2210-6-101-703-6441- कोविड-19 संक्रमण का उपचार और रोकथाम	0.01	0.00	0.04	0.05	0.00	-0.05
23-2701-19-101-2250- नहरें और टैंक	0.48	0.00	0.03	0.51	0.48	-0.03
कुल	400.22	0.00	20.38	420.60	389.36	-31.26

स्रोत : विनियोग लेखे वर्ष 2022-23

3.5.4 उप-शीर्षों के तहत संपूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया

92 प्रकरणों में, 29 अनुदानों और दो विनियोगों के अंतर्गत विभिन्न उप-शीर्षों में ₹10 करोड़ और उससे अधिक के सम्पूर्ण प्रावधान ₹4,075.79 करोड़ अप्रयुक्त रहें जिसका विवरण परिशिष्ट 3.5 में दिया गया है। इनमें से महत्वपूर्ण प्रकरण, जहाँ 100 करोड़ और उससे अधिक के बिना उपयोग किए गए बजट प्रावधान तालिका 3.9 में नीचे दिये गए हैं।

तालिका 3.9: बिना उपयोग बजट प्रावधान का विवरण ₹100 करोड़ और उससे अधिक

नाम	मूल	व्यय	(₹ करोड़ में)
			राशि पुनः विनियोजित
CH2- 2049- 01- 101- 2199- नया बाजार ऋण	275.00	0.00	275.00
20-4215-1-102-701-6383- जल जीवन मिशन योजना	234.63	0.00	234.63
19-2210-6-200-801-6613- 15वें वित्त आयोग के तहत अनुदान	227.00	0.00	227.00
81-6215-1-101-101-7845-नगरीय निकायों की जल संवर्धन योजना	200.00	0.00	200.00
41-4215-1-102-702-6383-जल जीवन मिशन योजना	181.50	0.00	181.50
41-2210-6-200-802-6613-15वें वित्त आयोग के तहत अनुदान	172.52	0.00	172.52
8-2029-0-797-0-6753-पर्यावरण निधि का हस्तांतरण	122.75	0.00	122.75
8-2029-0-797-0-6754- अवसंरचना विकास निधि में अंतरण	122.75	0.00	122.75
41-4225-2-102-802-5024-आदिवासी विशेष पिछड़ा वर्ग	110.00	0.00	110.00
13-2401-0-800-1201-6353-चिराग योजना	100.00	0.00	100.00
कुल	1,746.15	0.00	1,746.15

स्रोत : विनियोग लेखे वर्ष 2022-23

उपर्युक्त मामलों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 6383- जल जीवन मिशन योजना के तहत, भारत सरकार द्वारा सीधे जल जीवन मिशन एस्क्रो खाते में धनराशि जारी की गई थी, और निधि की अनुपलब्धता के कारण केन्द्रीय और राज्य अंश के संपूर्ण प्रावधान को पुनर्विनियोजित किया गया जिससे शून्य व्यय हुआ।

इसके अलावा, वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 के दौरान 6753-पर्यावरण निधि के हस्तांतरण और 6754- बुनियादी ढांचा विकास निधियों में हस्तांतरण में लगातार शून्य व्यय देखा गया। पूरे प्रावधान का उपयोग न करने के कारणों की जानकारी विभाग द्वारा नहीं दी गई।

3.5.5 बृहद बचत/समर्पण

कुल बचत ₹17,266.78 करोड़ के एवज में ₹100 करोड़ से अधिक की बचत 31 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत हुई, ₹15,047.48 करोड़ की राशि जो वर्ष के दौरान समग्र बचत का 87.15 प्रतिशत है जैसा कि परिशिष्ट 3.6 में विस्तृत है। इन 31 अनुदानों/विनियोजनों में से ₹500 करोड़ से अधिक की बचत नौ अनुदानों में देखी गई जिसकी राशि ₹8,279.98 करोड़ रुपये थी जैसा कि परिशिष्ट 3.7 में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त 60 अनुदानों में ₹10 करोड़ से अधिक के समर्पण किए गए की कुल राशि ₹18,916.87 करोड़ है जैसा कि परिशिष्ट 3.8 में विस्तृत है।

कुल 71 अनुदानों/विनियोजनों में से आठ अनुदानों/विनियोग में आबंटन का 50 प्रतिशत से कम उपयोग हुआ जिसके कारण वर्ष 2022-23 में बृहद बचत हुई। वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक की पाँच वर्ष की अवधि में इन आठ अनुदानों/विनियोजनों में बजटीय आवंटन का उपयोग तालिका 3.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.10: अनुदान/विनियोग जहाँ बजट का उपयोग 50 प्रतिशत से कम

क्र.सं.	अनुदान का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	वर्षों की संख्या	बजट 2022-23	कुल बजट (पाँच वर्ष)
		बजट का उपयोग (प्रतिशत)						(₹ करोड़ में)	
1	04- गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	59	57	34	56	45	2	103.05	507.32
2	68- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना से संबंधित लोक निर्माण भवन	48	40	36	69	42	4	129.21	705.14
3	46- विज्ञान और प्रौद्योगिकी	35	34	34	36	39	5	25.35	123.58
4	71- सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी	22	77	37	63	33	3	279.01	1,698.29
5	09- राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	37	58	24	37	30	4	21.94	107.40
6	75- डब्ल्यू.आर.डी. से संबंधित नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाएं	66	29	25	23	24	4	689.71	3,486.58
7	66- पिछड़े वर्गों का कल्याण	56	58	59	71	15	1	404.75	1,469.73
8	57- जल संसाधन विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं			00	00	00	3	2.00	109.00

*50 प्रतिशत से कम उपयोग के साथ वर्षों की संख्या

स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

बजट का कम उपयोग बड़े हुए बजटीय प्रावधानों का संकेत है। बड़े हुए बजट, संसाधन आवंटन, परियोजना नियोजन और वित्तीय प्रबंधन को प्रभावित करते हैं। इसमें सरकार द्वारा गहन समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है ताकि शीघ्र सुधारात्मक उपाय शुरू किए जा सकें। अनुदान 46- विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बार-बार कम उपयोग के कारण की जांच सरकार द्वारा की जा सकती है, और सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

बजटीय प्रावधान का उपयोग करने में असमर्थता, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को संसाधनों के आबंधन से वंचित करती है और लोक वित्त पर कमजोर विधायी नियंत्रण की ओर भी ले जाती है।

3.5.6 बजट से भिन्नता के लिए अनुपलब्ध/अपूर्ण स्पष्टीकरण

स्वीकृत बजट के विरुद्ध व्यय दर्शाने के अतिरिक्त, विनियोग खाते उन प्रकरणों के लिए स्पष्टीकरण भी प्रदान करते हैं जहाँ व्यय बजट प्रावधान (मूल तथा अनुपूरक) से काफी भिन्न होता है। विनियोग लेखाओं में उप-शीर्ष/उप-उप-शीर्ष स्तर (विनियोग की इकाई) पर इस प्रकार के अंतर को किस सीमा से परे स्पष्ट किया जाना है, यह लोक-लेखा समिति (पी.ए.सी.) द्वारा निर्धारित किया जाता है।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को विनियोग खाते का प्रारूप प्रदान करता है और लोक-लेखा समिति द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार अनुमोदित बजटीय आबंधन के संदर्भ में व्यय में भिन्नता के कारणों/स्पष्टीकरण की मांग करता है।

विनियोग लेखों में शामिल की जाने वाली टिप्पणियों के लिए उप-शीर्षों के चयन के लिए लोक-लेखा समिति द्वारा निम्नलिखित मापदंड (अतिरिक्त/बचत) निर्धारित किए गए हैं-


1. टिप्पणियाँ बचत (दत्तमत) पर की जानी है:

- कुल प्रावधान (मूल के साथ अनुपूरक) के 2 प्रतिशत से अधिक की बचत।
- ₹10 करोड़ से कम अनुदान के प्रकरणों में ₹5 लाख से अधिक की बचत के लिए व्यक्तिगत उप शीर्ष।
- ₹10 करोड़ और ₹30 करोड़ के बीच के अनुदान के प्रकरणों में ₹10 लाख से अधिक की बचत के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।

- ₹30 करोड़ से अधिक अनुदान के प्रकरणों में ₹20 लाख से अधिक की बचत के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।
- 2. टिप्पणियाँ उन सभी उप-प्रमुखों के लिए बचत (भारित) पर की जानी चाहिए, जहाँ भिन्नता ₹5 लाख से अधिक है।
- 3. टिप्पणियाँ अतिरिक्त (दत्तमत) पर की जानी है:
 - ₹10 करोड़ से कम अनुदान के प्रकरणों में ₹5 लाख से अधिक के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।
 - ₹10 करोड़ और ₹30 करोड़ के बीच अनुदान के प्रकरणों में ₹10 लाख से अधिक के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।
 - ₹30 करोड़ से अधिक अनुदान के प्रकरणों में ₹20 लाख से अधिक के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।
 - उन सभी प्रकरणों में प्रावधान से अधिक के नियमितीकरण के लिए सामान्य टिप्पणियाँ की जाएगी जहाँ अनुदान में कुल अतिरिक्त (कोई भी राशि) है।
- 4. टिप्पणियाँ सभी उप-शीर्षों के लिए अतिरिक्त (भारित) पर की जानी चाहिए, जहाँ भिन्नता ₹5 लाख से अधिक है।

वर्ष 2022-23 के विनियोग लेखे के लेखापरीक्षा के दौरान पता चला कि लगभग 36.04 प्रतिशत प्रकरणों में नियंत्रक अधिकारी ने व्यय के आधार पर बजट आबंटन में बदलाव के लिए स्पष्टीकरण नहीं दिया है। कुल 3,836 उप-शीर्षों में से 1,457 उप-शीर्षों के संबंध में भिन्नता के कारणों की आवश्यकता थी जैसा कि परिशिष्ट 3.9 में दर्शाया गया है, तथापि, सरकारी विभागों के नियंत्रक अधिकारियों द्वारा 946 उप-शीर्षों में भिन्नता के उचित कारण प्रस्तुत नहीं किए गए थे। उप-शीर्षों के संबंध में, लेखों में उप-शीर्षों की कुल संख्या, जिन्हें विविधताओं के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता और उप-शीर्षों जहाँ आबंटन से भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त किए गए थे, चार्ट 3.5 में दिए गए हैं।

चार्ट 3.5: विनियोग खाता में परिवर्तन के लिए सारांश



बजटीय आबंटन और इसके उपयोग के बीच भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति, शासन की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के साधन के रूप में बजट पर विधायी नियंत्रण को सीमित करती है।

3.5.7 अतिरिक्त व्यय और इसका नियमितीकरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205(1)(ख) के अनुसार, यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस सेवा के लिए अनुदत्त रकम से अधिक कोई धन व्यय किया गया है और उस वर्ष के लिए राज्यपाल उस व्यय की प्राक्कलित रकम को दर्शाते हुए या राज्य की विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले कार्रवाई को दर्शाते हुए एक अन्य विवरण रखवाएगा इस तरह की अधिकता के लिए। इसलिए, राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह अनुदान/विनियोग से अधिक व्यय को विधान सभा में प्रस्तुत करके नियमित करवाए।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एक अनुदान और दो विनियोजन के अंतर्गत राज्य विधानसभा द्वारा किए गए प्राधिकरण पर ₹3,630.60 करोड़ का अतिरिक्त संवितरण था। यह मुख्य रूप से एमएच 6003-112-6471- विशेष निकासी सुविधा के तहत राज्य सरकार द्वारा बजट प्रावधान से अधिक की गई विशेष निकासी सुविधा के तहत ₹3,705.73 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय के कारण था, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकार को दिए गए अस्थायी ऋण की भरपाई के लिए विशेष आहरण सुविधा के तहत ट्रेजरी बिलों में निवेश के खिलाफ संपार्श्विक अग्रिम के रूप में था। विवरण नीचे तालिका 3.11 में दिया गया।

तालिका 3.11: वर्ष 2022-23 के दौरान प्रावधानों से अतिरिक्त व्यय की नियमितीकरण की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	अनुदान संख्या	अनुदान विवरण	कुल अनुदान/ विनियोग	कुल व्यय	आधिक्य व्यय
राजस्व दत्तमत						
1	वित्त विभाग	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	7,735.03	7,776.80	41.77
राजस्व भारित						
2	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	0.00	0.01	0.01
पूँजीगत भारित						
3	—	CH1	लोक ऋण	6,011.90	9,600.72	3,588.82
कुल				13,746.93	17,377.53	3,630.60

स्रोत : विनियोग लेखे 2022-23

वर्ष में प्रावधान से अधिक व्यय न ही केवल विधायी स्वीकृति की आवश्यकता वाले प्रावधानों का उल्लंघन है, अपितु खराब नियोजन का भी संकेत है, जिसे उद्देश्य के लिए बनाए गए बजट के साथ व्यय की प्रगति कि निगरानी रखने से बचा जा सकता था।

वर्ष 2000-01 से 2021-22 के लिए प्रावधान की तुलना में ₹17,436.39 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को अभी नियमित नहीं किया गया है, जिसे परिशिष्ट 3.10 में दर्शाया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 204 (3) एवं अनुच्छेद 205 का उल्लंघन है जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधानसभा द्वारा विधि द्वारा किए गए विनियोग के अतिरिक्त राज्य के समेकित कोष से कोई भी पैसा वापस नहीं लिया जाएगा। यह बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को प्रभावित करता है और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है। राज्य सरकार अतिरिक्त व्यय को नियमित न करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित कर सकती है।

वर्ष 2000-01 से 2021-22 की अवधि के दौरान विधायी प्राधिकरण पर अतिरिक्त व्यय का विवरण तालिका 3.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.12: वर्ष 2000-01 से 2021-22 के दौरान प्रावधानों से अतिरिक्त व्यय की नियमितीकरण की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	अनुदानों की संख्या	विनियोग की संख्या	आधिक्य राशि
1	2000-01	11	2	10.21
2	2001-02	14	2	115.90
3	2002-03	8	2	114.59
4	2003-04	4	2	591.12
5	2004-05	4	5	133.36
6	2005-06	4	2	23.27
7	2006-07	4	1	5.13
8	2007-08	3	3	15.99

9	2008-09	9	1	115.26
10	2009-10	10	5	216.77
11	2010-11	22	6	293.78
12	2011-12	24	1	498.09
13	2012-13	2	2	0.96
14	2013-14	3	3	178.96
15	2014-15	4	2	833.54
16	2015-16	3	2	98.24
17	2016-17	2	3	12.38
18	2017-18	3	3	2.61
19	2018-19	2	4	1.67
20	2019-20	3	4	6,682.69
21	2020-21	2	2	3,432.11
22	2021-22	2	3	4,059.76
कुल		143	60	17,436.39

स्रोत : संबंधित वर्ष के विनियोग लेखे

विनियोग लेखाओ की लेखापरीक्षा ने वर्ष 2022-23 के दौरान 17 मुख्य शीर्षों में सात अनुदानों/विनियोजन के अंतर्गत प्राधिकार पर ₹3,866.58 करोड़ का अतिरिक्त संवितरण किया गया जिसका विवरण परिशिष्ट 3.11 में दिखाया गया है।

3.6 व्यय की अतिवेग

मध्यप्रदेश बजट नियमावली (जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसरण किया गया है) के अनुच्छेद 92 के अनुसार, विशेषकर वित्तीय वर्ष के समापन महीनों में व्यय की अतिवेग से बचा जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की अतिवेग को वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है।

राज्य सरकार ने चरणबद्ध तरीके से व्यय को विनियमित करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान व्यय करने के लिए अधिकतम सीमा (पहली छमाही - 45 प्रतिशत, दूसरी छमाही - 55 प्रतिशत और मार्च के महीने में 20 प्रतिशत) निर्धारित की है। 25 अनुदानों का विवरण जहां वर्ष के दौरान व्यय सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका, परिशिष्ट 3.12 में दिखाया गया है।

धन जो "लाभप्रद रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता" वित्तीय वर्ष समाप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना राजकोष में वापस आ जाना चाहिए। यह विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के समापन महीनों में व्यय की अतिवेग से बचने में मदद करेगा।

3.7 चयनित अनुदान की समीक्षा

वर्ष 2022-23 के लिए, अनुदान संख्या 19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा अनुदान संख्या 24- लोक निर्माण- सडकों एवं पुलों से संबंधित व्यय को निर्धारित बजटीय प्रक्रियाओं के अनुपालन, निधियों की निगरानी, नियंत्रण तंत्र और अनुदान के भीतर योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए विस्तृत लेखा परीक्षा के लिए चुना जाता है। अनुदान समीक्षा के निष्कर्षों पर आगे की कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

3.7.1 अनुदान सं. 19 - लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ के लोगों को समर्पित निवारक, प्रोत्साहक और उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करने की परिकल्पना करता है। राज्य के लोगों के लिए पर्याप्त, गुणात्मक, निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना।

इसके अलावा, इस अनुदान के तहत चार प्रमुख शीर्ष अर्थात् 2071- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ,

2210— चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, 2211— परिवार कल्याण और 4210— चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय संचालित किए जाते हैं।

3.7.1.1 बजट और व्यय

तीन वर्ष की अवधि वर्ष 2020–23 के दौरान इस अनुदान के तहत बजट प्रावधान, वास्तविक व्यय और बचत/अधिकता की समग्र स्थिति नीचे दी गई है।

तालिका 3.13: बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	प्रावधान	2020–21	2021–22	2022–23
राजस्व प्रावधान		2,621.89	3,269.93	3,118.95
1	व्यय	2,412.72	3,005.77	2,639.53
2	बचत	209.17	264.16	479.42
3	बचत (प्रतिशत)	7.98	8.08	15.37
पूंजीगत प्रावधान		188.76	69.26	46.52
4	व्यय	168.81	59.79	35.79
5	बचत	19.95	9.47	10.72
6	बचत (प्रतिशत)	10.57	13.67	23.04
कुल बजट प्रावधान		2,810.65	3,339.19	3,165.47
7	व्यय	2,581.53	3,065.56	2,675.32
8	बचत	229.12	273.63	490.14
9	बचत (प्रतिशत)	8.15	8.19	15.48

स्रोत : विनियोग लेखे 2020–23

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, वर्ष 2020–23 की अवधि के दौरान कुल बजट प्रावधान के प्रतिशत के रूप में बचत 8.15 से 15.48 प्रतिशत तक थी। लगातार बचत वास्तविक जरूरतों के गलत मूल्यांकन का संकेत है और इसके लिए विभाग की बजट तैयारी की कवायद की समीक्षा की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, तीन वर्षों के दौरान पूंजीगत बजट प्रावधान के साथ-साथ पूंजीगत व्यय में लगातार कमी आई जो चिकित्सा अवसंरचना के सृजन के लिए पूंजीगत कार्यों के लिए प्राथमिकता का आबंटन न किए जाने का संकेत देता है।

3.7.1.2 योजनाओं के तहत पर्याप्त राशि का उपयोग न करना

वर्ष 2022–23 के दौरान निम्नलिखित योजनाओं में संपूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग न होना दर्शाता है कि बजट प्रक्रिया और योजना की आवश्यकताओं का आकलन अवास्तविक था। संपूर्ण बजट प्रावधान की बचत का विवरण तालिका 3.14 में दिखाया गया है।

तालिका 3.14: पर्याप्त राशि का उपयोग न करना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना प्रमुख – नाम	मूल बजट	वास्तविक व्यय	पुनः विनियोजित समर्पण
1	4210 –2–101–101–620– उप स्वास्थ्य केंद्र	4.00	शून्य	4.00
2	2210 –3–110–701–6611– प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन	37.84	शून्य	37.84
3	2210 –3–110–704–6611– प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन	25.22	शून्य	25.22
4	2210 –1–110–701–6612– राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	11.86	शून्य	11.86
5	2210 –1–110–704–6612– राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	7.91	शून्य	7.91
6	2210 –6–200–801–6613– 15वें वित्त आयोग के तहत अनुदान	227.00	शून्य	227.00

स्रोत : विभाग द्वारा प्रदान किया गया विनियोग खाता

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, विभाग से शून्य व्यय के कारण अभी भी लंबित हैं (दिसंबर 2023)।

3.7.1.3 किए गए प्रावधानों पर अधिक व्यय

म.प्र. बजट मैनुअल (छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अपनाया गया) के अनुसार, नियंत्रण अधिकारी किए गए व्यय की प्रगति की निगरानी और स्वीकृत आवंटन के भीतर व्यय रखने के लिए जिम्मेदार है। अनुदान 19 की लेखा परीक्षा जांच के दौरान, यह देखा गया कि तालिका 3.15 में दिखाए गए निम्नलिखित शीर्षों के तहत, व्यय बजटीय प्रावधान से अधिक था।

तालिका 3.15: किए गए प्रावधानों पर अधिक व्यय

(₹ करोड़ में)					
क्र. सं.	शीर्ष वर्गीकरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल व्यय	अतिरिक्त व्यय
1	19- 2210- 03- 197- 101- 5998- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	152.18	0.00	197.94	45.76
2	19- 2210- 03- 198- 101- 620- उप स्वास्थ्य केंद्र	87.81	0.00	116.66	28.85
3	19- 2210- 03- 198- 101- 2777- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	330.69	0.00	334.48	3.79

स्रोत : विनियोग लेखे 2020-23

इस पर ध्यान दिए जाने पर, निदेशक स्वास्थ्य सेवा ने कहा (अक्टूबर 2023) कि योजना शीर्ष 5998- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 0620- उप स्वास्थ्य केंद्र और 2777- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तहत, अतिरिक्त व्यय विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों के मूल वेतन और महंगाई भत्ते में वृद्धि के कारण था।

3.7.1.4 निधियों का कम उपयोग

लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि तालिका 3.16 में दिखाए गए निम्नलिखित शीर्षों के तहत, उपयोग की गई निधियों का प्रतिशत कुल बजट प्रावधान के 50 प्रतिशत से कम था। यह खराब बजटीय अनुमान या प्रदर्शन में कमी या दोनों का संकेत है।

तालिका 3.16: निधियों का कम उपयोग

(₹ करोड़ में)					
क्र. सं.	शीर्ष वर्गीकरण	कुल प्रावधान	कुल व्यय	उपयोग (%)	बचत (%)
1	19-2210-03-197-101-748- औषधालय	3.76	1.69	45.03	54.97
2	19-2210-06-102-0-1070- खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम (खाद्य प्रयोगशालाओं सहित)	16.91	7.88	46.59	53.41
3	19-2211-00-1-704-1508- जिला स्तरीय कर्मचारी	1.21	0.22	18.15	81.85
4	19-4210-02-103-101-2777- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	3.56	1.49	41.76	58.24
5	19-2210-06-200-101-6363- मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना	25.00	5.00	20.00	80.00

स्रोत : विनियोग लेखे 2022-23

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, निदेशक स्वास्थ्य सेवा ने (अक्टूबर 2023) विभिन्न योजना प्रमुखों के तहत निम्नलिखित कारण बताए

- 0748- औषधालय – निधियों का कम उपयोग मुख्यतः कम वेतन व्यय के कारण होता था क्योंकि पद रिक्त थे और निधियों का उपयोग सामान्यतः अन्य व्यय शीर्षों में मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए किया जाता था।
- 1508- जिला स्तरीय कर्मचारी – पीएफएमएस पोर्टल में इस योजना की मैपिंग की प्रक्रिया चल रही है और पहली बार बजट में राज्य हिस्सेदारी की राशि के प्रावधान के कारण, अधीनस्थ संस्थानों द्वारा राज्य हिस्सेदारी की राशि खर्च नहीं की जा सकी। विभाग ने आश्वासन दिया कि अगले वित्तीय वर्ष में

मानदण्डों के अनुसार राशि खर्च की जाएगी।

- 2777— प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – इस अवधि के दौरान पूरे हुए तीन कार्यों के लिए ठेकेदार द्वारा अंतिम बिल प्रस्तुत न किए जाने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका। इस कारण व्यय बजटीय प्रावधान से कम दिखाया गया।
- 6363— मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना – मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अन्तर्गत विरल रोगों के उपचार हेतु ₹20 लाख की सहायता प्रदान की गई। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, लाभार्थी द्वारा आवेदन जमा करने के बाद, विशेष समिति की सिफारिश अनिवार्य है, इसलिए इस योजना के तहत राशि जारी करना और निकालना उठाई गई आवश्यकता के अनुसार था। विभाग ने इस मद में पर्याप्त प्रावधान रखना आवश्यक है और इस मद के अंतर्गत व्यय का सटीक पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है।

3.7.2 अनुदान संख्या 24 – लोक निर्माण— सड़क और पुल

लोक निर्माण विभाग, संक्षेप में पीडब्ल्यूडी, छत्तीसगढ़ सरकार के लिए राज्य में सड़कों, पुलों और सरकारी भवनों के निर्माण के लिए एक विभाग, पेशेवर सलाहकार और एजेंसी है। इंजीनियर-इन-चीफ बजट-नियंत्रण अधिकारी (बीसीओ) और विभाग का प्रमुख होता है जो सरकार को फंड, योजना और नीति निर्माण के उपयोग के लिए जिम्मेदार होता है और सरकार से इसकी मंजूरी प्राप्त करता है।

इसके अलावा, इस अनुदान के तहत पांच प्रमुख शीर्ष अर्थात् 2049— ब्याज भुगतान, 3053— नागरिक उड्डयन, 3054— सड़क और पुल, 5053— नागरिक उड्डयन पर पूँजीगत परिव्यय और सड़कों और पुलों पर 5054— पूँजीगत परिव्यय संचालित किए जाते हैं।

3.7.2.1 बजट और व्यय

इस अनुदान के तहत तीन वर्ष की अवधि 2020–23 के दौरान बजट प्रावधान, वास्तविक व्यय और बचत/अधिकता की समग्र स्थिति नीचे दी गई है।

तालिका 3.17: बजट और व्यय

		(₹ करोड़ में)		
क्र.सं.	प्रावधान	2020–21	2021–22	2022–23
राजस्व प्रावधान		1,191.99	1,090.63	1,198.53
1	व्यय	786.14	636.62	660.96
2	बचत	405.85	454.01	537.56
3	बचत (प्रतिशत)	34.05	41.63	44.85
पूँजीगत प्रावधान		1516.00	1,557.91	1,777.51
4	व्यय	1059.32	1,415.34	1,386.43
5	बचत	456.68	142.57	390.55
6	बचत (प्रतिशत)	30.12	9.15	21.97
कुल बजट प्रावधान		2,707.99	2,648.54	2,976.04
7	व्यय	1,845.46	2,051.96	2,047.39
8	बचत	862.53	596.58	928.11
9	बचत (प्रतिशत)	31.85	22.52	31.19

स्रोत : विनियोग लेखा 2020–23

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, वर्ष 2020–23 की अवधि के दौरान कुल बजट प्रावधान के प्रतिशत के रूप में बचत 22.52 से 31.85 प्रतिशत तक थी। यह वृहद् बचत वास्तविक जरूरतों के गलत आंकलन या प्रदर्शन में कमी या दोनों का संकेत है। इससे यह भी पता चलता है कि व्यय में पिछले वर्षों

के रुझानों पर विचार किए बिना ही बजट आवंटन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप लगातार बचत हुई।

3.7.2.2 बजट प्रावधान का उपयोग न होना

वर्ष 2022-23 के दौरान इन योजनाओं में पूरे बजट प्रावधान का उपयोग नहीं होना दर्शाता है कि बजट प्रक्रिया और योजना की आवश्यकताओं का आकलन अवास्तविक था। संपूर्ण बजट प्रावधान की बचत का विवरण तालिका 3.18 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.18: बजट प्रावधान का उपयोग न करना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना शीर्ष	मूल अनुदान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनियोजित / समर्पण
1	24-5054-03-337-101-4557- सुदृढीकरण (सतह सख्ता)	25.77	शून्य	25.77
2	24-3053-60-102-7755- वीवीआईपी का दौरा	1.00	शून्य	1.00
3	24-3054-04-337-7985- ग्रामीण सड़कों का सुदृढीकरण	6.00	शून्य	6.00
4	24-3054-04-337-7986- ग्रामीण सड़कों का डामर	2.00	शून्य	2.00
5	24-5053-02-102-101-4727- एयर स्ट्रिप्स का निर्माण और विस्तार	0.40	शून्य	0.40
6	24-5054-03-337-101-8716- सेंट्रल रोड फंड	1.50	शून्य	1.50
7	24-5054-04-337-101-6484- मुख्यमंत्री गरसा विकास योजना	2.00	शून्य	2.00

स्रोत : विनियोग लेखा 2022-23

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर, विभाग ने (अगस्त 2023) निम्नलिखित कहा—

- 4557—सुदृढीकरण (सतही सख्तीकरण) व प्रशासनिक अनुमोदन में विलंब के कारण निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका।
- 7755— वीवीआईपी का दौरा – संबंधित विभाग से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका।
- 7985— ग्रामीण सड़कों का सुदृढीकरण और 7986— ग्रामीण सड़कों का डामर— प्रस्ताव स्वीकार न किए जाने के कारण निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका।
- 4727 – हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार— संबंधित विभाग से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका।
- 8716—केन्द्रीय सड़क निधि – भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण मुआवजे के मामले नहीं उठे थे, इसलिए निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका।
- 6484 मुख्यमंत्री गरसा विकास योजना— योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा—निर्देश प्राप्त न होने के कारण निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका।

3.7.2.3 अनावश्यक अनुपूरक बजट प्रावधान प्राप्त

अनुदान 24 की विस्तृत लेखा परीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि तालिका 3.19 में दिखाए गए निम्नलिखित शीर्षों के तहत, विभाग ने मूल बजट की तुलना में कम अंतिम व्यय करने के बावजूद पूरक प्रावधान प्राप्त किया।

तालिका 3.19: योजना प्रमुखों के तहत अनावश्यक अनुपूरक बजट प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना प्रमुख	मूल बजट	अनुपूरक बजट	अंतिम व्यय
1.	24-3054-04-337-7987- ग्रामीण सड़कों का नवीनीकरण	40.00	97.47	12.80
2.	24-3054-04-337-2227- नवीनीकरण	103.00	71.91	77.91
3.	24-3054-03-337-2227- नवीनीकरण	35.00	14.04	6.23

स्रोत : विनियोग लेखा 2022-23

इस ओर ध्यान दिए जाने पर, विभाग ने कहा (सितंबर 2023) कि उपरोक्त बजटीय प्रावधान दूसरे अनुपूरक बजट में किए गए थे और चूंकि ये प्रावधान वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में किए गए थे और बाद में प्रशासनिक अनुमोदन में देरी के कारण अंतिम व्यय कम हो गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अंतिम व्यय मूल बजट से भी कम था, इसलिए अनुपूरक प्रावधानों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी।

3.7.2.4 धन का कम उपयोग

अनुदान लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि तालिका 3.20 में दिखाए गए निम्नलिखित शीर्षों के तहत, उपयोग की गई निधियों का प्रतिशत कुल बजट प्रावधान के 50 प्रतिशत से कम था। यह खराब बजटीय अनुमान या प्रदर्शन में कमी या दोनों का संकेत है।

तालिका 3.20: निधियों का कम उपयोग (50% से कम)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष वर्गीकरण	बजट प्रावधान	व्यय	उपयोग (%)
1.	24-5054-04-337-101-5041-प्रमुख सड़कों का सर्वेक्षण	1.60	0.13	8.19
2.	24-5054-04-101-311-7976-जवाहर सेतु योजना	59.00	13.13	22.25
3.	24-2049-60-701-6464-निर्माण कार्यों के लिए सीजीआईडीसीएल द्वारा लिए गए ऋण के लिए ब्याज भुगतान	180.00	53.67	29.82
4.	24-5054-03-101-101-4151-प्रमुख पुलों का निर्माण	75.00	24.45	32.60
5.	24-5054-03-101-101-3775-रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण	90.85	32.76	36.06
6.	24-5054-04-337-311-6590- नाबार्ड सहायता प्राप्त अनुदान के तहत ग्रामीण सड़क का निर्माण	77.00	36.07	46.84
7.	24-5054-04-337-101-4557- सुदृढ़ीकरण (सतह सख्ता)	23.50	11.20	47.66

स्रोत : विनियोग लेखा 2022-23

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, विभाग ने (सितंबर 2023) निम्नलिखित कहा-

- 5041-प्रमुख सड़कों का सर्वेक्षण- प्रमुख सड़कों के सर्वेक्षण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन में विलंब के कारण कम उपयोग हुआ है।
- 7976-जवाहर सेतु योजना - नाबार्ड द्वारा ऋण स्वीकृत करने में विलंब और स्वीकृत कार्यों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन के कारण कम व्यय हुआ।
- 6464-छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड (सी.जी.आर.आई.डी.सी.एल.) द्वारा निर्माण कार्यों के लिए लिए गए ऋण के लिए ब्याज भुगतान- चूंकि सीजीआरआईडीसीएल द्वारा कम ऋण (ऋण) लिया गया था, इसलिए ब्याज का वास्तविक भुगतान बजट प्रावधानों से कम था।
- 4151-बड़े पुलों का निर्माण- प्रशासनिक अनुमोदन में विलंब के कारण।
- 3775-रेलवे उपरिपुल का निर्माण - प्रशासनिक अनुमोदन में विलंब के कारण।
- 6590-नाबार्ड सहायता प्राप्त अनुदान के अंतर्गत ग्रामीण सड़क का निर्माण - नाबार्ड द्वारा ऋण स्वीकृत करने में विलंब और स्वीकृत कार्यों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन के कारण कम व्यय हुआ।

- 4557—सुदृढीकरण (सतही सख्तीकरण) – प्रशासनिक अनुमोदन में विलंब के कारण।

3.8 निष्कर्ष

पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार की बजटीय धारणाओं में सुधार हुआ है। बजटीय निधियों के उपयोग का प्रतिशत (89.01 प्रतिशत) पिछले वर्ष (87.37 प्रतिशत) की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान बढ़ा है।

बजट के निष्पादन और निगरानी के लिए बजटीय नियंत्रण तंत्र ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बचत में कटौती की जाती है, अनुदानों/विनियोगों के भीतर बड़ी बचतों को उचित पुनर्विनियोजन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और प्रत्याशित बचतों की पहचान की जाती है और निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अभ्यपत की जाती है ताकि निधियों का उपयोग विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा सके, अपर्याप्त था। इस प्रकार, केवल मार्च के महीने में ₹18,881.51 करोड़ की कुल बचत वापस कर दी गई।

वर्ष 2022-23 के दौरान एक अनुदान और दो विनियोगों से संबंधित ₹3,630.60 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को राज्य विधानमंडल से नियमित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, वर्ष 2000-01 से वर्ष 2021-22 तक नियमितीकरण के लिए कुल ₹17,436.39 करोड़ रुपये लंबित हैं।

पूरक अनुदान/विनियोजन पर्याप्त औचित्य के बिना प्राप्त किए गए थे। बचत को न तो समय पर सरेंडर किया गया और न ही आवंटन की तुलना में व्यय में भिन्नता के लिए महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को स्पष्टीकरण दिया गया। विभागों को न तो निरंतर बचत के प्रति आगाह किया गया था; न ही उनके बजट आवंटन को अवशोषित करने की उनकी क्षमता में परिवर्तन पाया गया।

इसके अलावा, प्रशासनिक विलंब अनुदान 24-लोक निर्माण- सड़क और पुलों में कम व्यय का एक प्रमुख कारण था। इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों में पूंजीगत बजट प्रावधान के साथ-साथ पूंजीगत व्यय में लगातार कमी आई थी, जो अनुदान 19- सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में चिकित्सा बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पूंजीगत कार्यों को प्राथमिकता का आवंटन नहीं करने का संकेत देता है।

3.9 अनुशंसाएं

- राज्य सरकार को विभागों की आवश्यकताओं और आवंटित संसाधनों का उपयोग करने की उनकी क्षमता के विश्वसनीय पूर्वानुमानों के आधार पर एक यथार्थवादी बजट तैयार करने की आवश्यकता है।
- बजट के समुचित कार्यान्वयन और निगरानी को लागू करने के लिए सरकार द्वारा एक उपयुक्त नियंत्रण तंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बचत में कटौती हो, अनुदानों/विनियोगों के भीतर बड़ी बचत को नियंत्रित किया जाए और प्रत्याशित बचत की पहचान की जाए और विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर वापस कर दिया जाए ताकि निधियों का उपयोग विकासात्मक प्रयोजनों के लिए किया जा सके।
- विधानमंडल द्वारा अनुमोदित अनुदानों पर अधिक व्यय विधायिका की इच्छा का उल्लंघन है। इसलिए, 2000-01 से 2022-23 की अवधि के दौरान अनुदान/विनियोग पर अतिरिक्त व्यय को जल्द से जल्द नियमित करने की आवश्यकता है।
- नियंत्रक अधिकारियों को बजट के उचित विश्लेषण और सार्थक विनियोग खातों को तैयार करने की सुविधा के लिए आवंटन से व्यय में भिन्नता की व्याख्या करने के लिए उनकी जिम्मेदारी से अवगत कराया जाना चाहिए।

अध्याय IV
लेखाओं की गुणवत्ता तथा
वित्तीय
प्रतिवेदन प्रणाली

लेखाओं की गुणवत्ता तथा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली

4.1 प्रस्तावना

एक प्रभावी आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली तथा प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना की उपलब्धता राज्य शासन द्वारा एक कुशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की समयबद्धता एवं गुणवत्ता, अच्छे प्रशासन के लक्ष्यों में से एक है। यदि अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन प्रभावी एवं क्रियात्मक हो तो वे राज्य शासन को मूलभूत जिम्मेदारियों को निभाने में, जिसमें योजना की रणनीति एवं निर्णय लेने की क्षमता सम्मिलित है, सहायक होता है। यह अध्याय पूर्णता, पारदर्शिता, माप और प्रकटीकरण में लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों सहित राज्य शासन द्वारा अनुपालन के विहंगावलोकन स्थिति को प्रस्तुत करता है।

4.2 उपयोगिता प्रमाणपत्रों की देयता

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के नियम 182 में प्रावधान है की जहाँ सहायता अनुदान (जीआईए) वार्षिक अथवा अनावर्ती हो एवं केवल एक वर्ष के लिए दिया गया है, वह विभागीय अधिकारी जिसके हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर पर सहायता अनुदान बिल आहरित किया गया है, इसे अगले वर्ष, जिससे अनुदान संबंधित है, के 30 सितम्बर को या उससे पहले महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.) प्रस्तुत करेगा।

मार्च 2022 तक दिए गए सहायता अनुदान और मौजूदा प्रावधान के अनुसार देय सभी उ.प्र.प. (236) को मार्च 2023 तक निस्तारित कर दिया गया। आगे, उपरोक्त मौजूदा प्रावधानों पर विचार करते हुए, वर्ष 2022-23 के दौरान आहरित किये गए सहायता अनुदान के लिए उ.प्र.प. इस वर्ष देय नहीं थे। इसलिए, 31 मार्च 2023 तक बकाया उ.प्र.प. की स्थिति शून्य है।

उपयोगिता प्रमाणपत्रों की समयबद्ध प्रस्तुति एवं उनके उपयोग का पता लगाने के लिए, ऊर्जा विभाग के अभिलेखों की एक परीक्षण जांच की गई जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

- ऊर्जा विभाग ने वर्ष 2021-22 में दो प्रमुख योजनाओं “सौर सुजला योजना” और “सोलर पंप हेतु सहायक अनुदान” के लिए छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा प्राधिकरण (क्रेडा) को ₹496.73 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान जारी किया। उपरोक्त दो योजनाओं से संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान, यह देखा गया कि ऊर्जा विभाग द्वारा अगस्त 2022 में महालेखाकार को पूरी राशि यानी ₹496.73 करोड़ के उ.प्र.प. जमा किए गए थे। हालांकि, ₹24.37 करोड़ की राशि का वास्तविक उपयोग क्रेडा द्वारा बाद के महीनों (अक्टूबर 2022 तक) में किया गया।

इससे पता चलता है कि उपयोगिता प्रमाणपत्र निधियों के वास्तविक उपयोग के बिना जारी किए गए थे और अनुदान के प्रति निधियों का वास्तविक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विभाग में कोई उचित निगरानी नहीं की गई थी।


4.3 लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक

छत्तीसगढ़ वित्तीय नियमावली के नियम 327 के अंतर्गत आहरण और संवितरण अधिकारियों को सीमित उद्देश्य के लिये वाउचर के बिना संक्षिप्त आकस्मिक देयकों (स.आ.दे.) के द्वारा राशि निकासी का अधिकार है। तत्पश्चात विस्तृत आकस्मिक देयकों (वि.आ.दे.) (अंतिम व्यय के समर्थन में वाउचर) को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को, जिस माह में यह राशि निकाली गयी है उसके अगले माह के 25 तारीख तक सौंप देना है।

31 मार्च 2023 तक, छत्तीसगढ़ शासन के 12 विभागों ने 471 संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरुद्ध ₹306.67 करोड़ के विस्तृत आकस्मिक देयकों को जमा नहीं किया था। वर्ष 2022-23 तक जमा नहीं किये गये विस्तृत आकस्मिक देयकों की विभाग-वार जानकारी परिशिष्ट 4.1 में दी गयी है। पाँच प्रमुख विभागों से संबंधित लंबित वि.आ.दे. की स्थिति चार्ट 4.1 में दी गई है।

चार्ट 4.1 : पाँच प्रमुख विभागों से संबंधित लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक

(₹ करोड़ में)



स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छ.ग. द्वारा संकलित आकड़ें

इसके अलावा, उपरोक्त पांच विभागों में से, वि.आ.दे. (51 वि.आ.दे.) की प्रमुख लंबित राशि क्रमशः ₹183 करोड़ और ₹107.22 करोड़ सहकारी एवं कृषि और जैव-प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित थी जैसा कि चार्ट 4.1 में दिखाया गया है। इसके अलावा, वि.आ.दे. में से ₹122.29 करोड़ की राशि के 309 वि.आ.दे. अभी भी नवंबर 2023 तक लंबित थे।

वर्ष 2022-2023 तक लंबित विस्तृत आकस्मिक देयकों की वर्ष-वार जानकारी तालिका 4.1 में दिया गया है।

तालिका 4.1 : संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक देयकों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	प्रारंभिक शेष		योग (वृद्धि)		निकासी		अंतः शेष	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	वर्ष 2020-21 तक	315	201.59	208	2,947.73	63	2,853.79	460	295.53
2	2021-22	460	295.53	265	2,556.55	369	2,665.23	356	186.85
3	2022-23	356	186.85	531	3,492.42	416	3,372.60	471	306.67

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छ.ग. द्वारा संकलित आकड़ें

31 मार्च 2023 की स्थिति में, ₹306.67 करोड़ के 471 विस्तृत आकस्मिक देयक लंबित हैं, जिसमें से 2 विस्तृत आकस्मिक देयक (₹0.02 करोड़), 35 विस्तृत आकस्मिक देयक (₹0.58 करोड़), 39 विस्तृत आकस्मिक देयक (₹0.38 करोड़), 126 विस्तृत आकस्मिक देयक (₹107.73 करोड़) एवं 269 विस्तृत आकस्मिक देयक (₹197.96 करोड़) क्रमशः 2017-18, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 से संबंधित हैं।

दो विभागों के स.आ.दे./वि.आ.दे. जमा करने से संबंधित अभिलेखों की जांच की गई, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

कृषि विकास और किसान कल्याण एवं जैव-प्रौद्योगिकी विभाग ने वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान 48 स.आ.दे. निकाले थे। 48 स.आ.दे. में से **कृषि संचालनालय** ने वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति योजना (बीपीकेवाई), कृषि मशीनीकरण उप-मिशन, वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आदि योजनाओं के तहत किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए 31 स.आ.दे. निकाले थे, जिनकी राशि ₹106.82 करोड़ थी। हालांकि, सभी 31 स.आ.दे. के विरुद्ध वि.आ.दे 17 से 19 महीने की समाप्ति के बाद भी अक्टूबर 2023 तक जमा नहीं किए गए थे।

विभाग ने जवाब दिया कि स.आ.दे. से आहरित राशि पीएफएमएस के माध्यम से जिला कार्यालयों को हस्तांतरित की गई थी जिसे बाद में अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थानों में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह भी उत्तर दिया कि लंबित मामलों की संख्या अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थानों से वाउचर प्राप्त होने में विलंब के कारण थी और यह भी कहा कि महालेखाकार को वि.आ.दे. प्रस्तुत करने की प्रक्रिया चल रही है।

तकनीकी शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण अनुदान योजना (एमएमयूएसआरबीआई) के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2022-23 के दौरान ₹2.93 करोड़ रुपये के दो स.आ.दे. निकाले थे। हालांकि, दिसंबर 2022 में निकाले गए ₹ दो करोड़ के एक स.आ.दे. के विरुद्ध वि.आ.दे. अक्टूबर 2023 तक जमा नहीं किया गया था।

विभाग ने जवाब दिया कि लंबित वि.आ.दे. जल्द से जल्द महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्धारित समय सीमा के भीतर वि.आ.दे. को प्रस्तुत न करना न केवल वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन करता है, बल्कि बर्बादी/दुरुपयोग/कदाचार आदि की संभावना को भी बढ़ाता है और इसलिए, वि.आ.दे. की प्रस्तुति को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित डीडीओ द्वारा कड़ी निगरानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, वि.आ.दे. के गैर-प्राप्ति की सीमा तक, वित्त लेखों में दिखाए गए व्यय को अंतिम नहीं माना जा सकता है।

4.4 लेखाओं की समयबद्धता और गुणवत्ता

राज्य शासन के लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा 29 जिला कोषालयों, 53 वन मंडलों, 63 ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें तथा 157 अन्य संभागों¹ द्वारा दी गयी प्रारंभिक लेखों से संकलित की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सभी जिला कोषागारों द्वारा एक से 12 दिन, 29 लोक निर्माण संभागों द्वारा एक से आठ दिन, 35 जल संसाधन संभागों द्वारा एक से 11 दिन, 25 लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी संभागों द्वारा एक से सात दिन, 25 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभागों द्वारा एक से 10 दिन तथा 19 वन मंडलों द्वारा एक से 13 दिन तक मासिक लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब हुआ।

राज्य सरकार को बारीकी से निगरानी करने की आवश्यकता है, और अपने स्वयं के बजट को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए सभी लेखा प्रदान करने वाले अधिकारियों द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को समय पर लेखाओं की प्रस्तुति सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

4.5 उचंत एवं ऋण जमा प्रेषण शीर्षों में बकाया शेष

शासकीय खातों में उचंत शीर्षों का संचालन उन लेनदेनों को दर्शाने के लिए किया जाता है जिन्हें किसी कारण या किसी अन्य कारण से उनके अंतिम लेखा शीर्षों में दर्ज नहीं किया जा सकता है। जब राशि को उसके अंतिम लेखा शीर्ष पर ले जाया जाता है, तो इन्हें ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा अंतिम रूप से समाशोधित कर दिया जाता है। यदि उचंत शीर्षों के अंतर्गत राशि का समायोजन नहीं किया जाता है, तो इन शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि जमा हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप शासन की प्राप्तियों और भुगतानों की न्यूनोक्ति होती है।

प्रेषण में उन सभी लेन-देनों को शामिल किया जाता है, जो समायोजित लेखा शीर्ष हैं, तथा इन शीर्षों के अंतर्गत आने वाले डेबिटों अथवा क्रेडिटों को उसी लेखा वृत्त अथवा अन्य में उसके संबंधित डेबिट अथवा क्रेडिट के द्वारा निष्पादित किया जाता है।

वित्तीय लेखें, उचंत तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शुद्ध शेष को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों को विभिन्न शीर्षों में बकाया डेबिट एवं बकाया क्रेडिट को अलग-अलग समेकित कर परिणाम निकाला जाता है। उचंत एवं प्रेषण मदों का निष्पादन राज्य कोषालयों/कार्य एवं वन मण्डल इत्यादि के द्वारा प्रस्तुत की गयी जानकारी पर निर्भर करता है। विगत तीन वर्षों के प्रमुख उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के समग्र आंकड़ों की स्थिति लघु शीर्ष वार तालिका 4.2 में दी गयी है।

तालिका 4.2: उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष 8658-उचंत लघु शीर्ष	2020-21		2021-22		2022-23	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचंत	75.32	15.59	68.32	14.46	67.19	36.13
निवल	नामे 59.73		नामे 53.86		नामे 31.06	
102-उचंत लेखा-सिविल	29.62	0.17	0.64	0.17	0.00	5.93

58 भवन एवं सड़क निर्माण संभाग, 62 सिंचाई संभाग (जल संसाधन विभाग), 37 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग।

निवल	नामे 29.45		नामे 0.47		जमा 5.93	
109-रिजर्व बैंक उचन्त-मुख्यालय	1.61	0.04	-1.02	-0.18	-1.13	-0.08
निवल	नामे 1.57		जमा 0.84		जमा 1.05	
110-रिजर्व बैंक उचन्त-केन्द्रीय लेखा कार्यालय	13.62	0.01	8.35	0.01	4.44	0.00
निवल	नामे 13.61		नामे 8.34		नामे 4.44	
112-स्रोत पर कर कटौती	0.00	63.14	0.00	84.53	0.00	140.14
निवल	नामे 63.14		जमा 84.53		जमा 140.14	
113-भविष्य निधि उचन्त	20.62	0.00	20.03	0.00	12.86	0.00
निवल	नामे 20.62		नामे 20.03		नामे 12.86	
123-अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना	0.00	0.27	0.00	0.31	0.00	0.46
निवल	जमा 0.27		जमा 0.31		जमा 0.46	
129-सामग्री क्रय भुगतान उचन्त लेखा	0.00	81.67	0.00	81.67	0.00	81.67
निवल	जमा 81.67		जमा 81.67		जमा 81.67	
मुख्य शीर्ष 8782-नगद प्रेषण						
102-लोक निर्माण प्रेषण	74.33	9.13	86.37	15.88	53.75	14.83
निवल	नामे 65.20		नामे 70.49		नामे 38.92	
103-वन प्रेषण	50.44	5.56	39.86	6.45	44.53	5.24
निवल	नामे 44.88		नामे 33.41		नामे 39.29	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्तीय लेखे ।

यदि इन उचन्त शीर्षों के तहत राशि का समायोजन नहीं किया जाता है, तो इन शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि जमा हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों की न्यूनोक्ति होती है। इसके अलावा, इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया राशियों का गैर-निस्तारण राज्य सरकार के विभिन्न लेखा शीर्षों (जो साल दर साल आगे ले जाया जाता है) के तहत प्राप्ति/व्यय के आंकड़ों और शेष की सटीकता को प्रभावित करता है।

4.6 व्यक्तिगत जमा खाते

विशिष्ट परिस्थितियों में, शासन नामित प्रशासकों को संचालन हेतु व्यक्तिगत जमा खातों को खोलने के लिये अधिकृत कर सकते हैं। कोषालय संहिता भाग-एक के अंतर्गत नियम 543 के अनुसार, संचित निधि को ऋणात्मक डेबिट कर व्यक्तिगत जमा खाता खोला जाता है, जिसे वित्तीय वर्ष के अंत में संचित निधि के सम्बंधित सेवा मुख्य शीर्षों को ऋणात्मक डेबिट कर बंद किया जाना चाहिए।

पंचवर्षीय अवधि वर्ष 2018-23 के दौरान वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस को व्यक्तिगत जमा खातों में पड़ी निधियों की स्थिति तालिका 4.3 प्रदान करता है।

तालिका 4.3: वर्ष 2018-23 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों में निधियों का रखा जाना

(₹ करोड़ में)

क्रं सं	वर्ष	1 अप्रैल को प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान परिग्रहितियों/प्राप्तियों		वर्ष के दौरान संवृतियों/संवितरण		31 मार्च को जमा शेष	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2018-19	263	1,757.00	02	508.61	34	374.51	231	1,891.10
2	2019-20	231	1,891.10	निरंक	272.05	08	577.89	223	1,585.26
3	2020-21	223	1,585.26	03	502.34	18	526.65	208	1,560.95
4	2021-22	208	1,560.95	02	287.56	71	444.13	139	1,404.38
5	2022-23	139	1,404.38	02	250.56	10	290.74	131	1,364.20

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छ.ग. द्वारा संबन्धित वर्षों के संकलित आकड़ें

तालिका 4.3 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 के दौरान कुल 09 व्यक्तिगत जमा खाते खोले गये थे एवं 141 खातों को बंद किया गया। 31 मार्च 2023 तक, 131 व्यक्तिगत जमा खाते अस्तित्व में थे और इन खातों में अंतिम शेष ₹1,364.20 करोड़ था।

परिवहन उपकरणों की खरीद के लिए 31 मार्च 2023 को मेजर हेड 2055 से डेबिट द्वारा पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ के व्यक्तिगत जमा खाते में ₹12.91 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई।

व्यक्तिगत जमा खातों में पड़ी अव्ययित शेष राशि को राज्य की समेकित निधि में अंतरित न किए जाने से सार्वजनिक निधि के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन का जोखिम होता है।

4.6.1 व्यक्तिगत जमा खातों में रखी गई भूमि अधिग्रहण से संबंधित निधियाँ

कुल 131 व्यक्तिगत जमा खातों में से 40 व्यक्तिगत जमा खाते भूमि अधिग्रहण से संबंधित थे। चार व्यक्तिगत जमा खातों में पड़ी भूमि अधिग्रहण से संबंधित निधियों का कोषागार वार विवरण तालिका 4.4 में दिया गया है।

तालिका 4.4: व्यक्तिगत जमा खाते में भू-अर्जन से संबंधित राशि

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	प्रशासक का नाम	वर्ष	1 अप्रैल को प्रारंभिक शेष	रसीद	भुगतान	31 मार्च को शेष
1	कलेक्टर, धमतरी	2018-19	8.23	4.33	0.15	12.41
		2019-20	12.41	0.49	8.09	4.81
		2020-21	4.81	2.82	0.00	7.63
		2021-22	7.63	1.26	4.04	4.85
		2022-23	4.85	0.70	1.16	4.39
2	कलेक्टर, कांकेर	2018-19	12.43	0.00	0.15	12.28
		2019-20	12.28	0.00	1.38	10.90
		2020-21	10.90	1.87	3.68	9.09
		2021-22	9.09	1.58	6.92	3.75
		2022-23	3.75	0.00	0.56	3.19
3	कलेक्टर, महासमुंद	2018-19	49.37	7.80	9.43	47.73
		2019-20	43.73	7.14	25.66	29.21
		2020-21	29.21	3.49	7.67	25.03
		2021-22	25.03	14.37	10.47	28.93

		2022-23	28.93	14.86	21.83	21.96
4	कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, अंबिकापुर (सरगुजा)	2018-19	58.86	10.43	5.91	63.38
		2019-20	63.38	2.40	0.00	65.78
		2020-21	65.78	1.65	1.35	66.08
		2021-22	66.08	2.76	0.00	68.84
		2022-23	68.84	4.13	5.33	67.64

स्रोत: व्यक्तिगत जमा खाते के संबंधित प्रशासक के कार्यालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी

धमतरी, कांकेर, महासमुंद और अंबिकापुर (सरगुजा) के भूमि अधिग्रहण अधिकारी/कलेक्टर से एकत्रित सूचना से पता चला है कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित पीडी खाते में पड़ी निधियों का मुख्य कारण न्यायालय में अवार्ड की प्रक्रिया में विलंब और भूमि अवार्ड पारित होने के बाद संबंधित व्यक्तियों द्वारा राशि का दावा न करना था।

इसके अलावा, छत्तीसगढ़-सरगुजा पावर लि की विद्युत परियोजना रद्द होने के कारण कलेक्टर अंबिकापुर (सरगुजा) के पीडी खातों में ₹21.84 करोड़ पड़े हुए थे जिसके लिए भूमि अधिग्रहण हेतु अग्रिम राशि जमा करा दी गई थी।

4.6.2 असंचालित व्यक्तिगत जमा खाते

छत्तीसगढ़ कोषालय सहिता भाग 1 के नियम 543 के अनुसार, ऐसे व्यक्तिगत जमा खाते जो लगातार तीन वर्षों से असंचालित हैं, उन्हें व्यक्तिगत जमा खाते के प्रशासक को सूचना देकर कोषालय अधिकारी द्वारा बंद कर दिया जाना चाहिए और शेष राशि को राजस्व जमा के रूप में सरकारी खाते में स्थानांतरित करने की कार्यवाही आरंभ की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि कुल 131 व्यक्तिगत जमा खातों में से एक व्यक्तिगत जमा खाता (भूमि अभिलेख, अंबिकापुर) जिसमें ₹0.35 करोड़ की शेष राशि है, जो 31 मार्च 2023 तक तीन साल से अधिक समय तक असंचालित रहा।

राज्य सरकार को व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करनी चाहिए और असंचालित व्यक्तिगत जमा खातों को बंद करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

4.7 केंद्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि से संबंधित लेन-देन का लेखांकन

केंद्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि (सी.आर.आई.एफ) से संबंधित लेखांकन प्रक्रिया मुख्य और लघु शीर्षों की सूची निर्धारित करती है। वर्तमान लेखांकन प्रक्रिया के संदर्भ में अनुदानों को शुरू में मुख्य शीर्ष '1601 केंद्र सरकार से सहायता अनुदान' के तहत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है, इन राशियों में से, रिजर्व के अलावा अन्य आवंटन, कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के अंतर्गत प्रासंगिक योजना लघु शीर्ष को विपरीत डेबिट द्वारा मुख्य शीर्ष '8449-अन्य जमा-103-केंद्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता' में जमा किये जाते हैं।

भारत सरकार ने 2022-23 के दौरान केंद्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि को ₹86.92 करोड़ रुपये जारी किए। राज्य सरकार ने सार्वजनिक खाते में 2021-22 की अवधि से संबंधित ₹160.65 करोड़ रुपये "8449-अन्य जमा-103 सबवेंशन को केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तीय सहायता" को हस्तांतरित किए, लेकिन

वर्ष 2022-23 के लिए कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई। इस प्रकार, लोक लेखा में ₹86.92 करोड़ रुपए की राशि के अनुदानों का अंतरण न किए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष का अधिक विवरण और ₹86.92 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा कम देखा गया।

भारत सरकार से प्राप्त और राज्य सरकार द्वारा 2019-23 के दौरान सार्वजनिक खाते में "8449-अन्य जमा-103 केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तीय सहायता" में हस्तांतरित निधि का विवरण तालिका 4.5 में दिया गया है।

तालिका 4.5: 2019-23 के दौरान केंद्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	प्रारंभिक शेष (राज्य शासन द्वारा हस्तांतरण हेतु लंबित राशि)	भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	राज्य सरकार द्वारा 8449-अन्य जमा-103 को हस्तांतरित की गई निधि	अंतिम शेष (राज्य शासन से हस्तांतरित नहीं की गई राशि)
1	2019-20	14.02	371.61	198.55	187.08
2	2020-21	187.08	234.92	296.54	125.46
3	2021-22	125.46	230.29	125.47	230.28
4	2022-23	230.28	86.92	160.65	156.55

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छ.ग. द्वारा संकलित आकड़े

4.8 लघु शीर्ष -800 में समायोजन


अन्य प्राप्तियों और अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष-800 का संचालन केवल तभी किया जाना है जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया हो। लघु शीर्ष -800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह लेखाओं को अपारदर्शी बनाता है और यह उन योजनाओं/कार्यक्रमों आदि का प्रकटीकरण नहीं करता है जिनसे यह संबंधित है।

कुल 44 राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्षों के तहत दर्ज की गई राशि ₹7,715.17 करोड़ (वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य की ₹93,877.14 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों का 8.22 प्रतिशत) को लघु शीर्ष -800 अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया।

इसी प्रकार, 26 राजस्व एवं पूंजीगत व्यय मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दर्ज की गयी राशि ₹539.21 करोड़ (वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य की ₹98,605.33 करोड़ की कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का 0.55 प्रतिशत) को लघु शीर्ष-800 अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया।


प्राप्तियों और व्यय के लिए लघु शीर्ष 800 के संचालन की सीमा, वर्ष 2018-23 के दौरान कुल प्राप्तियों और व्यय के प्रतिशत के रूप में चार्ट 4.2 एवं 4.3 में दी गई है:

चार्ट 4.2: वर्ष 2018-23 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों का संचालन



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 4.3: वर्ष 2018-23 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय का संचालन



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

प्राप्तियों में, 2021-22 में 9.33 प्रतिशत से घटकर 2022-23 के दौरान कुल प्राप्तियों का 8.22 प्रतिशत हो गया है। व्यय पक्ष पर, यह 2021-22 में 1.33 प्रतिशत से घटकर 2022-23 के दौरान कुल व्यय का 0.55 प्रतिशत हो गया। लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियों और व्यय की बुकिंग गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इससे खातों की पारदर्शिता गंभीर रूप से प्रभावित होती है।

4.8.1 लघु शीर्ष – 800 – अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की बुकिंग

(i) लघु शीर्ष 800 के तहत रॉयल्टी और किराया रसीद की बुकिंग

संघ और राज्यों के लेखाओं के मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची के अनुसार, खानों से प्राप्त रॉयल्टी को प्रमुख शीर्ष 0853 अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग-लघु शीर्ष 102/107- खनिज रियायत शुल्क, किराए और रॉयल्टी के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

मुख्य और लघु शीर्ष 0853-800 से सम्बंधित चालानों की नमूना जांच के दौरान, यह देखा गया कि 2022-23 के दौरान मुख्य शीर्ष 0853-800 के तहत ₹4,397.90 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले, रॉयल्टी

और किराए की प्राप्तियां ₹2.72 करोड़ को लघु शीर्ष 102/107-खनिज रियायत शुल्क, प्रमुख और लघु खनिजों के लिए किराए और रॉयल्टी के बजाय लघु शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियों के तहत दर्ज किया गया, जैसा कि लेखाओं के मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची में निर्धारित है। विवरण तालिका 4.6 में दिखाया गया है।

तालिका 4.6: लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज राजस्व प्राप्तियों का विवरण

क्र.सं	कोषागार/बैंक का नाम	मामलों की संख्या	दर्ज की गई वस्तुओं का विवरण	लघु शीर्ष में दर्ज किया जाए	800 में दर्ज की गई कुल प्राप्तियां (₹ लाख में)
1	गरियाबंद	09	अधिशुल्क एवं किराया की प्राप्तियां	प्रमुख खनिजों के लिए 102/लघु खनिजों के लिए 107	125.61
2	रायपुर	43			23.69
3	अंबिकापुर	08			26.53
4	गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	07			32.27
5	जांजगीर-चंपा	07			19.50
6	रायगढ़	13			18.39
7	कोरिया	13			11.99
8	दुर्ग	03			5.29
9	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	24			6.99
10	कोण्डागोव	01			0.36
11	राजनंदगांव	01			0.56
12	बालोद	01			0.50
कुल		130			271.68

स्रोत : कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छ.ग. द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े

छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 56(2) के साथ पठित छत्तीसगढ़ खनिज साधन विभाग के आदेश (अक्टूबर 2012) में कहा गया है कि कुल रॉयल्टी राजस्व का 33 प्रतिशत पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को और कुल रॉयल्टी राजस्व के शेष 67 प्रतिशत का भुगतान संबंधित पंचायत और जनपद पंचायत को वितरित किया जाएगा। उपर्युक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य शीर्ष 0853 (अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग) के तहत लघु शीर्ष 102/107 (प्रमुख/लघु खनिज रियायत शुल्क किराए और रॉयल्टी) के गलत वर्गीकरण के कारण 800 (अन्य प्राप्तियां) में करने से ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत को हुई हानि को नकारा नहीं जा सकता।

(ii) अन्य प्राप्तियों को दर्ज करने के लिए समर्पित लघु शीर्ष 600 का उपयोग न किया जाना

संघ और राज्यों के मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची के अनुसार, लघु शीर्ष "600-अन्य" मुख्य शीर्ष 0852-उद्योग- उप मुख्य शीर्ष 08- उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत निर्धारित है। इसके अलावा, मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची के अनुसार, मुख्य शीर्ष-0852 के उप मुख्य शीर्ष 08 के अंतर्गत कोई लघु शीर्ष 800 नहीं है। 2022-23 की वित्त लेखाओं अनुसार, ₹ 13.53 करोड़ को लघु शीर्ष 600-अन्य के बजाय 2022-23 के दौरान मुख्य शीर्ष 0852-08-800 के तहत दर्ज किया गया था। लेखापरीक्षा ने ₹5.73 करोड़ (कुल दर्ज राशि का 42 फीसदी) की राशि के 279 चालानों की जांच की और पाया कि, अन्य प्राप्तियों जैसे पट्टा किराया, भूमि आवंटन शुल्क, सुरक्षा जमा, भूमि हस्तांतरण शुल्क इत्यादि को दर्ज करने के लिए निर्धारित मुख्य और उप-मुख्य शीर्ष 0852-08 के अंतर्गत लघु शीर्ष 600 के बजाय लघु शीर्ष 800 का उपयोग किया गया।

4.9 विभागीय आंकड़ों का मिलान नहीं किया जाना


म.प्र. बजट नियमावली भाग-1 (छत्तीसगढ़ द्वारा अपनाए गए अनुसार) के नियम 6.7.1 में कहा गया है कि नियंत्रण अधिकारियों (सीओ) के लेखाओं में दर्ज प्राप्तियों और व्यय को वित्तीय वर्ष के दौरान हर महीने महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के लेखाओं के साथ मिलान किया जाएगा। इसका उद्देश्य सीओ को व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने और अपने बजटीय आवंटन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और उनके खातों की सटीकता सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना है।

जबकि 2021-22 के दौरान प्राप्तियों का 62.93 फीसदी और संवितरण का 85.40 फीसदी का मिलान किया गया, वर्ष 2022-23 के लिए प्राप्तियों के संबंध में ये आंकड़े 86.14 फीसदी और संवितरण के संबंध में 86.70 फीसदी थे।

तीन साल की अवधि 2020-23 के दौरान सीओ द्वारा प्राप्तियों और व्यय के मिलान की स्थिति चार्ट 4.4 में दर्शाई गई है।

चार्ट 4.4 : तीन वर्षों की अवधि वर्ष 2020-23 के दौरान मिलान की स्थिति

(₹ करोड़ में)



स्रोत : कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छ.ग. द्वारा संकलित आंकड़े

विगत तीन वर्षों के दौरान नियंत्रक अधिकारियों की संख्या एवं मिलानों से संबंधित जानकारी तालिका 4.7 में दिया गया है।

तालिका 4.7 : प्राप्तियाँ एवं व्ययों के आंकड़ों के मिलान के स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	नियंत्रक अधिकारियों की संख्या	पूर्ण मिलान	अपूर्ण मिलान	मिलान नहीं किया गया	कुल प्राप्तियाँ/व्यय	मिलान की गयी प्राप्तियाँ/व्यय	मिलान प्रतिशत
प्राप्तियाँ							
2020-21	40	00	24	16	84,866.84	47,539.69	56.02
2021-22	40	03	31	06	94,843.22	59,684.84	62.93
2022-23	54	52	00	02	104,638.72	90,146.07	86.14
व्यय							
2020-21	94	43	27	24	87,127.83	78,520.40	90.12
2021-22	94	42	48	04	94,683.34	80,859.21	85.40
2022-23	94	87	00	07	108,291.91	93,899.30	86.70

स्रोत : कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छ.ग. द्वारा संकलित आंकड़े

आंकड़ों का मिलान एवं सत्यापन वित्तीय प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इस संबंध में सहिता प्रावधानों एवं कार्यपालक निर्देशों के उपयोग/पालन में असफलता के कारण ना केवल प्राप्तियाँ एवं व्ययों की गलत वर्गीकरण तथा गलत बुकिंग होती है बल्कि बजटीय प्रक्रिया के उद्देश्य को भी विफल करती है।

4.10 रोकड़ शेष का मिलान

31 मार्च 2023 तक महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की लेखाओं अनुसार, राज्य सरकार के नकद शेष और भारतीय रिजर्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार नकद शेष के बीच ₹0.32 करोड़ (शुद्ध जमा) का अंतर था। इस अंतर का मिलान किया गया और पाया गया कि यह अंतर मान्यता प्राप्त बैंकों द्वारा केंद्रीय लेखा अनुभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर को दी गई गलत रिपोर्टिंग के कारण था, जो राज्य सरकार के नकदी शेष के संधारण के लिए जिम्मेदार है।

4.11 भारत सरकार के लेखांकन मानकों का अनुपालन

वर्ष 2002 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा स्थापित सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (जीएएसएबी) जवाबदेही तंत्र को सुधारने के लिए सरकारी लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए मानक तैयार कर रहा है। मार्च 2023 के अंत तक, तीन भारतीय सरकारी लेखा मानक (आईजीएस) अधिसूचित किए गए हैं। वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इन मानकों और इनके अनुपालन की सीमा का विवरण तालिका 4.8 में दिया गया है।

तालिका 4.8: भारत सरकार के लेखांकन मानकों का अनुपालन

क्र. सं.	भारत सरकार के लेखांकन मानक (भा.स.ले.मा)	भारत सरकार के लेखांकन मानकों का सार	स्थिति	गैर अनुपालन के प्रभाव
1	भा.स.ले.मा-1 सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभुति (गारंटी)—प्रकटीकरण आवश्यकता	इस मानक के अनुसार सरकार को वर्ष के अंत में अपने वित्तीय विवरणों में परिवर्धन, विलोपन, लागू निर्वहन और बकाया के साथ वर्ष के दौरान दी गई गारंटी की अधिकतम राशि का खुलासा करने की आवश्यकता होती है।	11 संस्थानों, जिनके लिए सरकार ने गारंटी दी थी, उन्होंने भा.स.ले.मा-1 के निर्धारित प्रारूप में जानकारी नहीं दी है।	भा.स.ले.मा-1 का अनुपालन न करने के कारण, संस्थानों के लिए मार्च 2023 तक वर्ष के दौरान दी गई गारंटी की राशि के साथ-साथ वर्ष के दौरान किए गए परिवर्धन, निर्वहन, लागू और बकाया राशि का पता नहीं लगाया जा सका।
2	भा.स.ले.मा-2 सहायता अनुदानों का लेखांकन एवं वर्गीकरण	सहायता अनुदानों को प्रदाता के लेखों में राजस्व व्यय एवं अनुदेयी के लेखों में राजस्व प्राप्ति के रूप में, उनकी अंतिम उपयोग के बिना ख्याल किये वर्गीकृत किया जाये।	राज्य सरकार ने पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए वर्ष 2022-23 के दौरान ₹2,883.76 करोड़ की स.अनु. राशि वितरित की है और राजस्व व्यय के बजाय पूंजीगत व्यय के रूप में हिसाब लगाया है।	भा.स.ले.मा-2 का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष ₹ 2,883.76 करोड़ से अधिक बताया गया।
3	भा.स.ले.मा-3 सरकार द्वारा दिए गये ऋण एवं अग्रिम	यह मानक शासन के द्वारा उनके वित्तीय विवरण में दिये गये ऋण एवं अग्रिमों से सम्बंधित मान्यता, माप, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग को पूर्ण, परिशुद्ध एवं एकीकृत लेखांकन प्रथा सुनिश्चित करने से सम्बंधित है।	38 बजट नियंत्रण अधिकारियों ने भा.स.ले.मा-3 के निर्धारित प्रारूप में सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं करायी है।	भा.स.ले.मा-3 का अनुपालन न करने से लेखांकन प्रथाओं में अपारदर्शिता आती है।

4.12 स्वायत्त निकायों के लेखा/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण की स्थिति

राज्य सरकार ने कई स्वायत्त निकाय (एबी) स्थापित किए हैं, जिनमें से 32 स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सौंपी गई है। जून 2023 तक 28 स्वायत्त निकायों के लंबित खातों की स्थिति तालिका 4.9 में दी गई है और विस्तृत जानकारी परिशिष्ट 4.2 में दिखाई गई है।

तालिका 4.9: स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के खातों का बकाया

क्र.सं	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 तक लंबित खातों की संख्या
1	छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग	22
2	छत्तीसगढ़ राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण	82 ²
3	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक प्राधिकरण	01
4	राज्य कैम्पा, छत्तीसगढ़	01

² छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं 23 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के लेखा सम्मिलित।

4.13 हानि तथा गबन आदि के मामले

सीजी वित्तीय संहिता खंड-1 के नियम 22 और 23 में प्रावधान है कि सार्वजनिक निधि की हानि, दुरुपयोग और गबन के प्रत्येक मामले की सूचना महालेखाकार को देनी होगी। इसके अलावा, संहिता के नियम 24 में प्रावधान है कि आग, बाढ़, तूफान, भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण इमारतों, सड़कों और पुलों जैसी अचल संपत्ति की किसी भी गंभीर क्षति की सूचना महालेखाकार को दी जानी चाहिए। इसके बाद विभागों द्वारा विस्तृत जांच एवं ऐसे नुकसान के कारणों और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किए गए उपायों/कार्रवाई का हवाला देते हुए प्रतिवेदन दिया जाता है।

31 मार्च 2023 तक, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में ₹124.92 करोड़ की राशि के कुल 2,168 मामले लंबित थे, जो निर्णायक जांच और निपटान की प्रतीक्षा कर रहे थे। लंबित मामलों का विभागवार एवं श्रेणीवार विवरण **परिशिष्ट 4.3** में दिया गया है। मामलों का वर्षवार विश्लेषण **परिशिष्ट 4.4** में दर्शाया गया है। लंबित मामलों की आयु-प्रोफाइल और प्रत्येक श्रेणी जैसे चोरी और हानि में लंबित मामलों की संख्या को **तालिका 4.10** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 4.10: हानियों एवं गबनों आदि की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

लंबित प्रकरणों की अवधि			लंबित प्रकरणों की प्रकृति		
वर्षों में	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	राशि
0 – 5	270	2.14			
5 – 10	242	50.90	चोरी	123	0.54
10 – 15	446	53.03	सम्पत्ति/सामग्रीयों की हानि	1,982	119.10
15 – 20	281	7.73	गबन	63	5.28
20 – 25	194	4.39			
25 से अधिक	735	6.73			
योग	2,168	124.92	लंबित प्रकरणों का योग	2,168	124.92

स्रोत: राज्य शासन के विभागों द्वारा प्रेषित प्रकरण

2,168 मामलों में से, वन विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग में क्रमशः 609 और 39 मामले थे जो 25 वर्षों से अधिक समय से लंबित थे। 2,168 मामलों में से 297 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि 2022-23 के दौरान छह मामलों में, विभिन्न विभागों ने ₹2.16 लाख वसूली की थी जैसा कि **परिशिष्ट 4.5** में बताया गया है।

4.14 ऑफ बजट उधार

राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निगम/अन्य निकाय सरकार की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करने के लिए ऋण ले सकते हैं। राज्य सरकार सार्वजनिक उपक्रमों या अन्य संस्थाओं के ऋण/देनदारियों का भी अधिग्रहण कर सकती है। ऐसे ऋणों का पुनर्भुगतान अपने बजटीय संसाधनों से करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की हो सकती है। इस तरह के उधार सरकार के राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को प्रभावित करेंगे। इस तरह की देनदारियों को बजट में बताए बिना बनाना, पारदर्शिता और अंतर-पीढ़ीगत समानता दोनों पर सवाल उठाता है। इस तरह के ऑफ-बजट उधार को बजट दस्तावेजों में

प्रकटीकरण विवरण में नहीं लिया जाता है, न ही इन्हें विधायी अनुमोदन प्राप्त होता है। ऑफ बजट के इस तरह के पांच उदाहरणों पर नीचे चर्चा की गई है:

- क) छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी अधिकारियों के लिए 6,424 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए केनरा बैंक से ₹800 करोड़ रुपये और 728 फ्लैट खरीदने के लिए 2017-18 में इलाहाबाद बैंक से ₹195.00 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) को गारंटी जारी की। कुल गारंटी राशि के मुकाबले, सीएचबी ने 31 मार्च 2023 तक क्रमशः ₹800 करोड़ और ₹195 करोड़ का ऋण लिया। राज्य सरकार ने उपरोक्त ऋणों पर बजट के माध्यम से ₹472.14 करोड़ का ब्याज और मूलधन चुकाया है।
- ख) इसी प्रकार, सरकार ने पुलिस के लिए 10,000 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए दो वित्तीय संस्थानों यानी इलाहाबाद बैंक (₹400 करोड़) और केनरा बैंक (₹400 करोड़) से ₹800 करोड़ का ऋण लेने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीएचसीएल) को भी गारंटी जारी की। जून/जुलाई 2017 में (2027 तक वैध) सीपीएचसीएल ने ₹800 करोड़ की अधिकतम गारंटी राशि के मुकाबले मार्च 2023 तक कुल ₹644.54 करोड़ ऋण लिया है। राज्य सरकार ने उपरोक्त ऋणों पर मूलधन एवं ब्याज ₹273.95 करोड़ बजट के माध्यम से चुका दिया है।
- ग) इसके अलावा, सरकार ने फरवरी 2018 (दिसंबर 2024 तक वैध) में "प्रधानमंत्री आवास योजना" (पीएमएवाई-शहरी) में राज्य के हिस्से के भुगतान के लिए वित्तीय संस्थानों से ₹3,357 करोड़ का ऋण लेने के लिए राज्य शहरी विकास एजेंसी (एसयूडीए) को गारंटी जारी की, जिसमें से एसयूडीए ने 31 मार्च 2023 तक ₹1525 करोड़ का ऋण लिया। राज्य सरकार ने बजट से उपरोक्त ऋण के ब्याज और मूलधन के लिए ₹318.60 करोड़ का पुनर्भुगतान किया है।
- घ) छत्तीसगढ़ सरकार ने दिसंबर 2020 में छत्तीसगढ़ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीजीआरआईडीसीएल) को बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ₹5,225 करोड़ का ऋण लेने के लिए गारंटी जारी की (12 सड़कों के निर्माण के लिए ₹1,225 करोड़ और 741 सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए ₹4,000 करोड़)। जिसमें से सीजीआरआईडीसीएल ने वर्ष 2022-23 के दौरान ₹1,500.87 करोड़ का ऋण लिया है। राज्य सरकार ने उपरोक्त ऋणों पर बजट के माध्यम से ₹53.67 करोड़ का ब्याज चुकाया है।
- ङ) छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण को लागू करने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के लिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास निगम को ₹3,427.28 करोड़ (2034-35 तक वैध) की गारंटी जारी की (जनवरी 2018)। उपरोक्त गारंटी के विरुद्ध निगम ने कुल ₹1,792.44 करोड़ रुपये का ऋण लिया है (केनरा बैंक से ₹1,000 करोड़ और नाबार्ड से ₹792.44 करोड़)। राज्य सरकार ने उपरोक्त ऋणों पर बजट के माध्यम से 31 मार्च 2023 तक ₹567.27 करोड़ का ब्याज एवं मूलधन चुका दिया है।
- च) छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी वर्षों में 31 मार्च 2022 तक छत्तीसगढ़ पॉवर जनरेशन कंपनी (सीएसपीजीसीएल) (₹1000 करोड़) और छत्तीसगढ़ पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी (सीएसपीटीसीएल) (₹500 करोड़) की देनदारियों (उस पर ब्याज सहित मूलधन) को बजट में प्रावधान करके चुकाने का आश्वासन


दिया है। तदनुसार, राज्य सरकार ने बजट के माध्यम से 31 मार्च 2023 तक सीएसपीजीसीएल और सीएसपीटीसीएल का क्रमशः ₹183.45 करोड़ और ₹116.55 करोड़ का ब्याज और मूलधन चुका दिया है।

उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार के व्यय के वित्तपोषण के लिए अन्य संस्थाओं के माध्यम से उधार ली गई धनराशि के उपयोग से न केवल राजस्व/पूंजीगत व्यय और राजस्व/राजकोषीय घाटे को कम बताया गया, बल्कि यह भी सुनिश्चित हुआ कि उधार धनराशि राज्य सरकार के ऋण खातों की गणना से बाहर रहे। वर्तमान व्यय का बोझ बाद के वर्षों में बजटीय सहायता के माध्यम से ऋण की अदायगी की सीमा तक भावी पीढ़ियों पर स्थानांतरित हो जाएगा। राज्य सरकार पर 31 मार्च 2023 तक कुल बजटीय देनदारियों ₹1,01,696.43 करोड़ के अलावा ₹7,161.32 करोड़ (कुल बजटीय देनदारियों का 7.04 प्रतिशत) की शुद्ध बजट देनदारी है। इस प्रकार, राज्य की कुल देनदारी ₹1,08,857.75 करोड़ थी। वर्ष 2018-19 से 2022-23 के लिए राज्य सरकार के बजट दस्तावेजों में किसी भी ऑफ-बजट उधार का खुलासा नहीं किया गया है।

4.15 सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित निधियाँ

वर्ष 2022-23 के दौरान, लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पोर्टल के अनुसार ₹14,646.63 करोड़ की राशि सीधे छत्तीसगढ़ में कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित की गई। 2018-19 से 2022-23 तक ऐसी राशि के हस्तांतरण का रुझान चार्ट 4.5 में दिखाया गया है।

चार्ट 4.5: 2018-19 से 2022-23 तक सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुदान के हस्तांतरण के रुझान (₹ करोड़ में)



स्रोत : कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छ.ग. द्वारा संकलित आंकड़े

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि का सीधा हस्तांतरण ₹ 338.23 करोड़ (2.36 प्रतिशत) बढ़ गया है।

4.16 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य वित्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2008-09 से राज्य विधानसभा में प्रस्तुत की जा रही है। हालाँकि, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने अभी तक इन रिपोर्टों को चर्चा के लिए नहीं लिया है। (नवंबर 2023)

4.17 निष्कर्ष

31 मार्च 2023 तक, ₹ 306.67 करोड़ के 471 वि.आ.दे. जमा करने के लिए लंबित थे। विशिष्ट विकासात्मक कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए निकाली गई धनराशि के लिए विभागों द्वारा वि.आ.दे. जमा न करना और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा खाते जमा न करना निर्धारित वित्तीय नियमों और निर्देशों का उल्लंघन था। यह राज्य सरकार के अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और अपर्याप्त निगरानी तंत्र की ओर इशारा करता है और बर्बादी/दुर्विनियोजन/दुर्व्यवहार आदि के जोखिम/संभावना को बढ़ाता है।

31 मार्च 2023 तक, ₹1,364.20 करोड़ के समापन शेष के साथ 131 पीडी खाते अस्तित्व में थे। कुल पीडी खातों में से 40 पीडी खाते भूमि अधिग्रहण से संबंधित थे। पीडी खातों में पड़ी अव्ययित शेष राशि को राज्य की समेकित निधि में स्थानांतरित न करने से सार्वजनिक निधि के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुरुपयोग का जोखिम होता है।

सर्वग्राही लघु शीर्ष 800 का संचालन – 'अन्य प्राप्तियाँ' (₹7,715.17 करोड़ जो कुल राजस्व प्राप्तियों ₹93,877.14 करोड़ का 8.22 प्रतिशत है), और 'अन्य व्यय' (₹539.21 करोड़ है जो कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय ₹98,605.33 करोड़ का 0.55 प्रतिशत है) ने वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित किया और आवंटन प्राथमिकताओं और व्यय की गुणवत्ता का उचित विश्लेषण अस्पष्ट कर दिया।

खनिज रियायत शुल्क, किराए और रॉयल्टी के तहत ₹2.72 करोड़ और ₹5.73 करोड़ की बुकिंग उनके वर्गीकृत लघु शीर्ष 102/107- मुख्य/लघु खनिजों और लघु शीर्ष 600- अन्य के लिए मुख्य शीर्ष क्रमशः 0853 और 0852 के बजाय लघु शीर्ष 800 के तहत बुकिंग में गलत वर्गीकरण देखा गया। गलत वर्गीकरण खातों को अपारदर्शी बना देता है और उन योजनाओं/कार्यक्रमों आदि का खुलासा नहीं करता है जिनसे यह संबंधित है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, प्राप्तियों के लिए केवल 86.14 प्रतिशत और व्यय के लिए 86.70 प्रतिशत का मिलान किया गया। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आंकड़ों के साथ राज्य के नियंत्रण अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई प्राप्तियों और व्यय का मिलान न करना सरकार के भीतर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर खराब प्रभाव डालता है और खातों की सटीकता से संबंधित चिंताओं को जन्म देता है।

राज्य सरकार पर मार्च 2023 तक बकाया ₹1,01,696.43 करोड़ की कुल बजटीय देनदारियों के अलावा ₹7,161.32 करोड़ की शुद्ध ऑफ-बजट देनदारियाँ हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने बजट में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए, इसके आदेश पर लिए गए ऋणों, जिनके मूलधन और ब्याज चुकाने की गारंटी राज्य सरकार ने दी थी, के संबंध में अपनी देनदारियों का खुलासा नहीं किया है।

4.18 अनुशंसाएं

- i.** राज्य शासन को यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभाग निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को वि.आ.दे. को प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करें, एक कठोर निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।
- ii.** खातों को प्रस्तुत करने वाली सभी ईकाईयों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण लेखें एवं छुटी हुई/अपूर्ण विवरण को प्रस्तुत करने का निर्देश देने की आवश्यकता है ताकि उच्चतम एवं प्रेषण लेन देनों की समयबद्ध तरीके से निपटान किया जा सके।
- iii.** राज्य शासन को सर्वोपयोगी लघु शीर्ष 800 के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ विचार कर विशिष्ट समय सीमा बनाना चाहिए ताकि लेखा पुस्तकों में लेनदेनों के वर्गीकरण हेतु सही लेखाशीर्षों की पहचान हो सके।
- iv.** राज्य शासन को बजट प्रस्तुत करते समय अपनी सभी देनदारियों एवं बजट के बाहर ली गई उधारियों को दिखाना चाहिए ताकि उसकी सही वित्तीय अवस्था का अभिमूल्यन हो सके।
- v.** आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है एवं शासन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि नियंत्रण अधिकारी प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ अपनी प्राप्तियों एवं व्यय के आकड़ों का निर्धारित अंतरालों पर मिलान करें जिससे सरकारी लेन-देनों का सटीक एवं पारदर्शी लेखांकन हो सके।

अध्याय V

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन

5.1 प्रस्तावना

यह अध्याय वर्ष 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ शासन के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के अंतर्गत कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत स्थापित सरकारी कम्पनियों और संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित विधियों के अंतर्गत स्थापित सांविधिक निगम शामिल हैं।

यह अध्याय राज्य सरकार की कम्पनियों और निगमों के वित्तीय प्रदर्शन जैसा कि उनके लेखों से पता चलता है, की संक्षिप्त स्थिति देता है। इस प्रतिवेदन में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सरकारी कम्पनियों और निगमों के वर्ष 2022-23 (या पिछले वर्षों के जिन्हें चालू वर्ष के दौरान अंतिमीकृत किया गया था) के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा/एकमात्र लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों¹ को शामिल किया गया है।

5.2 सरकारी कम्पनियों/निगमों की परिभाषा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में सरकारी कम्पनी को एक ऐसी कम्पनी के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त अंश पूँजी केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो और इसमें सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी शामिल है।

एक सांविधिक निगम की स्थापना संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित एक कानून के अंतर्गत की जाती है।

5.3 लेखापरीक्षा अधिदेश

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और उसके अंतर्गत निर्मित प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करते हैं और जिस तरीके से लेखों की लेखा परीक्षा की जानी है, उस पर निर्देश देते हैं। इसके अलावा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को अनुपूरक लेखा परीक्षा करने का भी अधिकार है।

सांविधिक निगमों को शासित करने वाली विधियों के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को निगमों के लेखों की लेखापरीक्षा या तो एकमात्र लेखापरीक्षक के रूप में या विधियों के अन्तर्गत नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा लेखापरीक्षा करने के बाद अनुपूरक लेखापरीक्षा करने की आवश्यकता होती है।

¹ 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 तक अंतिमीकृत/जारी किए गए प्रमाणपत्रों के आधार पर

5.4 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उनका योगदान

31 मार्च 2023 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में 28 पीएसयू (27 सरकारी कम्पनियाँ और एक सांविधिक निगम²) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में थे। इनमें से कोई भी पीएसयू स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं था।

28 पीएसयू में से 26 पीएसयू (25 कम्पनियाँ और एक सांविधिक निगम) कार्यरत और दो³ पीएसयू निष्क्रिय थे। इन 26 कार्यरत पीएसयू में से केवल 20 पीएसयू (19 कम्पनियाँ और एक सांविधिक निगम), जिनके लेखें 30 सितंबर 2023 को दो या कम वर्षों के लिए बकाया थे, को वित्तीय प्रदर्शन के विस्तृत विश्लेषण हेतु इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। आठ पीएसयू जिनके लेखें तीन या अधिक वर्षों से बकाया (सात पीएसयू⁴) या प्रथम लेखें जमा नहीं किए (एक पीएसयू⁵) थे, को इस प्रतिवेदन में विस्तृत विश्लेषण के लिए सम्मिलित नहीं किया गया है (परिशिष्ट 5.1)।

पीएसयू के टर्नओवर और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अनुपात, राज्य की अर्थव्यवस्था में पीएसयू की गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर इन 20 पीएसयू को पाँच क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। इन 20 पीएसयू का टर्नओवर (₹42,172.73 करोड़) वर्ष 2022–23 के लिए छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी (₹4,57,608.26 करोड़) का 9.22 प्रतिशत था। 2022–23 के दौरान पीएसयू के कुल टर्नओवर में अकेले ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू की हिस्सेदारी 66.51 प्रतिशत है (तालिका 5.1)।

तालिका 5.1: वर्ष 2022–23 के दौरान छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार टर्नओवर के साथ-साथ पीएसयू के टर्नओवर की हिस्सेदारी

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	पीएसयू की संख्या	वर्ष के लिए टर्नओवर (₹ करोड़ में)	टर्नओवर का जीएसडीपी में हिस्सा
1	ऊर्जा और शक्ति	4	28,048.36	6.13
2	अधोसंरचना	4	10.40	0.002
3	कृषि और संबद्ध उद्योग	2	678.55	0.15
4	सेवाएं	8	13,294.65	2.91
5	अन्य	2	140.77	0.03
	योग	20	42,172.73	9.22

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम वित्तीय विवरणों से संकलित सूचना

5.5 सरकारी कम्पनियों और निगमों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, अपने अधिदेश के अनुसार, सभी 28 कम्पनियों (27 सरकारी कम्पनियों और एक सांविधिक निगम) के वार्षिक लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित करते हैं। 30 सितंबर 2023 को पीएसयू द्वारा वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की स्थिति तालिका 5.2 में प्रस्तुत की गई है।

² छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम (सीएसडब्ल्यूसी)।

³ छत्तीसगढ़ सोनडिहा कोल कम्पनी लिमिटेड, सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड।

⁴ छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ ग्रामीण गृहनिर्माण निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ सोनडिहा कोल कम्पनी लिमिटेड, सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड।

⁵ छत्तीसगढ़ राज्य इनफॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर निगम लिमिटेड।

तालिका 5.2: पीएसयू द्वारा वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

पीएसयू का प्रकार	पीएसयू की कुल संख्या	30 सितंबर 2023 की स्थिति में पीएसयू द्वारा लेखों के अंतिमीकरण की स्थिति				पीएसयू की संख्या जिनके लेखें बकाया थे (बकाया लेखों की संख्या)
		2022-23 के लेखें	2021-22 के लेखें	2020-21 या पिछले वर्षों के लेखें	योग	
सरकारी कम्पनियाँ	25	2	14	9	25	23 (42)
सांविधिक निगम	1	0	1	0	1	1 (1)
कुल कार्यरत पीएसयू	26	2	15	9	26	24 (43)
निष्क्रिय पीएसयू	2	1	0	1	2	1 (4)
योग	28	3⁶	15	10	28	25 (47)

स्रोत: पीएसयू द्वारा प्रस्तुत वार्षिक लेखें

पीएसयू जिनका वित्तीय विवरण 30 सितंबर 2023 तक लंबित है, का विवरण परिशिष्ट 5.1(बी) में दिखाया गया है।

इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए 20 पीएसयू के अद्यतन अंतिमीकृत किए गए लेखों के आधार पर वित्तीय प्रदर्शन का सारांश तालिका 5.3 में प्रस्तुत है।

तालिका 5.3: पीएसयू के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश (सरकारी कम्पनियाँ और सांविधिक निगम)

पीएसयू के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश	
राज्य के पीएसयू की कुल संख्या	28
इस प्रतिवेदन में शामिल पीएसयू की संख्या	20
प्रदत्त पूँजी (20 पीएसयू)	₹6,915.97 करोड़
दीर्घावधि ऋण (20 पीएसयू)	₹10,519.65 करोड़
शुद्ध लाभ (10 पीएसयू)	₹879.22 करोड़
शुद्ध हानि (सात पीएसयू)	₹1,143.10 करोड़
शून्य लाभ/हानि (तीन पीएसयू)	—
घोषित लाभांश (एक पीएसयू)	₹3.64 करोड़
निवल मूल्य (20 पीएसयू)	₹745.27 करोड़

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

5.6 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश और बजटीय सहायता

5.6.1 इक्विटी होल्डिंग एवं ऋण

31 मार्च 2023 को समाप्त तीन साल की अवधि के लिए 28 पीएसयू में पूँजी और ऋण के रूप में सरकारी निवेश तालिका 5.4 में दिया गया है।

तालिका 5.4: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूँजी निवेश और ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश के स्रोत	31 मार्च 2021 की स्थिति में			31 मार्च 2022 की स्थिति में			31 मार्च 2023 की स्थिति में		
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग
राज्य सरकार	6,672.82	724.83	7,397.65	6,672.82	758.36	7,431.18	6,733.03	846.06	7,579.09
केन्द्र सरकार	25.42	292.78	318.20	25.42	158.89	184.31	35.22	130.97	166.19
अन्य	315.46	12,847.58	13,163.04	315.46	12,460.72	12,776.18	315.46	12,900.87	13,216.33
योग	7,013.70	13,865.19	20,878.89	7,013.70	13,377.97	20,391.67	7,083.71	13,877.90	20,961.61
कुल निवेश में राज्य सरकार का हिस्सा (% में)	95.14	5.23	35.43	95.14	5.67	36.44	95.05	6.10	36.16

स्रोत: 30 सितंबर 2023 तक प्राप्त अद्यतन वित्तीय विवरणों और पीएसयू द्वारा प्रदान की गई सूचना से संकलित

⁶ छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड और छत्तीसगढ़ सोनडिहा कोल कम्पनी लिमिटेड

वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान इन पीएसयू में कुल निवेश में 0.40 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। 31 मार्च 2023 की स्थिति में, राज्य के 28 पीएसयू के कुल निवेश में अंश पूँजी 33.79 प्रतिशत और दीर्घकालिक ऋण 66.21 प्रतिशत था। राज्य के 28 पीएसयू में दीर्घावधि ऋणों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ₹977.03 करोड़ और अन्य स्रोतों से जुटाए गए ₹12,900.87 करोड़ शामिल थे (परिशिष्ट 5.2)।

5.6.2 सम्पत्तियों की पर्याप्तता

शोधनक्षम माने जाने के लिए, किसी इकाई की संपत्ति का मूल्य उसके दीर्घकालिक ऋणों के योग से अधिक अवश्य होना चाहिए। 31 मार्च 2023 तक कुल संपत्ति के साथ दीर्घकालिक ऋणों के कवरेज का विवरण तालिका 5.5 में विस्तृत है।

तालिका 5.5: कुल संपत्ति के साथ दीर्घकालिक ऋण का कवरेज

(₹ करोड़ में)

पीएसयू का प्रकार	सकारात्मक कवरेज				नकारात्मक कवरेज			
	पीएसयू की संख्या	दीर्घावधि ऋण	कुल संपत्तियाँ	संपत्तियों का ऋण से प्रतिशत	पीएसयू की संख्या	दीर्घावधि ऋण	कुल संपत्तियाँ	संपत्तियों का ऋण से प्रतिशत
सरकारी कम्पनियाँ	8	10,430.66	46,852.04	449.18	—	—	—	—
सांविधिक निगम	1	88.99	1290.50	1450.16	—	—	—	—

स्रोत: पीएसयू के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

5.6.3 केंद्र/राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी, अनुदान पर जानकारी

राज्य सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से पीएसयू को ऋण, अनुदान और सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त सरकार पीएसयू द्वारा लिए गए ऋणों के लिए गारंटी प्रदान करती है जिसके लिए वह आधा प्रतिशत की दर से गारंटी कमीशन लेती है। विवरण तालिका 5.6 में है।

तालिका 5.6: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण ⁷	2020-21		2021-22		2022-23		योग राशि
	पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि	
(i) ऋण	1	62.00	2	101.51	2	128.60	292.11
(ii) अनुदान/सब्सिडी	9	8,445.74	10	7,226.58	10	9,740.33	25,412.65
बहिर्गमन का योग (i+ii)	10	8,507.74	12	7,328.09	12	9,868.93	25,704.76
बकाया गारंटी	2	3,426.34	3	3,314.65	3	4,911.43	11,652.42
गारंटी प्रतिबद्धता	3	6,682.28	3	11,907.28	3	9,084.44	27,674.00

स्रोत: पीएसयू द्वारा प्रदान की गई सूचना

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, पीएसयू द्वारा प्राप्त वार्षिक बजटीय सहायता 2020-21 में ₹8,507.74 करोड़ से बढ़कर 2022-23 की अवधि के दौरान ₹9,868.93 करोड़ हो गई। ऋण के रूप में बजटीय सहायता छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (₹85.67 करोड़) को खनिज अन्वेषण कार्य के लिए व छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को ₹42.93 करोड़ रुपये दिये गये। सब्सिडी/अनुदान का प्रमुख हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (₹5,242.99 करोड़) को विभिन्न योजनाओं यथा मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना की निःशुल्क आपूर्ति, मुख्यमंत्री मजरा-टोला विद्युतीकरण योजना, आधी बिजली बिल योजना, कृषि पंप को ऊर्जांचित करना इत्यादि के

⁷ राशि राज्य के बजट से व्यय का प्रतिनिधित्व करती है।

कार्यान्वयन तथा छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹4,017.86 करोड़) को जनता को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए दिया गया था।

5.7 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिफल

5.7.1 पीएसयू द्वारा अर्जित लाभ

20 पीएसयू (इस प्रतिवेदन में शामिल) में से 10 पीएसयू द्वारा (उनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार) 2022-23 में अर्जित लाभ ₹879.22 करोड़ रुपये था, जबकि 2020-21 में नौ पीएसयू ने ₹540.16 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। लाभ में वृद्धि का मुख्य कारण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड के लाभ में वृद्धि ₹196.63 करोड़ (2020-21) से ₹570.38 करोड़ (2021-22) होना था। वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू को तालिका 5.7 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 5.7: पीएसयू जिन्होंने वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान लाभ अर्जित किया

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार वर्ष के लिए लाभ (₹ करोड़ में)		
		2020-21	2021-22	2022-23
1	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	11.56	36.49	52.65
2	छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड	5.38	8.35	8.35
3	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	--	20.64	20.64
4	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	24.09	17.17	17.17
5	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड	4.08	4.08	4.08
6	छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम	143.04	71.20	71.20
7	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	--	24.79	24.79
8	केरवा कोल लिमिटेड	0.28	0.07	0.07
9	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड	196.63	570.38	570.38
10	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड	153.90	109.89	109.89
11	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड	1.20	1.68	*--
योग		540.16	864.74	879.22

स्रोत: पीएसयू के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

*छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का जून 2022 में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में विलय कर दिया गया।

5.7.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भुगतान किया गया लाभांश

राज्य सरकार द्वारा कोई लाभांश नीति तैयार नहीं की गयी थी जिसके अन्तर्गत सभी लाभ कमाने वाले पीएसयू को कर पश्चात लाभ/प्रदत्त पूँजी के न्यूनतम प्रतिशत का प्रतिफल भुगतान करने की आवश्यकता हो।

16 पीएसयू जिनमें राज्य सरकार द्वारा पूँजी का निवेश किया गया था, का इस अवधि के दौरान लाभांश भुगतान तालिका 5.8 में दिखाया गया है:

तालिका 5.8: पीएसयू के लाभांश भुगतान का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल पीएसयू जिनमें राज्य सरकार का पूँजी निवेश है		पीएसयू जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किया		पीएसयू जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभांश घोषित / भुगतान किया		लाभांश भुगतान अनुपात (%)
	पीएसयू की संख्या	छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निवेश पूँजी	पीएसयू की संख्या	लाभ	पीएसयू की संख्या	पीएसयू द्वारा घोषित/ भुगतान किया गया लाभांश	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/5*100)
2020-21	18	6,665.97	8	539.88	2	3.84	0.71
2021-22	18	7,289.36	10	864.67	2	1.15	0.13
2022-23	16	6,726.18	9 ⁸	879.15	1	3.64	0.41

वर्ष 2022-23 के दौरान 16 पीएसयू में से नौ पीएसयू ने कुल ₹879.15 करोड़ का लाभ अर्जित किया। केवल एक सार्वजनिक उपक्रम अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड ने वर्ष 2021-22 के लिए ₹3.64 करोड़ का लाभांश घोषित/भुगतान किया।

5.8 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर) का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना कम्पनी की ब्याज और करों से पूर्व आय (ईबीआईटी) को उसी अवधि के ब्याज के व्ययों से विभाजित करके की जाती है। एक से नीचे का अनुपात इंगित करता है कि कम्पनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। पीएसयू जिनमें 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान बकाया ऋण थे, के ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण तालिका 5.9 में दिया गया है।

तालिका 5.9: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का आईसीआर

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या जिनमें ब्याज का भार था	पीएसयू की संख्या जिनका आईसीआर एक/एक से अधिक था	पीएसयू की संख्या जिनका आईसीआर एक से कम था
2020-21	1707.56	1863.90	8	5	3
2021-22	1502.90	1189.41	9	7	2
2022-23	1857.12	1224.14	9	7	2

स्रोत: पीएसयू के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

यह देखा गया कि 2022-23 के दौरान ब्याज भार वाले नौ पीएसयू में से दो पीएसयू (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड और छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड) का आईसीआर 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान एक से कम था। वर्ष 2020-21 के दौरान एक से कम आईसीआर वाले पीएसयू की संख्या में छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड सम्मिलित है।

⁸ केरवा कोल लिमिटेड को लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक उपक्रमों से बाहर रखा गया है क्योंकि इसके पास छत्तीसगढ़ सरकार की इक्विटी नहीं है।

5.9 सरकारी कम्पनियों की परिचालन क्षमता

5.9.1 अर्जित लाभ (परिचालन गतिविधियों/अन्य आय से प्रतिवेदित लाभ का विश्लेषण)

31 मार्च 2023 की स्थिति में, लाभ कमाने वाले 10 पीएसयू ने कुल ₹879.22 करोड़ का लाभ अर्जित किया। उनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार लाभ कमाने वाले प्रमुख पीएसयू छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (₹570.38 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (₹109.89 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम (₹71.20 करोड़) थे, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड ने सर्वाधिक हानि (₹1,132.72 करोड़) दर्ज की।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 10 लाभ कमाने वाले उपक्रमों में से, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के नौ उपक्रमों ने केवल अपने परिचालन⁹ से लाभ अर्जित किया और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम ने केवल अन्य/असाधारण आय से लाभ अर्जित किया जैसा कि परिशिष्ट 5.3 में वर्णित है।

5.9.2 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक कम्पनी की नियोजित पूँजी के साथ उसकी लाभप्रदता तथा दक्षता को मापता है। इसकी गणना कम्पनी की ब्याज और करों से पहले की आय को नियोजित पूँजी¹⁰ से विभाजित करके की जाती है।

तालिका 5.10: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

पीएसयू की प्रकृति	वर्ष	पीएसयू की संख्या	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (प्रतिशत में)
	1	2	3	4	5 = 3/4*100
लाभार्जन करने वाले	2020-21	9	1562.88	15339.47	10.19
	2021-22	11	2021.15	16037.92	12.60
	2022-23	10	2035.44	15429.05	13.19
हानि वहन करने वाले	2020-21	10	317.48	-2220.04	-14.30
	2021-22	8	-798.54	-3090.27	25.84
	2022-23	7	-360.45	-4425.73	8.14
शून्य लाभ/हानि वाले	2020-21	3	0	201.54	0.00
	2021-22	3	0	202.12	0.00
	2022-23	3	0	202.12	0.00
कुल	2020-21	22	1880.36	13320.97	14.12
	2021-22	22	1222.61	13149.77	9.30
	2022-23	20	1674.99	11205.44	14.95

स्रोत: पीएसयू के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

तालिका से पता चलता है कि लाभप्रदता का स्तर बढ़ रहा है क्योंकि नियोजित पूँजी पर प्रतिफल 2020-21 में 14.12 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 14.95 प्रतिशत हो रहा है (तालिका 5.10)।

⁹ परिचालन गतिविधियों का लाभ = टर्नओवर - कुल व्यय

¹⁰ नियोजित पूँजी= प्रदत्त अंशपूँजी + दीर्घावधि ऋण + संचित लाभ/-संचित हानियाँ। आंकड़े पीएसयू के अद्यतन वर्ष जिनके लेखों को अंतिमीकृत किया गया है, के अनुसार हैं।

5.9.3 निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर वास्तविक प्रतिफल की दर

31 मार्च 2023 की स्थिति में 20 पीएसयू में राज्य सरकार का ऐतिहासिक लागत के आधार पर कुल निवेश ₹ 18,831.86 करोड़ था। ऐतिहासिक लागत के आधार पर 2020-21 से 2022-23 की अवधि के लिए क्षेत्रवार आरओआई तालिका 5.11 में दी गई है।

तालिका 5.11: निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)						
वर्ष	राज्य सरकार द्वारा पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों में निवेश की गई निधि	केंद्र सरकार द्वारा पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों में निवेश की गई निधि	अन्य द्वारा पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों में निवेश की गई निधि	पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों में कुल निवेश	वर्ष के लिए कुल आय/हानि	आर ओ आर (प्रतिशत में)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii= vi*100/v)
सरकारी कम्पनियाँ						
2020-21	7,325.70	318.20	12,825.07	20,468.97	-36.02	-0.18
2021-22	7,971.01	184.31	12,548.66	20,703.98	-433.43	-2.09
2022-23	7,292.23	166.19	11,280.41	18,738.83	-335.08	-1.79
सांविधिक निगम						
2020-21	70.00	0.00	2.02	72.02	143.04	198.61
2021-22	91.01	0.00	2.02	93.03	71.20	76.53
2022-23	91.01	0.00	2.02	93.03	71.20	76.53
महायोग						
2020-21	7,395.70	318.20	12,827.09	20,540.99	107.02	0.52
2021-22	8,062.02	184.31	12,550.68	20,797.01	-362.23	-1.74
2022-23	7,383.24	166.19	11,282.43	18,831.86	-263.88	-1.40

स्रोत: पीएसयू के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान, निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर सरकारी कम्पनियों का प्रतिफल -2.09 प्रतिशत से -0.18 प्रतिशत के मध्य था, जबकि निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर सांविधिक निगम का प्रतिफल 76.53 प्रतिशत से 198.61 प्रतिशत के मध्य था।

5.9.4 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल

प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर होने के कारण निवेश पर प्रतिफल की प्रत्याप्तता का सही सूचक नहीं है क्योंकि इस प्रकार की गणना धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करती है। इसलिए धन के वर्तमान मूल्य को ध्यान में रखते हुए भी निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की गणना की गई है।

इन पीएसयू में निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) की गणना निम्न धारणाओं के आधार पर की गई है।

- राज्य सरकार के निवेश की गणना 31 मार्च 2023 की स्थिति में की गई है जहाँ धनराशि को पूँजी, डिफॉल्टेड दीर्घावधि ऋण एवं परिचालन/प्रबंधन व्यय के रूप में निवेशित किया है।
- दीर्घावधि ऋण जिन पर पीएसयू द्वारा ब्याज के भुगतान में चूक हुई, को राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश माना गया है। इन पीएसयू द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान के मामले में, पीवी की गणना अवधि के दौरान ऋणों के कम हुए शेष पर की गई है।

- पूँजीगत अनुदान को छोड़कर, अनुदान/सब्सिडी के रूप में प्रदान की गई धनराशि को निवेश नहीं माना गया है क्योंकि वो निवेश के रूप में माने जाने योग्य नहीं है।
- सम्बन्धित वित्तीय वर्ष¹¹ के लिए सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य की छूट की दर के रूप में अपनाया गया क्योंकि यह वर्ष के दौरान निवेश किये गये कोषों पर सरकार द्वारा वहन की गई लागत को दर्शाता है एवं इसलिए सरकार द्वारा किये निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में माना जाता है।

इसके अतिरिक्त, इन कम्पनियों से संबंधित इसी अवधि के लिए राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति तालिका 5.12 में दर्शाई गई है।

तालिका 5.12: राज्य सरकार द्वारा निवेश एवं सरकारी निवेश के वर्तमान मूल्य की वर्षवार स्थिति

वित्तीय वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा लगाई गई पूँजी	शुद्ध ब्याज मुक्त ऋण/ बकाया ऋण	वर्ष के दौरान रुपांतरित ब्याज मुक्त ऋण	पूँजीगत अनुदान	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष की समाप्ति पर कुल निवेश	शासकीय ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष की समाप्ति पर कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए कोष की लागत वसूली हेतु न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष की कुल आय	कुल निवेश पर प्रतिफल का प्रतिशत
क	ख	ग	घ	च	छ	ज=(ग+घ-च+ छ)	झ=ख+ज	ट	ठ = (झ* ट%) + झ	ड = झ* ट%	ढ	त=ढ* 100/झ
2016-17 तक	4483.97	6649.27	268.64	20.11	2253.92	9151.72	13635.69	6.62	14538.38			
2017-18	14538.38	21.60	84.23	0	1353.68	1459.51	15997.89	6.38	17018.55	1020.66	1124.26	7.03
2018-19	17018.55	0	81.86	0	269.88	351.74	17370.29	6.10	18429.89	1059.58	928.65	5.35
2019-20	18429.89	0	-57.77	0	271.80	214.03	18643.92	6.83	19917.29	1273.38	-303.84	-1.63
2020-21	19917.29	0	0	0	331.89	331.89	20249.18	6.57	21579.56	1330.37	106.87	0.53
2021-22	21579.56	0	0	0	806.55	806.55	22386.09	6.40	23818.80	1432.71	-362.07	-1.62
2022-23	23818.80	11.72	0	0	757.78	769.50	24588.30	6.91	26287.35	1699.05	-263.72	-1.08
योग	6682.59	376.96	20.11	6045.50	13084.94							

स्रोत: पीएसयू के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

वर्ष 2022-23 के अंत में राज्य सरकार का 22 पीएसयू (इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किए गए पीएसयू सहित) में कुल निवेश ₹13,084.94 करोड़ था जिसमें पूँजी (₹6,682.59 करोड़), बकाया दीर्घावधि ऋण (₹376.96 करोड़, पूँजी में परिवर्तित ₹20.11 करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण को छोड़कर) एवं पूँजीगत अनुदान (₹6,045.50 करोड़) सम्मिलित थे। 31 मार्च 2023 की स्थिति में राज्य सरकार के निवेशों के पीवी की गणना ₹26,287.35 करोड़ की गई। वर्ष 2020-21 के दौरान सकारात्मक प्रतिफल की तुलना में 2021-22 और 2022-23 के दौरान प्रतिफल नकारात्मक थे।

¹¹ सम्बन्धित वर्ष की सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दरों को राज्य वित्त पर भारत के सीएजी के प्रतिवेदन (छत्तीसगढ़ शासन) से अपनाया गया है जिसमें चुकाये गये ब्याज की औसत दर = ब्याज भुगतान / {(पूर्व वर्ष के वित्तीय दायित्व की राशि + वर्तमान वर्ष के वित्तीय दायित्व) / 2} x 100

5.10 हानि वहन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

5.10.1 वहन की गयी हानियाँ

मार्च 2023 के अंत में सात¹² पीएसयू ऐसे थे जिन्होंने उनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार हानियाँ वहन की। इन पीएसयू द्वारा वहन की गई हानियाँ 2020–21 में ₹433.14 करोड़ से बढ़कर इनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार ₹1143.10 करोड़ हो गयी जैसा कि नीचे तालिका 5.13 में दिया गया है।

तालिका 5.13: 2020–21 से 2022–23 के दौरान हानियाँ वहन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या (₹ करोड़ में)

वर्ष	विवरण	हानि में चल रहे राज्य पीएसयू की संख्या	वर्ष के लिए निवल हानि	निवल संचित हानि/लाभ	निवल मूल्य
2020–21	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू	2	-422.12	-7727.69	-5443.37
	सेवाएं	5	-4.04	-176.36	-114.98
	अधोसंरचना	2	-0.03	3.99	13.09
	अन्य पीएसयू	1	-6.95	-7.83	-6.69
	योग	10	-433.14	-7907.89	-5551.95
2021–22	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू	2	-1216.59	-8944.29	-6036.58
	सेवाएं	4	-9.80	19.20*	75.20
	अधोसंरचना	2	-0.58	3.41	12.51
	योग	8	-1226.97	-8921.68	-5948.87
2022–23	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू	1	-1132.72	-10057.33	-7149.62
	सेवाएं	4	-9.80	19.20*	75.20
	अधोसंरचना	2	-0.58	3.41	12.51
	योग	7	-1143.10	-10034.72	-7061.91

स्रोत: पीएसयू के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

*इसमें छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड का वित्तीय परिणाम शामिल नहीं है क्योंकि निगम ने 2021–22 के दौरान लाभ कमाया, जबकि वर्ष 2020–21 के दौरान उसे ₹205.35 करोड़ की संचित हानि के साथ घाटा हुआ।

2022–23 में, सात पीएसयू द्वारा वहन की गयी कुल हानि ₹1,143.10 करोड़ में से, ₹1,132.72 करोड़ की हानि का योगदान एक ऊर्जा क्षेत्र पीएसयू अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड द्वारा किया गया था।

5.10.2 हानि वहन कर रही कंपनियों में निवेश

हानि वहन करने वाले सात पीएसयू में, 31 मार्च 2023 की स्थिति में पूँजी और ऋण के रूप में सरकारी और अन्य निवेश तालिका 5.14 में दिया गया है।

¹² छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ कटघोरा डोंगरगढ़ रेलवे लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ खरसिया नया रायपुर रेलवे लिमिटेड

तालिका 5.14: हानि वहन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूँजी निवेश और ऋण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	31 मार्च 2023 की स्थिति में						योग
		पूँजी			दीर्घावधि ऋण			
		छत्तीसगढ़ सरकार	भारत सरकार	अन्य	छत्तीसगढ़ सरकार	भारत सरकार	अन्य	
1	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2886.54	0.00	0.00	64.10	130.97	1576.61	4658.22
2	छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1598.68	1603.58
3	छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.27	560.27
4	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
5	छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड	37.22	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	71.52
6	छत्तीसगढ़ कटघोरा डोंगरगढ़ रेलवे लिमिटेड	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
7	छत्तीसगढ़ खरसिया नया रायपुर रेलवे लिमिटेड	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	योग	2934.86	34.30	4.00	64.10	130.97	3733.56	6901.79

स्रोत: 30 सितंबर 2023 तक प्राप्त अद्यतन वित्तीय विवरणों और पीएसयू द्वारा प्रदान की गई सूचना से संकलित

31 मार्च 2023 की स्थिति में, हानि वहन करने वाले सात पीएसयू में कुल निवेश ₹6901.79 करोड़ था जिसमें 43.08 प्रतिशत अंश पूँजी और 56.92 प्रतिशत दीर्घकालिक ऋण शामिल थे। वर्ष 2022-23 के अंत में छत्तीसगढ़ सरकार के पूँजी और दीर्घकालिक ऋण क्रमशः ₹2,934.86 करोड़ (कुल पूँजी का 98.71 प्रतिशत) और ₹64.10 करोड़ (कुल दीर्घकालिक ऋण का 1.63 प्रतिशत) थे। 31 मार्च 2023 तक इन पीएसयू में दीर्घकालिक ऋण में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ₹195.07 करोड़ और अन्य स्रोतों से जुटाए गए ₹3,733.56 करोड़ शामिल थे।

5.10.3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूँजी का क्षरण

निवल मूल्य का आशय प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त संचय तथा आधिक्य के कुल योग में से संचित हानि एवं स्थगित राजस्व व्यय घटाने से होता है। वास्तव में यह स्वामियों के लिए उपक्रम के मूल्य की माप है। एक ऋणात्मक निवल मूल्य यह दर्शाता है कि अंशधारकों का समस्त निवेश संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय के द्वारा लुप्त हो गया है।

पूँजी (प्रदत्त पूँजी एवं डिफॉल्टेड ऋण) ₹2,972.81 करोड़ के विरुद्ध, हानि वहन करने वाले सात पीएसयू द्वारा प्रतिवेदित कुल शुद्ध संचित हानि ₹10,034.72 करोड़ थी, परिणामतः 31 मार्च 2023 की स्थिति में इन सात पीएसयू का निवल मूल्य क्षरित होकर -₹7,061.91¹³ करोड़ हो गया। एक पीएसयू छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल), जिसने वर्ष 2022-23 के दौरान ₹1,132.72 करोड़ की हानि वहन की, ने 31 मार्च 2023 की स्थिति में ₹10,057.33 करोड़ की संचित हानि प्रतिवेदित की।

¹³ प्रदत्त पूँजी + डिफॉल्टेड ऋण ₹2,972.81 करोड़ - संचित हानि ₹10,034.72 करोड़ = -₹7061.91 करोड़

तालिका 5.15: पीएसयू का विवरण जिनका निवल मूल्य उनके नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार क्षरित हो गया है

(₹ करोड़ में)

क. सं.	राज्य पीएसयू का नाम	अंतिमीकृत लेखों का नवीनतम वर्ष	कुल प्रदत्त पूँजी	ब्याज, कर और लाभांश के बाद शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)	संचित हानि	निवल मूल्य	अवधि जबसे निवल मूल्य नकारात्मक बना हुआ है	31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार की पूँजी	31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार की ऋण
1	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2021-22	4.43	20.64	184.71	(-)179.33	2000-01	4.43	0.00
2	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2022-23	2886.54	(-)1132.72	10057.33	(-)7149.62	2009-10	2886.54	64.10
3	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	0.10	(-)0.39	1.18	(-)1.08	2017-18	0.10	0.00
4	छत्तीसगढ़ ग्रामीण गृहनिर्माण निगम लिमिटेड	2019-20	0.10	(-)6.71	6.72	(-)6.62	2019-20	0.10	0.00
5	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2018-19	1.60	(-)3.94	12.13	(-)9.88	2003-04	1.60	0.00

28 पीएसयू में से उपरोक्त पाँच पीएसयू के निवल मूल्य का संचित हानियों द्वारा पूर्णतया क्षरण हो गया था एवं उनका निवल मूल्य ऋणात्मक था। इन पाँच पीएसयू का निवल मूल्य चार साल से लेकर तेईस साल तक की अवधि के लिए नकारात्मक रहा है। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त पाँच कंपनियों में से चार¹⁴ ने नियत तारीख यानी 30 सितंबर 2023 के भीतर वार्षिक लेखें जमा नहीं किए हैं। इन पाँच पीएसयू की प्राप्ति का मुख्य स्रोत परिचालन आय, राजस्व अनुदान¹⁵, ब्याज आय और अन्य विविध प्राप्तियाँ थीं। इन पाँच पीएसयू में से, दो पीएसयू अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) और छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (सीएससीएससीएल) के निवल मूल्य में महत्वपूर्ण गिरावट हुई। सीएसपीडीसीएल एक विनियमित वातावरण में काम करता है अर्थात् यह मुक्त बाजार तंत्र के अनुसार अपने उपभोक्ताओं पर लागत नहीं डाल सकता है एवं टैरिफ प्रशासित होता है। राजस्व और व्यय दोनों को बनाने वाले मुख्य मापदंडों के विश्लेषण से पता चला कि 2019-20 और 2022-23 (2019-20 को आधार वर्ष लेते हुए) के बीच परिचालन से राजस्व¹⁶ की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर¹⁷ (सीएजीआर) 9.00 प्रतिशत थी। इसके मुकाबले बिजली खरीद की लागत¹⁸ का सीएजीआर 8.63 प्रतिशत था। संचालन से राजस्व में वृद्धि आम तौर पर बिजली की बढ़ी हुई लागत से शून्य हो जाती है, जिससे अन्य खर्चों (जैसे कर्मचारी लाभ व्यय (ईबीई), वित्त लागत, बड़े मौद्रिक आधार वाले मूल्यह्रास) जिसका सीएजीआर, ईबीई को छोड़कर स्वयं दहाई अंक में था, को समायोजित करने के लिए बहुत कम अंतर रह जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि परिचालन से राजस्व द्वारा उपलब्ध कम मार्जिन इन बढ़ते खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं था। सीएससीएससीएल में 2002-03 से 2011-12 की अवधि की संचित हानि थी, लेकिन 2020-21 को छोड़कर 2012-13 से लाभ कमा रही है। शेष तीन पीएसयू में निवल मूल्य में गिरावट मामूली थी क्योंकि इन कंपनियों का राजस्व प्रवाह अनुदान आधारित था और बजटीय आवंटन या अनुदान के प्रतिशत के आधार पर, वार्षिक खर्चों में कटौती के बाद अधिशेष या घाटा होता था।

¹⁴ तालिका 5.14 के क्र.सं. 1, 3, 4 और 5

¹⁵ रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को ₹20 करोड़ रुपये का राजस्व अनुदान प्राप्त हुआ

¹⁶ 2019-20 में ₹15,319 करोड़ और 2022-23 में ₹19,837.18 करोड़

¹⁷ सीएजीआर = (अंतिम मूल्य/आरंभिक मूल्य) ^{1/t} -1, जहां t वर्ष में समय अवधि है

¹⁸ 2019-20 में ₹14,019.80 करोड़ और 2022-23 में ₹17,973.37 करोड़

5.11 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका

5.11.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा

सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में परिभाषित) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम की धारा 139 (5) या (7) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को कम्पनी की अन्य सूचनाओं के साथ उसके वित्तीय विवरणों सहित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति प्रस्तुत करता है। ये वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त करने की तिथि से 60 दिनों के भीतर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के अधीन हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम के संबंध में, लेखापरीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संचालित की जाती है एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा संचालित की जाती है।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 7 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक यदि आवश्यक समझे तो धारा 139 की उपधारा (5) या उपधारा (7) के अंतर्गत आने वाली किसी भी कम्पनी के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा संचालित करवा सकते हैं तथा ऐसी नमूना लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (ए) के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा आंशिक रूप से केंद्र सरकार तथा आंशिक रूप से एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित अथवा उनके स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी या अन्य किसी कम्पनी की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधीन है।

5.11.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और (7) के अंतर्गत सरकारी कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में प्रावधान है कि सरकारी कम्पनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 180 दिनों की अवधि के भीतर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाना है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (7) में प्रावधान है कि सरकारी कम्पनी के मामले में प्रथम लेखापरीक्षक को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी के पंजीयन की तिथि से 60 दिन के भीतर नियुक्त किया जाना है तथा यदि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक उक्त अवधि के भीतर ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में कम्पनी के निदेशक मंडल या कम्पनी के सदस्यों को ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति करनी होगी।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए सभी पीएसयू (छत्तीसगढ़ राज्य राज्य इनफॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर निगम लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम को छोड़कर) के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सितम्बर 2023 तक की गई थी।

5.12 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

5.12.1 समय पर प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी के क्रियाकलापों एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन, इसकी वार्षिक सामान्य सभा (एजीएम) के तीन महीने के अन्दर तैयार किया जाता है एवं इस तरह की तैयारी के बाद जितना शीघ्र हो सके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति एवं सीएजी द्वारा बनायी गयी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पूरक या किसी भी टिप्पणियों के साथ सदन या राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में भी लगभग समान प्रावधान है। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि से कम्पनियों और निगमों में निवेश किये गए सार्वजनिक कोष के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

5.12.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखें तैयार करने की समयबद्धता

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक कैलेडर वर्ष में एक बार अंशधारकों की वार्षिक सामान्य सभा आयोजित करने की आवश्यकता होती है। यह भी कहा गया है कि एक वार्षिक सामान्य सभा की तिथि से अगली वार्षिक सामान्य सभा की तिथि के बीच 15 महीने से अधिक समय व्यतीत नहीं होना चाहिए। धारा में आगे प्रावधान है कि वार्षिक सामान्य सभा के प्रथम बार होने के मामले में उसे कम्पनी के पहले वित्तीय वर्ष के अंत की तिथि से नौ माह की अवधि के भीतर तथा किसी अन्य दशा में वित्तीय वर्ष की अंत की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर आयोजित किया जाएगा। तदनुसार, कम्पनियों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 30 सितम्बर 2023 तक वार्षिक सामान्य सभा आयोजित करने की आवश्यकता थी।

इसके अतिरिक्त कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 अनुबंधित करती है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को उक्त वार्षिक सामान्य सभा में उनके विचार के लिए रखा जाना चाहिए। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(7) में यह भी प्रावधान है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों की गैर अनुपालना हेतु जिम्मेदार व्यक्तियों जिसमें कम्पनी के निदेशक भी शामिल हैं, पर दंड एवं कारावास जैसी शास्ति लगाई जाए।

31 मार्च 2023 की स्थिति में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में 27 सरकारी कम्पनियाँ एवं एक सांविधिक निगम थे। इनमें से केवल तीन सरकारी कम्पनियों द्वारा उनके लेखें (2022-23), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा हेतु 30 सितंबर 2023 तक या उसके पूर्व प्रस्तुत किए गए। 25 पीएसयू द्वारा कुल 47 लेखें निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत नहीं किए थे जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 एवं सांविधिक निगमों को नियंत्रित करने वाले विधि का उल्लंघन है।

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगम के बकाया लेखों का विवरण तालिका 5.16 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.16: बकाया लेखों का विवरण

विवरण	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम		
	सरकारी कम्पनियाँ पीएसयू की संख्या	सांविधिक निगम	कुल पीएसयू की संख्या
31.03.2023 तक सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में पीएसयू की कुल संख्या	27	01	28
30 सितंबर 2023 तक सीएजी लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2022-23 के लेखें जमा करने वाले पीएसयू की संख्या	03	—	03

बकाया लेखों की संख्या	46(24)	01(01)	47(25)	
बकाया सीमावधि	06 वर्षों तक	01 वर्ष	—	
बकाया विवरण	(i) परिसमापन के अंतर्गत	—	—	
	(ii) निष्क्रिय	4(01)	4(01)	
	(iii) प्रथम लेखा प्रस्तुत नहीं	6(01)	6(01)	
	(iv) अन्य	36(22)	01(01)	37(23)
'अन्य' श्रेणी के बकाया का आयु-वार विश्लेषण	एक वर्ष (2022-23)	14(14)	01(01)	15(15)
	दो वर्ष (2021-22 और 2022-23)	06(03)	—	06(03)
	तीन वर्ष और अधिक	16(05)	—	16(05)

स्रोत: पीएसयू के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

5.13 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निगरानी-लेखों की लेखापरीक्षा एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा

5.13.1 वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा

कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में एवं लेखा मानकों पर राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखा मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करना अपेक्षित है। सूचीबद्ध कम्पनियों एवं ₹250 करोड़ से अधिक निवल मूल्य वाली कम्पनियों द्वारा भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त कम्पनियों की मूल, सहायक, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम को भी भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है। उपरोक्त द्वारा शामिल नहीं की गई कम्पनियाँ लेखा मानकों को लागू करना जारी रखेगी। 27 सरकारी कम्पनियों में से, 11 कम्पनियाँ भारतीय लेखा मानकों का पालन करती हैं जबकि शेष लेखा मानकों के अनुसार अपने लेखे तैयार करती हैं।

सांविधिक निगमों से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर बताए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित अन्य किसी विशिष्ट प्रावधान में उनके लेखे तैयार करना अपेक्षित है।

5.13.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 अथवा अन्य संबंधित अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने का मुख्य दायित्व ईकाई के प्रबंधन का है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मानक लेखापरीक्षा प्रथाओं तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। सांविधिक लेखापरीक्षकों से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सूचित किया गया कि पाँच पीएसयू¹⁹ द्वारा अनिवार्य लेखा मानकों (एएस)/भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी एएस) का अनुपालन नहीं किया गया।

चयनित सरकारी कम्पनियों के प्रमाणित लेखों के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की समीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अनुपूरक लेखापरीक्षा द्वारा करते हैं। इस प्रकार की समीक्षा के

¹⁹ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम।

आधार पर यदि कोई उल्लेखनीय लेखापरीक्षा टिप्पणी हो तो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत उन्हें वार्षिक सामान्य सभा में प्रस्तुत किये जाने के लिए प्रतिवेदित किया जाता है।

5.14 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका के परिणाम

5.14.1 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की लेखापरीक्षा

समीक्षाधीन अवधि (अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023) के दौरान लेखापरीक्षा हेतु 21 वित्तीय विवरण प्राप्त हुए जिनमें से 18 विगत वर्षों से संबंधित थे। वित्तीय विवरणों की प्राप्ति, की गई समीक्षा तथा जारी टिप्पणियों की स्थिति तालिका 5.17 में दी गई है।

तालिका 5.17: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की स्थिति

वित्तीय विवरणों का विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23			विगत वर्ष		
	सरकारी कम्पनी	सांविधिक निगम	कुल	सरकारी कम्पनी	सांविधिक निगम	कुल
प्राप्त	3	..	3	17	1	18
समीक्षा नहीं की गई	1	..	1	1	..	1
समीक्षा की गई	13	1	14
लेखापरीक्षा प्रगति पर*	2	..	2	3	..	3
शून्य टिप्पणियाँ जारी
टिप्पणियाँ जारी	13	1	14

*30 सितम्बर 2023 की स्थिति में

समीक्षाधीन अवधि में 14 पीएसयू के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ जारी की गईं।

5.14.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की पूरक के रूप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के बाद, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने पीएसयू के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की। सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों पर जारी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे सूचीबद्ध हैं:

लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

क्र. स.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (2021-22)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में, कंपनी के कार्यालय की सजावट के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (एनआरएएनवीपी) द्वारा निष्पादित पूंजीगत चालू कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के लिए ₹431.92 लाख की राशि शामिल नहीं है और इसे सीडब्ल्यूआईपी के बजाय पूंजीगत अग्रिम के रूप में दिखाया गया था। इसके परिणामस्वरूप सीडब्ल्यूआईपी को ₹431.92 लाख से कम बताया गया और पूंजी अग्रिम को उसी सीमा तक अधिक बताया गया।
2	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (2021-22)	1. मूल्यहास और परिशोधन में, नवा रायपुर अटल नगर स्थित कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय भवन पर वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए मूल्यहास की राशि ₹62.60 लाख शामिल नहीं है। कंपनी ने 14 दिसंबर 2020 से नए कार्यालय भवन में काम करना शुरू कर दिया हालाँकि, इसे पूंजीकृत नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹62.60 लाख से मूल्यहास को कम और लाभ को अधिक बताया गया है। साथ ही इसके परिणामस्वरूप ₹12.44 करोड़ से पीपीई को कम और अन्य चालू परिसंपत्तियों (अन्य अग्रिमों के तहत) को अधिक बताया गया। 2. अन्य खर्चों में, अरिडोंगरी खदानों में 1000 केवीए ट्रांसफार्मर की स्थापना (₹49.60 लाख) और अरिडोंगरी खदानों में नए सेवा कनेक्शन (₹19.20 लाख) के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) को किया गया भुगतान ₹68.79 लाख शामिल नहीं है। इसके

		बजाय इस राशि को वर्ष 2021-22 के खातों में अग्रिम (अन्य चालू संपत्ति) के रूप में दिखाया गया था। इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू परिसंपत्तियों के साथ-साथ लाभ को अधिक बताया गया और व्यय को ₹68.79 लाख से कम दिखाया गया।
3	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (2021-22)	मूल्यहास और परिशोधन व्यय में, वर्ष 2018-19 से 2021-22 के लिए कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय भवन के मूल्यहास की राशि ₹1.48 करोड़ शामिल नहीं है। यह भवन 11 अप्रैल 2018 को कंपनी को सौंप दिया गया था। हालाँकि, इसे पूंजीकृत नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप ₹1.48 करोड़ से मूल्यहास को कम और लाभ को अधिक बताया गया है। साथ ही इसके परिणामस्वरूप ₹8.24 करोड़ से पीपीई को कम और अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों (नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) को अग्रिम) को अधिक बताया गया।
4	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (2021-22)	अन्य चालू देनदारियों में, सबस्टेशनों का संचालन एवं रखरखाव, सुरक्षा सेवाओं, वार्षिक रखरखाव सेवाओं आदि के लिए ₹0.59 करोड़ शामिल नहीं हैं और वित्तीय वर्ष 2021-22 से संबंधित विभिन्न पूंजीगत चालू कार्यों से संबंधित चालान/बिलों के लिए ₹35.40 करोड़ का वित्तीय विवरण में प्रावधान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू देनदारियों को ₹35.99 करोड़ की सीमा तक और पूंजीगत चालू कार्य को ₹35.40 करोड़ की सीमा तक कम करके दिखाया गया है। साथ ही इसके परिणामस्वरूप व्यय को ₹0.59 करोड़ की सीमा तक कम बताया गया और उसी सीमा तक लाभ को अधिक बताया गया।
5	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (2021-22)	अन्य खर्चों में, ₹1179.88 करोड़ की राशि शामिल नहीं है जो जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) ने कंपनी के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार जल शुल्क बिल के लिए मांग की थी। कंपनी ने उपरोक्त समझौते की भुगतान शर्तों का उल्लंघन किया और पानी के बिल का भुगतान नहीं किया, बल्कि इसे अपने लेखों की पुस्तकों में आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया। चूंकि डब्ल्यूआरडी ने कंपनी के साथ निष्पादित समझौते की शर्तों के अनुसार जल शुल्क का लगातार बिल और दावा किया था, इसके लिए एक उपयुक्त प्रावधान किया जाना चाहिए था। उपरोक्त का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप अन्य खर्चों के साथ-साथ चालू देनदारी को ₹1179.88 करोड़ से कम बताया गया और उसी राशि से लाभ को अधिक बताया गया।

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

क्र. स.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (2021-22)	अन्य चालू देनदारियों में, खनिज विकास निधि से ऋण की पहली किस्त की राशि ₹8.86 करोड़, जो कि 2020-21 के ऋण के विरुद्ध ब्याज का भुगतान न करने के कारण दंडात्मक ब्याज ₹62 लाख के साथ, वर्ष 2021-22 के दौरान देय थी, शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों को ₹8.86 करोड़ और साथ ही अन्य खर्चों को ₹62 लाख से कम दिखाया गया है एवं उधार को ₹8.86 करोड़ और लाभ को ₹62 लाख से अधिक बताया गया है।
2	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड (2021-22)	अन्य चालू देनदारियों में, वित्तीय वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनियों में विभिन्न पदों पर भर्ती के कार्य के लिए ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड को देय ₹118.00 लाख का व्यय शामिल नहीं है और बिल उसी वर्ष प्राप्त हुआ था लेकिन भुगतान वित्तीय वर्ष 2022-23 में किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू देनदारियों और अन्य चालू परिसंपत्तियों (इसकी सहायक कंपनियों से प्राप्त) को ₹118.00 लाख तक कम बताया गया है।
3	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड (2020-21)	डीएमई (उपकरण खरीद) के ब्याज में, ₹10.00 करोड़ की सावधि जमा जो मेसर्स विप्रो जीई हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड को सीटी स्कैन मशीन की खरीद के लिए क्रेडिट पत्र के रूप में प्रस्तुत (4 फरवरी 2019 और 16 जून 2020) किया गया था, पर अर्जित ब्याज के ₹39.71 लाख शामिल नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप दीर्घकालिक देनदारियों (सरकार से फंड) के साथ-साथ अन्य चालू परिसंपत्तियों (एफडी पर अर्जित ब्याज) को ₹39.71 लाख से कम बताया गया है।
4	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड (2020-21)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (भवन) में, वर्ष 2020-21 के दौरान रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर में स्थित चार ड्रग वेयरहाउसों में एयर कंडीशनिंग सिस्टम की स्थापना पर व्यय किए गए ₹3.50 करोड़ शामिल हैं, जिन्हें भवन के बजाय विद्युत स्थापना और उपकरण के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹15.12 लाख तक मूल्यहास को कम और लाभ को अधिक बताया गया। इसके अलावा, ₹3.50 करोड़ तक भवन को अधिक एवं विद्युत स्थापना और उपकरण को कम बताया गया।
5	छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड (2021-22)	अन्य चालू देनदारियों में, सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इंडियन बैंक (₹400.00 करोड़) और केनरा बैंक (₹400.00 करोड़) से लिए गए ऋण के लिए दी गई गारंटी पर 0.5 प्रतिशत की दर से देय गारंटी शुल्क के ₹10.75 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं। मार्च 2022 तक, कंपनी ने न तो गारंटी शुल्क का भुगतान किया है और न ही इसके लिए कोई प्रावधान किया है। इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू देनदारियों को ₹10.75 करोड़ से कम तथा रिजर्व और अधिशेष को उसी सीमा तक अधिक बताया गया है।
6	छत्तीसगढ़ राज्य वन	छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड कैपिटल प्रोजेक्ट डिवीजन (परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी) द्वारा प्रस्तुत

विकास निगम लिमिटेड (2021-22)	उपयोगिता प्रमाण पत्र (15 मार्च 2021) के अनुसार कर्मचारियों के लिए आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण और विकास पर व्यय किए गए ₹3.00 करोड़, जिसे ₹5.00 करोड़ के अग्रिम से समायोजित नहीं किया गया था, पूंजीगत चालू कार्य में शामिल नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों (नोट:5 पूंजीगत अग्रिमों के तहत) को ₹3.00 करोड़ से अधिक बताया गया है और उसी सीमा तक पूंजीगत चालू कार्य को कम बताया गया है।
------------------------------	---

लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर टिप्पणियाँ

सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर जारी की गई कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं:

क्र. स.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (2021-22)	अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन के आइटम नंबर जी(आई) का संदर्भ आमंत्रित है जिसमें यह कहा गया था कि कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में, लंबित मुकदमों के अपनी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव का प्रकटीकरण किया है। हालाँकि, कंपनी ने मेसर्स कविता जैन, कोरबा, मेसर्स महावीर जैन, कोरबा और पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली से संबंधित लंबित मामलों के प्रभाव का प्रकट नहीं किया है। अतः अपने प्रतिवेदन में स्वतंत्र लेखा परीक्षक की योग्यता उस सीमा तक अपूर्ण है। स्वतंत्र लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के अनुलग्नक 'बी' के आइटम नंबर (vi)बी का संदर्भ आमंत्रित है जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि ईपीएफ अपीलकर्ता न्यायाधिकरण ने कंपनी के खिलाफ निर्णय दिया था और मामला उच्च फोरम में अपील के लिए लंबित है। हालाँकि, इसी मामले के लिए कंपनी द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में पहले ही (अप्रैल 2021) अपील दायर की जा चुकी है। इसलिए, स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन की योग्यता उस सीमा तक कम है।
2	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (2021-22)	स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के महत्व पैराग्राफ के क्रम संख्या (आई) पर रखे गए वैधानिक लेखापरीक्षक की योग्यता का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है जिसमें यह कहा गया है कि भूमि की अधिग्रहण लागत पर ब्याज के लिए एक संयुक्त उद्यम भागीदार मेसर्स लुमेन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को देय ₹66.37 करोड़ का प्रावधान वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया था। हालाँकि, जेवी पार्टनर को देय ब्याज की वास्तविक राशि ₹72.69 करोड़ थी। स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन उस सीमा तक तथ्यात्मक रूप से गलत है।
3	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड (2021-22)	स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन के आइटम नंबर (बी)आई का संदर्भ आमंत्रित है जिसमें यह बताया गया है कि कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमा नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा। हालाँकि, 31 मार्च 2022 तक कंपनी के पास 17 मुकदमे लंबित थे। अतः लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन उस सीमा तक अपर्याप्त है।
4	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड (2020-21)	लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन में, वित्तीय रिपोर्टिंग (अनुलग्नक-1) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रतिवेदन के आइटम नं. 1 में बताया गया है कि "कंपनी ने प्रावधानों ₹18,10,289, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि वास्तविक राशि ₹21,11,319 थी, का व्यय न करके कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है। लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन में यह नहीं बताया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के उल्लंघन में कंपनी, खर्च न की गई राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित करने में विफल रही है। इसलिए, अनुबंध- I स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन उस सीमा तक अपूर्ण है।
5	छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड (2021-22)	लेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत आवश्यक सभी उप-निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है। इसलिए, लेखापरीक्षक प्रतिवेदन उस सीमा तक अपूर्ण है।
6	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (2021-22)	पिछले वर्ष (2020-21) के लिए वार्षिक आम बैठक आयोजित नहीं की गई थी और शेयरधारकों द्वारा पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों को अपनाने से पहले वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरणों को कंपनी के बीओडी द्वारा अनुमोदित (22.09.2022) किया गया था। हालाँकि, इस तथ्य को सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप नियुक्ति के नियमों और शर्तों का अनुपालन नहीं हुआ।

5.15 लेखामानकों/भारतीय लेखा मानकों के प्रावधानों का अनुपालन न करना

अधिनियम, 2013 की धारा 469 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 129(1), धारा 132 और धारा 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने लेखांकन मानकों को निर्धारित किया। इनके

अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2016 के माध्यम से 42 भारतीय लेखा मानकों को अधिसूचित किया। तीन भारतीय लेखा मानक अर्थात् भारतीय लेखा मानक 11, 17 और 18 को भारतीय लेखा मानक 115 और 116 की अधिसूचना के बाद वापस ले लिया गया है।

अक्टूबर 2022 और सितंबर 2023 के मध्य किए गए अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने पाया कि निम्नलिखित कम्पनियों ने भी लेखा मानकों/भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन नहीं किया था, जो उनके सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित नहीं किए गए थे।

लेखा मानक/ भारतीय लेखा मानक	कम्पनी का नाम	विचलन
आईएनडी एस 16- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (2021-22)	आईएनडी एस - 16 (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण) के पैरा 73 के अनुसार वित्तीय विवरणों में अपवाद को छोड़कर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के प्रत्येक वर्ग के लिए उपयोग किए जाने वाले उपयोगी जीवन या मूल्यहास दरें बताना आवश्यक है। हालाँकि, कंपनी ने वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त उपयोगी जीवन या मूल्यहास दरों को प्रकट नहीं किया है। इस प्रकार, वित्तीय विवरण के नोट्स उस सीमा तक अपर्याप्त हैं।
आईएनडी एस 1 - वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (2021-22)	ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार (जीओसीजी) ने अपने आदेश दिनांक 24 मई 2022 द्वारा सीएसपीजीसीएल (₹1000 करोड़) और सीएसपीटीसीएल (₹500 करोड़) को देय सीएसपीडीसीएल के बकाया का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार, राशि/किस्त छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सीएसपीडीसीएल को प्रेषित की जानी थी और बाद में सीएसपीजीसीएल और/अथवा सीएसपीटीसीएल को हस्तांतरित की जानी थी। जीओसीजी के आदेश के अनुसरण में, कंपनी ने जीओसीजी से प्राप्त होने वाली राशि को सीएसपीजीसीएल और सीएसपीटीसीएल को देय राशि से जोड़ दिया है, जो आईएनडी एस-1 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। इसके अलावा, इस तथ्य को वित्तीय विवरणों में नोट्स के माध्यम से प्रकट करना किया जाना चाहिए था।
एस 18- संबंधित पक्ष प्रकटीकरण	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड (2019-20 एवं 2020-21)	कंपनी ने प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के संबंध में संबंधित पक्ष लेनदेन का खुलासा नहीं किया, जैसे प्रबंध निदेशक को भुगतान किया गया वेतन ₹5.24 लाख (2019-2020), ₹31.46 लाख (2020-2021) जैसा कि एस 18 (संबंधित पार्टी प्रकटीकरण) के पैरा 20 के अनुसार आवश्यक है। अतः नोट क्रमांक 20 की प्रस्तुति उस सीमा तक अपूर्ण है।
एस 29 - प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक संपत्ति	छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड (2021-22)	31 मार्च 2022 तक, निगम के पास 13 मुकदमों के मामले हैं जो अदालत के समक्ष लंबित हैं, जिनमें से 9 मामलों में वित्तीय निहितार्थ शामिल है। हालाँकि, कंपनी ने एस 29 के अनुसार अपने वित्तीय विवरण में किसी भी मामले का प्रकटीकरण नहीं किया है। इसलिए, वित्तीय विवरण उस सीमा तक अपूर्ण है।
एस 3- नकदी प्रवाह विवरण	छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड (2021-22)	लेखांकन मानक 3 (नकदी प्रवाह विवरण) की आवश्यकता के अनुसार कंपनी ने नकदी प्रवाह विवरण की विधि (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) का खुलासा नहीं किया है। इसलिए, वित्तीय विवरण उस सीमा तक अपर्याप्त है।

5.16 प्रबंधन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक लेखापरीक्षक और कॉर्पोरेट इकाई के शासन के लिए उतरदायी लोगों के मध्य वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले लेखापरीक्षा मामलों पर संचार स्थापित करना है।

पीएसयू के वित्तीय विवरणों पर प्रमुख टिप्पणियों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणियों के रूप में प्रतिवेदित किया गया था। इन टिप्पणियों के अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन या प्रतिवेदन प्रक्रिया में पायी गई अनियमितताओं या कमियों को सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रबंधन को 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से भी सूचित किया गया था।

अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 की अवधि के दौरान 11²⁰ सार्वजनिक उपक्रमों को प्रबंधन पत्र जारी किए गए। आम तौर पर संबंधित कमियां निम्न थीं :

- लेखापरीक्षा से उत्पन्न समायोजन जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं;
- प्रबंधन की ओर से आंतरिक नियंत्रण की कमी; तथा
- लेखांकन नीतियों और प्रथाओं का अनुप्रयोग और व्याख्या।

5.17 निष्कर्ष

31 मार्च 2023 तक, एक सांविधिक निगम सहित 28 सार्वजनिक उपक्रम थे। 28 में से दो निष्क्रिय सार्वजनिक उपक्रम हैं। 26 कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों में से केवल 20 पीएसयू (19 कम्पनियाँ और एक सांविधिक निगम), जिनके लेखे 30 सितंबर 2023 को दो या उससे कम वर्षों के लिए बकाया थे, वित्तीय प्रदर्शन के विस्तृत विश्लेषण के लिए विचार किया गया है।

2022-23 के दौरान, इन 20 सार्वजनिक उपक्रमों ने ₹42,172.73 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया, जो छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी के 9.22 प्रतिशत के बराबर था। अकेले ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का योगदान 2022-23 के दौरान पीएसयू के कुल टर्नओवर का 66.51 प्रतिशत है।

31 मार्च 2023 के अंत में राज्य सरकार का 28 पीएसयू में पूँजी और दीर्घकालिक ऋण में निवेश ₹7,579.09 करोड़ था। इन सार्वजनिक उपक्रमों के बकाया दीर्घकालिक ऋण वर्षों 2020-21 से 2022-23 के दौरान के ₹13,865.19 करोड़ से बढ़कर ₹13,877.90 करोड़ हो गये।

20 पीएसयू (इस प्रतिवेदन में शामिल) में से 10 पीएसयू द्वारा 2022-23 में अर्जित लाभ ₹879.22 करोड़ रुपये था, जबकि 2020-21 में नौ पीएसयू ने ₹540.16 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (₹570.38 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (₹109.89 करोड़) और छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम (₹71.20 करोड़) ने लाभ में मुख्य योगदान दिया था। सात पीएसयू को हुई कुल ₹1,143.10 करोड़ की हानि में से मुख्य हानि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹1,132.72 करोड़) की थी।

28 पीएसयू में से, 25 पीएसयू (24 सरकारी कम्पनियाँ, एक सांविधिक निगम) के लेखे वर्ष 2022-23 के


²⁰ छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड (एसए 2021-22), छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड, उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड (एसए एवं सीएफएस 2019-20 और 2020-21) और छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

लिए विभिन्न कारणों से बकाया थे। पीएसयू, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं कर रहे थे। परिणामस्वरूप, 25 पीएसयू के 47 लेखे बकाया थे।

5.18 अनुशांसाएं


- i. छत्तीसगढ़ सरकार हानि में चल रहे सभी पीएसयू के कार्यकलापों की समीक्षा कर सकती है और उनके वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है।
- ii. छत्तीसगढ़ सरकार प्रशासनिक विभागों को अलग-अलग पीएसयू के लिए समय पर लेखे प्रस्तुत करने और बकाया का निस्तारण की सख्ती से निगरानी करने और लेखों का यथाशीघ्र अंतिमीकरण करते हुए बकाया को समाप्त करने हेतु कदम उठाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है।
- iii. सरकार निष्क्रिय सरकारी कम्पनियों की समीक्षा कर सकती है और उनके पुनरुद्धार/समापन पर उचित निर्णय ले सकती है।
- iv. लाभ कमाने वाले दस सार्वजनिक उपक्रमों में से, उनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार केवल एक पीएसयू ने लाभांश घोषित किया है। राज्य सरकार पीएसयू के लिए लाभांश नीति बना सकती है।
- v. राज्य सरकार उन पीएसयू में घाटे के कारणों का विश्लेषण कर सकती है जिनका निवल मूल्य क्षरित हो गया है और उनके संचालन को कुशल और लाभदायक बनाने के लिए कदम उठा सकती है।

रायपुर
दिनांक: 17 अप्रैल 2024


(यशवंत कुमार)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 26 अप्रैल 2024


(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
(संदर्भ: कडिका 1.1)
राज्य की रूपरेखा
अ-सामान्य आंकड़े

क्र. स.	विवरण	आंकड़े (छत्तीसगढ़)	
1	क्षेत्रफल (वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार)	1,35,192 वर्ग कि.मी.	
2	जनसंख्या (राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा जनसंख्या अनुमान 2011-2036 के अनुसार)	3.02 करोड़	
3	जनसंख्या का घनत्व (अखिल भारतीय घनत्व = 422 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)	223 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.	
4	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत = 21.92 प्रतिशत)	39.93 प्रतिशत	
5	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.00 प्रतिशत)	70.30 प्रतिशत	
6	शिशु मृत्यु दर (एसआरएस बुलेटिन 2020 के अनुसार) (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय औसत = 28 प्रति 1000 जीवित जन्म)	38 प्रति 1000 जीवित बच्चे	
7	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्ष 2016-2020 में अखिल भारतीय औसत = 70.00)	65.10	
8	जनसंख्या वृद्धि (2013-2023)	संपूर्ण भारत	11.68
		छत्तीसगढ़	14.51
9	वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2022-23	₹4,57,608 करोड़	

(नोट: सामान्य डेटा आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए एस.एफ.ए.आर. संकलन पर आधारित है)

ब-वित्तीय आंकड़े

विवरण		वर्ष 2013-14 से 2021-22		वर्ष 2021-22 से 2022-23	
		सामान्य श्रेणी राज्य	छत्तीसगढ़	सामान्य श्रेणी राज्य	छत्तीसगढ़
सी.ए.जी.आर		(प्रतिशत में)			
क	राजस्व प्राप्तियों का	11.02	12.05	13.41	17.86
ख	कर राजस्व का	10.50	12.16	15.18	17.66
ग	करेत्तर राजस्व का	8.15	13.30	12.94	10.09
घ	कुल व्यय का	11.32	10.45	12.53	14.97
ङ	पूँजीगत व्यय का	11.08	10.95	14.18	26.81
च	शिक्षा, खेलकूद कला एवं संस्कृति पर राजस्व व्यय का	9.21	10.86	13.52	13.48
छ	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर राजस्व व्यय का	15.83	20.20	0.88	(-)5.29
ज	मजदूरी एवं वेतन का	9.63	12.72	8.52	9.56
झ	पेंशन का	12.28	13.30	11.38	2.53

(नोट: वित्तीय आंकड़े राज्य शासन के वित्त लेखें पर आधारित है और सामान्य श्रेणी के राज्यों का वित्तीय डेटा आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रदान किए गए एस.एफ.ए.आर. संकलन से प्राप्त किया गया है।)

परिशिष्ट 2.1
(संदर्भ: कंडिका 2.4.1)
राज्य शासन के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
भाग क-प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	65,095(82)	63,869(76)	63,176(74)	79,652(84)	93,877(90)
(i) स्वयं के कर राजस्व	21,427(33)	22,118(35)	22,889(36)	27,083(34)	33,122(35)
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	4,088(19)	3,931(18)	4,236(19)	5,341(20)	6,450(19)
राज्य उत्पाद शुल्क	4,489(21)	4,952(22)	4,636(20)	5,107(19)	6,783(21)
वाहन कर	1,205(06)	1,275(06)	1,148(05)	1,373(05)	1,757(05)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	1,108(05)	1,635(07)	1,585(07)	1,945(07)	2,229(07)
भू-राजस्व	488(02)	552(02)	938(02)	950(04)	869(03)
माल एवं यान्त्री कर	54(0)	41(0)	80(0)	48(0)	60(0)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	8,203(38)	7,895(36)	7,925(35)	9,483(35)	11,298(34)
अन्य कर	1,792(08)	1,838(09)	2,341(10)	2,836(10)	3,677(11)
(ii) करेत्तर राजस्व	7,703(12)	7,934(12)	7,137(11)	13,851(17)	15,248(16)
(iii) केन्द्रीय कर एवं शुल्क में राज्यांश	23,459(36)	20,206(32)	20,338(32)	28,571(36)	32,358(35)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	12,506(19)	13,611(21)	12,812(20)	10,146(13)	13,148(14)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	05	04	05	05	06
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	162	257	105	88	118
3 (अ) अन्तर्राज्यीय परिशोधन	02	00	00	00	00
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	65,262	64,130	63,286	79,745	94,001
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	14,370(18)	19,588(23)	21,581(25)	15,098(16)	10,639(10)
आंतरिक ऋण ¹ (अर्थात्पाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	13,817	19,308	17,961	9,322	6,939
भारत सरकार से लिया गया ऋण एवं अग्रिम	553	279	3,620	5,776	3,700
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	79,634	83,718	84,867	94,843	1,04,640
7. आकस्मिकता निधि की प्राप्तियाँ	00	05	00	00	00
8. लोक लेखे प्राप्तियाँ	76,903	89,910	81,446	87,016	98,368
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	1,56,537	1,73,633	1,66,313	1,81,859	2,03,008
भाग ख: व्यय/भुगतान					
10. राजस्व व्यय	64,411(88)	73,477(89)	70,033(89)	75,010(88)	85,285(86)
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित)	15,280(24)	19,095(26)	19,586(28)	21,375(28)	22,825(27)
समाजिक सेवायें	23,455(37)	26,653(36)	25,066(35)	27,964(37)	31,818(37)
आर्थिक सेवायें	24,781(39)	26,609(36)	24,255(35)	24,558(33)	29,499(35)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	895(01)	1,120(2)	1,125(02)	1,113(01)	1,143(01)

¹ विशेष आहरण सुविधा के सहित

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
11. पूँजीगत व्यय	8,903(12)	8,566(10)	9,024(11)	10,504(12)	13,320(14)
सामान्य सेवायें	255(03)	194(02)	509(06)	352(03)	754(06)
समाजिक सेवायें	1,774(20)	1,912(22)	2,935(33)	3,234(31)	4,989(37)
आर्थिक सेवायें	6,874(77)	6,460(76)	5,581(62)	6,919(66)	7,577(57)
12. ऋण एवं अग्रिम का वितरण	240	56	51	324	86
12 (अ) अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.25	0.05	0.01	(-)0.25	(-)0.10
13. योग (10+11+12+12(अ))	73,554	82,100	79,108	85,838	98,691
14. लोक ऋण का पुर्नभुगतान	1,146	8,696	8,020	8,845	9,600
आंतरिक ऋण	953(83)	8,480(98)	7,805(97)	8,626(98)	9,370(98)
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	193(17)	216(02)	215(03)	220(02)	230(02)
15. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	00	00	00	00	00
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	74,700	99,419	87,128	94,683	1,08,292
17. आकस्मिकता निधि से भुगतान	05	00	00	00	00
18. लोक लेखे से भुगतान	76,357	83,719	81,120	86,716	96,599
19. राज्य द्वारा कुल किया गया संवितरण (16+17+18)	1,51,062	1,74,515	1,68,248	1,81,399	2,04,891
भाग ग: घाटे					
20. राजस्व कमी (-)/आधिक्य (+) (1-10)	(+)684	(-)9,609	(-)6,857	(+)4,642	(+)8,592
21. वित्तीय कमी (-)/आधिक्य (+) (4-13)	(-)8,292	(-)17,970	(-)15,822	(-)6,093	(-)4,691
22. प्राथमिक कमी (-)/प्राथमिक आधिक्य (+) (21+23)	(-)4,640	(-)12,999	(-)10,189	(+)51	(+)1,691
भाग घ: अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान	3,652	4,971	5,633	6,144	6,382
24. अर्थोपाय अग्रिम/ओव्हर ड्राफ्ट का उपयोग (दिवस)	00	00	00	00	00
अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग (दिवस)	00	00	00	00	00
ओव्हर ड्राफ्ट का उपयोग (दिवस)	00	00	00	00	00
25. अर्थोपाय अग्रिम/ओव्हर ड्राफ्ट पर ब्याज	00	00	00	00	00
26. सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3,27,107	3,44,648	3,47,752	4,06,416	4,57,608
27. वर्षान्त पर देयतायें	66,750	78,712	92,666²	99,173³	1,01,696⁴
28. वर्षान्त पर लंबित प्रतिभूतियां (गारंटियां)	10,769	18,459	19,836	19,500	20,958
29. वर्षान्त पर अधिकतम गारंटियां राशि	19,574	27,995	26,695	29,948	30,023

² बैंक टू बैंक ऋण (₹3,109 करोड़) को छोड़कर, बकाया ऋण की राशि ₹89,557 करोड़ होगी

³ बैंक टू बैंक ऋण (₹8,074 करोड़) को छोड़कर, बकाया ऋण की राशि ₹91,099 करोड़ होगी

⁴ बैंक टू बैंक ऋण (₹8,074 करोड़) को छोड़कर, बकाया ऋण की राशि ₹93,622 करोड़ होगी

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: कडिका 3.3.1)

वर्ष 2022-23 के दौरान योजनाओं का विवरण जो 100 प्रतिशत महिला-केन्द्रित है

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट	व्यय
1	0761-कन्या शिक्षा परिसर	5.33	0.00	5.33	5.01
2	1206- ग्रामीण महिलाओं के लिए भ्रमण एवं प्रदर्शनी	1.50	0.00	1.50	1.39
3	2216-नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	46.97	0.00	46.97	32.81
4	3459-महिला खेल-कूद प्रतियोगिता	2.00	0.00	2.00	0.73
5	4663-स्पनिंग मिल हेतु अनुदान	0.17	0.00	0.17	0.17
6	4691-कन्याओं को शिक्षण प्रोत्साहन योजना	5.80	0.00	5.80	4.02
7	5534-स्वास्थ्य मितानिन योजना	1.40	0.00	1.40	1.40
8	5551-हाई-स्कूल की छात्राओं को निःशुल्क साईकिल प्रदाय	94.44	0.00	94.44	64.64
9	5563-क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान	2.58	0.00	2.58	2.20
10	5645-मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	19.00	0.00	19.00	17.01
11	6388-नर्सों का प्रशिक्षण केंद्र	20.97	0.00	20.97	13.48
12	7330-मितानिन कल्याण निधि	111.00	25.00	136.00	136.00
13	7336-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	74.16	0.00	74.16	73.23
14	7361-सबला योजना	5.79	20.00	25.79	24.28
15	7435-पोषण	38.25	0.00	38.25	36.88
16	7490-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	450.00	60.59	510.59	243.02
17	7588-मनरेगा के तहत मातृत्व भत्ता	0.50	0.00	0.50	0.00
18	7627-व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाएं	9.80	0.00	9.80	5.57
19	7747-महतारी जतन योजना	33.83	0.00	33.83	12.26
20	7875-सुचिता योजना	11.00	0.00	11.00	10.39
21	7884-प्रधानमंत्री मातृ वंदना	55.91	8.40	64.31	33.34
22	8977-असंगठित कर्मकार सफाई कल्याण मंडल	8.00	0.00	8.00	2.29
23	8989-ठेका मजदूर, घरेलु कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मंडल	15.00	0.00	15.00	14.90
24	9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण योजना	730.61	0.00	730.61	556.28
25	9131-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण	7.00	0.00	7.00	0.00
26	9369-महिला जागृति शिविर	4.85	1.00	5.85	7.14
योग		1,755.86	114.99	1,870.85	1,298.44

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: कंडिका 3.3.2)

वर्ष 2022-23 के दौरान योजनाओं का विवरण जो 100 प्रतिशत युवा केन्द्रित है

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट	व्यय
1	0436-विशेष कोचिंग क्लासेज	0.12	0.00	0.12	0.04
2	1079-खिलाड़ियों को प्रशिक्षण	1.26	0.00	1.26	0.70
3	1190-ग्रामीण खेल-कूद प्रतियोगिता	1.50	0.00	1.50	2.45
4	1853-ड्राईंग सामग्री का प्रदाय	1.25	0.00	1.25	0.59
5	2216-नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	46.97	0.00	46.97	32.81
6	3459-महिला खेल-कूद प्रतियोगिता	2.00	0.00	2.00	0.73
7	4699-अनुसूचित जाति के छात्रों को पुस्तकों आदि की आपूर्ति	1.10	0.00	1.10	1.04
8	5223-खिलाड़ियों को प्रोत्साहन	3.00	0.00	3.00	1.71
9	5260-नस्ल सुधार के लिए बैल का वितरण	0.75	0.00	0.75	0.75
10	5428-राज्यस्तरीय खेल पुरस्कार	1.00	0.00	1.00	1.00
11	5429-युवा कल्याण गतिविधि	2.00	0.00	2.00	1.72
12	5645-मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	19.00	0.00	19.00	17.01
13	5671-बी.पी.एल. बुक बैंक योजना	0.50	0.00	0.50	0.50
14	5672-बी.पी.एल. छात्रवृत्ति योजना	6.15	0.00	6.15	6.11
15	6047-स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण हेतु अनुदान	0.14	0.00	0.14	0.14
16	6386-मेडिकल डेंटल फिजियोथेरेपी कॉलेज	740.33	317.24	1,057.57	929.91
17	6388- नर्सों का प्रशिक्षण केंद्र	20.97	0.00	20.97	13.48
18	6407- राज्य युवा महोत्सव	5.00	3.00	8.00	5.80
19	6408-राज्य युवा मितान क्लब	75.00	0.00	75.00	19.35
20	6409-मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना	1.00	0.00	1.00	0.02
21	6425-मुख्यमंत्री पॉलीटेक्निक गुणवत्ता विकास योजना	2.01	0.00	2.01	0.00
22	6435-विशेष उच्च शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री सहायता	0.01	0.00	0.01	0.00
23	6436-मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन एवं विकास योजना	0.75	0.00	0.75	0.00
24	6913-कुभकार टेराकोटा क्राफ्ट योजना	2.00	0.00	2.00	1.50
25	7296-खेल अकादमी	4.24	0.00	4.24	1.50
26	7361-सबाला योजना	5.79	20.00	25.79	24.28
27	7363-युवा कैरियर विकास योजना	11.64	0.00	11.64	7.44
28	7366-सिविल सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना	0.28	0.00	0.28	0.01
29	7430-शिल्पी हेतु डिजाईन एवं विकास शिक्षा	0.55	0.00	0.55	0.42
30	7435-असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मण्डल	38.25	0.00	38.25	36.88
31	7490- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	450.00	60.59	510.59	243.02
32	7627-व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाएं	9.80	0.00	9.80	5.57
33	7632-युवा क्षमता विकास योजना	4.60	0.00	4.60	0.03
34	7683-मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना	85.25	0.00	85.25	0.00
35	7751-स्वामी विवेकानन्द ज्ञानदीप योजना	7.19	0.00	7.19	4.94
36	7867-प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	22.14	0.00	22.14	0.00
37	7884-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	55.91	8.40	64.31	33.34
38	7914-कौशल स्वरोजगार योजना	0.75	0.00	0.75	0.00
39	8076-राज्य के बाहर औद्योगिक और तकनीकी संस्थान	0.07	0.00	0.07	0.03
40	8638-राज्य प्रायोजित सूक्ष्म सिंचाई योजना	4.00	0.00	4.00	3.62

41	8643-मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ब्याज अनुदान योजना	5.00	0.00	5.00	2.93
42	8899-पशु धन मित्र योजना	3.30	0.00	3.30	3.26
43	8918-विवेकानन्द युवा प्रोत्साहन योजना	7.00	0.00	7.00	7.00
44	8928-मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना	3.01	0.00	3.01	2.34
45	8935-लाइवलीहुड कॉलेज परियोजना	11.99	0.00	11.99	5.01
46	8977-छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार सफाई कल्याण मंडल	8.00	0.00	8.00	2.29
47	8979-एकीकृत अम्ब्रेला योजना (पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति)	125.00	85.08	210.08	124.74
48	8989-छत्तीसगढ़ ठेका मजदूर, घरेलु कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मंडल	15.00	0.00	15.00	14.90
49	9369-महिला जागृति शिविर	4.85	1.00	5.85	7.14
50	9381-बुक बैंक	0.10	0.00	0.10	0.03
51	9805-आदिवासी छात्रों को पुस्तक/स्टेशनरी का मुफ्त प्रदाय	0.90	0.00	0.90	0.84
योग		1,818.42	495.31	2,313.73	1,568.91

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: कंडिका 3.3.6)

मुख्य नीतिगत पहल/नई योजनाओं का विवरण (प्रत्येक मामले में एक करोड़ या अधिक) जहाँ संपूर्ण अनुदान का उपयोग नहीं हुआ

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट	व्यय
1	6616-जनपाट पंचायतों को सामान्य प्रयोजन के लिए अनुदान	6.13	0.00	6.13	0.00
2	6627-छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन	2.00	0.00	2.00	0.00
3	6641-वन स्टॉप सेंटर (सखी)	0.00	12.60	12.60	0.00
4	6642-बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ	0.00	3.30	3.30	0.00
5	6681-छत्तीसगढ़ राज्य जी.आई.एस.	0.00	16.90	16.90	0.00
6	6686-एकीकृत डिजिटल अनुप्रयोग योजनाएं (उदय एस.डी.जी.)	0.00	2.00	2.00	0.00
योग		8.13	34.80	42.93	0.00

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: कडिका 3.5.2)

मामलों का विवरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (₹50 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	प्रावधानों से बचत
राजस्व (दत्तमत)					
02	सामान्य प्रशासन से संबंधित अन्य व्यय	349.53	11.25	268.93	-80.60
03	पुलिस	5,430.57	2.56	4,703.43	-727.14
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	80.39	17.37	46.74	-33.65
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	291.71	3.00	245.48	-46.23
08	भू-राजस्व और जिला प्रशासन	1,269.02	137.92	1,051.51	-217.50
11	वाणिज्य और उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	254.65	13.00	186.08	-68.58
19	लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2,776.67	339.93	2,638.62	-138.05
24	लोक निर्माण-सड़कें और पुल	938.26	260.27	660.96	-277.29
27	स्कूल शिक्षा	5,598.17	2.70	5,167.71	-430.46
28	राज्य विधानमंडल	68.44	4.50	52.77	-15.67
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	447.58	9.53	399.27	-48.31
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	2,875.80	539.81	2,521.37	-354.43
36	परिवहन	92.75	9.81	65.75	-27.00
43	खेल और युवा कल्याण	68.71	13.45	44.54	-24.17
44	उच्च शिक्षा	834.76	15.00	773.40	-61.36
47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति योजना विभाग	363.78	14.00	249.29	-114.49
55	महिला एवं कल्याण विभाग	1,121.18	24.35	756.13	-365.05
56	ग्रामीण उद्योग	114.86	2.13	98.49	-16.37
66	पिछड़े वर्गों का कल्याण	235.55	151.04	50.83	-184.73
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	1,018.65	36.00	820.77	-197.88
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	1,869.47	3.00	1,764.03	-105.44
योग-राजस्व दत्तमत		26,100.50	1,610.62	22,566.09	-3,534.41
पूँजीगत (दत्तमत)					
03	पुलिस	235.21	0.50	216.95	-18.27
11	वाणिज्य और उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	91.29	25.00	46.99	-44.30
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	314.68	3.00	215.42	-99.26
24	लोक निर्माण-सड़कें और पुल	1,667.51	100.00	1,379.43	-288.08
29	न्याय और चुनाव प्रशासन	12.38	3.57	3.80	-8.58
36	परिवहन	12.34	6.03	7.23	-5.11
37	पर्यटन-व्यवसाय	74.76	9.00	72.01	-2.75
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	15.16	5.29	9.37	-5.79
67	लोक निर्माण - भवन	800.32	3.96	454.27	-346.05
71	सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी	69.40	86.68	54.40	-15.00
योग-पूँजीगत दत्तमत		3,293.04	243.02	2,2459.85	-833.19
कुल योग		29,393.54	1,853.65	25,025.94	-4,367.60

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ: कडिका 3.5.4)

उप-शीर्ष की सूची जहाँ कुल बजट प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ (₹10 करोड़ और अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट
1	CH2-2049-01-101-0-2199- न्यू मार्केट लोन	275.00	0.00	275.00
2	20-4215-01-102-701-6383- जल जीवन मिशन योजना	234.63	0.00	234.63
3	19-2210-06-200-801-6613- 15वें वित्त आयोग के तहत अनुदान	227.00	0.00	227.00
4	81-6215-01-101-101-7845- नगरीय निकायों की जल संवर्धन योजना	200.00	0.00	200.00
5	41-4215-01-102-702-6383- जल जीवन मिशन योजना	181.50	0.00	181.50
6	41-2210-06-200-802-6613-15वें वित्त आयोग के तहत अनुदान	172.52	0.00	172.52
7	08-2029-00-797-0-6753- पर्यावरण निधि का हस्तांतरण	122.75	0.00	122.75
8	08-2029-00-797-0-6754- इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में ट्रांसफर	122.75	0.00	122.75
9	41-4225-02-102-802-5024- आदिवासी विशेष पिछड़ा वर्ग	110.00	0.00	110.00
10	13-2401-00-800-1201-6353- चिराग योजना	100.00	0.00	100.00
11	02-4070-00-800-101-6452- मुख्यमंत्री अवसंरचना रखरखाव और उन्नयन प्राधिकरण	80.00	0.00	80.00
12	42-5054-04-101-702-7842- आरआरपी चरण - II	72.00	0.00	72.00
13	41-2401-00-800-1202-6353- चिराग योजना	70.00	0.00	70.00
14	71-5275-00-101-101-7892- भारत नेट परियोजना का कार्यान्वयन	0.00	65.00	65.00
15	बि-6003-00-110-0-637- तरीके और साधन अग्रिम	60.00	0.00	60.00
16	66-2202-02-109-704-8050- छात्रवृत्ति	0.00	60.00	60.00
17	67-4216-01-106-701-6222- न्याय प्रशासन (स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण)	57.02	0.00	57.02
18	64-2210-06-200-803-6613- 15वें वित्त आयोग के तहत अनुदान	54.48	4.00	54.48
19	41-2235-02-102-702-5354- एकीकृत सेवा योजना (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के तहत)	52.85	0.00	52.85
20	58-2245-80-103-0-4849- राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से आपदा राहत कोष में स्थानांतरण	50.00	0.00	50.00
21	75-4700-09-800-311-5516- वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	50.00	0.00	50.00
22	12-4810-00-101-311-6415- सांस्कर कुसुम योजना	50.00	0.00	50.00
23	81-2217-05-191-0-7675- 14वें वित्त आयोग की संस्तुति के तहत अनुदान प्राप्त हुआ	48.80	0.00	48.80
24	42-5054-04-101-705-7842- आरआरपी चरण - II	48.00	0.00	48.00
25	55-2235-02-102-701-5354- एकीकृत सेवा योजना (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के तहत)	47.65	0.00	47.65
26	39-2408-01-102-101-7894- सहकारी भंडारों को आर्थिक सहायता	42.50	0.00	42.50
27	47-2230-03-3-101-7683- मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना	40.40	0.00	40.40
28	बि-6003-00-110-0-779- कमी को पूरा करने के लिए अग्रिम	40.00	0.00	40.00
29	08-5054-05-337-510-6477- पर्यावरण उपकर निधि	40.00	0.00	40.00
30	67-4216-01-106-704-6222- न्याय प्रशासन (स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण)	38.02	0.00	38.02
31	41-4810-00-101-312-6415- सांस्कर कुसुम योजना	38.00	0.00	38.00

32	19-2210-03-110-701-6611- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन	37.84	0.00	37.84
33	58-2245-80-800-0-6457- राज्य डिसेटर रिन्यूअल फंड से व्यय	36.00	0.00	36.00
34	10-2406-01-203-0-5641- वन प्रबंधन समिति	35.94	0.00	35.94
35	23-4700-80-800-701-6354- बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना चरण-II	35.00	0.00	35.00
36	13-2401-00-108-701-7832- लक्षित उदय फेलो क्षेत्र	33.99	0.00	33.99
37	41-2230-03-101-102-7683- मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना	33.85	0.00	33.85
38	41-2408-01-102-102-7894- सहकारी भंडारों को आर्थिक सहायता	32.30	0.00	32.30
39	41-2406-01-105-802-5231- लघु वनोपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान	30.00	0.00	30.00
40	64-2401-00-800-1203-6353- चिराग योजना	30.00	0.00	30.00
41	42-5054-05-337-102-6596- सी.जी.आर.आई.डी.सी.एल निर्माण कार्यों के लिए सहायता	30.00	0.00	30.00
42	58-2245-01-101-0-7710- फसल के विनाश के लिए सहायता	30.00	0.00	30.00
43	13-2401-00-108-701-8942- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति)	30.00	0.00	30.00
44	41-2210-03-110-702-6611- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन	28.75	0.00	28.75
45	11-2852-80-102-701-6455- प्रधानमंत्री सूक्ष्म कृषि उद्योग योजना	28.40	0.00	28.40
46	66-2202-02-109-801-8050- छात्रवृत्ति	26.00	0.00	26.00
47	24-5054-03-337-101-4557- स्ट्रेंगथेनिंग (सतह हार्डिंग)	25.77	0.00	25.77
48	19-2210-03-110-704-6611- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन	25.22	0.00	25.22
49	12-4801-02-190-101-7498- ट्रांसमिशनध्वत्पादनवितरण कंपनी पर पूंजीगत व्यय	25.00	0.00	25.00
50	41-2401-00-108-702-8942- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति)	22.80	0.00	22.80
51	13-2401-00-108-704-7832- लक्षित उदय फेलो क्षेत्र	22.66	0.00	22.66
52	39-6408-02-190-311-8545- नाबार्ड सहायता गोदाम निर्माण	22.50	0.00	22.50
53	27-2202-02-109-101-8659- अशासकीय शालाहरूमा ट्यूशन शुल्क की प्रतिपूर्ति	22.00	0.00	22.00
54	71-3275-00-800-1201-7919- छत्तीसगढ़ पब्लिक फाइनैस मैनेजमेंट प्रोजेक्ट	20.50	0.00	20.50
55	बि-6004-09-101-0-3052- ब्लॉक ऋण	20.00	0.00	20.00
56	21-6217-01-193-101-5371- नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण	20.00	0.00	20.00
57	64-4225-01-102-703-7699- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	20.00	0.00	20.00
58	13-2401-00-108-704-8942- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति)	20.00	0.00	20.00
59	41-2401-00-108-702-7832- लक्षित उदय फेलो क्षेत्र	19.41	0.00	19.41
60	41-2210-03-110-705-6611- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन	19.17	0.00	19.17
61	41-4801-02-190-102-7498- ट्रांसमिशन उत्पादन वितरण कंपनी पर पूंजीगत व्यय	19.00	0.00	19.00
62	11-2852-80-102-704-6455- प्रधानमंत्री सूक्ष्म कृषि उद्योग योजना	18.94	0.00	18.94
63	64-2235-02-102-703-5354- एकीकृत सेवा योजना (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के तहत)	18.60	0.00	18.60
64	41-6408-02-190-312-8545- नाबार्ड सहायता गोदाम निर्माण	17.10	0.00	17.10
65	71-5275-00-101-101-6681- छत्तीसगढ़ राज्य जी.आई.एस. परियोजना	0.00	16.90	16.90

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

66	81-2217-05-192-0-7675- 14वें वित्त आयोग की संस्तुति के तहत अनुदान प्राप्त हुआ	16.80	0.00	16.80
67	41-6215-01-101-102-2182- नई शहरी जल आपूर्ति योजनाएं	16.00	0.01	16.00
68	41-4415-01-277-102-9182- इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय	15.93	0.00	15.93
69	41-2401-00-108-705-8942- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति)	15.20	0.00	15.20
70	30-5054-04-101-101-4871- पी.एम.जी.एस.वाई सड़कों पर पुलों का निर्माण	15.00	0.00	15.00
71	41-5054-04-101-102-4871- पी.एम.जी.एस.वाई सड़कों पर पुलों का निर्माण	15.00	0.00	15.00
72	44-4202-01-203-311-5086- कॉलेज भवनों का निर्माण	15.00	0.00	15.00
73	23-4700-80-800-704-6354- बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना चरण-II	15.00	0.00	15.00
74	64-2202-02-109-703-6614- छात्रवृत्ति	15.00	0.00	15.00
75	71-5275-00-101-704-7892- भारत नेट परियोजना का कार्यान्वयन	15.00	0.00	15.00
76	69-2217-80-191-701-8996- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	14.82	0.00	14.82
77	81-2217-05-193-0-7675- 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत अनुदान प्राप्त हुआ	14.40	0.00	14.40
78	41-4406-01-105-702-6373- लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान	13.76	0.00	13.76
79	41-2401-00-108-705-7832- लक्षित उदय फेलो क्षेत्र	12.94	0.00	12.94
80	41-2406-01-105-702-6373- लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान	12.50	0.00	12.50
81	64-4202-01-202-1203-1400- विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना	12.38	0.00	12.38
82	64-4810-00-101-313-6415- सायं कुसुम योजना	12.00	0.00	12.00
83	19-2210-01-110-701-6612- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	11.86	0.00	11.86
84	29-4059-01-51-101-2450- न्याय प्रशासन	11.00	0.00	11.00
85	64-2230-03-3-103-7683- मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना	11.00	0.00	11.00
86	41-4202-04-800-802-3728- जनजातीय संस्कृति का प्रचार, अनुसंधान, प्रशिक्षण और विकास	10.35	0.00	10.35
87	64-2408-01-102-103-7894- सहकारी भंडारों को आर्थिक सहायता	10.20	0.00	10.20
88	42-5054-03-101-102-4557- सुदृढीकरण (सतह हार्डनिंग)	10.10	0.00	10.10
89	64-5054-04-337-313-6590- नाबार्ड सहायता प्राप्त अनुदान के तहत ग्रामीण सड़क का निर्माण	10.04	0.00	10.04
90	58-2245-02-122-0-989- क्षतिग्रस्त सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण कार्यों की पुनरु स्थापना और मरम्मत	10.00	0.00	10.00
91	58-2245-02-106-0-1467- जिला और अन्य सड़कें	10.00	0.00	10.00
92	54-4415-03-277-101-7403- कामधेनु पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय	10.00	0.00	10.00
योग		5,023.44	4.01	5,027.45

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ: कडिका 3.5.5)

वर्ष 2022-23 के दौरान अनुदानों की सूची जहाँ वृहद बचत हुई (बचत ₹100 करोड़ से अधिक)

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत (-)	समर्पण	समर्पण रहित बचत
राजस्व (दत्तमत)								
03	पुलिस	5,430.57	2.56	5,433.13	4,703.43	-729.70	-664.26	-65.44
08	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	1,269.02	137.92	1,406.94	1,051.51	-355.42	-326.33	-29.09
10	वन	1,798.35	516.96	2,315.31	2,058.30	-257.01	-258.80	1.79
13	कृषि	5,272.71	550.23	5,822.94	5,380.94	-442.00	-442.07	0.07
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	464.02	0.10	464.12	359.65	-104.47	-106.89	2.41
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,776.67	339.93	3,116.60	2,638.62	-477.98	-548.03	70.05
23	जल संसाधन विभाग	603.39	0.00	603.39	471.77	-131.62	-131.74	0.11
24	लोक निर्माण कार्य-सड़क एवं पुल	938.26	260.27	1,198.53	660.96	-537.56	-531.76	-5.81
27	स्कूल शिक्षा	5,598.17	2.70	5,600.87	5,167.71	-433.16	-351.07	-82.09
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	2,875.80	539.81	3,415.61	2,521.37	-894.24	-894.30	0.06
33	जनजातीय कल्याण	5,219.11	305.13	5,524.25	5,283.66	-240.59	-238.95	-1.64
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग	2,524.39	650.00	3,174.39	2,927.88	-246.51	-246.35	-0.16
41	आदिवासी क्षेत्र उप योजना	16,126.14	2,399.32	18,525.46	16,197.17	-2,328.29	-2,477.66	149.37
47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	363.78	14.00	377.78	249.29	-128.49	-128.77	0.28
55	महिला एवं बाल कल्याण	1,121.18	24.35	1,145.54	756.13	-389.41	-407.42	18.02
58	प्राकृतिक आपदाओं और अभाव के कारण राहत पर व्यय	1,110.55	0.00	1,110.55	594.93	-515.61	-767.33	251.72
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	5,287.40	864.07	6,151.47	5,415.85	-735.62	-724.85	-10.77
66	पिछड़े वर्गों का कल्याण	235.55	151.04	386.59	50.83	-335.76	-335.76	0.00
67	लोक निर्माण-भवन	703.19	0.00	703.19	580.19	-123.00	-84.95	-38.05
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	868.97	582.70	1,451.67	1,299.73	-151.93	-151.93	0.00
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	1,018.65	36.00	1,054.65	820.77	-233.88	-218.32	-15.56
80	त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3,039.99	0.00	3,039.99	2,760.74	-279.25	-279.23	-0.03
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	1,869.47	3.00	1,872.47	1,764.03	-108.44	-108.46	0.01
योग		66,515.31	7,380.10	73,895.42	63,715.46	-10,179.96	-10,425.21	245.25
राजस्व (भारित)								
CH2	ब्याज भुगतान और ऋण की सर्विसिंग	7,002.70	0.00	7,002.70	6,320.06	-682.63	-682.63	0.00
योग		7,002.70	0.00	7,002.70	6,320.06	-682.63	-682.63	0.00

पूँजीगत (दत्तमत)								
08	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	234.76	0.00	234.76	95.43	-139.33	-137.18	-2.15
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग	314.68	3.00	317.68	215.42	-102.26	-102.26	0.00
23	जल संसाधन	579.21	0.00	579.21	274.15	-305.05	-305.13	0.07
24	लोक निर्माण कार्य- सड़के और पुल	1,667.51	100.00	1,767.51	1,379.43	-388.08	-397.49	9.41
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोगना	3,106.75	919.74	4,026.49	3,256.69	-769.80	-764.84	-4.96
42	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	1,238.16	0.00	1,238.16	676.55	-561.61	-568.33	6.72
45	लघु सिंचाई कार्य	679.51	0.00	679.51	405.38	-274.13	-274.01	-0.12
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	959.28	257.85	1,217.13	974.39	-242.74	-243.47	0.73
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	800.32	3.96	804.28	454.27	-350.01	-350.56	0.55
71	सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी	69.40	86.68	156.08	54.40	-101.68	-101.68	0.00
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	689.71	0.00	689.71	164.80	-524.91	-522.09	-2.82
76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	940.15	0.00	940.15	781.58	-158.57	-158.43	-0.14
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	433.00	0.00	433.00	281.46	-151.54	-151.54	0.00
82	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	333.00	0.00	333.00	217.82	-115.18	-115.18	0.00
योग		12,045.43	1,371.23	13,416.67	9,231.78	-4,184.89	-4,192.20	7.30
कुल योग		85,563.44	8,751.33	94,314.78	79,267.30	-15,047.48	-15,300.04	252.56

परिशिष्ट 3.7

(संदर्भ: कडिका 3.5.6)

वर्ष 2022-23 के दौरान अनुदानों की सूची जहाँ वृहद बचत हुई (बचत ₹500 करोड़ से अधिक)

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत (-)	समर्पण	समर्पण रहित बचत
राजस्व (दत्तमत)								
03	पुलिस	5,430.57	2.56	5,433.13	4,703.43	-729.70	-664.26	-65.44
24	लोक निर्माण कार्य- सड़के और पुल	938.26	260.27	1,198.53	660.96	-537.56	-531.76	-5.81
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	2,875.80	539.81	3,415.61	2,521.37	-894.24	-894.30	0.06
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोगना	16,126.14	2,399.32	18,525.46	16,197.17	-2,328.29	-2,477.66	149.37
58	प्राकृतिक आपदाओं और अभाव के कारण राहत पर व्यय	1,110.55	0.00	1,110.55	594.93	-515.61	-767.33	251.72

64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	5,287.40	864.07	6,151.47	5,415.85	-735.62	-724.85	-10.77
योग		31,768.71	4,066.03	35,834.75	30,093.72	-5,741.03	-6,060.16	319.13
राजस्व (भारित)								
CH2	ब्याज भुगतान और ऋण की सर्विसिंग	7,002.70	0.00	7,002.70	6,320.06	-682.63	-682.63	0.00
योग		7,002.70	0.00	7,002.70	6,320.06	-682.63	-682.63	0.00
पूँजीगत (दत्तमत)								
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	3,106.75	919.74	4,026.49	3,256.69	-769.80	-764.84	-4.96
42	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	1,238.16	0.00	1,238.16	676.55	-561.61	-568.33	6.72
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	689.71	0.00	689.71	164.80	-524.91	-522.09	-2.82
योग		5,034.62	919.75	5,954.37	4,098.05	-1,856.32	-1,855.26	-1.05
कुल योग		43,806.03	4,985.78	48,791.81	40,511.83	-8,279.98	-8,598.06	318.08

परिशिष्ट 3.8

(संदर्भ: कडिका 3.5.6)

माह मार्च के अंत में समर्पण की राशि (₹10 करोड़) अधिक का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत(-)/आधिक्य(+)	समर्पण
1	1-सामान्य प्रशासन	380.95	126.76	507.72	452.46	-55.26	-50.90
2	2-सामान्य प्रशासन से संबंधित अन्य व्यय	429.61	11.25	440.86	269.00	-171.85	-160.79
3	3-पुलिस	5,667.04	3.06	5,670.10	4,921.57	-748.54	-682.32
4	4-गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	85.68	17.37	103.05	46.88	-56.17	-25.27
5	5-जेल	197.50	0.00	197.50	169.47	-28.03	-28.12
6	6-वित्त	7,736.18	3.64	7,739.82	7,778.29	38.48	-1,393.54
7	7-वाणिज्य कर विभाग	363.09	3.07	366.16	316.46	-49.70	-57.83
8	8-भूमि राजस्व एवं जिला प्रशासन	1,504.12	137.92	1,642.04	1,146.94	-495.10	-463.86
9	9- राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	21.94	0.00	21.94	6.55	-15.39	-15.39
10	10-वन	1,819.48	517.03	2,336.50	2,069.23	-267.27	-265.91
11	11-वाणिज्य एवं उद्योग	346.07	38.00	384.07	233.06	-151.01	-150.80
12	13-कृषि	5,306.77	550.23	5,857.00	5,408.72	-448.28	-448.36
13	14-पशुपालन	469.08	0.10	469.18	360.60	-108.58	-110.99
14	15- अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	263.86	0.00	263.86	167.16	-96.70	-96.70
15	16-मतस्य पालन	83.83	0.00	83.83	52.74	-31.08	-31.18
16	17-सहकारिता	257.59	79.90	337.49	269.53	-67.96	-67.96
17	18-श्रम	156.04	0.00	156.04	125.46	-30.58	-30.58

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

18	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,823.77	341.70	3,165.48	2,675.33	-490.14	-553.27
19	20-लोक स्वास्थ्य यात्रिकी	869.71	581.60	1,451.31	1,320.49	-130.81	-133.66
20	21-भवन एवं पर्यावरण विभाग	579.16	208.26	787.42	607.37	-180.04	-179.79
21	23-जल संसाधन	1,183.16	0.00	1,183.16	746.25	-436.91	-437.07
22	24- लोक निर्माण-सड़कें और पुल	2,615.87	360.27	2,976.14	2,048.03	-928.11	-931.71
23	25-खनिज संसाधन	751.75	0.00	751.75	685.50	-66.25	-66.35
24	26-सांस्कृतिक विभाग	52.46	15.50	67.96	56.01	-11.95	-11.98
25	27-स्कूल शिक्षा	5,632.81	2.70	5,635.51	5,201.88	-433.63	-351.54
26	29-न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	555.80	14.19	569.99	485.22	-84.77	-84.82
27	30-पंचायत और ग्रामीण विकास	3,495.02	700.53	4,195.56	3,259.43	-936.13	-935.00
28	31-योजना अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग	54.07	0.02	54.09	33.48	-20.61	-20.67
29	32-जनसंपर्क विभाग	319.87	88.03	407.90	390.12	-17.77	-17.77
30	33-आदिवासी कल्याण	5,225.00	305.13	5,530.14	5,284.06	-246.07	-244.43
31	34-सामाजिक कल्याण	115.65	0.00	115.65	88.62	-27.02	-27.04
32	36-यातायात	105.29	16.84	122.13	72.98	-49.15	-45.81
33	37-पर्यटन	126.24	9.00	135.24	117.76	-17.49	-17.49
35	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	2,548.47	650.00	3,198.47	2,928.08	-270.40	-270.24
36	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	19,291.11	3,325.67	22,616.78	19,484.46	-3,132.32	-3,276.73
37	42- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य	1,240.16	0.00	1,240.16	676.73	-563.43	-570.15
38	43-खेल-कूद युवा कल्याण	70.29	13.45	83.74	45.85	-37.88	-37.88
39	44-उच्च शिक्षा	857.99	15.00	872.99	775.10	-97.89	-100.34
40	45-लघु सिंचाई कार्य	759.65	0.00	759.65	471.65	-288.00	-287.94
41	46-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	25.35	0.00	25.35	9.79	-15.56	-15.56
42	47-तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति योजना	381.32	61.00	442.32	302.48	-139.83	-140.11
43	54-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	272.00	0.00	272.00	224.65	-47.36	-47.36
44	55-महिला एवं बाल कल्याण	1,136.34	29.64	1,165.98	765.51	-400.47	-418.50
46	56-ग्रामीण उद्योग	117.81	3.13	120.94	102.34	-18.60	-18.47
47	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत	1,110.75	0.00	1,110.75	594.93	-515.81	-767.53
48	64-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	6,268.39	1,121.92	7,390.30	6,405.19	-985.12	-975.07
49	65-उड्डयन विभाग	61.49	78.00	139.49	124.01	-15.49	-15.02
50	66-पिछड़ा वर्ग कल्याण	253.71	151.04	404.75	62.01	-342.74	-342.73
51	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	1,504.97	3.96	1,508.93	1,035.64	-473.29	-435.78
52	68- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	128.76	0.45	129.21	53.88	-75.34	-75.16
53	69-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	868.97	582.70	1,451.67	1,299.73	-151.93	-151.93
54	71-सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी	192.33	86.68	279.01	92.22	-186.79	-178.42

55	75-जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	689.71	0.00	689.71	164.80	-524.91	-522.09
56	76-लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	940.15	0.00	940.15	781.58	-158.57	-158.43
57	79- चिकित्सा शिक्षा	1,108.97	266.69	1,375.66	1,122.96	-252.69	-237.00
58	80-त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3,472.99	0.00	3,472.99	3,042.20	-430.79	-430.76
59	81-नगरीय निकाओं को वित्तीय सहायता	2,681.83	83.00	2,764.83	2,456.28	-308.54	-308.56
60	82-अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	578.92	0.00	578.92	382.28	-196.64	-196.64
61	CH1 -लोक ऋण	6,011.90	0.00	6,011.90	9,600.72	3,588.82	-116.91
62	CH2 -ब्याज भुगतान और ऋण की सर्विसिंग	7,002.70	0.00	7,002.70	6,320.06	-682.63	-682.63
योग		1,09,171.50	10,604.43	1,19,775.93	1,06,191.82	-13,584.11	-18,916.87

परिशिष्ट 3.9

(संदर्भ: कडिका 3.5.6)

उप शीर्ष जहाँ विनियोग लेखे में विचलन के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है

क्र.सं.	अनुदान विवरण	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष स्पष्टीकरण की आवश्यकता	स्पष्टीकरण प्राप्त हुए
1	01-सामान्य प्रशासन	52	12	5
2	02-सामान्य प्रशासन से संबंधित अन्य व्यय	15	7	3
3	03-पुलिस	57	31	9
4	04-गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	26	9	9
5	05-जेल	7	3	0
6	06-वित्त विभाग	43	19	11
7	07-वाणिज्य कर विभाग	37	11	5
8	08-भूमि राजस्व एवं जिला प्रशासन	50	23	11
9	09-राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	7	3	0
10	10-वन	88	36	14
11	11-वाणिज्य एवं उद्योग	46	18	18
12	12-ऊर्जा	47	9	7
13	13-कृषि	112	64	4
14	14-पशुपालन विभाग	59	20	4
15	15-अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	21	8	4
16	16-मत्स्य पालन	20	8	3
17	17-सहकारिता	24	9	0
18	18-श्रम	19	12	3
19	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	81	32	24

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

20	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	64	26	6
21	21-आवास एवं पर्यावरण विभाग	25	16	4
22	22-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	5	2	1
23	23-जल संसाधन विभाग	132	36	7
24	24-लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल	50	33	18
25	25-खनिज संसाधन विभाग	17	7	0
26	26-सांस्कृतिक विभाग से संबंधित खर्च	31	9	2
27	27-स्कूल शिक्षा	80	32	14
28	28-राज्य विधायिका	8	6	4
29	29-न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	35	20	1
30	30-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	57	26	6
31	31-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	14	6	2
32	32-जनसंपर्क विभाग	55	8	0
33	33-आदिम जाति कल्याण	19	13	4
34	34-सामाजिक कल्याण	48	9	4
35	35-पुर्नवास	3	2	0
36	36-यातायात	21	12	6
37	37-पर्यटन	12	5	0
38	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	40	11	1
39	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	630	264	97
40	42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य	27	18	8
41	43-खेल एवं युवा कल्याण	24	6	0
42	44-उच्च शिक्षा	41	14	3
43	45-लघु सिंचाई कार्य	18	9	1
44	46-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	7	5	0
45	47-तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजक विभाग	48	25	9
46	49-अनुसूचित जाति कल्याण	3	2	2
47	50-बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय	1	1	0
48	51-धार्मिक ट्रस्ट और बन्दोबस्ती	10	4	0
49	53-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायो के वित्तीय सहायता	18	3	1
50	54-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	16	7	4
51	55-महिला एवं बाल कल्याण	90	42	26
52	56-ग्रामीण उद्योग	39	4	4
53	57-जल संसाधन विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	8	3	0
54	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत	63	31	19
55	60-जिला उपयोजनाएँ से संबंधित खर्च	2	2	2
56	64-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	499	151	49
57	65-विमानन विभाग	4	2	1
58	66-पिछड़ा वर्ग कल्याण	33	11	7

59	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	206	58	14
60	68-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	36	12	2
61	69-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	71	32	0
62	71-सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	28	19	8
63	75-जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	26	23	1
64	76-लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	9	6	4
65	79-चिकित्सा शिक्षा विभाग	49	24	14
66	80-त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	58	20	1
67	81-नगरीय निकाओं को वित्तीय सहायता	91	11	0
68	82-अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	27	9	1
69	83-अनुसूचित जनजातियों उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकाओं को वित्तीय सहायता	23	2	0
70	CH1 - लोक ऋण	17	8	6
71	CH2 - ब्याज भुगतान और ऋण की सर्विसिंग	87	16	13
	योग	3,836	1,457	511

परिशिष्ट 3.10

(संदर्भ: कंडिका 3.5.7)

वर्ष 2000-01 से 2021-22 के लिए प्रावधान के ऊपर आधिक्य व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/ विनियोग	अनुदान/विनियोग की संख्या	आधिक्य की राशि
2000-01	11 अनुदान	2,14,23,24,33,34,60,71,80,82 और 83	10.21
	2 विनियोग	6 और 24	
2001-02	14 अनुदान	6,14,15,17,23,24,30,33,45,54,60,67,71 और 83	115.90
	2 विनियोग	16 और 25	
2002-03	8 अनुदान	10,15,24,33,37,45,58 और 82	114.59
	2 विनियोग	20 और 67	
2003-04	4 अनुदान	12,33,40 और 67	591.12
	2 विनियोग	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा एवं 6	
2004-05	4 अनुदान	15,24,67 और 81	133.36
	5 विनियोग	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा, लोक ऋण 6,10 एवं 42	
2005-06	4 अनुदान	4,15,24 और 39	23.27
	2 विनियोग	6 और 23	
2006-07	4 अनुदान	4,24,67 और 82	5.13
	1 विनियोग	33	
2007-08	3 अनुदान	23,33 और 60	15.99
	3 विनियोग	13,24 और 36	
2008-09	9 अनुदान	6,23,24,40,67,75,76,80 और 82	115.26
	1 विनियोग	23	
2009-10	10 अनुदान	3,6,22,23,24,25,49,64,76 और 80	216.77
	5 विनियोग	3,12,13,43 और 67	

2010-11	22 अनुदान	1,2,6,7,8,9,12,18,23,25,29,30,39,40,45,49,56,57,58,75,82 और ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	293.78
	6 विनियोग	लोक ऋण 1,20,23,29 और 36	
2011-12	24 अनुदान	1,2,6,7,15,17,18,21,22,23,27,29,34,40,43,45,47,50,53,55,66,80,81 और 83	498.09
	1 विनियोग	29	
2012-13	2 अनुदान	40 और 45	0.96
	2 विनियोग	6 और 55	
2013-14	3 अनुदान	06,12 और 60	178.96
	3 विनियोग	06,14 और 27	
2014-15	4 अनुदान	06,19,33 और 80	833.54
	2 विनियोग	06 और लोक ऋण	
2015-16	3 अनुदान	6,12 और 50	98.24
	2 विनियोग	41 और ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	
2016-17	2 अनुदान	06 और 50	0.92
	3 विनियोग	06,55 और ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	11.46
2017-18	3 अनुदान	6,49 और 50	2.24
	3 विनियोग	14,33 और 55	0.37
2018-19	2 अनुदान	6 और 50	1.19
	4 विनियोग	6,14,33 और 67	0.48
2019-20	3 अनुदान	06,33 और 44	646.07
	3 विनियोग	55, लोक ऋण और ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	6,036.62
2020-21	2 अनुदान	06 और 83	252.24
	2 विनियोग	06 और लोक ऋण	3,179.87
2021-22	2 अनुदान	06 और 51	590.41
	3 विनियोग	06, 55 और लोक ऋण	3,469.35
योग			17,436.39

परिशिष्ट 3.11

(संदर्भ: कडिका 3.5.7)

वर्ष 2022-23 में मुख्य शीर्ष का विवरण जहाँ आधिक्य हुआ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	कुल प्रावधान	व्यय	आधिक्य व्यय
1	06	2071	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभ	7,594.60	7,657.31	62.71
2	06	2075	विविध सामान्य सेवाएं	0.00	5.00	5.00
3	06	2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0.00	1.52	1.52
4	07	2030	टिकट और पंजीकरण	138.01	140.44	2.42
5	08	4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	5.26	85.92	80.66
6	08	5054	सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	9.51	9.51
7	19	2071	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2.30	4.15	1.85
8	23	2701	मध्यम सिंचाई	272.60	380.55	107.95
9	32	2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	0.02	0.04	0.02
10	32	2051	लोक सेवा आयोग	0.47	0.76	0.29
11	32	2056	जेलों	0.10	0.17	0.07

12	32	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0.30	0.45	0.15
13	32	2215	जल आपूर्ति और स्वच्छता	2.40	4.90	2.50
14	32	2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	0.50	0.64	0.14
15	32	2406	वानिकी और वन्यजीव	1.40	1.55	0.15
16	32	3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.01	0.14	0.13
17	CH1	6003	राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	5,778.88	9,370.39	3,591.51
योग				13,796.85	17,663.43	3,866.58

परिशिष्ट 3.12

(संदर्भ: कंडिका 3.6)

अनुदान जहां वर्ष 2022-23 में व्यय सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका

अनुदान सं. – विवरण	कुल बजट	व्यय			कुल व्यय	कुल बजट के प्रतिशत के रूप में पहले अर्धवर्ष में व्यय (45% सीमा)	कुल बजट के प्रतिशत के रूप में दूसरे अर्धवर्ष में व्यय (55% सीमा)	कुल बजट के प्रतिशत के रूप में मार्च 2023 में व्यय (20% सीमा)
		पहले अर्धवर्ष	दूसरे अर्धवर्ष	मार्च				
6 – वित्त विभाग से संबंधित व्यय	7,739.82	3,725.15	4,053.14	97.74	7,778.29	48.13	52.37	1.26
27 – स्कूली शिक्षा	5,635.51	2,847.71	2,354.17	600.46	5,201.88	50.53	41.77	10.65
33 –आदिवासी कल्याण	5,530.14	2,722.80	2,561.27	367.24	5,284.07	49.24	46.31	6.64
7 – वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	366.16	109.82	206.64	14.27	316.46	29.99	56.43	3.90
10 –वन	2,336.50	761.82	1,307.41	498.11	2,069.23	32.61	55.96	21.32
12 – ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	3,738.74	1,101.11	2,633.48	1,067.28	3,734.59	29.45	70.44	28.55
13 –कृषि	5,857.00	2,139.40	3,269.32	1,521.47	5,408.72	36.53	55.82	25.98
17 –सहयोग	337.49	40.17	229.36	113.42	269.53	11.90	67.96	33.61
20 – पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग	1,451.31	383.31	937.19	461.66	1,320.50	26.41	64.58	31.81

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

25 – खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय	751.75	19.91	665.59	9.02	685.50	2.65	88.54	1.20
26 – संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	67.96	12.83	43.17	11.46	56.00	18.88	63.53	16.86
32 – जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय	407.90	93.98	296.14	143.10	390.12	23.04	72.60	35.08
39– खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	3,198.47	783.26	2,144.82	1,097.97	2,928.08	24.49	67.06	34.33
51 – धार्मिक न्यास और धर्मोपस्व	20.93	1.40	13.53	4.41	14.93	6.69	64.64	21.09
53 – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	80.99	33.12	44.67	2.56	77.79	40.89	55.15	3.15
56 – ग्रामीण उद्योग	120.94	34.55	67.79	19.19	102.34	28.56	56.05	15.87
60 – जिला योजना स्कीमों से संबंधित व्यय	208.65	35.08	167.55	73.80	202.63	16.81	80.30	35.37
69 – नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग – नगरीय कल्याण	1,451.67	310.69	989.05	313.66	1,299.74	21.40	68.13	21.61
83 – जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के तहत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	122.21	49.27	70.23	6.49	119.50	40.31	57.47	5.31
CH1 – लोक ऋण	6,011.90	483.14	9,117.58	6,099.05	9,600.72	8.04	151.66	101.45
35 – पुनर्वास	1.94	0.70	0.95	0.40	1.65	36.09	48.83	20.71

41 —जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	22,616.78	8,091.13	11,393.34	4,617.71	19,484.47	35.77	50.38	20.42
43 —खेल एवं युवा कल्याण	83.74	6.87	38.99	18.28	45.86	8.20	46.56	21.82
58 — प्राकृतिक आपदाओं और कमी के कारण राहत पर व्यय	1,110.75	114.15	480.78	301.12	594.93	10.28	43.28	27.11
64 — अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	7,390.30	2,571.53	3,833.65	1,644.46	6,405.19	34.80	51.87	22.25

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भ: कंडिका 4.3)

31 मार्च 2023 तक लंबित विस्तृत आकस्मिक देयकों का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विभागों के नाम	वर्ष	लंबित विस्तृत आकस्मिक देयक	राशि
2029	भू-राजस्व	2017-18	01	0.01
		2020-21	01	0.02
2041	परिवहन	2022-23	01	5.00
2070	सामान्य प्रशासन	2022-23	01	5.50
2203	तकनीकी शिक्षा	2022-23	02	2.00
2230	श्रम तथा रोजगार	2022-23	06	@0.00
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2019-20	35	0.58
		2020-21	38	0.37
		2021-22	79	0.57
		2022-23	220	1.41
2401	कृषि और जैव प्रौद्योगिकी	2021-22	47	107.17
		2022-23	01	0.05
2406	वन	2022-23	01	0.01
2425	सहकारिता	2022-23	03	183.00
2701	जल संसाधन	2017-18	01	*0.00
2851	ग्रामीण तथा लघु उद्योग	2022-23	28	0.83
2852	वाणिज्य एवं उद्योग	2022-23	07	0.15
योग			471	306.67

*डीसी की राशि ₹4,190.00, @ डीसी की राशि ₹20,500.00।

परिशिष्ट 4.2

(संदर्भ: कंडिका 4.12)

जून 2023 तक स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के खातों का बकाया

क्र.सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	तब से खाता लंबित है	वित्तीय वर्ष 2022-23 तक लंबित खातों की संख्या
1	छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग	2001-02 से 2022-23	22
2	छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	2021-22 से 2022-23	02
3	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर	2021-22 से 2022-23	02
4	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बस्तर (जगदलपुर)	2022-23	01
5	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोद	2022-23	01
6	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर	2019-20 से 2022-23	04
7	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दंतेवाड़ा	2019-20 से 2022-23	04
8	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धमतरी	2019-20 से 2022-23	04
9	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जांजगीर-चांपा	2022-23	01
10	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जशपुर	2020-21 से 2022-23	03
11	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कबीरधाम	2022-23	04
12	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा	2021-22 से 2022-23	02
13	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़	2021-22 से 2022-23	02
14	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर	2020-21 से 2022-23	03
15	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सरगुजा (अंबिकापुर)	2020-21 से 2022-23	03
16	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कांकेर	2019-20 से 2022-23	04
17	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा	2018-19 से 2022-23	05
18	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग	2021-22 से 2022-23	02
19	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरिया (बैकुंठपुर)	2018-19 से 2022-23	05
20	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजनांदगांव	2019-20 से 2022-23	04
21	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुंद	2021-22 से 2022-23	02
22	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलौदा बाजार	2017-18 से 2022-23	06
23	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोंडागांव	2018-19 से 2022-23	05
24	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुंगेली	2022-23	01
25	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलरामपुर	2013-14 से 2017-18 एवं 2019-20 से 2022-23	08
26	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूरजपुर	2019-20 से 2022-23	04
27	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक	2022-23	01
28	राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा)	2022-23	01

परिशिष्ट 4.3

(संदर्भ: कंडिका 4.13)

चोरी, गबन एवं शासकीय संपत्ति/सामग्री की कमी के कारण शासन को हुई हानियों के प्रकरणों के संदर्भ में विभागवार/श्रेणीवार विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग के नाम	चोरियों के प्रकरण		गबनों के प्रकरण		सरकारी संपत्तियों/वस्तुओं की हानि		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	उच्च शिक्षा	12	10.42	2	0.62	3	2.51	17	13.55
02	कला एवं संस्कृति	1	0.81	0	0.00	1	0.00	2	0.81
03	जिला प्रशासन	1	0.67	4	0.79	0	0.00	5	1.46
04	लेखा एवं कोषालय प्रबंधन	3	0.19	0	0.00	3	11.81	6	12.00
05	ग्रामीण विकास	4	1.08	2	0.05	14	16.70	20	17.83
06	पंचायत एवं सामाजिक कल्याण	0	0.00	0	0.00	2	1.00	2	1.00
07	विद्यालय शिक्षा	20	12.81	19	156.26	19	63.04	58	232.11
08	पुलिस	29	8.21	5	19.45	249	48.30	283	75.96
09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3	0.15	1	0.10	7	0.85	11	1.10
10	भू-राजस्व (तहसील विभाग)	2	0.50	8	1.37	2	0.18	12	2.05
11	पशु चिकित्सा सेवा	8	1.80	1	0.10	213	21.28	222	23.18
12	सहकारिता	0	0.00	1	96.26	0	0.00	1	96.26
13	महिला एवं बाल विकास	1	3.50	0	0.00	2	0.31	3	3.81
14	डेयरी विकास	1	0.20	1	0.02	0	0.00	2	0.22
15	ग्रामीण एवं लघु उद्योग (रेशम) विभाग	0	0.00	0	0.00	1	0.37	1	0.37
16	विधि एवं विधायी विभाग	4	0.21	1	7.79	0	0.00	5	7.99
17	श्रम एवं रोजगार	13	3.91	0	0.00	10	51.71	23	55.61
18	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	0	0.00	1	0.08	3	0.15	4	0.23
19	फसल-कृषि कर्म	0	0.00	0	0.00	3	0.48	3	0.48
20	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3	1.14	5	20.61	7	1.10	15	22.85
21	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएँ	4	0.77	9	34.84	5	10.29	18	45.90
22	वन	3	5.76	0	0.00	948	966.62	951	972.38
23	लोक निर्माण विभाग	2	0.24	0	0.00	470	10045.10	472	10045.34
24	जल संसाधन विभाग	7	1.48	0	0.00	17	663.49	24	664.98
25	वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय	1	0.05	0	0.00	0	0.00	1	0.05
26	समाहर्ता	0	0.00	1	0.08	1	0.30	2	0.38
27	खनन एवं धातु-कर्म उपक्रम विभाग	0	0.00	0	0.00	1	0.00	1	0.00
28	स्वच्छता एवं जल आपूर्ति	0	0.00	1	189.90	0	0.00	1	189.90
29	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ	0	0.00	0	0.00	2	4.41	2	4.41
30	राज्य उत्पाद शुल्क	1	0.03	0	0.00	0	0.00	1	0.03
योग		123	53.93	63	528.32	1,982	11,910.02	2,168	12,492.26

परिशिष्ट-4.4

(संदर्भ: कडिका 4.13)

सरकार को हुए नुकसान का वर्षवार विश्लेषण
(31 मार्च 2023 के अंत में वित्तीय कार्यवाही हेतु लंबित मामले)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विभाग के नाम	प्रकरणों की संख्या एवं राशि						योग
		05 वर्षों तक	05 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष	20 से 25 वर्ष	25 वर्ष से ऊपर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उच्च शिक्षा	-	6 (2.23)	4 (6.80)	3 (3.78)	1 (0.13)	3 (0.61)	17 (13.55)
2	कला एवं संस्कृति	-	1 (0.00)	-	-	-	1 (0.81)	2 (0.81)
3	जिला प्रशासन	-	-	-	2 (0.40)	2 (0.83)	1 (0.23)	5 (1.46)
4	लेखा एवं कोषालय प्रबंधन	-	-	-	2 (0.07)	-	4 (11.93)	6 (12.00)
5	ग्रामीण विकास	2 (0.21)	-	1 (0.50)	2 (0.71)	4 (2.28)	11 (14.13)	20 (17.83)
6	पंचायत एवं सामाजिक कल्याण	-	1 (1.00)	1 (0.00)	-	-	-	2 (1.00)
7	विद्यालय शिक्षा	-	8 (148.01)	3 (38.06)	5 (8.56)	3 (17.76)	39 (19.71)	58 (232.11)
8	पुलिस	168 (29.5)	52 (7.83)	34 (7.91)	14 (1.04)	9 (13.34)	6 (16.33)	283 (75.96)
9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	11 (1.10)	11 (1.10)
10	भू-राजस्व (तहसील)	-	-	-	3 (0.98)	-	9 (1.07)	12 (2.05)
11	पशु चिकित्सा सेवाएँ	67 (4.78)	44 (7.67)	63 (5.99)	43 (4.05)	-	5 (0.69)	222 (23.18)
12	सहकारिता	-	-	-	-	-	1 (96.26)	1 (96.26)
13	महिला एवं बाल विकास	-	-	-	-	-	3 (3.82)	3 (3.82)
14	डेयरी विकास	-	-	-	-	1 (0.20)	1 (0.02)	2 (0.22)
15	ग्रामीण एवं लघु उद्योग (रेशम) विभाग	-	1 (0.38)	-	-	-	-	1 (0.38)
16	विधि एवं विधायी विभाग	1 (0.10)	-	2 (0.00)	1 (0.11)	1 (7.79)	-	5 (8.00)
17	श्रम एवं रोजगार	3 (1.17)	2 (46.80)	10 (5.92)	2 (1.04)	1 (0.27)	5 (0.42)	23 (55.61)
18	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	-	-	-	1 (0.10)	-	3 (0.13)	4 (0.23)
19	फसल-कृषि कर्म	-	-	2 (0.16)	1 (0.33)	-	-	3 (0.49)
20	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1 (0.17)	-	1 (0.00)	1 (19.58)	-	12 (3.10)	15 (22.85)
21	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएँ	1 (0.38)	1 (0.00)	1 (9.85)	1 (0.06)	6 (33.02)	8 (2.59)	18 (45.90)

22	वन	16 (16.12)	31 (65.55)	30 (46.08)	99 (170.84)	166 (363.78)	609 (310)	951 (972.38)
23	लोक कल्याण विभाग	4 (43.42)	86 (4,443.63)	285 (5,000.80)	97 (557.50)	-	-	472 (10,045.35)
24	जल संसाधन विभाग	6 (117.50)	7 (362.72)	7 (181.01)	4 (3.75)	-	-	24 (664.98)
25	आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय	-	-	1 (0.05)	-	-	-	1 (0.05)
26	समाहर्ता कार्यालय	-	-	-	-	-	2 (0.38)	2 (0.38)
27	खनन एवं धातु-कर्म उपक्रम विभाग	-	1 (0.00)	-	-	-	-	1 (0.00)
28	स्वच्छता एवं जल आपूर्ति	-	-	-	-	-	1 (189.90)	1 (189.90)
29	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ	-	1 (4.00)	1 (0.41)	-	-	-	2 (4.41)
30	राज्य उत्पाद शुल्क	1 (0.03)	-	-	-	-	-	1 (0.03)
योग		270 (213.38)	242 (5,089.89)	446 (5,303.54)	281 (772.90)	194 (439.40)	735 (673.23)	2,168 (10,315.29)

परिशिष्ट 4.5

(संदर्भ: कंडिका 4.13)

विभिन्न विभागों में वसूली का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	वसूली प्रकरण संख्या	मुख्य शीर्ष	विभाग के नाम	प्रकार दुर्विनियोजन/हानि/चोरी	हानि की राशि	वसूली गयी राशि
1	2	3	4	5	7	8
01	123	2055	पुलिस	हानि	1,500.00	1,500.00
02	114	2406	वन	हानि	3,148.00	3,148.00
03	115	2406		हानि	2,872.00	2,872.00
04	116	2406		हानि	39,064.00	39,064.00
05	117	2406		हानि	1,18,445.00	1,18,445.00
06	124	2406		हानि	50,821.00	50,821.00
योग					2,15,850.00	2,15,850.00

परिशिष्ट 5.1

पीएसयू जिनके लेखे 30 सितम्बर 2023 की स्थिति में तीन अथवा अधिक वर्षों के लिए बकाया थे, की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणामों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(संदर्भ: कंडिका 5.4)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र, प्रकार एवं पीएसयू का नाम	निगमन की तिथि	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अंतिमीकृत किये गये	ब्याज एवं कर के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी	वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर पूँजी		
								पूँजी*	दीर्घावधि ऋण	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. कार्यशील पीएसयू जिनके लेखे तीन या अधिक वर्षों से बकाया थे/प्रथम लेखे अप्राप्त थे										
अ. सरकारी कम्पनियाँ										
1	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी)	16.11.1981	2018-19	2022-23	-3.94	29.07	1.60	1.60	0.00	1.6
2	छत्तीसगढ़ राज्य इनफॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (सीएसआईआईसी)	12.12.2017	प्रथम लेखे अप्राप्त थे	-	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05
3	छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड (सीएसएमसीएल)	27.02.2017	2019-20	2022-23	11.76	5777.49	0.00	0.00	189.00	189.00
4	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम (सीएनजेवीएएन)	04.07.2004	2019-20	2020-21	0.34	2.77	5.00	5.00	0.18	5.18
5	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (आरएससीएल)	16.09.2016	2019-20	2021-22	-0.39	2.13	0.10	0.10	0.00	0.1
6	छत्तीसगढ़ ग्रामीण गृहनिर्माण निगम लिमिटेड (सीआरएचसीएल)	15.03.2018	2019-20	2022-23	-6.71	82.33	0.10	0.10	1597.47	1597.57
					1.06	5893.79	6.85	6.85	1786.65	1793.50
II. निष्क्रिय पीएसयू										
अ. सरकारी कम्पनियाँ										
7	छत्तीसगढ़ सोनडिहा कोल कम्पनी लिमिटेड (सीएससीसीएल)	30.12.2008	2022-23	2023-24	-0.08	0.00	21.94	21.94	0.00	21.94
8	सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड (सीआईसीपीएल)	11.04.2008	2018-19	2020-21	0.00	0.00	82.60	82.60	231.71	314.31
योग-II					-0.08	0.00	104.54	104.54	231.71	336.25
योग (I+ II)					0.98	5893.79	111.39	111.39	2018.36	2129.75

*आबंटन हेतु लंबित अंश आवेदन की राशि सम्मिलित है।

परिशिष्ट 5.1(ब)

30 सितम्बर 2023 की स्थिति में पीएसयू के लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया दर्शाने वाला विवरण पत्रक
(संदर्भ: कडिका 5.5)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	वर्ष तक जिसमें लेखे अंतिमीकृत किये गये	बकाया की स्थिति	बकाया लेखों की संख्या
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड	2021-22	2022-23	1
2.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड	2021-22	2022-23	1
3.	छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	1
4.	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2019-20 से 2022-23	4
5.	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	1
6.	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22 से 2022-23	2
7.	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	1
8.	केरवा कोल लिमिटेड	2021-22	2022-23	1
9.	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	1
10.	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2019-20	2020-21 से 2022-23	3
11.	सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड	2018-19	2019-20 से 2022-23	4
12.	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22 से 2022-23	2
13.	छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	1
14.	छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	1
15.	छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	1
16.	छत्तीसगढ़ कटघोरा डोंगरगढ़ रेलवे लिमिटेड	2021-22	2022-23	1
17.	छत्तीसगढ़ खरसिया नया रायपुर रेलवे लिमिटेड	2021-22	2022-23	1
18.	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	2020-21 से 2022-23	3
19.	बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	2021-22 से 2022-23	2
20.	नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	1
21.	छत्तीसगढ़ राज्य इनफॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	---	2017-18 से 2022-23	6

22.	उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड	2021-22	2022-23	1
23.	छत्तीसगढ़ ग्रामीण गृहनिर्माण निगम लिमिटेड	2019-20	2020-21 से 2022-23	3
24.	छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड	2019-20	2020-21 से 2022-23	3
25.	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम	2021-22	2022-23	1
योग				47

परिशिष्ट 5.2

31 मार्च 2023 की स्थिति में राज्य के पीएसयू से संबंधित पूँजी एवं बकाया ऋण की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक
(संदर्भ: कडिका 5.6.1)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	वर्ष की समाप्ति पर पूँजी [₹]				वर्ष की समाप्ति पर बकाया दीर्घावधि ऋण				ऋण सहित कुल जीओसीजी पूँजी	ऋण सहित कुल पूँजी
				जीओसीजी	जीओआई	अन्य [₹]	कुल	जीओसीजी	जीओआई	अन्य [₹]	कुल		
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	7	8
ऊर्जा													
1	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा	19.05.2003	2814.30	0.00	0.00	2814.30	29.21	0.00	6018.66	6047.87	2843.51	8862.17
2	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा	19.05.2003	939.54	0.00	0.00	939.54	9.10	0.00	1297.26	1306.36	984.64	2245.90
3	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा	19.05.2003	2886.54	0.00	0.00	2886.54	64.10	130.97	1576.61	1771.68	2950.64	4658.22
4	उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड	ऊर्जा	13.03.2018	0.00	0.00	200	200.00	0.00	0.00	2.63	2.63	0.00	202.63
कृषि एवं संबद्ध													
5	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	वन	22.05.2001	25.73	0.92	0.00	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	25.73	26.65
6	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	कृषि	08.10.2004	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	19.40	19.40	0.50	19.90
सेवाएं													
7	छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड	वाणिज्यिक कर	29.11.2001	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15

क्र. सं.	क्षेत्र एवं पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	वर्ष की समाप्ति पर पूँजी ^१				वर्ष की समाप्ति पर बकाया दीर्घावधि ऋण				ऋण सहित कुल जीओसीजी पूँजी	ऋण सहित कुल पूँजी
				जीओसीजी	जीओआई	अन्य ^२	कुल	जीओसीजी	जीओआई	अन्य ^२	कुल		
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	7	8
8	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	13.03.2001	4.43	0.00	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43	4.43
9	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड	स्वास्थ्य	07.10.2010	3.45	0.00	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	3.45
10	छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड	गृह	14.12.2011	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	558.27	558.27	2.00	560.27
11	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	02.05.2002	2.02	0.00	2.02	4.04	88.99	0.00	0.00	88.99	91.01	93.03
12	छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	07.12.2016	37.22	34.30	0.00	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	37.22	71.52
13	छत्तीसगढ़ कटघोरा डोंगरगढ़ रेलवे लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	29.05.2018	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
14	छत्तीसगढ़ खरसिया नया रायपुर रेलवे लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	29.05.2018	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
15	छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड	वाणिज्यिक कर	27.02.2017	0.0007	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00	189.00	189.00	189.00
अधोसंरचना													

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	क्षेत्र एवं पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	वर्ष की समाप्ति पर पूँजी [§]				वर्ष की समाप्ति पर बकाया दीर्घावधि ऋण				ऋण सहित कुल जीओसीजी पूँजी	ऋण सहित कुल पूँजी
				जीओसीजी	जीओआई	अन्य [£]	कुल	जीओसीजी	जीओआई	अन्य [£]	कुल		
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	7	8
16	छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	पीडब्ल्यूडी / शहरी प्रशासन व विकास विभाग	11.11.2014	4.90	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00	1598.68	1598.68	4.90	1603.58
17	नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड	शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग	16.10.2017	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
18	बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग	19.09.2016	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
19	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	26.02.2001	4.20	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	4.20
20	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	16.11.1981	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60
21	छत्तीसगढ़ राज्य इनफॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी	12.12.2017	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05
22	छत्तीसगढ़ ग्रामीण गृहनिर्माण निगम लिमिटेड	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	15.03.2018	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1597.47	1597.47	0.10	1597.57
23	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग	16.09.2016	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
वित्त													

क्र. सं.	क्षेत्र एवं पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	वर्ष की समाप्ति पर पूँजी [§]				वर्ष की समाप्ति पर बकाया दीर्घावधि ऋण				ऋण सहित कुल जीओसीजी पूँजी	ऋण सहित कुल पूँजी
				जीओसीजी	जीओआई	अन्य [£]	कुल	जीओसीजी	जीओआई	अन्य [£]	कुल		
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	7	8
24	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम	समाज कल्याण	04.07.2004	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.18	0.18	5.00	5.18
अन्य													
25	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	भौमिकी एवं खनन	07.06.2001	1.00	0.00	0.00	1.00	465.66	0.00	0.00	465.66	466.66	466.66
26	केरवा कोल लिमिटेड	भौमिकी एवं खनन	20.01.2015	0.00	0.00	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
27	सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड	भौमिकी एवं खनन	11.04.2008	0.00	0.00	82.60	82.60	0.00	0.00	231.71	231.71	0.00	314.31
28	छत्तीसगढ़ सोनडिहा कोल कम्पनी लिमिटेड	भौमिकी एवं खनन	30.12.2008	0.00	0.00	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.94
योग				6733.03	35.22	315.46	7083.71	846.06	130.97	12900.87	13877.90	7579.09	20961.61

[§] पूँजी में अंश आवेदन की बकाया राशि सम्मिलित है।

[£] वित्तीय संस्थाएँ, बैंक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इत्यादि सम्मिलित है।

परिशिष्ट 5.3

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को परिचालन गतिविधियों/अन्य आय से लाभ की जानकारी

(संदर्भ: कडिका 5.9.1)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम
पीएसयू जिन्होंने केवल अपने संचालन से लाभ अर्जित किया	
1	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड
2	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड
3	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम
4	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड
5	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड
6	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
7	छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड
8	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड
9	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड
पीएसयू जिन्होंने केवल अन्य/असाधारण आय से लाभ अर्जित किया	
1	केरवा कोल लिमिटेड

©
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in



Email: agauchhattisgarh@cag.gov.in